नवम माला, खंड 13, अंक 7

मंगलवार, 8 जनवरी, 1991
18 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

AMENT LIBRARY
52
22-2-91

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद - विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 8 जनवरी, 1991 / 18 पौष, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	(6	प्रश्न संख्या 126 के स्थान पर "162" पढ़िये ।
	(7	"प्रश्नों" शब्द के पश्चात् "के" अन्त: स्थापित करिये ।
विषय सूची (iii)	नीचे से पंक्ति 11	"देशन" के स्थान पर "देश" पढ़िये ।
21	12	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
22	17	"साज्य" के स्थान पर "राज्य" पढ़िये ।
23	18	प्रश्न संख्या "157" के स्थान पर "175" पढ़िये ।
32	18	शीर्षक में "अड्णों" के स्थान पर "अड्डों" पढ़िये ।
51	2	"श्रीमती गीता मुखर्जी" के स्थान पर "श्रीमती गीता मुखर्जी" पढ़िये ।
63	(9	"(क)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये ।
	(नीचे से पंक्ति 9	"श्री नबगराव ढाकणे" के स्थान पर "श्री बबनराव ढाकणे" पढ़िये ।
72	(नीचे से पंक्ति 3)	शीर्षक में "गाजियाद" के स्थान पर "गाजियाबाद" पढ़िये ।
	(नीचे से पंक्ति 7	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" अन्त: स्थापित कीजिए ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
76	7	प्रश्न संख्या "1835" के स्थान पर "1936" पढ़िये।
153	नीचे से पंक्ति 13	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
161	" 6	शीर्षक में "लाननो" के स्थान पर "लाइनो" पढ़िये।
	" 13	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
163	प्रथम पंक्ति	"श्री वामनरनव महाडीक" के स्थान पर "श्री वामनराव महाडीक" पढ़िये।
181	19	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
197	नीचे से पंक्ति 5	"अध्य" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये।
279	नीचे से पंक्ति 6	"श्री के॰सी॰ कुप्पुस्वामी" के स्थान पर "श्री सी॰के॰ कुप्पुस्वामी" पढ़िये।

विषय सूची

नवम माला,	खंड 13,	छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)
अंक 7	मंगलवार, 8 जनवरी,	1990/18 पौष, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 126 से 166	
प्रश्नों लिखित उत्तर :	19—186
तारांकित प्रश्न संख्या : 167से 181	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1861 से 2094	
प्रेस की स्वतन्त्रता समाप्त करने के कथित प्रयास और फरीदाबाद में थामसन प्रेस की बिजली काटे जाने के समाचार के बारे में	186—195
वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा कराधान के बारे में "फाइनेंशियल टाइम्स, लंदन" को दिए गए साक्षात्कार के समाचार के बारे में	195—220
सभा पटल पर रखे गए पत्र	220—225
याचिका समिति	225
दूसरा प्रतिवेदन	
निदेश 115 के अधीन वक्तव्य	225—227
मिलिटरी ट्रांजिट कैम्प के लिए हिमाचल प्रदेश में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित दिनांक 9 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के बारे में	
श्री महेश्वर सिंह	
श्री ललित विजय सिंह	
कार्य मंत्रणा समिति	228—231
अठारहवां प्रतिवेदन-स्वीकृत	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृ.
नियम 377 के अधीन मामले	231—235
(एक) केरल के कन्नानोर जिले में अझिक्कल पत्तन का विकास किए जाने की मांग	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	231—232
(दो) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले टडोबा राष्ट्रीय उद्यान और गढ़-चिरोली जिले में मार्कण्ड मन्दिर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग	
श्री शान्ताराम पोटदुखे	232
(तीन) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाए जाने की मांग	
श्री उत्तम राठौड़	232
(चार) मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की मांग	
प्रो० एन० तोम्बी सिंह	232—233
(पांच) मानव निर्मित तन्तु धागे पर उत्पाद और सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय वापस लिए जाने की मांग	
श्री काशीराम राणा	233
(छः) आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग	
श्री सरजू प्रसाद सरोज	233—234
(सात) उड़ीसा की महान विभूतियों, गोपबन्धु दास, मधुसूदन दास और कृष्ण चन्द्र गजपति देव के नाम पर दिल्ली की किसी सड़क का नाम रखे जाने की मांग	
श्री ए० एन० सिंह देव	234
(आठ) केरल में एलीमाला में नौसैनिक अकादमी का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की मांग	
श्री एम० रमन्ना राय	234—235
(नौ) मुर्गी समुदाय के लाभ के लिए भूसी निकालने की "हलर" मशीनें लगाने हेतु लाइसेंस दिए जाने की मांग	
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	235

विषय	पृष्ठ
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	235—260
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	236—337
डा० तम्बि दुरै	237—239
श्री धर्म पाल शर्मा	239—240
श्री चित्त बसु	240—243
श्री मदन लाल खुराना	243—244
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	244—245
श्री राम कृष्ण यादव	245—246
श्री वामनराव महाडीक	246—247
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल	247—248
स० अतिन्दर पाल सिंह	248
श्री शिकिहो सेमा	248—249
श्री गुलाब चन्द कटारिया	249—251
श्री पी० सी० थामस	251
श्री हरीश रावत	251—253
श्री गिरधारी लाल भार्गव	253
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी	253—260
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी	
नियम 193 के अधीन चर्चा	260—297
देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर वृद्धि	
श्री जी० एम० बनातवाला	261—263
श्री चांद राम	263—264
श्री सत्यनारायण जटिया	264—266
श्री पी० नरसा रेड्डी	266—267
श्री ए० के० राय	267—269
श्री हेत राम	269—271
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	271—722
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	272—274
श्री धर्मपाल शर्मा	274—275
श्री मित्रसेन यादव	275—276

विषय	पृष्ठ

स० अतिन्दर पाल सिंघ	276
डा० तम्बि दुरै	277—278
श्री सूर्य नारायण यादव	278—279
श्री सी० के० कुप्पु स्वामी	279—280
श्री वामनराव महाडीक	280—282
श्री कांसी पन्नीर सेलवम	282—283
राव बीरेन्द्र सिंह	284—297
दिल्ली उच्चतम न्यायालय से प्राप्त अन्तरिम आदेश के बारे में टिप्पणी	283

लोक सभा

मंगलवार, 8 जनवरी, 1991/18 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण

[अनुवाद]

*162. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या नागर विमान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सितम्बर, 1990 के दूसरे सप्ताह में एक 27 वर्षीय युवक ने इंडियन एयरलाइन्स के कोयम्बटूर से बंगलौर जा रहे विमान का अपहरण करने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस युवक को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो विमान का अपहरण करने के क्या कारण थे ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस घटना से अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी था और वह कार्य के लिए आस्ट्रेलिया में पर्थ जाना चाहता था। उसे मानसिक रूप से तनावग्रस्त पाया गया था।

(व्यवधान)

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिना सुरक्षा जांच के यह लड़का विमान के अन्दर कैसे चला गया, उसने किस हथियार द्वारा विमान का अपहरण करने का प्रयास किया तथा यदि उसके पास कोई हथियार था तो उसके बारे में सुरक्षा जांच के समय क्यों नहीं पता चला।

श्री हरमोहन धवन : अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा जांच की गई थी। जब जांच पूर्ण हुई तब यह पता चला था कि उसके पास हथगोला नहीं था जिसका वह बाद में दावा कर रहा था। अतत: यह ज्ञात हुआ कि उसके पास पीयर्स साबुन था जिसे उसने अपने रुमाल में लपेटा हुआ था। उसके पास कोई हथियार नहीं था।

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, मैं आपका ध्यान मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के दूसरे

भाग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि वह युवक तकनीकी स्नातक और मानसिक रूप से तनावग्रस्त था। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस बात से यह पता चलता है कि बेरोजगारी से कुंठा उत्पन्न होती है और कुंठा ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इसी कारण पंजाब, कश्मीर, असम और देश के अन्य भागों में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। यह सरकार के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भविष्य में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में वह युवकों के लिए कौन से अवसर पैदा करने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनम : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे खेद के साथ माननीय मन्त्री जी को यह बताना पड़ रहा है कि उनके उत्तर के भाग (ग) में सही जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया है कि वह व्यक्ति इंजीनियरिंग स्नातक था और आस्ट्रेलिया जा रहा था। लेकिन उस दिन तमिल भाषा के सभी समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा था कि वह लड़का श्रीलंका से आया था और मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें यह जानकारी नागर विमानन मन्त्रालय से मिली अथवा तमिलनाडु के गृह विभाग से मिली। तमिलनाडु गृह विभाग ऐसी गलत खबर दे रहा है और श्रीलंका के समाचारों को छुपा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट से रूप से पूछना चाहता हूं कि उत्तर तमिलनाडु के गृह विभाग द्वारा दिया गया है अथवा केन्द्र द्वारा। तमिल भाषा के समाचारपत्रों में यह नहीं बताया गया था कि वह आस्ट्रेलियाई था। उसे श्रीलंका का नागरिक बताया गया था।

श्री हरमोहन धवन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 27 वर्षीय श्री महालिंगम, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था और कोयम्बटूर का निवासी था। वह बंगलौर होकर मद्रास जाने वाले विमान आई० सी-534 में सवार हुआ। इसलिए यह कहना कि वह श्रीलंका का नागरिक था, गलत है। सच्चाई यह है कि वह कोयम्बटूर का नागरिक था और मानसिक रूप से तनावग्रस्त था तथा अपनी रोजी-रोटी के लिए आस्ट्रेलिया जाना चाहता था। उसने विमान के चालक दल को यह कहा कि वह कोलम्बो जाना चाहता है। यही वास्तविक स्थिति है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन, उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री हरमोहन धवन : मेरे पास कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार की पूरी रिपोर्ट तथा पूर्ण तथ्य हैं। अपराधी के विरुद्ध मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और कार्यवाही की जा रही है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन, कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, यदि यह भारतीय नागरिक है तो आप यह बताइए कि मेंटल

टेंशन का तो एक बहाना बताया गया है, हमको ऐसा लगता है, इस केस में मेंटल टेंशन कौन से कारण से हुआ था और मेंटल टेंशन का कारण सही है तो उस पर केस लेने का कारण क्या है ?

[अनुवाद]

श्री हरमोहन धवन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मामला दर्ज किया जा चुका है। अब तक जो भी जांच की गई है उसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं। वास्तव में यह शंका प्रकट की गई थी कि उसे किसी संगठन का समर्थन प्राप्त था लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। यह केवल उस युवक का सनकीपन था। वह बेरोजगार था। अपने जीविकोपार्जन के लिए वह आस्ट्रेलिया जाना चाहता था और उसने विमान-चालक से कहा कि वह कोलम्बो जाना चाहता है और वहां से आस्ट्रेलिया में पर्थ जाना चाहता है। यही तथ्यात्मक स्थिति है जो हमारे सामने है।

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, असम, कश्मीर और पंजाब में चल रही समस्याओं के देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपस्कर अथवा सुरक्षा उपाय अपना रही है कि विशेषरूप से छोटे हवाई अड्डों पर विमान अपहरणकर्त्ता सुरक्षा यंत्रों से बच कर न जा सकें।

श्री हरमोहन धवन : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी पूछा है वह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी जो हमारे ध्यान में आया है वह यह है कि सतत सुरक्षा जांच की परम्परा रही है और जांच के लिए विभिन्न उपस्करों की आवश्यकता है। मैं अभी यह नहीं बता सकता कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, हम काफी सतर्क हो जाते हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण

[हिन्दी]

*163. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए प्रत्येक गांव पर होने व्यय की कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खर्च की सीमा निर्धारित किए जाने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण सुविधाओं के विस्तार-कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो खर्च पर लगी सीमा को कब तक दूर करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी जिलेवार कार्यकलापों के बारे में अन्तिम निर्णय, राज्य स्तर पर निधियों की

उपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अब तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में 14757 गांवों के विद्युतीकरण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित 206 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को 128.18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत किया गया है।

(ग) से (च) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रति गांव व्यय के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत करने के मामले में बरती जा रही उदासीनता के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की कितनी योजनाएं प्रस्तावित की गई और उनमें से कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई? तथा क्या कारण है, राज्य विद्युत परिषद द्वारा प्रस्तावित की गई सरकारी योजनाओं को आपके मंत्रालय द्वारा समयबद्ध स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है?

श्री बबनराव ढाकणे : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शासन के बिजली बोर्ड ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव में राज्य स्तर की योजना थी। उस राज्य स्तर की योजना में आठ जिले पहाड़ी क्षेत्र के हैं। इन आठ जिलों में लगभग 651 गांवों में इस साल बिजली का काम करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया है और उसका काम अभी शुरू होने वाला है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए जो पैसा दिया भी जाता है, उसके मिसयूज, डाइवर्सिफिकेशन-आफ-फण्ड आदि की शिकायतें तो आम है, लेकिन इससे भी बड़ी शिकायत ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। ऐसे जानकारी मिली है कि आपके मंत्रालय द्वारा यह तय किया गया था कि प्रत्येक गांव के अन्दर जितनी उसकी आबादी है, सन् 1981 के सैन्सस के अनुसार केवल 50 पोल गाड़े जाएंगे। दिक्कत यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी काफी होती है, भौगोलिक बाधाएं भी होती हैं, गांव भी छोटे होते हैं और आबादी भी छिटकी हुई होती है। इस प्रतिबन्ध के कारण राज्य विद्युत परिषद द्वारा जिस गांव का भी विद्युतीकरण किया जा रहा है वह पूरी तरह से विद्युतीकृत नहीं हो रहा है। इससे गांवों में भयंकर असंतोष पैदा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में आपके मंत्रालय द्वारा जो मानक निर्धारित किया गया है, जनसंख्या के आधार पर पोल गाड़ने का और फण्ड स्वीकृत करने का क्या उस स्वीकृत करने के मानक को आप उठा लेने की कृपा करेंगे।

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न का तो मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं कि हमने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई उदासीनता नहीं बरती है। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर 71% गांव विद्युतीकृत है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी 69.12% गांव विद्युतीकृत है। इसलिए उसमें उदासीनता नहीं बरती है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि हमारे यहां पर जिस तरह की व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था के हिसाब से प्रत्येक गांव के विद्युतीकरण के लिए योजना आयोग ने 2.2 लाख रुपये का क्राइटेरिया तय कर रखा है और उसी हिसाब से खर्च करते हैं। हम एक ग्रुप के रूप में गांवों को स्वीकृति देते हैं कि इनका विद्युतीकरण किया जाएगा। इसलिए किसी इंडिविजुयल गांव के लिए

ज्यादा खर्च होता है या कम खर्च होता है इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके बावजूद भी पर्वतीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उनको अभावग्रस्त से मुक्ति दिलाने के लिए यदि हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं, भौगोलिक परिस्थितियां है, उनको देखते हुए व्यवस्था के अन्दर किसी तरह की विभागीय दृष्टि से कोई आवश्यकता है, तो उस पर हम विचार करेंगे लेकिन गांवों को हम अभावग्रस्त नहीं रहने देंगे।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई अलग से प्रस्ताव नहीं है। माननीय कालवी जी ने उस बिन्दु को छुआ तो है, लेकिन मैं और स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनके लिए क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को कोई विशेष सहायता दी जाएगी ताकि उन प्रदेशों में जो पिछड़े प्रदेश हैं पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर विद्युतीकरण अधिक तेजी के साथ किया जा सके ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से केवल राज्य सरकारें जो हमसे गांवों के विद्युतीकरण के लिये पैसों की मांग करती हैं उस हिसाब से हम पैसे देते हैं। हम किसी व्यक्ति या अलग से कोई योजना बनाकर उसके नाम पर पैसा नहीं देते, राज्य सरकार जितनी हमसे मांग करती है उसी के हिसाब से हम उनको पैसा देते हैं और पैसा देने के साथ-साथ जितने काम विद्युतीकरण के हो गए, उसका केवल हम मोनिटरिंग करते है। बाकी न तो हम पैसा खर्च करते हैं और न ही हम गांवों के विद्युतीकरण के लिए पैसे की स्वीकृति बनाते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं ये जानकारी चाहता हूं कि जो उन्होंने बताया है कि 71 परसेन्ट का जो विद्युतीकरण का कोटा है, वह उत्तर प्रदेश में पूरा है, इसमें थोड़ा-सा आपने गुमराह किया है। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस गांव का विद्युतीकरण के लिए चयन करते हैं, उस ग्राम सभा को लेते हैं और उस ग्राम सभा के अन्दर पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र बुन्देलखण्ड, उसमें एक ग्राम सभा के अन्दर 10-10, 12-12 छोटे-छोटे गांव के मजरे भी होते हैं, लेकिन आप केवल एक गांव को लेते हैं और मजरे को भूल जाते हैं। बाकी 13 गांवों में विद्युतीकरण नहीं होता है और आबादी के हिसाब से जो मजरे हैं, इन ग्रामसभाओं की आबादी कम होती है लेकिन मजरों की आबादी ज्यादा होती है और उनको मिला करके पांच हजार ग्राम सभा की आबादी हो जाती है। तो माननीय मंत्री जी ने जो 71 परसेंट बताया है, पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र बुन्देलखण्ड में, वह केवल 25% है, बाकी के शेष गांव विद्युतीकरण से बिल्कुल अधूरे पड़े हैं और उत्तर प्रदेश के शेष भागों को मिला करके 71 परसेंट आपका लक्ष्य पूरा हो गया होगा, लेकिन (व्यवधान) लेकिन इस असंतुलन को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि जब ग्राम सभा का चयन होता है तो ग्राम सभा के अन्दर आने वाले जितने मजरे हैं, इन सबमें भी विद्युतीकरण के सम्बन्ध में आप क्या विचार करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है और ये राज्य का प्रश्न है। इसलिए राज्य जो मांग करता है उसके हिसाब से हम पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और उसका मोनिटरिंग कर देते हैं।

श्री गोपाल सिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मैं राजस्थान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री जी को राजस्थान के बारे में कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पूछना हो तो बोलिये।

(व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह मवकानर : आपने जिस तरह से पर्वतीय इलाकों को सुविधा देने की बात की है उसी तरह से रेगिस्तानी इलाकों में भी गांव दूर-दूर तक बसे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है मैं इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि इस तरह की कठिनाइयां पहाड़ी क्षेत्रों में भी हैं जहां एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10 या 20 किलोमीटर तक है और वही स्थिति रेगिस्तानी गांवों की है तो इन सारी भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रख लिया जायेगा।

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं, राज्य सरकार उसे क्रियान्वयन करती है केन्द्रीय सरकारें केवल धन देती है। लेकिन असलियत यह है कि यहां से जो धन जाता है, राज्य सरकारें उसे दूसरे मद में खर्च करती रही है, जो हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई थी।

लेकिन हरिजन बस्तियों की उपेक्षा करके दूसरी बस्तियों का विद्युतीकरण कर रहे हैं। पिछले दिनों यहां से सेन्ट्रल टीम जाकर उत्तर प्रदेश राज्य के गांवों में कोआर्डिनेशन कर रही थी, लेकिन उस टीम को हटा लिया गया है। क्या सरकार पुन: उस टीम को भेजेगी, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार और वहां का बिजली बोर्ड ठीक तरह से काम करे और जो धन तथा सामान वहां से जाता है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके।

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, हरिजन बस्तियों की विद्युतीकरण करने के लिए हमारे यहां प्राथमिकता दी जाती है। (व्यवधान)

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि हरिजन बस्तियों के लिए विशेष दृष्टि रखी जाती है।

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात नहीं कही थी, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सेंट्रल टीम को उत्तर प्रदेश से हटा लिया गया है, जो वहां पर कोआर्डिनेशन के लिए गई हुई थी। जो धन दिया जाता है, उसको इधर-उधर डायवर्ट कर दिया जाता है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस बात का जवाब नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में विद्युतीकरण का सवाल उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में आइडिएंटीफाइड एरियाज की जो लिस्ट पब्लिश की गई है, वह दो परसेंट भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरिजन क्षेत्रों को जो लिस्ट दी गई है, चाहे वे ग्रामीण इलाके मैदानी भाग में हों, पठारी भाग में हों या कहीं भी हों, उसमें दो परसेंट भी सही नहीं है। (व्यवधान)

क्या मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को लिस्ट वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे, यदि उत्तर प्रदेश सरकार से पूछेंगे तो कब तक पूछेंगे और क्या उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, हरिजन बस्तियों की लिस्ट देने के साथ-साथ जिन गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है, उनमें जो हरिजन बस्तियां आई हुई हैं, उनका विद्युतीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत की उपलब्धता

*164. **श्री राजमोहन रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली के पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि को कम करके तथा ताप विद्युत संयंत्रों के "प्लांट लोड फैक्टर" में सुधार करके वर्तमान विद्युत स्टेशनों से ही अधिकतम बिजली उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

[हिन्दी]

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) विद्यमान विद्युत केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता को अधिकतम करने हेतु किए गए उपायों में ये शामिल हैं—ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की व्यवस्था करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षित करना आदि। विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने के लिये विद्युत यूटिलिटीज और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उनकी सतत आधार पर मानीटरिंग की जाती है।

[अनुवाद]

श्री राजमोहन रेड्डी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि योजना आयोग के कार्यकारी समूह द्वारा सुविचारित मांग की तुलना में वर्ष 1994-95 के अन्त तक विद्युत की सप्लाई सामान्यत: दक्षिणी क्षेत्र में तथा विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश में काफी बिगड़ती हुई स्थिति का संकेत करती है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विद्युत-उत्पादन सम्बन्धी कोई भी नई योजनाएं नहीं हैं। इसलिए बिजली की अत्यधिक कमी की समस्या का निराकरण करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विजेश्वरम, काकीनाडा, राजमुन्द्री तथा अमलापुरम में अल्पावधि में तैयार होने वाले गैस पर आधारित ताप विद्युतघरों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। यदि ऐसा है तब भारत सरकार ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति देने हेतु तथा इन परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि

विजयवाड़ा ताप विद्युत स्टेशन में उड़ीसा में स्थित तलचेर कोयला खानों से कोयले की सप्लाई न होने के कारण वहां भारी संकट उत्पन्न हो रहा है। यदि यह सही है तो क्या भारत सरकार विजयवाड़ा ताप विद्युत स्टेशन में कोयला की सप्लाई नियमित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करेगी?

[हिन्दी]

श्री बबनराव ढाकणे : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अलग से पूछना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, आप दूसरा सवाल करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : प्रथम अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। (व्यवधान) यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से काफी अधिक सम्बन्धित है।

श्री राजमोहन रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लौर जिले के कृष्णापटनम तथा विशाखापत्तनम में दो विद्युतघर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है तथा इन प्रस्तावों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास भेज दिया है? यदि यह सही है तब इस समय वे प्रस्ताव किस चरण में हैं?

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि अनेक प्राइवेट पार्टियों ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के राज्य विद्युत बोर्ड के पास विद्युत उत्पादन करने वाले एककों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं तथा ये एकक विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा घोषित नीति-निर्देशों के आधार पर स्थापित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री बबनराव ढाकणे : अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न से संबंधित सप्लीमेंटरी नहीं है। अगर इस बारे में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आन्ध्र प्रदेश के बारे में जो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए मन्त्री जी ने कहा कि अलग से सवाल पूछेंगे तो जवाब दे देंगे।

श्री गुमान मल लोढा : : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राजस्थान में 35 प्रतिशत इलेक्ट्रीफिकेशन जो अभी हो रही है उसमें भी एनर्जी की कमी रहती है? यदि हां तो मंत्री महोदय इस कमी को पूरा करने के लिए कहां-कहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है उसके अनुरूप यह सप्लीमेंटरी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री बबनराव ढाकणे : अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न जो पूछा है वह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। उसी के संबंध में हम जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : आपको संसद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी इस प्रकार से उत्तर नहीं टाल सकते। माननीय मंत्री जी इस प्रकार से कैसे उत्तर दे सकते हैं ? आप माननीय मंत्री को बता दें कि कम से कम अगली बार वे प्रश्नोत्तर देने के लिए तैयार होकर आएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने माननीय मंत्री जी को नहीं सुना है। उनका कहना है कि राज्यों के बारे में उनके पास कोई विस्तार में सूचना उपलब्ध नहीं है। वह उसका उत्तर देने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विभिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं, हम प्रश्नों का जवाब तोड़ देंगे, लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मूल प्रश्न ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में है। यह जानकारी हमने सदन को दे दी है। इस पर हम सप्लीमेंटरी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदस्य राजस्थान और उड़ीसा के बारे मे पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : राजस्थान भारत का ही एक अंग है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : माननीय मंत्री जी कल तैयार होकर आयेंगे।

श्री अजीत पांजा : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है··· (व्यवधान) पूरे देश भर में बिजली के पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि काफी अधिक है। इस हेतु कुछ तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके लिए आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा पहले वे प्रश्न पढ़ लें और उसके बारे में जो भी सवाल वे पूछेंगे मैं बताऊंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, कृपया प्रश्न पर ध्यान दें। यह एक गम्भीर मामला है। मंत्री जी को समझना चाहिए कि यह सादा प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह देख लिया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : प्रश्न यह है :

"क्या सरकार ने बिजली के पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि को कम करके तथा ताप विद्युत संयंत्रों के "प्लांट लोड फैक्टर" में सुधार करके वर्तमान विद्युत स्टेशनों से ही अधिकतम बिजली उपलब्ध करने हेतु कोई योजना तैयार की है;" और

यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्योरा क्या है ? यह प्रश्न देश में विद्युत-वितरण से संबंधित है। वे यह नहीं कह सकते कि यह उनके क्षेत्र से बाहर है तथा यह उनके क्षेत्र के अन्दर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वह उसका उत्तर नहीं दे सकते। उन्हें इस पर विचार करना है। परन्तु उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में विस्तार में जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको यह बात माननी है। उन्हें अभी विस्तार में जानकारी प्राप्त करनी है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इस सम्बन्ध में आधे-घंटे की चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, पावर जैनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। जबकि सवाल लोड फैक्टर और पावर लासेज का है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : रूप कंवर के बारे में बोल सकते हैं, बिजली के बारे में नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस पर विचार करूंगा। मैं अपना निर्णय दूंगा। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि अभी पाजा साहब ने प्रश्न पर आधा घण्टा चर्चा कराने का जो प्रस्ताव किया है उसको मैं देखूंगा, लेकिन मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जब बड़े पैमाने पर वह चीज आती है तो राज्यों के बारे में अगर कोई सदस्य पूछना चाहे तो वह पूछ सकता है। उनको इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके बारे में तैयार होकर आयें।

बेरोजगार युवकों को पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों का आवंटन

[अनुवाद]

*165. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बेरोजगार युवकों को पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियों आबंटित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) बेरोजगार युवकों को पेट्रोल पम्प और एल० पी० जी० एजेंसियों को आबंटित करने की योजना को विगत सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, खुदरा बिक्री केन्द्रों (डीजल/पेट्रोल डीलरशिप) और एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आबंटित करने की वर्तमान नीति के अनुसार "खुली" श्रेणी में उपभोक्ता सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य आवेदकों में बेरोजगार स्नातकों और बेरोजगार अभियंत्रण स्नातकों को वरीयता दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह : महोदय, दुर्भाग्यवश, मेरे पास उत्तर का अंग्रेजी संस्करण है इसलिए मैं अपने अनुपूरक प्रश्नों को अंग्रेजी में ही पूछूंगा। मन्त्री महोदय ने जवाब हिन्दी में दिया है परन्तु मुझे इसकी अंग्रेजी प्रति मिली है।

अध्यक्ष महोदय : मान्धाता जी, क्या लिखित और मौखिक उत्तर में कोई अन्तर है ?

श्री मान्धाता सिंह : इसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री मान्धाता सिंह : मैं मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वह अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने अंग्रेजी में उत्तर दिया है। यह रोमन लिपि है। बस। (व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : मैंने पूछा था कि क्या पिछली सरकार ने बेरोजगार युवकों को गैस एजेंसी तथा अन्य सम्बद्ध मदों को आबंटित करने की कोई योजना बनायी थी। उत्तर में कहा गया है कि पिछली सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी थी। मैं पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण सवाल है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कहां गए ? वह अनुपस्थित हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह श्री राजीव गांधी के साथ कहीं गए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है। मान्धाता सिंह जी, कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : उत्तर में कहा गया है कि पिछली सरकार ने ऐसी किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार ने कार्य की शुरूआत की थी परन्तु इसे अन्तिम रूप नहीं दिया था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जिस कार्य की

शुरूआत की थी क्या वर्तमान सरकार का उस कार्य को आगे बढ़ाने और उसके अनुरूप कार्य करने का विचार है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरे विचार से श्री मान्धाता सिंह जानते हैं कि पिछली सरकार का नेतृत्व श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सम्भाले हुए थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दो आम सभाओं में जिनमें से एक सभा का आयोजन मद्रास में और दूसरी सभा 23 सितम्बर, 1990 को केरल में आयोजित हुई थी, घोषणा की थी कि सरकार उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियां और अन्य एजेंसियां आबंटित करने का विचार कर रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे विद्यार्थियों को इन एजेंसियों को चलाने के लिए बैंकों से ऋण दिया जाएगा। यह कार्य शिक्षित युवकों को रोजगार देने की दृष्टि से किया जाएगा और युवकों को स्वरोजगार देने की दिशा में एक कदम होगा। इसके पश्चात् 4 अक्तूबर को प्रधान मंत्री कार्यालय की ओर से तत्कालीन पेट्रोलियम सचिव को एक पत्र भेजा गया और इसके बाद इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री मान्धाता सिंह : मंत्री महोदय के उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए...

श्री गुमान मल लोढ़ा : दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया है।

श्री मान्धाता सिंह : मैं अपने दूसरे प्रश्न को अभी आरक्षित रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आरक्षित रख रहे हैं ?

[हिन्दी]

आप सेकण्ड सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह : मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़ सकता हूं। मंत्री महोदय का कहना है कि सरकार विचार कर रही थी। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह विचार ..

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने कहा है कि पत्र प्रधान मंत्री कार्यालय से भेजा गया था न कि सरकार ने भेजा था।

श्री मान्धाता सिंह : जी हां। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उस सरकार का नेतृत्व सम्भाले हुए थे। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस विचार को छोड़ दिया गया है। इसके बाद सम्बन्धित प्रश्न भी इस प्रकार है। उत्तर में कहा गया है कि विद्यमान योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विगत एक वर्ष के दौरान कितने बेरोजगार युवकों को ये सुविधाएं प्रदान की गयीं क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है, ये मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं मैं इनको माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल था कि क्या सरकार ने थिंकिंग को स्टाप कर दिया है तो क्या अब वह सरकार के विचाराधीन है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ड्रिंकिंग के बारे में मना नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : जब उनकी सरकार यह सोच रही थी तब वे भी डूब रहे थे। इसलिए ऐसा किस प्रकार कर सकते थे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पैट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां दी जाती हैं तो क्या इसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के नवयुवकों के लिए कोई अनुपात है, अगर है तो कितना है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में भारत सरकार ने कितने पैट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां दी हैं और उसमें कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दी हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो वर्तमान योजना है, उसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 25% का आरक्षण है और यह उनको मिल सकता है जो 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के लोग हैं।

श्री कालका दास : मैंने यह पूछा था कि पिछले 10 वर्षों में कितनी गैस एजेंसियां और कितने पैट्रोल पम्प अलाट किए गए हैं और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का कितना परसटेंज है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अभी ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री कालका दास : क्या सभा पटल पर रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हां, रखेंगे।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि पिछली सरकार ने इस सिलसिले में जो कार्रवाई प्रारम्भ की थी, उसको यह सरकार जारी रखना चाहती है या उसको बन्द करना चाहती है ? इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्री चन्द्रशेखर की सरकार के गठन होने के बाद दिल्ली और दूसरी जगहों पर कितनी गैस एजेंसीज और पैट्रोल पम्प दिए गए हैं और इन लोगों को कितने दिये गये हैं और उनको किस अनुपात में दिए गए हैं क्या पक्षपात के साथ दिए गए हैं ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : प्रश्न का जो दूसरा भाग है, उसका उत्तर यह है कि जब से चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री बने हैं, उसके बाद एक भी आबंटन नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : दिए गए हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नहीं दिए गए हैं। जहां तक पिछली सरकार की इस घोषणा का प्रश्न है, उसके अनुसार प्रतिभाशाली छात्र को पैट्रोल पम्प और गरीब लोगों को गैस एजेंसीज आबंटन का सवाल है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : बेरोजगार युवकों के लिए एल० पी० गैस और पैट्रोल पम्प के लिए

एजेंसियां देने का पिछली सरकार का प्रावधान रहा है लेकिन प्राइवेट पार्टीज को यह डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। नवम्बर, 1987 में इसी मिनिस्ट्री ने तय किया था कि एल० पी० जी० की एजेंसी होलसेल कन्ज्यूमर्स को-आप्रेटिव को दिया जायेगा लेकिन आज तक मेरी जानकारी है कि नवम्बर, 1987 से एक भी इन सोसायटी को नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस सिलेसिले में डीलरशिप को-आप्रेटिव को देने की घोषणा की है या उनको हटा दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी एक ओपन कैटेगिरी है और उस खुली श्रेणी में जो उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं हैं, उनको वरीयता दी जाती है लेकिन होल सेल कोआप्रेटिव के लिए वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : ऐसी अनेक थोक उपभोक्ता सहकारी संस्थायें हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनमें से कम-से-कम 12 संस्थाएं ऐसी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का इन्तजार कर रही हैं परन्तु इसे उन्हें नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : बेरोजगार युवकों को पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति बहुत बढ़िया है। आज स्थिति यह है कि कुछ क्षेत्रों, विशेषत: आन्ध्र-प्रदेश के डेल्टा और तटीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प और एजेंसियां 70 से 40 किमी० तक की दूरी पर स्थित हैं। इन पदार्थों की अत्यधिक जरूरत रहती है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में किसान ट्रैक्टरों का प्रयोग कर रहे हैं और लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और लकड़ी जैसा कोई दूसरा ईंधन उपलब्ध नहीं है। इससे अधिकांश युवकों को रोजगार दिया जा सकता है और उन उपभोक्ताओं को सहायता मिल सकती है जो सिलेण्डरों को जिनसे उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाता है, खुद नहीं ले जा सकते हैं। यदि वे अधिक दूरी तक सिलेण्डरों को साइकिल से ले जाते हैं तो भी उनके लिए खतरा है। उन्हें बसों में सिलेण्डर ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका विद्यमान एजेंसियों को दो या तीन शाखाओं में, जोकि आवश्यक है, विभाजित करने का विचार है और शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में, जो नए केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं, अधिक-से अधिक ऐसी एजेंसियां स्थापित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक युवकों को रोजगार मिल सके और इससे किसानों और उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, मैं इस प्रस्ताव की अपने मंत्रालय द्वारा जांच कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसैन यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि पेट्रोल पम्प और डीजल पम्प और गैस एजेन्सी का आबंटन करने के बारे में जो सरकार की नीति है उसके अन्तर्गत क्या विकलांगों को और इस प्रकार के दूसरे लोगों को भी आरक्षण दिया है कि नहीं ? मान्यवर आजकल डीजल पम्पों की देहातों में विशेष आवश्यकता हो गई है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि विकास खंड स्तर पर भी डीजल पम्प आबंटित करने के लिए इन्होंने कोई नियम बनाया है या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, शारीरिक रूप से जो विकलांग श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 7.5% का आरक्षण है और जहां तक भाग (ख) है, यह अधिकार राज्य सरकारों को है।

रसोई गैस सिलिंडरों की सप्लाई में विलम्ब

*166. श्री आर० एन० राकेश :

डा० चिन्ता मोहन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 1990 के 'दि ट्रिब्यून" में "एन्डलैस वेट फार एल० पी० जी० रिफिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में रसोई गैस की सप्लाई इसकी मांग से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मांग और सप्लाई की क्या स्थिति है;

(घ) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को रसोई गैस के सिलिंडर सप्लाई करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और निर्धारित समय-सीमा के अन्दर रसोई गैस के सिलिंडर सप्लाई न करने पर वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है और पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने वितरकों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एल० पी० जी० की मांग इसकी स्वदेशी उपलब्धता से अधिक होती है। जिसे आयात के जरिए बढ़ाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) एल० पी० जी० का विपणन करने वाली तेल कम्पनियों ने वितरकों को अनुदेश दिए हैं कि मांग होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रिफिलों की आपूर्ति शीघ्र करें। तेल कम्पनियों के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा नियमित तथा अचानक निरीक्षण किए जाते हैं। रिफिलों की सुपुर्दगी में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में मिली सभी शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी पाए गए वितरकों के खिलाफ विपणन अनुशासन मार्गनिर्देशों और डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

ऐसे वितरकों की संख्या, जिनके खिलाफ पिछले एक वर्ष के दौरान रिफिलों की आपूर्ति में विलम्ब करने के लिए कार्यवाही की गई है, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि गैस सिलेण्डर्स की आपूर्ति के लिए विदेशों से आयात किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने सिलेण्डर्स की देश में कमी हो गई है जिसको वह विदेशों से मंगा कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस वक्त तो गैस की ही कमी है और चूंकि गैस की कमी है इस लिए सिलेण्डरों की कमी नहीं है।

श्री आर० एन० राकेश : प्रश्न के पार्ट 4 में है।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिए।

श्री आर० एन० राकेश : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सारे देश में गैस की फिलिंग और उनकी सप्लाई के बारे में कन्ज्यूमर्स की शिकायतें आ रही हैं। कब तक मन्त्रालय इस शिकायत को दूर करने में कामयाब हो जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं, उनमें जांच तो करायी ही जाती है लेकिन कोई स्पेसिफिक शिकायत अगर माननीय सदस्य के पास हो तो हमें भेज दें, उसकी जांच कराने के बाद, अगर कोई वितरक दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री एम० एम० पाल : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सारा सदन जानता है इन दिनों पूरे उत्तराखंड में भयंकर शीत लहर चल रही है और काफी समय से वहां गैस के कनैक्शन देना बंद कर दिया गया है, शीत लहर की वजह से लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है क्योंकि बरफ गिरने के कारण तारें टूटी हुई हैं, संचार माध्यमों पर असर पड़ा है, इसे देखते हुए, जो गैस कनैक्शन देने बन्द कर दिए गये थे, क्या सरकार नये सिरे से पुन: गैस कनैक्शन देने का विचार रखती है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष जी, जिन कन्ज्यूमर्स के नाम हमारे पास पहले पंजीकृत हैं उनके पास यदि गैस सिलिंडर खत्म हो जाता है तो उन्हें गैस की सप्लाई कर दी जाती है लेकिन नये लोगों को कनैक्शन देना इस समय बन्द है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जहां हम लोगों को अनेक तरह की परेशानियां हैं, मैं कहूंगी कि पैट्रोलियम मंत्रालय भी हमें दुख पहुंचाने में पीछे नहीं है। बाजार में खाने-पीने की चीजें तो महंगी हैं ही, अन्य चीजें मिल नहीं रही हैं परन्तु उन चीजों को पकाने लिए गैस भी नहीं मिलती है। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि गैस सिलिण्डर्स तो काफी मात्रा में मौजूद हैं परन्तु गैस की कमी है, मैं अपने क्षेत्र की स्थिति बताना चाहती हूं जहां 1982 की वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसकी वजह से बाजार में नकली सिलिण्डर्स की भरमार हो रही है और एक्सीडेंट काफी ज्यादा सुनने में आ रही है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। क्या नकली सिलिण्डर्स के बारे में सरकार को कोई जानकारी है। यदि है तो इसे रोकने के लिए कन्ट्रोल करने के लिए, सरकार कौन से ठोस कदम उठाने जा रही है या अब तक उठाए हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जहां तक नकी सिलिण्डर्स का प्रश्न है अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में यदि हमें किसी माननीय सदस्य की ओर से या आम जनता की तरफ से कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी और कार्यवाही की जाएगी लेकिन हमारा प्रयास है कि नकली सिलिण्डर किसी को उपलब्ध न हो सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि गैस की कमी है किन्तु देश के कुछ भागों में उदाहरणार्थ त्रिपुरा और असम में गैस व्यर्थ जलाई जा रही है। वहां भी सरकारें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रही है कि उन्हें एक उचित मूल्य दिया जाए, ताकि गैस का घरेलू और व्यापारिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम उपयोग हो सके। भारत सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ? देश में गैस की स्थिति को सुधारने के लिए वे क्या निर्णय लेने जा रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हमें सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हम उन पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष जी, हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट पटियाला के राजपुरा सब डिवीजन में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम की तरफ से एक टैंकर गुजरात से जालंधर की ओर जा रहा था तो घनौरी कलां के निकट उसमें गैस लीकेज होने की वजह से एक्सीडैंट हो गया। गैस लीकेज की वजह यह थी कि उसमें से नकली गैस के सिलिण्डर्स भरे जा रहे थे। जब उस टैंकर से गैस लीक हुई तो वहां आग लग गयी। आग लगने के बाद उस गांव में टैंकर का ड्राईवर टैंकर को छोड़कर भाग गया। इस एक्सीडैंट की वजह से गांव के 60 घर जल कर पूरी तरह से नष्ट हो गये, उनकी छतें उड़ गयीं, 15 मौतें हुई, 250 पशु मर गये और 70 आदमी, जो 50 प्रतिशत से ज्यादा जले हुए थे, अभी भी पटियाला के राजेन्द्रा अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश में गैस की चोरी चल रही है, जिसकी वजह से जनता को भारी नुकसान सहन करना पड़ता है, इसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और घनौरी कलां के हादसे में आपने क्या एक्शन लिया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह मूल प्रश्न से अलग है। इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए।

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यदि मन्त्री महोदय अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो कृपया आप इनको निर्देश दें कि इसका जवाब सभा पटल पर रख दिया जाए। महोदय इसमें 15 जानें गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है। मन्त्री महोदय आपके सवाल का जवाब सभा पटल पर रख देंगे। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : अध्यक्ष महोदय, देश घरेलू ईन्धन की कमी के संकट से गुजर रहा है। वृक्षों को काटकर उन्हें घरेलू ईन्धन के रूप में प्रयोग करने जैसा पारम्परिक ईन्धन अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वनों की कटाई काफी व्यापक स्तर पर हो चुकी है। और एल०पी० जी० गैस भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए घरेलू ईन्धन और एल० पी० जी० गैस की अनुपलब्धता को देखते हुए क्या पेट्रोलियम मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय से विचार विमर्श करके एक राष्ट्रीय घरेलू ईन्धन नीति बनाएगा, जिससे कि सारा देश घरेलू ईन्धन के बारे में सरकार की नीति से अवगत हो सके।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, मैंने उनके सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि देश में गैस उपलब्ध नहीं है और संतोष मोहन देव कह चुके हैं कि असम और त्रिपुरा में गैस व्यर्थ जा रही है। जो गैस व्यर्थ जा रही है, उसे प्राप्त करने के लिए और उसका वितरण करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में सरकार कौन से कदम उठा रही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, यह एक नया प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण लोधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक एल० पी० जी० कनैक्शन सिर्फ शहर वालों को ही राशन कार्ड के आधार पर आबंटित

किये जाते हैं, जब कि इस देश के 70 लाख गांवों में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन उनको अभी तक एल० पी० जी० गैस की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इसलिए क्या सरकार का कोई ऐसा प्रपोजल है जिसके अन्तर्गत गांव की जनता को भी एल० पी० जी० कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 20 हजार की आबादी वाले या इससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एल० पी० जी० की सप्लाई होती है। जहां तक गांवों का प्रश्न है वहां पर सप्लायी में बहुत कठिनाइयां हैं। जो टाउन एरियाज हैं वहां के एजेंटस को गैस की गांवों में सप्लाई में दिक्कतें आती हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर हम ध्यान देंगे।

श्री जय पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 20 हजार की आबादी वाले क्षेत्रों में एल० पी० जी० सप्लाई की अनुमति दी गयी है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में सरकार एल० पी० जी० की एजेंसी ब्लाक स्तर पर देने का कोई विचार रखती है क्योंकि सारे संसद सदस्य यह बात जानते हैं कि जहां-जहां गैस एजेंसीज खुली हैं वहां से देहातों में लोग ट्रकों और बसों से या दूसरे साधनों से गांवों में गैस ले जाते हैं, मैं उन दुर्घटनाओं को टालने के लिए, जो देहातों में गैस ले जाने में हो जाती हैं, माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में एल० पी० जी० देहातों में सप्लाई करने की कोई योजना है कि यह एजेंसी ब्लाक स्तर पर भी देश भर में दी जायें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि 20 हजार की आबादी या उससे अधिक जहां की आबादी है, वहीं पर हम देते हैं। जहां तक ब्लाक स्तर पर योजना को शुरू करने का विचार है, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है।

प्रो० राम गणेश कापसे : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान जो इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि गैस की कमी है, उसकी तरफ दिलाते हुए यह जानना चाहता हूं कि क्या रीफिल करने की कोई निश्चित अवधि है कि 15 दिन में या 20 दिन में वह कर दिया जायेगा क्योंकि मेरे क्षेत्र में रीफिल बीस बीस दिन तक नहीं मिलता है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये 21 दिन की अवधि निर्धारित है। जब एक बार आपने गैस ले ली, तो फिर 21 दिन के बाद आपको दूसरा सिलेंडर, रीफिल का मिलेगा।

प्रो० राम गणेश कापसे : कितने दिन में रीफिल मिलेगा, यही मेरा सवाल है ? 20-20 दिन तक नहीं मिलता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : रीफिल 21 दिन में मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे देश में, विशेषकर पूर्वी भागों—पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में ईंधन की कीमतों को देखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आई० ओ० सी० की हल्दिया रिफाइनरी के एल० पी० जी० बोटलिंग संयंत्र की क्षमता में विस्तार करने का कोई विचार है ?

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जो माननीय सदस्य का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में जो मूल प्रश्न है, वह उससे भिन्न है लेकिन फिर भी आप लिखकर भेज दें हम देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रीफिल करने की अवधि एक महीने से भी अधिक है। इसका कारण यह है कि सभी रीफिलों की ढुलाई जलपोतों द्वारा की जाती है और जलपोत रोज नहीं चलता। इसलिए, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्याप्त रीफिल स्टाक करने पर विचार करेगी जिससे स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थिति को सुधारने के लिए हम उचित कदम उठाएंगे।

— — — —

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांग

[अनुवाद]

*167. प्रो० के० वी० थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने के बाद, राष्ट्रीय विमानापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों की छः यूनियनों/एसोसिएशनों ने एक संयुक्त ज्ञापन दिया जिसमें उसी प्रकार की सहायता की मांग की गई जिसमें राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में उन्हें लगाये जाने की तारीख से एक अग्रिम वेतनवृद्धि और एक बार की वित्तीय सहायता सम्मिलित थी जो सभी कर्मचारियों को 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच थी। यदि इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो उन्होंने आन्दोलन शुरू करने के लिए कहा है।

(ग) इस मामले पर एसोसिएशनों/यूनियनों के साथ बातचीत चल रही है।

जबलपुर-गोंदिया-चन्द्रपुर मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

[हिन्दी]

*168. श्री कंकर मुन्जारे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर-गोंदिया और चन्द्रपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) अगस्त, 1990 में रेलवे से कहा गया था कि जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किए गए सर्वेक्षण का दायरा चन्द्रपुर तक बढ़ा दिया जाए ताकि अर्थपूर्ण वैकल्पिक उत्तर-दक्षिण मार्ग की स्थापना करने के बारे में विचार किया जा सके।

तट पर तेल की खोज में तेजी लाना

[अनुवाद]

*169. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में तट पर तेल की खोज की बहुत अधिक गुन्जाइश है, जहां पर तेल की खोज का कार्य तट से दूर तेल की खोज के कार्य की अपेक्षा खर्चीला है;

(ख) क्या सरकार ने आर्थिक विकास की गति बनाए रखने तथा भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से तट पर तेल की खोज में तेजी लाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए यदि कोई विदेशी सहायता ली गई है; तो उसके विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्य की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) भूमि पर तलछटी बेसिनों में तेल एवं गैस के मिलने की काफी अच्छी संभावना है। भारत के अपतटीय बेसिनों को भी बहुत पूर्वेक्षी समझा जाता है। अन्वेषण और दोहन के कार्यक्रम को तटवर्तीय और अपतटीय दोनों क्षेत्रों से विवेकपूर्ण तरीके से बनाना होगा।

(ख) सरकार की यह कार्यनीति है कि यदि भारत के तटवर्तीय और साथ ही अपतटीय बेसिनों में अन्वेषण की गति में वृद्धि नहीं की जा सकती तो उसे बनाए रखा जाए।

(ग) दीर्घ-अवधि की कार्यनीति के एक भाग के रूप में, गहन और व्यापक कार्यों की योजना बनाई जाती है जिससे तत्काल दोनों प्रकार का लाभ मिलेगा अर्थात् कच्चे तेल का उत्पादन और साथ ही पर्याप्त भण्डार तथा भावी अन्वेषण कार्य की स्थापना। श्रेणी-I के बेसिनों में गहन अन्वेषण के परिणामस्वरूप लगभग सभी सुस्पष्ट और साधारण प्रकार के हाइड्रोकार्बन ट्रैपों का निर्दिष्टीकरण और रेखांकन हुआ है। जटिल तथा भू-गर्भ के हिसाब से अधिक पेचिदे मिश्रित ट्रैपों का को निर्दिष्ट करने के लिए अधिक उन्नत सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय तेल कंपनियों के कार्यों की अनुपूर्ति के लिए, बोलियों के तीन पिछले दौरों में अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को देश में ब्लाकों के पूर्वेक्षण के लिए आमन्त्रित किया गया है। बोली चौथे दौर में, जो अभी निकट भविष्य में होगी, आशा है कि अनेक तटवर्ती ब्लाकों का भी प्रस्ताव किया जाएगा।

(घ) इस संबंध में सरकार को एसोशिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश की व्याप्ति से बाहर निकालने/इसमें शामिल करने संबंधी स्थाई समिति

*170. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधियों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1987 की व्याप्ति से बाहर लाने और कुछ को इसके अन्तर्गत लाने सम्बन्धी केलकर समिति रिपोर्ट के विरुद्ध प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए गठित स्थायी समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों को शामिल करने/बाहर निकालने सहित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 संबंधी मामलों पर समय-समय पर सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए और इस विषय में सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा गठित स्थायी समिति एक स्थाई समिति है। स्थाई समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में मुख्य/गौण संघटकों, सम्मिश्रण सूत्र योगों के वर्गीकरण आदि के संबंध में सिफारिशें दी हैं जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कार्यान्वयन कर दिया है। अन्य मामले स्थाई समिति के सम्मुख हैं तथा आगे और ब्यौरे सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद दिए जाएंगे।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

*171. श्री वी० एन० रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल के आयात से बचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में एक समयबद्ध कार्य योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) बिजली, उर्वरक, स्पान्ज लोहा और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के लिए सरकार ने पहले ही उपलब्ध होने वाले संभावित प्राकृतिक गैस का आवंटन कर दिया है। इस समय ऐसे आवंटन कुल मिलाकर लगभग 82 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन है।

यह लगभग 30 मि० टन तेल के बराबर है। तथापि, पूरा उठान और आवंटित गैस का

इस्तेमाल, गैस के संसाधन उसके संपीड़न और परिवहन की सुविधाओं में अपस्ट्रीम निवेश पर निर्भर करता है और प्रयोगकर्ता उद्योगों की स्थापना में डाउनस्ट्रीम निवेश पर निर्भर करता है।

जब भी नई खोजें होती हैं और इस्तेमाल के लिए गैस उपलब्ध होती है, उपभोक्ताओं को इसका आबंटन किया जाता है।

राजस्थान के उदयपुर और अन्य नगरों के लिए अतिरिक्त विमान सेवाएं

[हिन्दी]

*172. श्री गुलाब चन्द कटारिया :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने एवं अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु उदयपुर के लिए अतिरिक्त विमान सेवा आरंभ करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर सातों दिन बम्बई-सूरत-उदयपुर और दिल्ली-जयपुर-उदयपुर वायुदूत सेवा आरम्भ करने का है; और यदि हां, तो कब से; और

(ग) कोटा बूंदी और झालावाड़ के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने 16 दिसम्बर, 1990 से उदयपुर के लिए एक द्वितीय दैनिक सेवा शुरू की है। वायुदूत की उदयपुर के लिए दैनिक सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) वायुदूत की बूंदी और झालावार को हवाई सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। अपर्याप्त भार-गुणक के कारण कोटा के लिए बन्द किए गए परिचालनों को पुन: शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

बाम्बे हाई से मंगलोर तक गैस की पाइप लाइन

[अनुवाद]

*173. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई से मंगलोर तक गैस पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं। कोई भी ऐसी परियोजना संबंधी प्रस्ताव फिलहाल लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दो गैस सिलेंडर वाले कनेक्शन दिया जाना

*174. डा० सी० सिलवेरा :

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर दिल्ली में, दो सिलेंडर वाले गैस कनेक्शन जारी करने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) उत्पाद की उपलब्धता होने और एल० पी० जी० की आपूर्तियों में पिछला बकाया होने पर एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर योजनाबद्ध ढंग से दिया जाता है । हाल के खाड़ी संकट, उत्पाद की सीमित उपलब्धता और पिछले बकाया को ध्यान में रखते हुए स्थिति सुधरने तक देश भर में दूसरा सिलेंडर देने पर रोक लगा दी गई है । उत्पाद की उपलब्धता बढ़ाने, इसकी तेजी से ढुलाई करने, बाटलिंग की बढ़ी हुई मात्रा और रिफिलों की सुपुर्दगी में तेजी लाने के लिए, कार्यवाही की जा रही है ताकि पिछले बकाया को कम किया जा सके ।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में श्रमिकों की दशा

[हिन्दी]

*157. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के गवरा (बिलासपुर जिले) के सरगुजा जिले के मेहगांव और कटकोना और सहडोला जिला के राजनगर और बिजुरी में ठेकेदारों ने श्रमिकों को खानों से कोयला ढोने और कोयला ट्रकों में लादने तथा उनसे उतारने के काम में लगा रखा है;

(ख) क्या इन श्रमिकों को ठेकेदार कानून के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन का एक चौथाई अथवा एक तिहाई भुगतान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सभी श्रमिकों को कोल इण्डिया लि० के नियमित श्रमिक बनाने हेतु घोषणा करने का है;

(घ) क्या गवरा परियोजना का ठेकेदार बनाम श्रमिक मामला गत चार वर्षों से मुख्य श्रम आयुक्त दिल्ली के पास लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा भटगांव) कटकोना, राजनगर तथा बिजारी में कोयले के परिवहन तथा लदान से संबंधित नियोजित ठेकेदारों द्वारा कार्य यंत्रीकृत साधनों द्वारा किया जाता है और न कि उक्त कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है ।

(ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने यह सूचित किया है कि परिवहन कार्यों में लगे ठेकेदारों

द्वारा अपने कामगारों को प्रति माह पदनाम के आधार पर 1,500 रु० से 2,000 रु० के बीच मजदूरी दी जाती है। इस संबंध में मुख्य रूप से माल उतराई वाहनों (टिप्परों) के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए ठेकेदारों द्वारा चालक, खलासी, मैकेनिक तथा हेल्पर नियोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिदिन 21 रु० की न्यूनतम मजदूरी अथवा एक महीने के 26 कार्य दिवसों के लिए 546 रु० प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, किन्तु इस संबंध में यह सूचना मिली है कि किसी भी ठेकेदार के कामगार को 750 रु० प्रति माह से कम की अदायगी नहीं की जाती है।

(ग) ठेकेदारों के कामगार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए उन्हें कोयला कंपनी के नियमित कामगारों के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को दिसम्बर, 1987 में इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि गेवरा परियोजना में ठेके के श्रमिकों, मुख्य नियोजक के श्रमिकों के बराबर अथवा समान स्वरूप के कार्यों को किए जाने के लिए, उन्हें दी जाने वाली मजदूरी के बराबर, मजदूरी का भुगतान किया जाए। मई, 1989 में संबद्ध पक्षों के बीच हुए परस्पर समझौते के अनुरूप यह मामला मध्यस्थता के विचाराधीन है। इस संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाई प्रगति पर है। इस बारे में एक बैठक जनवरी, 1991 के तीसरे सप्ताह में बुलाई गई है।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

[अनुवाद]

*176. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 में नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधक भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से उनके पुनर्वास हेतु सहमत हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर खड़िया, बीना और खकरी परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के संबंध में इस समझौते का कार्यान्वयन किस हद तक हुआ है;

(घ) इस समझौते को पूरी तरह से लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ङ) ग्रामवासियों के प्रतिनिधियों, तत्कालीन सांसद श्री आर० पी० पनिका तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (अब नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रतिनिधियों की दिनांक 25-7-82 को हुई बैठक में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) पट्टेदारी भूमि के लिए मुआवजा 7700/- रु० प्रति एकड़ की दर से निर्धारित किया गया।

(2) आवासों, कुंओं, वृक्षों और बांधों के लिए भी मुआवजा से० को० लि० के निर्धारण के अनुसार अदा करने का निर्णय लिया गया।

(3) परियोजना के मानदण्डों, उपयुक्तता तथा आवश्यकता के अनुसार भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए।

(4) ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनके आवास अधिग्रहीत किए गए हैं, परियोजना क्षेत्र के 1-2 कि० मी० की परिधि में 60 X 40 फुट आकार के स्वम पुनर्वास के लिए उपलब्ध किए जाएं। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (से० को० लि०) अब नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (ना० को० लि०) पेयजल विद्युत तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यथासंभव सहायता करेगी।

उत्तर प्रदेश के पुनर्वास स्थल काकरी तथा बिना परियोजनाओं के मामले में परियोजनाओं के काफी निकट हैं। खाडिया परियोजना के मामले में पुनर्वास स्थल को, परियोजना क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती इलाके में उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित पुनर्वास सेल के परामर्श से, मुख्य सड़क से निकटता तथा परिवहन प्रणाली की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, परियोजना स्थल से लगभग 8 कि० मी० की दूरी पर विकसित किया जा रहा है। ऐसे परिवार, जिन्हें स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें निजी सामान को स्थानांतरित किए जाने के लिए 1000/- रु० की राशि की अदायगी की जाती है।

दिल्ली में स्ट्रीट लाइट

[अनुवाद]

*177. श्री नन्द लाल मीणा :

श्री मदन लाल खुराना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम तथा दिल्ली के अन्य भागों में सड़कों को चौड़ा करने के बाद उन पर अब तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सड़कों पर लाइट लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पर लाइट-व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार, सम्बन्धित सड़क अनुरक्षण एजेंसी अर्थात् दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि द्वारा अपेक्षित अनुमानित प्रभार जमा कराये जाने के बाद सड़क चौड़ी करने सम्बन्धी प्रक्रिया के दौरान बिजली के खम्भों को शिफ्ट करने/उन्हें हटाने हेतु स्कीम के क्रियान्वयन में छः से आठ महीने का समय लगता है। आर० के० पुरम क्षेत्र में डेसू द्वारा विवेकानन्द मार्ग और संगम मार्ग पर खम्भों को शिफ्ट करने आदि से सम्बन्धित कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। वेंकटेश्वर मार्ग और कामा कुट्टी मार्ग से सम्बन्धित कार्य जून, 1991 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। डेसू द्वारा आर० के० पुरम क्षेत्र में अन्य सड़कों पर बिजली के खम्भों को शिफ्ट करने सम्बन्धी कार्य को दिल्ली नगर निगम द्वारा अपेक्षित भुगतान करने के बाद ही हाथ में लिया जा सकता है। इस समय, दिल्ली के अन्य भागों में सड़क रोशनी से सम्बन्धित लगभग 110 मामले डेसू द्वारा क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के विरुद्ध कथित अन्याय

[अनुवाद]

*178. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने मार्च, 1989 में एक ज्ञापन दिया था जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय के अनेक मामलों का उल्लेख किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई थी;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जांच रिपोर्ट पर तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगत चरण दास) : (क) से (घ) ऐसा कोई ज्ञापन, जिसका उल्लेख किया गया है, मार्च, 1989 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, श्री सोमजी भाई डामोर तथा कई अन्य संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया दिनांक 23-3-1988 का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

इस पत्र में उल्लिखित हरेक मामले की महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे द्वारा व्यक्तिगत तौर पर जांच की गयी थी। महाप्रबन्धक/उत्तर रेलवे द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड में भी जांच की गई थी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के प्रति अन्याय अथवा उन्हें परेशान किए जाने का कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ था।

चूंकि परेशान किए जाने अथवा भेदभाव आदि बरते जाने के संबंध में लगाए गए विभिन्न आरोप सही नहीं पाए गए थे इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

एयरबस ए-320 की उड़ान आरंभ करना

[अनुवाद]

*179. **श्री जे० चोक्का राव :**

श्री पी० एम० सईद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमान दुर्घटना के बाद जिन एयरबस ए-320 विमानों की उड़ानें बन्द कर दी गई थीं, उन सभी विमानों की उड़ानें पुनः आरंभ कर दी गई हैं;

(ख) इंडियन एयरलाइंस में ऐसे विमानों की संख्या क्या है और इनमें से कितने विमानों की उड़ान बन्द कर दी गई थी और उनकी उड़ानें कितने समय तक बन्द रहीं;

(ग) इन विमानों की उड़ान संबंधी उपयुक्तता की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट सरकार को कब उपलब्ध करा दी गयी थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) क्या अन्य देशों द्वारा एयरबस ए-320 विमानों का उपयोग किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी अन्य देश ने भी इस तरह के तकनीकी कारणों से ऐसे विमानों की उड़ानें बन्द की थी; यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(च) निकट भविष्य में ऐसे कितने विमान खरीदने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) 19-2-90 से 14 एयरबस ए-320 विमानों को ग्राउंड कर दिया गया था। चार एयरबस ए-320 विमानों को जिन्हें अक्तूबर, 1990 के दौरान प्राप्त किया गया था, उनकी प्राप्ति की तरीख से ही ग्राउंड किया गया था। 7 सितम्बर और 10 अक्तूबर के बीच खाड़ी क्षेत्र से हमारे नागरिकों को लाने के लिए कुछ ए-320 विमानों का उपयोग किया गया था। 28 अक्तूबर 1990 से एयरबस ए-320 विमानों को इंडियन एयरलाइन्स नेटवर्क के बाहरी क्षेत्र में पुन: लगाया गया और 3 दिसम्बर, 1990 से उन्हें अन्तर्देशीय सैक्टर पर उड़ानों में फिर से लगाया गया है। इसे बेड़े में पुन: शामिल किए जाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। अब इस प्रकार के सात विमान परिचालन में है।

(ग) एयरबस ए-320 विमानों की उड़नयोग्यता के प्रश्न पर सरकार ने किसी समिति को नियुक्त नहीं की है। तथापि, एअरबस ए-320 विमानों के सुरक्षित परिचालन के लिए इंडियन एयरलाइंस की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए रामदास समिति की नियुक्ति की है। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मार्च, 1990 में और अन्तिम रिपोर्ट जून, 1990 में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद की लाइब्रेरी में (इन्डेक्स संख्या 621; 13252 आर) रखी हुई है। रामदास समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए इंडियन एयरलाइंस समुचित कदम उठा रही है।

(घ) एयरबस इण्डस्ट्री के दिनांक 9 नवम्बर, 1990 के बुलेटिन के अनुसार विश्व के 35 ग्राहकों ने ए-320 विमानों के लिए 657 का फर्म आर्डर दिया है। सी० एफ० एम० या वी० 2500 इंजिनों के साथ फिट किए गए इन विमानों को इस समय विश्व के कई एयरलाइनों, जैसे एअर फ्रांस, एयर इन्टर, ब्रिटिश एयरवेज, लुफथांसा, एअर कनाडा, एनसैट एयरलाइन नार्थ-वेस्ट ओरियन्ट, एडरिया साइप्रस एयरवेज और रायल जोर्डियन एयरलाइन द्वारा उड़ाया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) बारह।

दिल्ली में जे० जे० कालोनियों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

*180. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली की जे० जे० कालोनियों में सभी घरों में बिजली लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी कालोनियों में और इस वर्ष कितने घरों में बिजली दी जाएगी; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी): (क) दिल्ली में जे० जे० कालोनियों के प्रत्येक निवासी को विद्युत कनेक्शन दिए जाने के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) एवं (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रसोई गैस की कमी

[हिन्दी]

*181. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रसोई गैस की कमी और इसके फलस्वरूप हो रहे भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ता कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) सरकार का रसोई गैस की सप्लाई बढ़ाने और इसमें हो रही कालाबाजारी व अन्य कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) एल० पी० जी० की थोक उपलब्धता में अड़चनों, परिवहन सम्बन्धी समस्याओं और यदा-कदा कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं के कारण बिहार के कुछ स्थानों में एल० पी० जी० रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी कमी होने की सूचना मिली थी। एल० पी० जी० उपलब्धता को बढ़ाने, बाटलिंग क्षमता में वृद्धि करने, ढुलाई में शीघ्रता करने और रिफिलों की सुपुर्दगी में तेजी लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। कालाबाजारी सहित कदाचारों को रोकने के लिए तेल कम्पनियों के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण किए जाते हैं। एल० पी० जी० वितरकों के खिलाफ मिली सभी शिकायतों की जांच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों और डीलरशिप करार के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

जयपुर हवाई अड्डे के प्रशासनिक कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

[अनुवाद]

1861. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर हवाई अड्डे का प्रशासनिक भवन गलत स्थान पर स्थित है, जिसके लिए कोई सम्पर्क सड़क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की मुख्य सड़क पर इसके लिए कोई बेहतर भवन निर्माण करने की योजना है; और

(ग) इस योजना पर कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अल्पावधि उपाय के रूप में यात्री यातायात से निपटने के लिए मौजूदा टर्मिनल भवन को बढ़ाया जा रहा है तथा इसमें संशोधन भी किया जा रहा है। दीर्घ अवधि के लिए नये टर्मिनल काम्प्लैक्स के निर्माण हेतु विमान क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र पर अतिरिक्त भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में सतर्कता अधिकारियों को लगाना

[अनुवाद]

1862. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स में पहले प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए

गए तथा बाद में उन्हें इन संगठनों में खपाने के बारे में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं अथवा कोई नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या ये सभी अधिकारी अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सभी सुविधाओं तथा रियायतों जैसे मुफ्त यात्रा, परिवहन, आवास इत्यादि के पात्र होते हैं;

(ग) एयर इण्डिया में वर्तमान सतर्कता निदेशक का कार्यकाल क्या है तथा क्या इण्डियन एयरलाइन्स में उसके समकक्ष अधिकारियों को दिये जा रहे भत्ते/सुविधाएं उन्हें भी दिए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन्हें एयर इण्डिया में स्थायी रूप से खपाने की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके कार्मिक विभाग से प्राप्त प्रतिनियुक्ति के पैनल में से सरकार द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया में ऐसे अधिकारियों को खपाने के लिए सामान्यत: विचार नहीं किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान निदेशक सतर्कता का कार्यकाल 31-5-1992 तक है। प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें इण्डियन एयरलाइन्स में उसके समकक्ष अधिकारियों के बराबर भत्ते, विशेष भत्ते और सुविधाएं दी जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं है।

उत्तर रेलवे में डाईनिंग/पेन्ट्री कार के ठेकों का आवंटन

[हिन्दी]

1863. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में उत्तर रेलवे में डाइनिंग/पेन्ट्री कार के ठेके दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे कुल कितने ठेके दिये गये हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार स्नातक युवकों और अन्य व्यक्तियों को भी ऐसे ठेके दिए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने बेरोजगार युवकों और अन्य व्यक्तियों को ऐसे ठेके दिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) नई दिल्ली-चंडीगढ़-कालका शताब्दी एक्सप्रैस में खानपान सेवा के लिए ठेका 11-12-1990 से दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नई दिल्ली-चंडीगढ़-कालका एक्सप्रेस में खानपान सेवा के लिए ठेका गुण-दोष के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को दिया गया है ।

पेट्रोल का विकल्प

[अनुवाद]

1864. श्री प्रकाश को तो ब्रह्मभट्ट :

श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :

श्री जनक राज गुप्त :

श्री पी० सी० थामस : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध एक तरल रसायनिक मिश्रण और टेपिओका-पदार्थ भी मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है और पेट्रोल की बचत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी तकनीक का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या "शेल" इन्टरनेशनल के पास भी प्राकृतिक गैस को डीजल और मिट्टी के तेल में परिवर्तित करने की तकनीक है और वह इस तकनीक को बेचना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस तकनीक को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) टपिओका सहित सभी कार्बोहाइड्रेटों को जब किण्वित किया जाता है तो अल्कोहल पैदा होता है जिसे आंशिक रूप में अथवा पूर्णत: पेट्रोल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया सकता है । तथापि, अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर आटोमोटिव ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है अथवा उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है क्योंकि निरन्तर आधार पर अतिरिक्त अल्कोहल उपलब्ध नहीं है । अल्कोहल का आगे बेहतर इस्तेमाल योजित मूल्य रसायनों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है ।

(ग) से (ङ) इस परिवर्तन की प्रौद्योगिकी शैल के पास है और इसका प्रायोगिक संयंत्र हालैंड में शैल की प्रयोगशाला में है । इस प्रौद्योगिकी पर आधारित किसी वाणिज्यिक एकक के स्थापित होने की कोई सूचना नहीं है ।

नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे द्वारा प्राकृतिक गैस को मध्य आसुतों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया का विकास किया गया है । बम्बई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की रिफाइनरी में इस प्रक्रिया का परीक्षण करने तथा डिजाइन प्रयोजनों के लिए आंकड़ों का विकास करने के लिए इस प्रक्रिया पर आधारित एक प्रायोगिक संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है । यह प्रक्रिया तभी इस्तेमाल में लाई जा सकेगी जब यह किफायती होगी और प्राकृतिक गैस को डीजल और मिट्टी के तेल में परिवर्तित करना जरूरी होगा ।

औद्योगिक विकास में ई० सी० एल० की भूमिका

1865. श्री हराधन राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई०सी० एल० पश्चिम बंगाल के आसनसोल/दुर्गापुर क्षेत्र मे लघु उद्योगों और सहायक उद्योगों के विकास हेतु सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है;

(ख) क्या इस कारण से इस क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास को धक्का लगा है; और

(ग) यदि हां, तो इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० को० लि०) भी शामिल है, लघु स्तर के उद्योगों तथा अनुषंगी उद्योगों को विकसित करने में सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन न किए जाने का कोई विशिष्ट मामला नोटिस में नहीं लाया गया है।

औषधियों के मूल्य कम होने से उपभोक्ताओं को होने वाला लाभ

1866. श्री एडुआर्डो फेलीरो : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय वैज्ञानिक ने कई औषधियों के मूल्य कम करने मे सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों तथा इससे उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि उपभोक्ताओं को सस्ते और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का प्रयास है अतः सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव का स्वागत करेगी।

कच्चे नेफ्था से भरे रेल टैंकरों में लगी आग

[हिन्दी]

1867. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 में पश्चिम रेलवे के नागदा स्टेशन के निकट कच्चे नेफ्था से भरे रेल टैंकरों में भीषण आग लगने के कारण जान और माल का भारी नुकसान हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) इस दुर्घटना में कोई जन-हानि नहीं हुई । रेल सम्पत्ति को लगभग 2.42 करोड़ रुपए की क्षति होने का अनुमान है । इस मामले की विभाग द्वारा की गई जांच में आग लगने के लिए किसी रेल कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है । जांच समिति के अनुसार आग लगने का कारण टैंक माल डिब्बे में वाष्प के लिए पर्याप्त स्थान न होने और अन्तर्वस्तु की आधिक्य होने के कारण वाष्प बनना था ।

जांच समिति के निष्कर्षों को पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय को भेज दिया गया है, जिसे अनुवर्ती कार्रवाई करनी है ।

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में चेयर कार की व्यवस्था

[अनुवाद]

1868. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में चेयर कारों की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गाड़ियों में कुर्सीयानों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात की आवश्यकताओं और सवारी-डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उदयपुर और हमीरगढ़ हवाई अड्डों का विस्तार और विकास

1869. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच उदयपुर और हमीरगढ़ हवाई अड्डों में विस्तार तथा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : निधियों की उपलब्धता के आधार पर, उदयपुर हवाई अड्डे पर टर्मिनल परिसर का राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है । हमीरगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान सरकार का है और इसलिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वहां पर सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना नहीं है ।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

1870. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विद्युत/डीजल/स्टीम कर्षण का तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत कर्षण प्रदूषण रहित होने के साथ-साथ सबसे सस्ता पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विद्युत-कर्षण को बढ़ाने और डीजल की खपत कम करने के लिए विद्युतीकरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, मार्ग के यातायात घनत्व, विद्युत ऊर्जा, डीजल तेल आदि की लागत और परिचालनिक लाभों जैसे कुछ मामलों में।

(ग) और (घ) जी हां। विद्युतीकरण योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। सातवीं योजना के दौरान 2812 कि० मी० मार्ग को विद्युतीकृत किया गया था। फिलहाल लगभग 2600 कि० मी० मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है जिस आठवीं योजना के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बहुआयामी समन्वित दृष्टिकोण अपनाना

1871. **श्री ओ० वेंकराजन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने नये संगठनात्मक ढांचे में बहुआयामी समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बद्ध विभिन्न वर्गों के मध्य पूर्ण समन्वय और सहयोग कायम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में परियोजना प्रबन्धन प्रणाली को प्रभावकारी बनाने के लिए आयोग के विभिन्न क्षेत्रों से कार्मिकों को लेकर परियोजना के निष्पादन और क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों के लिए परियोजना प्रबन्धन ग्रुपों को बहुआयामी बना दिया गया है। ऐसी आशा है कि यह आयोग के विभिन्न ग्रुपों और परियोजना से संबंधित बाहरी एजेंसियों में अच्छा सामंजस्य स्थापित करेगा। परियोजना की प्रभावकारी निगरानी के लिए एक तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली को भी शुरू किया गया है।

पेट्रोलियम की कमी के कारण रेल यातायात का परिचालन

1872. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीजल सप्लाई में कटौती के कारण रेल यातायात के परिचालन में कमी आई है जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का रेल परिवहन के निर्बाध परिचालन हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वस्तुतः रेल द्वारा ढोये जाने वाले माल का संचालन प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि भारतीय रेलों को दी जाने वाली डीजल तेल की सप्लाई में कोई कटौती लागू नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया की उड़ानों में गैर सरकारी ठेकेदारों द्वारा भोजन की सप्लाई

1873. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया भारत में और विदेशों में अपनी विमान उड़ानों में भोजन-व्यवस्था पर उड़ान के दौरान और अन्य समय में प्रतिवर्ष अनुमानत: कितना खर्चा करता है;

(ख) भोजन व्यवस्था करने के ऐसे ठेके भारत और विदेशों में कैसे दिये जाते हैं और इस वर्ष ये ठेके कैसे दिये गये तथा किन-किन फार्मों को दिये गये;

(ग) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा देश के भीतर की उड़ानों में तथा भारत से विदेशों को उड़ने वाले विमानों में खाद्य पदार्थों की सप्लाई होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के मुम्बई और नई दिल्ली स्थित होटलों से न कराये जाने और गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) किन कठिनाइयों के कारण होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के होटल अपने खाद्य पदार्थों में सुधार करके उनका स्तर गैर सरकारी ठेकेदारों के खाद्य पदार्थों के समान नहीं बना पा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एयर इण्डिया का वर्ष 1989-90 के लिए खान-पान पर किया गया खर्च निम्न प्रकार था।

	भारत में (करोड़ रुपयों में)	विदेशों में (करोड़ रुपयों में)
विमान पर खान-पान व्यवस्था	11.30	26.70
भूमि पर खान-पान व्यवस्था	1.00	1.76

(ख) खाड़ी के काफी स्टेशनों पर, स्थानीय सरकार के नियम किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देते। इस प्रकार के स्थानों पर खान-पान का ठेका बिना निविदाएं आमंत्रित किए दिया जाता है। अन्य स्थानों पर, निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यविधि का अनुपालन किया जाता है और लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन ठेकों को 2-3 वर्षों के लिए दिया जाता है। 1990 के दौरान शामिल किए गए खान-पान ठेकों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) एयर इण्डिया की पैंसठ प्रतिशत खान-पान आवश्यकता की पूर्ति और इण्डियन एयरलाइंस की उड़ान के खान-पान आवश्यकताओं की 25% की पूर्ति शेफेयर से की जाती है। शेफेयर के साथ समस्या खड़े होने की स्थिति में और प्रतियोगिता की दृष्टि से, सप्लाई के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, खान-पान ठेके को निजी पार्टियों को भी इसमें शामिल किया जाता है।

(घ) भारतीय होटल निगम भारी ब्याज/मूल्य ह्रास का सामना कर रहा है जिससे इसके उत्पाद तुलनात्मक तौर से मंहगे हो गए हैं। दक्षता में सुधार किए जाने की भी गुंजाइश है।

विवरण

एयर इण्डिया द्वारा 1990 के दौरान किए गए खान-पान ठेके

बम्बई—ताज एयर केटरर/शेफेयर

दिल्ली—शेफेयर/ताज

बहरीन—बहरीन एयरपोर्ट सर्विसेज

मास्को—एयरोमार

मद्रास—ताज कोरामंडल

कलकत्ता—भारत पर्यटन विकास निगम

त्रिवेन्द्रम—शाखाश फ्लाइट किचन

न्यूयार्क—ट्रस्ट हाऊस फोर्ट

सिंगापुर—सातस

टोकियो—टोकियो फ्लाइट किचन

बहारन—अब्दुल मजीद/अब्दुल जैबयाल इस्टेबलिशमेंट

लन्दन—एस० ए० एस०

सिडनी—क्वेंटास फ्लाइट किचन

फ्रेंकफर्ट—स्टेनबरजर (कैटरएयर)

पेरिस—सर्वेयर

आबू धाबी—आबू धाबी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट कैटरिंग

दोहा—कतार नेशनल होटल्स को०

दुबई—अलबर्ट अबेला

मस्कट—ओमन इन्टरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

नैरोबी—नास कैटरर

शारजाह—एलबर्ट अबेला

हांगकांग—डेयरी फार्म

कुवैत—कुवैत एविएशन सर्विसेज

रियाद—सऊदिया कैटरिंग

जेद्दाह—सऊदिया कैटरिंग

तेहरान—इराम एयर

रोम—एयरोपोर्टी डी रोमा

बैंकाक—थाई एयरवेज इंटरनेशनल लिमिटेड

कर्नाटक में रसायन और पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की स्थापना

1874. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रसायन और पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो लम्बित परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) उन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनमें से कितनी परियोजनाओं के स्थापित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) कर्नाटक में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं सहित विभिन्न रसायन और पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को तैयार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। उनकी जांच की जाती है और विद्यमान नीतियों के अनुरूप सतत् प्रक्रिया के रूप में तकनीकी-आर्थिक आधार पर निर्णय किए जाते हैं।

रेलगाड़ियों के लिए पैन्ट्री कार

1875. **श्री यशवन्तराव पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों में पैन्ट्री कारें जोड़ी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे के पास वर्तमान पैन्ट्री कारों की संख्या का जोनवार ब्यौरा क्या है और अधिक पैन्ट्री कारें लगाने के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पेंट्री कार सेवा की व्यवस्था केवल उन कतिपय चुनिन्दा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में की जाती है जहां मार्ग में स्थैतिक यूनिटों के जरिये पर्याप्त खान-पान की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है, बशर्ते कि पेंट्री कार तथा गाड़ियों में स्थान उपलब्ध हो।

(ग) रेलों के पास पेंट्री कारों की क्षेत्र-वार संख्या इस प्रकार है :—

रेलें	पेंट्री कारों की संख्या
मध्य	21
पूर्व	28
उत्तर	22
पूर्वोत्तर	16
पूर्वोत्तर सीमा	17
दक्षिण	15
द क्षण मध्य	8
दक्षिण पूर्व	38
पश्चिम	34
जोड़	235

1990-91 को योजना में 30 पेंट्री कारों का निर्माण करना शामिल है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

1876. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1990 को समाप्त दशक के दौरान कार्यान्वित और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थान, लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये विद्युत परियोजनाएं इस समय किस स्तर पर हैं और जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी है उनकी वर्तमान विद्युत उत्पादन दर क्या है; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश परियोजनाओं पर विनिर्दिष्ट देशों से संयंत्रों और उपकरणों की खरीद की शर्तें लगाई गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाओं के अधीन प्राप्त किए जाते हैं तथा ऋण सम्बन्धी समझौतों में इस प्रकार की कोई विशेष शर्तें शामिल नहीं होती कि उपस्कर केवल विशेष देश से ही प्राप्त किये जाने होंगे।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अवस्थान (राज्य)	लागत (करोड़ रु०)	कुल विद्युत उत्पादन (अप्रैल-नवम्बर, 90) (मि० यू०)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिंगरौली (चरण-2) सु० ता० वि० परि०	1420	उत्तर प्रदेश	1177.67	8183	सभी यूनिट चालू हो चुके हैं।
2.	फरक्का चरण-1 सु० ता० वि० परि०	630	प० बंगाल	622.82	1788	वही
3.	कोरबा चरण-1 सु० ता० वि० परि०	1000	म० प्र०	793.80	7548	वही
4.	रामगुण्डम चरण-2 सु०ता०वि० परि०	1000	आ० प्र०	735.03	4755	वही
5.	अपर इन्द्रावती ज० वि० परि०	600	उड़ीसा	380.65	—	1992-93 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
6.	केन्द्रीय पारेषण परियोजन-1	1655 सर्किट कि०मी०	आ० प्र०	388.05	—	रामगुण्डम तथा विन्ध्याचल के बीच एचवीडीसी बैक-टू-बैक लिंक चालू कर दिया गया है। शेष हिस्से को 1992 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
7.	इन्दिरा सरोवर ज०वि०परि०	500	म० प्र०	612.85	—	1995 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	फरक्का सु०ता०वि०परि० चरण-2	1000	प० बंगाल	1003.39	—	1991-92 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
9.	चन्द्रर ता०वि०परि०	1000	महाराष्ट्र	902.00	—	1991 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
10.	रिहन्द पारेषण प्रणाली	2596 सर्किट कि०मी०	उत्तर प्रदेश	1063.00	—	परियोजना आंशिक रूप से चालू कर दी गई है। शेष भाग को 1991-92 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
11.	लोअर पेरियर ज०वि०परि०	180	केरल	140.00	—	1992 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
12.	औरेया जी०टी०	652	उत्तर प्रदेश	566.07	1169	सभी यूनिट चालू कर दिए गए हैं।
13.	अन्ता जी०टी०	413	राजस्थान	372.99	920	वही
14.	कपास जी०टी०	632	गुजरात	598.41	—	1992-92 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
15.	काली नदी चरण-2 ज०वि०परि०	270	कर्नाटक	317.80	—	1993-94 में चालू किये जाने का कार्यक्रम है।
16.	राष्ट्रीय राजधानी ता०वि०परि० (दादरी)	840	उत्तर प्रदेश	1364.10	—	1992-93 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

1	2	3	4	5	6	7
17.	तलचेर ता०वि०परि०	1000	उड़ीसा	1404.00	—	1994-95 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
18.	शरावती टेलरेस ज०वि०परि०	240	कर्नाटक	232.00	—	वही
19.	श्रीनगर ज०वि०परि०	330	उत्तर प्रदेश	372.33	—	1995-96 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
20.	नाथपा झाकरी ज०वि०परि०	1500	हिमाचल प्रदेश	1678.02	—	1996-97 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
21.	कोयना चरण-4 ज०वि०परि०	1000	महाराष्ट्र	478.5	—	1994-95 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
22.	ट्राम्बे ता०वि०के० यूनिट-6	500	वही	426.00	4429	यूनिट मार्च, 90 में चालू किया गया।
23.	उत्तरी क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली	3076 सर्किट कि०मी०	जे०एण्ड के० हि०प्र० पंजाब, राजस्थान	1309.89	—	1998 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
24.	आई०ई०सी०-3	—	राज्य बिजली बोर्ड*		—	31-12-88 में पूरा किया गया।

*प० बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात।

उड़ीसा में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के स्टाकिस्ट/डीलर नियुक्त करना

1877. **श्री मंगाराज मलिक :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की औषधियों/दवाइयों की मांग अधिक है तथा सप्लाई कम है जिसके कारण केमिस्टों द्वारा अधिक मूल्य लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में मांग को पूरी तरह पूरा करने के लिए तथा इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के और अधिक संख्या में स्टाकिस्ट/डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) आई०डी०पी०एल० ने बताया है कि इसे उड़ीसा में इसके औषधों/दवाइयों की कमी अथवा दवा विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूल करने की न तो जानकारी है और न किसी स्रोत से इसे शिकायत प्राप्त हुई है। पूरे उड़ीसा में कम्पनी के 31 स्टाकिस्ट हैं और खुदरा दवा विक्रेताओं की जरूरतें इन स्टाकिस्टों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी की जाती हैं।

संसद सदस्यों को सुख सुविधाएं

1878. **श्री बलवन्त मनवर :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री ए०के० राय : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य वेतन और भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा वर्तमान और भूतपूर्व संसद सदस्यों को सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में क्या स्थिति है;

(ग) क्या संसद सदस्यों को दी जा रही सुख-सुविधाएं एवं भत्ते विधायकों की तुलना में कम है; और यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने भूतपूर्व संसद सदस्यों और उनके पति/पत्नी को रेल यात्रा सुविधाएं देने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) (ख), (घ) और (ङ) संसद सदस्य वेतन और भत्ता संबंधी संयुक्त समिति ने संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए 14 सिफारिशें (संलग्न विवरण के रूप में) की है। इसमें भूतपूर्व सांसदों को रेल से यात्रा करने की सुविधा देने सम्बन्धी सिफारिश भी सम्मिलित है। तथापि भूतपूर्व सांसदों की पत्नी-पति को रेल से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी कोई सिफारिश नहीं की गई हैं।

इन सिफारिशों पर सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके कारंवाई की जा रही है।

(ग) मांगी गई जानकारी लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित "भारत में विधायक-वेतन और अन्य सुविधाएं" नामक पुस्तक में उपलब्ध है। जहां तक विसंगतियों को दूर करने का सम्बन्ध है ऐसे मामलों पर संसद सदस्य वेतन और भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है और उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कारंवाई की जाती है।

विवरण

संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति की सिफारिश

संसद सदस्यों के लिए :

1. टेलीफोन काल को 30,000 से बढ़ाकर 60,000 करना।
2. संसद सदस्य की पत्नी/पति के लिए उनके प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली और वापसी की रेल यात्रा की संख्या असीमित करना।
3. संसद सदस्य को उपलब्ध हवाई जहाज यात्रा जिनका सदस्य ने उपयोग नहीं किया हो उनका संसद सदस्य की पत्नी/पति द्वारा उपयोग किया जाना।
4. कार्यालय व्यय भत्ते में बढ़ोतरी।
5. सवारी की खरीद के लिए अग्रिम रु० 50,000/- से बढ़ाकर रु० एक लाख करना।
6. एक वर्ष में एकतरफा हवाई यात्राओं का 16 से बढ़ाकर 24 करना।
7. दैनिक भत्ते की दर को रु० 150/- प्रतिदिन से बढ़ाकर रु० 200/- प्रतिदिन करना।
8. सड़क मील भत्ते की दर को रु० 3/- प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर रु० 5/- प्रति किलोमीटर करना।
9. जो टेलीफोन काल किसी वर्ष में उपयोग नहीं की जा सकी हों उनका समायोजन अनुवर्ती वर्षों में किया जाना।
10. प्रत्येक सांसद को द्वीप से मुख्य भूमि और वापसी यात्रा के लिए स्टीमर पास जारी करना।

भूतपूर्व सांसदों के लिए :

11. पेन्शन के लिए सदस्यता की न्यूनतम अवधि में छूट और पेन्शन में बढ़ोतरी (5 वर्ष तक की सेवा के लिए रु० 300/- प्रतिवर्ष और 5 वर्ष के बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए 100/- रु० प्रति मास अधिकतम सीमा रु० 5,000/-)।
12. रु० 5,000/- तक की अधिकतम सीमा तक अन्य पेन्शन के अतिरिक्त पेन्शन देना।
13. भूतपूर्व सांसदों के लिए रेल पास।
14. भूतपूर्व सांसदों और उनके परिवार तथा मृतक भूतपूर्व सांसद के आश्रितों को जीवन भर के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से चिकित्सीय सुविधाएं।

इण्डियन रेलवे कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुन: नियुक्त किया जाना

1879. श्री मदन लाल खुराना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेलवे कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड में सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके कितने व्यक्तियों को पुन: नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या ऐसे स्थायी आदेश दिए गए हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुन: नियुक्ति न की जाए;

(ग) यदि हां, तो सरकारी अनुदेशों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं तथा पुन: नियुक्त किये गए सभी व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) उनके मंत्रालय और इसके अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों/निगमों में पुन: नियुक्ति किए गए व्यक्तियों का कार्यालय/निगम-वार ब्यौरा क्या है तथा इनकी पुन: नियुक्ति के क्या कारण/तर्क हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 85।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेवानिवृत्ति के बाद कार्य पर लगाए गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है;

1. रेल मंत्रालय और क्षेत्रीय रेलें	18
2. रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज (राइट्स)	12
3. भारतीय रेल वित्त निगम (आई० आर० एफ० सी०)	03
4. कोंकण रेलवे कार्पोरेशन (के० आर० सी०)	28
5. रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस)	22

उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण तथा विशेष कुशलता/अनुभव की आवश्यकता तथा जनहित में इन व्यक्तियों को कार्य पर लगाये जाना आवश्यक है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा काम में लाए जा रहे विदेशी जलपोत

1880. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वदेशी और विदेशी स्रोत से किराया आधार पर काम में लाये जा रहे विदेशी सप्लाई जलपोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वाणिज्य परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में ढील देने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन की ओर से सरकार को इस कार्यवाही के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कम्पनियों से निम्नलिखित 5 विदेशी जहाज लिए थे—

कम्पनी के नाम	जहाज का नाम	वर्ष
मैसर्स गरवारे शिपिंग का० लि०	पैसिफिक डेर्क	1988-89
मैसर्स ताज ट्रेड ट्रांसपोर्ट	जेमसेन टाइड	1989-91
वही	रामे टाइड	वही
वही	मायर टाइड	वही
मैसर्स सोस्पेन शिपिंग और ट्रेनिंग	स्टेट डिफेंडर	1990-91

तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी कम्पनी से कोई जहाज किराए पर नहीं लिया गया है।

(ख) इन जहाजों को मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट के तहत जहाजरानी महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्य पर लगाया गया था।

(ग) और (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड को विश्वव्यापी निविदाओं के तहत अपनी आवश्यकताएं और सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपतटीय आपूर्ति जहाजों को चार्टर किराए पर लेने के लिए भी विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की है। तथापि इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन भारतीय जहाजों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए अभिवेदन करती रही है।

दिल्ली के यादव नगर में बिजली गुल होना

1881. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तरी दिल्ली की आवासी कालोनी यादव नगर में बार-बार बिजली गुल होने की कोई जांच कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो जांच कब तक कराई जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, उपरोक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर सन्तोषजनक है। इसलिए इस मामले में कोई जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अलकलीन का उत्पादन

1882. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनल्जीन का उत्पादन केवल सरकारी क्षेत्र के कारखानों के लिए आरक्षित है;

(ख) क्या अनल्जीन का उत्पादन कई लघु उद्योग क्षेत्र के कारखाने भी कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रवार विभिन्न कम्पनियों द्वारा 1989 में इसका कुल कितना और कितने-कितने प्रतिशत उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु क्षेत्र की औषधों का उत्पादन इस मंत्रालय द्वारा मानीटर नहीं किया जाता है। संगठित क्षेत्र में केवल मे० आई० डी० पी० एल० एनलजिन का उत्पादन कर रहा है। इसका 1988-90 और 1989-90 का उत्पादन क्रमश: 271.80 मी० टन और 235.2 मी० टन था।

पेंसिलीन का अधिशेष भंडार

1883. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के एककों के पास पेंसिलीन का कितना अधिशेष भंडार है; और

(ख) सरकार ने पेंसिलीन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई०डी०पी०एल०) के पास 1-12-90 को पेंसलीन जी फर्स्ट क्रिसटल्स का 9225? बी० यू० का स्टाक था और हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) के पास कोई स्टाक नहीं था।

(ख) अर्द्ध-सिंथेटिक पेंसिलिन के विनिर्माण के लिए देश में पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल का उत्पादन पर्याप्त नहीं है और इस सम्बन्ध में कमी को पूरा करने के लिए पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल के आयात को नियमित किया जाता है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार

1884. **श्री पी० सी० थामस** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने हेतु अधिक धन-राशि का निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन रिफाइनरी की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव को एक विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा मई, 1990 में प्रथम चरण की मंजूरी दे दी गई थी।

363 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर रिफाइनरी का विस्तार करने के लिए 31 दिसम्बर, 1990 को कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड से एक विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्ताव को सरकारी अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

भारत कोकिंग कोल लि० का कार्य निष्पादन

1885. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल० लि० के उत्पादन और वित्तीय स्थिति का भूमिगत और खुली खानों के संदर्भ में अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमिगत खानों में खनिकों और खुली खदानों में मशीनों की क्षमता उपयोग का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) "फुल बैक वेजेस" के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया और खनिकों के अनुपस्थित रहने के कारण कितनी हानि हुई;

(घ) अधिकारियों की श्रेणी का ब्यौरा क्या है तथा भूमिगत खानों में उत्पादन की निगरानी के लिए उन्हें कितना समय बिताना आवश्यक है; और

(ङ) कोयले की वर्तमान लागत में विभिन्न कारणों का कितना योगदान है और किन कारणों से इस उद्योग में निरन्तर घाटा हो रहा है; और घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को० को० लि०) द्वारा किए गए उत्पादन तथा वित्तीय सम्बन्धी स्थिति नीचे दी गई है—

उत्पादन (मिलियन टनों में)

1987-88		1988-89		1989-90	
भू० ग०	ओ० का०	भू० ग०	ओ० का०	भू० ग०	ओ० का०
13 81	11.30	14.94	11.94	14.29	13.32

(भू० ग० : भूमिगत ओ० का० : ओपेनकास्ट)

वित्तीय स्थिति (कोयला मूल्य विनियमन लेखे के अन्तर्गत समायोजन किए जाने के बाद)

1987-88	1988-89	1989-90
—112.01	—5.19	+51.33

(+लाभ) (—घाटा)

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में केलकर समिति

1886. श्री एम० एम० पटेल :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में केलकर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है ।

देश में बिजली का उत्पादन

1887. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के उत्पादन और उसमें गिरावट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिजली की मांग को पूरा करने के लिए राज्य-संघ राज्य क्षेत्रवार किए गए अथवा प्रस्तावित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में, नई क्षमताओं को शीघ्र चालू किया जाना, अल्प निर्माणावधि की परियोजनाएं क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियां कम करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा बचत के उपायों को अमल में लाना एवं ऊर्जा की अधिकता वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अंतरण करना शामिल है विद्युत विकास को गति युक्ति-युक्त बनाने के लिए किए जाने वाले दीर्घकालिक उपायों में जल विद्युत विकास, पारेषण एवं वितरण के सतही कार्यक्रम में तेजी लाना, कोयला परिष्करण, ईंधन का नानाविधि उपयोग एवं कोयला ढुलाई के विभिन्न तरीके आदि शामिल है ।

विवरण

1990-91 (अप्रैल-दिसम्बर, 90) के दौरान राज्य/प्रणाली/संघ शासित क्षेत्रवार लक्ष्य की तुलना में कुल उत्पादन तथा लक्ष्य की कमी/आधिक्य

राज्य/प्रणाली/संघ शासित क्षेत्र	कुल विद्युत उत्पादन (अप्रैल, 90-दिसम्बर, 90)		
	लक्ष्य (जीडब्ल्यूएच)	वास्तविक (जीडब्ल्यूएच)	%कमी (−)/अधिशेष (+)
बीबीएमबी	9336	10564	(+)13.2
दिल्ली	4669	4893	(+) 4.8
जम्मू व कश्मीर	2650	2506	( ) 1.4
हिमाचल प्रदेश	1655	1679	(+) 5.5
हरियाणा	2568	1818	(−)29.4
राजस्थान	5479	4650	(−)15.1
पंजाब	7826	6592	(-)15.8
उत्तर प्रदेश	10604	27840	(−) 9.0
गुजरात	14104	14377	(+) 1.9
महाराष्ट्र	26575	27769	(+) 4.5
मध्य प्रदेश	22143	21323	(−) 3.7
आन्ध्र प्रदेश	28209	19249	(−) 4.8
कर्नाटक	8278	8838	(+) 6.8
केरल	3945	4158	(+) 5.4
तमिलनाडु	17000	16784	(−) 1.3
बिहार	3304	2326	(−)29.6
उड़ीसा	3729	4124	(+)10.6
प० बंगाल	9204	8632	(−) 6.2
डी० वी० सी०	5128	3692	(−)28.0
सिक्किम	36	92	(−)38.9
असम	1175	882	(−)24.6
मेघालय	867	683	(+) 1.8
त्रिपुरा	144	103	(−)28.5
मणिपुर	310	333	(+) 7.4
अखिल भारत	200938	194032	(−) 3.4

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का संचालन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपना

1888. **श्री पलाई० के० एम० मैथ्यू :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किये जाने के बाद इसका संचालन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से वापस लेकर भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रबन्ध, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस विषय में लागू कानूनों के अनुसार किया जाता है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का खर्च एवं आय

1889. **श्री अमल दत्त :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण को स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विमानपत्तन-वार हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विमानपत्तनम-वार किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तन वार राजस्व का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तन-वार किए गए खर्च का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

गत पांच वर्षों के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विमानपत्तन-वार राजस्व का विवरण

(लाख रुपयों में)

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88	1989-89	1989-90
बम्बई हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	2371.91	3007.75	3252.03	3491.26	4467.31
अन्तर्देशीय	3474.96	4001.41	4906.97	5681.90	5169.66
कलकत्ता हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	210.91	241.91	338.27	436.00	502.98
अन्तर्देशीय	849.52	944.55	1158.25	1220.33	1242.51
दिल्ली हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	1410.89	1612.61	1786.29	2103.58	3070.71
अन्तर्देशीय	1580.53	3287.01	4531.01	5315.38	4563.62
मद्रास हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	92.75	133.38	156.17	178.92	222.25
अन्तर्देशीय	814.54	1012.99	1161.74	1348.38	1457.99
मुख्यालय	503.32	507.02	919.24	1271.90	2085.55
अन्तर्राष्ट्रीय	*4086 46	4995.65	5532.76	6209.76	8263.25
अन्तर्देशीय	**7222.87	9752.98	12677.21	14837.89	14519.53
	11309.33	14748.63	18209.97	21047.65	22782.78

*अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से अवतरण और पार्किंग से प्राप्त आय को प्रदर्शित करता है।

**इंडियन एयरलाइंस से विदेशी परिचालनों द्वारा प्राप्त आय भी शामिल है।

विवरण-II

गत पांच वर्षों के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तन-वार किए गए खर्च का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
बम्बई हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	11.23	9.07	6.75	7.78	8.91
अन्तर्देशीय	1.82	2.13	4.56	8.22	11.44
कलकत्ता हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	1.84	1.44	2.79	3.63	8.94
अन्तर्देशीय	1.22	9.82	1.86	2.18	3.96
दिल्ली हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	24.25	14.91	4.43	7.72	8.52
अन्तर्देशीय	0.83	1.25	3.07	5.29	6.95
मद्रास हवाई अड्डा					
अन्तर्राष्ट्रीय	1.64	1.57	7.13	10.96	6.49
अन्तर्देशीय	5.26	0.91	1.42	2.22	3.79
कुल :	48.09	31.20	32.00	48.00	59.00

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

1890. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के अन्वेषण पर सरकार को प्रेसीडेन्सी कालेज, कलकत्ता के भूगर्भशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो० प्रदीप दास गुप्ता से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ परामर्श करके ज्ञापन की जांच की गई और इस मामले में प्रो० प्रदीप दास गुप्ता से आगे स्पष्टीकरण सम्बन्धी विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव किया जाता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिल

1891. **श्री गंगाचरण लोधी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिलिंग प्रणाली से उपभोक्ताओं को परेशानी तथा असुविधा होती है;

(ख) क्या अक्तूबर, 90 के बिलिंग साइकिल से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने नई प्रक्रिया शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भ्रम तथा बाद में समायोजन से बचने के लिए बिलिंग वाली अवधि में नियमित मीटर रीडिंग के आधार पर दो महीने के बिल तैयार करने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) डेसू के अनुसार, इसकी बिल सम्बन्धी प्रणाली से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी और असुविधा नहीं हो रही है।

(ख) और (ग) डेसू द्वारा अक्तूबर, 1990 से लागू की गई बिल सम्बन्धी नई प्रणाली के अंतर्गत दो-दो महीने के बिल भेजे जा रहे हैं। वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर चार महीने का बिल तैयार किया जाता है और इस बीच पिछली खपत के आधार पर दो महीने का बिल अनन्तिम आधार पर भेजा जाता है। वास्तविक रीडिंग आधार पर बिल को अनन्तिम बिल में की गई अदायगी का समायोजन करने के बाद तैयार किया जाता है। लघु औद्योगिक/बड़े औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं के मामले में बिल सम्बन्धी प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) डेसू में अतिरिक्त मीटर रीडर्स की अधिक संख्या में आवश्यकता से बचने के लिए बिल सम्बन्धी नई प्रणाली अपनाई गई है।

नई खान-पान नीति

1892. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में नई खान-पान नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई खान-पान नीति में एलागेसन समिति (1955) और परीमल घोष समिति (1967) की सिफारिशें शामिल की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार को नई खान-पान नीति के संबंध में कर्नाटक पैसेंजर एंड ट्रैफिक रिलीफ एसोसिएसन, हुबली से 29 सितम्बर, 1990 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) सरकार का विचार खान-पान के ठेके आबंटित करने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं, स्वतन्त्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को प्राथमिकता देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एक नीति संबंधी निर्णय लिया गया है कि छोटे स्टेशनों को छोड़कर खान-पान/वेंडिग के सभी लाइसेंस निविदाएं आमंत्रित करके आबंटित किए जाएंगे।

(ख) और (ग) इन समितियों ने खानपान लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया पर कोई सिफारिश नहीं की थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) खानपान/वेंडिग के लाइसेंस देने की पुरानी नीति ऐसे बहुत से स्टेशनों पर अपनाई जाती रहेगी जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वतन्त्रता सैनानियों, भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली प्राथमिकता से संबंधित मौजूदा आदेश लागू रहेगा।

कोल इण्डिया लि० का उत्पादन-लक्ष्य

1893. श्री के० एस० राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए उत्पादक-लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक कार्य-दल नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों के क्या उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ग) क्या लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है अथवा प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कार्य-दल कोयला उत्पादक कंपनियों को कलपुर्जों की सप्लाई पर निगरानी रखेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य-दल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) उत्पादन लक्ष्य के प्राप्त किए जाने का उत्तरदायित्व, अन्य व्यक्तियों के अलावा कोयला कंपनियों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों को सौंपा गया है। वर्ष 1989 के लिए उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्धियां और वर्ष 1990-91 के लिए लक्ष्य नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन में)

	कंपनी	लक्ष्य	उपलब्धि 1989-90	लक्ष्य 1990-91
	ई० को० लि०	30.90	24.49	29.00
	भा० को० को० लि०	27.50	26.61	28.60
	से० को० लि०	28.00	28.61	29.17
	ना० को० लि०	23.00	23 28	27.20
	सा० ई० को० लि०	50.50	51.78	55.35
	वे० को० लि०	22.70	23.01	23.90
	ना० ई० को०	0.90	0.84	0.80
जोड़	को० ई० लि०	183.50	178.62	194.00

इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर अनुवीक्षण तथा समन्वय कार्यों के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं ।

काशीपुर-रामनगर रेल लाइन को बदलना

[हिन्दी]

1894. श्री एम० एस० पाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काशीपुर और रामनगर के बीच स्थित मोटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर बड़ी लाइन जून, 1988 में यातायात के लिए खोल दी गई थी ।

नीमच हवाई अड्डे का वायुदूत सेवाओं के लिए उपयोग

[अनुवाद]

1895. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा उपयोग किए जा रहे नीमच हवाई अड्डे का वायुदूत की सेवा के लिए उपयोग हेतु अनुमति देने के संबंध में अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सेना के नियंत्रणाधीन जोधपुर ग्वालियर और अन्य हवाई अड्डों पर यात्री विमानों के संचालन के लिए इसी तरह की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का नीमच में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग) विमानों की कमी, संसाधनों की कठिनाई और इस प्रकार के परिचालनों की आर्थिक अक्षमता के कारण वायुदूत का इस समय नीमच के लिए इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कराने की कोई योजना नहीं है।

आठवीं योजना में विद्युत का उत्पादन

1896. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1990 को देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी थी;

(ख) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान विद्युत का कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1990 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान विद्युत का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत की मांग और सप्लाई में किस दर से वृद्धि हुई;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का योजना लक्ष्य में कटौती करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) 30 सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, देश में प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 64,000 मे० वा० थी।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 (दिसम्बर, 1990 तक) के दौरान विद्युत का उत्पादन निम्नवत हैं।

वर्ष	विद्युत उत्पादन (मि० यू० में)
1988-89	221125
1989-90	245141
1990-91 (दिसम्बर, 90 तक)	194032

(ग) देश में विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर का विवरण नीचे दिया गया है :

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
आवश्यकता (मि० यू०)	192356	210993	223194	247762
वार्षिक वृद्धि दर (%)		9.7	5.8	11.0
उपलब्धता (मि० यू०)	174276	187976	205989	228151
वार्षिक वृद्धि दर %)		7.9	9.5	10.8

(घ) से (च) योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे का वित्तीय कार्यनिष्पादन

1897. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में घाटा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो घाटे के क्या कारण हैं और इन्हें दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) विभिन्न रेल "जोनों" का "संचालन अनुपात" (आप्रेटिंग रेशो) से संबंधित तथ्य क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) चूंकि भारतीय रेलों के कार्य संचालन की अर्थव्यवस्था का आकलन सामान्यत: समूची रेल प्रणाली के आधार पर किया जाता है इसलिए किसी पृथक रेलवे घाटे वाली रेलवे नहीं कहा जा सकता है। तथापि, यदि पूर्वोत्तर सीमा और पूर्वोत्तर रेलों के परिचालन परिणामों को अलग से देखा जाये तो उन्हें घाटे वाली रेलें कहा जा सकता है।

(ख) प्राकृतिक कारकों जैसे भू-भाग, बाढ़ आदि, सहित जिनके कारण रेलपथ के अनुरक्षण पर खर्च बहुत बढ़ गया था, प्रणाली में अन्तर्निहित विभिन्न प्रतिकूल कारकों जैसे मिश्रित यातायात और प्राप्त यातायात की मात्रा और स्वरूप तथा कार्य की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इन दोनों क्षेत्रीय रेलों को घाटा/हानि हुई। संचालन व्यय को कम करने तथा जनशक्ति और सामग्री संसाधनों की बेहतर उत्पादकता, ईंधन की बचत, बिना टिकट यात्रा और अन्य हानियों की रोकथाम तथा अधिक कारगर विपणन प्रयासों के जरिए आमदनी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय रेलों का परिचालन अनुपात नीचे दिया गया है :

मध्य रेलवे	:	78.89%
पूर्व रेलवे	:	107.64%
उत्तर रेलवे	:	83.47%
पूर्वोत्तर रेलवे	:	169.37%
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	:	177.60%
दक्षिण रेलवे	:	124.02%
दक्षिण मध्य रेलवे	:	90.07%
दक्षिण पूर्व रेलवे	:	75.16%
पश्चिम रेलवे	:	77.71%

बोम्बे हाई और हीरा तेल क्षेत्र

1898. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री बम्बई हाई और हीरा तेल क्षेत्रों के बारे में 28 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3262 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री ए० बी० दास गुप्ता की अध्यक्षता में 26 अप्रैल, 1990 को नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की हैं और क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो 26 अप्रैल, 1990 से इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाये हैं या उठायेगी जिनसे यह समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र दे दे ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की इस समय सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बेतियाँ में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना

1899. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पश्चिमी चंपारन और पूर्वी चंपारन जिले के लोगों और वहां स्थापित उद्योगों को बिजली की भारी कमी के संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बेतिया में एक 1000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 1990 के दौरान बिहार में विद्युत की कमी 26.4% थी। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत आपूर्ति का निर्णय विद्युत तथा इसकी उपलभ्यता को दृष्टि में रखते हुए राज्य प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है।

(ख) और (ग) बेतिया में 1000 मे० वा० विद्युत संयंत्र की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि का वापिस किया जाना

1900. **प्रो० एम० तोम्बी सिंह** :
श्री जगपाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू बिजली लेने के निमित्त जमा कराई गई राशि का उनकी विधवाओं को वापस भुगतान करने में कई वर्ष का समय लेता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के शंकर रोड स्थित कार्यालय, नई दिल्ली में 1989 से विशेष रूप से ईस्ट पटेल नगर पुनर्वास कालोनी के ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(घ) संबंधित विधवाओं को इस राशि का शीघ्र वापस भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं चूंकि इन विधवाओं ने इस बीच इस बारे में कई बार अभ्यावेदन दिए हैं और मौखिक अनुरोध भी किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (घ) डेसू के अनुसार, निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद संगत समय के अन्दर विधवाओं को जमानत राशि वापस करने एवं विद्युत कनैक्शनों के अन्तरण के लिए एक भलीभांति परिभाषित प्रक्रिया पहले से ही विद्यमान है। जब भी उपभोक्ताओं को परेशान करने अथवा अनावश्यक विलम्ब होने का कोई विशेष मामला डेसू के ध्यान में लाया जाता है तो समुचित कार्यवाही की जाती है। डेसू के शंकर रोड कार्यालय में, जोकि ईस्ट पटेल नगर के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, 1989 से किसी ऐसे मामले के लम्बित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कानपुर जिले में ओवरब्रिज

1901. **श्री केसरी लाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर शहर और इसके ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों पर कितने ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाने पर ग्रैंड ट्रंक रोड पर समपार सं० 79 के बदले एक उपरिपुल को रेलवे के 1990-91 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। कानपुर ग्रामीण क्षेत्र में किसी अन्य ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार से रेलवे को अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा योजना तथा पुल के पहुंच मार्गों के लिए अनुमान को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद कार्य किया जायेगा।

(ग) चूंकि अभी यह कार्य योजना स्तर पर है, इसलिए अभी इस कार्य को पूरा करने का समय निर्धारित नहीं किया गया है।

समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन

[हिन्दी]

1902. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्तीपुर और दरभंगा के बीच किन-किन स्थानों पर बड़ी रेल लाइन बनाने का कार्य प्रगति पर है और वहां क्या-क्या काम पूरा कर लिया गया है और चालू वर्ष के बजट में इस कार्य के लिए आबंटित की गई धनराशि में से मदवार कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : निर्माण का काम शुरू करने के लिए प्रारम्भिक कार्य, अर्थात् यार्डों और पुलों के लिए विस्तृत नक्शे और अभिकल्प तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है, चालू वर्ष के लिए आबंटित 4.09 करोड़ रुपये की रकम में से, 4 लाख रुपये की रकम सितम्बर" 1990 के अन्त तक खर्च हो चुकी है।

दीमापुर रेलवे बुकिंग कार्यालय में प्रथम श्रेणी का आरक्षण कोटा

[अनुवाद]

1903. श्री शिकिहो सेमा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर रेलवे स्टेशन पर नागालैंड राज्य के लिए प्रथम श्रेणी में केवल एक ही सीट आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दीमापुर में विभिन्न गाड़ियों में पहले दर्जे की 30 और वातानुकूलित शयनयान की 2 शायिकाओं का कोटा पहले ही उपलब्ध है। अन्य स्टेशनों पर कोटे का पूरा उपयोग होने तथा स्थान की सीमित उपलब्धता के कारण इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयला खानों को घाटा

[हिन्दी]

1904. श्री रामदास सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 से 1980 तक की अवधि को छोड़कर कोयला खानें उनका राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय से घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राशि का घाटा हुआ;

(ग) कोयला खानों को होने वाला यह घाटा रोकने और उन्हें लाभप्रद रूप में संचालित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) भविष्य में इन खानों में और अधिक लाभ कमाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) कोल इंडिया लि० की स्थापना किए जाने के बाद से, वर्ष 1981-82 तथा वर्ष 1989-90 को छोड़कर, जबकि इसने क्रमश: 34.20 करोड़ रु० तथा 80.13 करोड़ रु० का लाभ कमाया, इसमें प्रत्येक वर्ष घाटा हो रहा है।

(ख) कोल इण्डिया लि० में घाटा होने का मुख्य कारण यह है कि विगत में प्रशासित कीमत में हुई वृद्धि विभिन्न आगतों जैसे मजदूरी, विद्युत, ईंधन, विस्फोटक, पूंजी, आदि की लागत में हुई वृद्धि की पूर्णत: प्रतिपूर्ति नहीं की जाती थी और आगतों की लागत में हुई वृद्धि तथा कीमतों में हुई वृद्धि के बीच हुआ अधिक अन्तराल भी घाटा होने के लिए जिम्मेदार रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० में हुआ लाभ/घाटे को नीचे दिया गया है ;—

वर्ष	लाभ(+)/घाटा (—) (करोड़ रु० में)
1987-88	(—) 224.64
1988-89	(—) 23.26
1989-90	(+) 80.13

(ग) कोल इंडिया लि० में घाटे को रोकने तथा इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं :—

(1) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उनके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना।

(2) पर्याप्त वर्कशाप सहायता मुहैया करके, कलपुर्जों के सुधरे प्रबंधन तथा उपकरणों के सामयिक नियोजन द्वारा उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार किया जाना।

(3) अतिरिक्त कामगारों को पुनः नियोजित करके श्रमशक्ति आयोजन में सुधार तथा प्राकृतिक अपशिष्टता के कारण हुई रिक्तियों पर नए कामगारों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना।

(4) विस्फोटक क्षमता, विद्युत सम्बन्धी मुद्दे तथा सुधारात्मक सूची नियन्त्रण में सुधार करके अतिरिक्त कलपुर्जों तथा विभिन्न अन्य आगतों के प्रयोग में मितव्ययता करना।

(5) लागत में कमी संबंधी उपायों की निगरानी में सुधार करना।

(6) बड़े उपभोक्ताओं जैसे राज्यों के बिजली बोर्डों की ओर बकाया कुल देय राशि में कमी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) परिचालन क्षमता में सुधार लाए जाने के लिए सुधार की गई प्रणालियां तथा प्रबन्धन उपायों को अंगीकृत किया गया है।

(8) उत्पादकता में सुधार लाए जाने के लिए विद्यमान खानों को पुनर्गठित किए जाने के संबंध में प्रयास किया जाना।

(घ) इन उपायों को किए जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० की श्रमशक्ति तथा मशीन की उत्पादकता में सुधार आया है और इसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि० ने वर्ष 1989-90 के दौरान 80.13 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है।

बाहरी दिल्ली में रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

1905. **श्री के० रामभूर्ति :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाहरी दिल्ली विशेष रूप से मीरा बाग, सुन्दर विहार, पीरागढ़ी क्वाला-

हेड़ी और पंजाबी बाग स्थित रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध कथित कदाचार की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कदाचार को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की जाती है और जहां साबित हो जाता है वहां विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के अनुसार कार्रवाई की जाती है जो चेतावनी पत्र निर्गत करने से डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति के बीच होता है। वर्ष 1990 के दौरान (नवम्बर तक) बाहरी दिल्ली में कार्यरत एल० पी० जी० एजेंसियों के खिलाफ अब तक 7 शिकायतें साबित हुई हैं। कदाचार रोकने के लिए एल० पी० जी० विपणन तेल कम्पनियों के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा नियमित और अचानक जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश में सलेमपुर में बिजलीघर

1906. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सलेमपुर में 132 के० वी० बिजली घर चालू किए जाने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो इसके चालू किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके घटिया उपकरणों का प्रयोग किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में सलेमपुर में 132 के० वी० विद्युत केन्द्र को प्रारम्भ में मार्च, 1989 में चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इसे पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यू कूचबिहार से कलकत्ता तक चलाई जाने वाली नई गाड़ियां

1907. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू कूचबिहार से कलकत्ता के लिए नई रेलगाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और पश्चिम बंगाल में रेल लाइन

1908. श्री चित्त महाता : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्य में समय-सीमा के अनुसार प्रगति हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनका निर्माण पूरा होने का कब तक का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) बिहार तथा पश्चिम बंगाल में नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

परियोजना	लम्बाई (कि० मी०)	अनुमोदित लागत	समापान लक्ष्य वर्ष
बिहार			
1. छितौही-बगहा	28	40.90 74.82	1993 बशर्ते उत्तर प्रदेश, बिहार सरकारों तथा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपने हिस्से की राशि उपलब्ध करा दी जाये।
पश्चिम बंगाल			
1. लक्ष्मीकांत पुर-नामखाना	47	47.13	1992 (लक्ष्मी कांत पुर [कुल्पी बंद) शेष के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
2. एकलाखी-बालूरघाट	87	47.18	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
3. हवड़ा-आमता/	74	31.43	संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
4. तामलुक-दीघा	87	73.71	

संसाधनों की तंगी तथा राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, जहां अपेक्षित था, जैसे विभिन्न कारणों से प्रगति अनुसूची के अनुसार नहीं रही है।

कोचीन-त्रिवेन्द्रम और कोरनपुर-मंगलौर रेल लाइनों को दोहरा करना

1909. श्री ए० विजयराघवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने केरल में कोचीन से त्रिवेन्द्रम और शोरणपुर से मंगलौर के बीच रेल लाइनों को दोहरा करने हेतु कोई सर्वेक्षण शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावित रेल लाइनों को दोहरा करने का यदि कोई कार्यक्रम है तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) कोट्टारकरा और नेदुमंगद के रास्ते एक वैकल्पिक बड़ी लाइन संरेखण के साथ-साथ कायनकुलम-तिरूवनन्तपुरम खंड में दोहरी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि वैकल्पिक संरेखण को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया था इसलिए कायनकुलम-कोल्लम और कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य क्रमशः वर्ष 1989-90 और 1990-91 में अनुमोदित किया गया था।

शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड में दोहरी लाइन बिछाने के लिए व्यावहारिकता और आवश्यकता की जांच करने के लिए 1990-91 में प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण अनुमोदित किया गया है।

एर्णाकुलम (कोच्चिन)—कायनकुलम खंड में अलेप्पी के रास्ते एक वैकल्पिक बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बड़ी लाइन में से एर्णाकुलम-अलेप्पी खंड अक्तूबर, 1989 में चालू कर दिया गया है और अलेप्पी-कायनकुलम खंड की लाइन के 1991-92 के दौरान पूरी किये जाने की संभावना है। जब यह लाइन पूरी हो जायेगी तो उससे इस खंड में दोहरी लाइन की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी अर्थात एक कोट्टायम में रास्ते मौजूदा लाइन और दूसरी अलेप्पी के रास्ते वाली लाइन।

कायनकुलम-कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम खंड में दोहरी लाइन बिछाने के कार्य का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। मंगलोर-शोरूवण्णूर खंड में दोहरी लाइन बिछाने का कार्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

थापर-ड्यूपोन्ट टाई अप

1910. **श्री बसंत साठे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 सितम्बर, 1990 के "इकानामिक टाइम्स में "थापर-ड्यूपोन्ट टाईअप में बो सल्लैप्ड" शीर्षक से छपी खबर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों के प्रस्ताव कब से लम्बित पड़े हैं और इनको स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) जी, हां। मे० थापर ड्यूपोन्ट ने यू० एस० ए० की एक कम्पनी ई० आई० ड्यूपोन्ट डी नीमोरस एण्ड कं० के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से गोवा में नाइलोन-66 टायर कार्ड/औद्योगिक यार्न के निर्माण के लिए एकक की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग पर पूंजीगत माल के आयात के लिए मिला जुला आवेदन दिया है। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद तकनीकी आर्थिक आधार पर ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है।

बंगलौर में अस्पताल में रसोई गैस का सिलेण्डर फटना

1911. श्री जोस फर्नान्डीज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित "नेचर क्योर हास्पिटल" में रसोई गैस के एक सिलेन्डर में रिसाव होने के कारण विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, बंगलौर में दिनांक 14-11-1990 को एक रिफिल सिलिंडर का कनेक्शन लगाते समय एल० पी० जी० के रिसाव के कारण एक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 13 व्यक्ति घायल हुए थे परन्तु कोई मौत नहीं हुई।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई है। पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र

1912. श्रीमती डी० अनेम्मा :

श्री राजमोहन रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित बिजली संयंत्रों का ब्योरा क्या है एवं इस सम्बन्ध में स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) उनसे कितनी बिजली पैदा होती है एवं लम्बित परियोजनाओं को कब तक मन्जूरी मिल जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) विज्जेश्वरम संयुक्त साइकल गैस टरबाइन (2 × 33 मे० वा० गैस टरबाइन + 1 × 33 मे० वा० वाष्प टरबाइन) का एक उत्पादन सैट 31 अगस्त, 1990 को प्रचालित किया गया था; गैस टरबाइन उत्पादन केन्द्र के 33 मे० वा० के दूसरे सैट तथा 33 मे० वा० की वाष्प टरबाइन की एक यूनिट को क्रमशः जनवरी तथा जून, 1991 में प्रचालित किये जाने की परिकल्पना की गई है। आन्ध्र प्रदेश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापना के संबंध में परियोजना रिपोर्टों के ब्यौरे तथा उनकी स्वीकृति की स्थिति संलग्न विवरण में निहित है।

नवम्बर-दिसम्बर, 1990 के दौरान विज्जेश्वरम संयुक्त साइकल गैस केन्द्र ने 17 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम तथा क्षमता	वर्तमान स्थिति
	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से प्राप्त हुए प्रस्ताव	
1.	काकानाडी, पूर्व गोदावरी जिले में संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन परियोजना, चरण-एक (400 मेगावाट) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (ए० पी०एस०ई०बी०) से प्राप्त हुए प्रस्ताव	परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत द्वारा जुलाई, 90 में अनुमोदित कर दिया गया है। निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
2.	विज्जेश्वरम जिला पश्चिम गोदावरी में दूसरा गैस आधारित विद्युत संयंत्र (3 × 100 मेगावाट)	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से विद्युत संयत्रों के लिए गैस का 3 एम० सी० एम० का आबंटन किया है। गैस की आबंटित मात्रा में दो 400 मे० वा० गैस आधारित संयंत्रों एक रा० ता० वि० नि० द्वारा (उपर्युक्त (I) में उल्लिखित) केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा राज्य क्षेत्र में बशर्तें आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन हों, की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना की गई है। राज्य क्षेत्र में एक 400 मे० वा० संयंत्र के लिए गैस की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने पूर्वी गोदावरी जिले में जागुरुपाडु (राजामुन्दरी) के निकट गैस आधारित विद्युत संयंत्र के पक्ष में वरीयता प्रदान की है। इस प्रस्ताव की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 का अनुपालन, जल की उपलब्धता, नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति तथा पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति जैसे निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है इस स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के लिए विचार तभी किया जायेगा जब सभी निवेशों को सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध हो जाएगी। अन्य स्कीमों के सम्बन्ध में तभी विचार विचार किया जा सकता है जबकि अतिरिक्त गैस उपलब्ध होगी तथा अन्य आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा।
3.	काकीनाडा (संयुक्त साइकल) 300 मेगा० पूर्वी गोदावरी जिले में गैस आधारित ता० वि० के	
4.	अमालपुरम (3 × 25 मे०वा० चरण-1 + 3 × 100 चरण-2) जिला पूर्वी गोदावरी के निकट गैस आधारित विद्युत संयंत्र	
5.	जागरूपाडु (राजामुन्दरी) जिला पूर्वी गोदावरी के निकट गैस आधारित विद्युत संयंत्र	

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में मजदूरों की भर्ती

[हिन्दी]

1913. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, नागपुर में मजदूरों की नकली भर्ती, जिससे कि बहुत से नियमित मजदूरों की छंटनी की गई है; के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है और साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने, कुछ मजदूर संघों के साथ हुए समझौते के आधार पर, कुछ आकस्मिक मजदूरों को भर्ती किया था। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अध्यक्ष; एस० सी०/एस० टी०/बी० सी० कर्मचारी परिषद के महासचिव; मोहम्मद हनीफ तथा कन्हान क्षेत्र के सात अन्य व्यक्तियों और माजरी ब्रांच की एस० सी०/एस० टी० परिषद के सचिव से, भर्ती किए जाने के मामले में भूतपूर्व आकस्मिक मजदूरों की वरिष्ठता, आयु, दस्तावेजों में प्रतिरूपण के संबंध में अनियमितताओं के आरोपों से सम्बद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं। उपर्युक्त शिकायतें जांच के विभिन्न चरणों के अधीन हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में किसी भी नियमित कामगर की छंटनी नहीं की गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून द्वारा विचारगोष्ठी

1914. **कुमारी उमा भारती** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान केशव देव मालवीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, देहरादून में विज्ञान पर आयोजित विचारगोष्ठियों/सेमिनारों पर आये खर्च का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार इन विचारगोष्ठियों में शोध-पत्र हिन्दी में भी पढ़े गये थे;

(ग) यदि नहीं, तो निर्देशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्रवाई की जाने वाली है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) केशव देव मालवीय इंस्टिट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन द्वारा क्रमश: 1988-89 और 1989-90 में सेमिनार/सम्मेलन पर क्रमश: 20,000 रुपए और 20,241 रुपए खर्च किए गए।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकारी कार्यों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने की नीति के अन्तर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी कागजातों को हिन्दी में लिखने और प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारतीय तेल निगम के कामगारों की मांग

[अनुवाद]

1915. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के कामगारों ने लम्बे समय से चली आ रही अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) पेट्रोलियम कामगार संघ, इंडियन आयल एकक ने 7-12-1990 को निदेशक (विपणन), इंडियन आयल कारपोरेशन को सम्बोधित एक ज्ञापन भेजा है जिसमें निम्न मांगें रखी गई हैं :

(1) कम्प्यूटर समझौते को कार्यान्वित करना।

(2) परिवहन सहायता में वृद्धि करना।

(3) प्रबन्धकों के साथ बैठक में बेहतर पदोन्नति नीति को अन्तिम रूप दिया जाना।

(4) बिना किसी विलम्ब के ग्रेड 1 से 5 के लिए पदोन्नति के आदेश जारी करना।

(5) दीर्घावधिक समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए तत्काल बैठक बुलाना।

पेट्रोलियम कामगार संघ के क्षेत्रीय एकक द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे अखिल भारतीय स्वरूप के हैं और इसलिए इन पर कारपोरेशन में सभी मान्यताप्राप्त संगठनों के मुख्य एककों के साथ अखिल भारतीय बैठक में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

व्हील्स आन व्हील्स

1916. श्री प्रताप सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पैक्ट आफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा बिहार में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना "व्हील्स आन व्हील्स" के बारे में समझौता ज्ञापन को अब अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एक चलता फिरता अस्पताल यूनिट की स्थापना के बारे में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में 12 अक्तूबर, 1990 को इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय) के बीच एक ज्ञापन पर समझौता हुआ था ताकि मौके पर ही निदान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा जैसे उपचार करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दृष्टि, चलने-फिरने और श्रवण संबंधी बीमारियों की रोकथाम की जा सके तथा तत्समय इनका इलाज किया जा सके।

इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए सहमत हुआ था :

(i) पहले-पहल बिहार राज्य में यह प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाएगी। तथापि, दोनों पक्षकारों द्वारा इस प्रायोगिक परियोजना का समुचित मूल्यांकन करने के बाद, इस तरह की परियोजनाओं को अन्य राज्यों में शुरू करने के बारे में यथा समय विचार किया जाए।

(ii) इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा इस प्रायोगिक परियोजना पर विशेष तौर पर उपलब्ध कराई गई सुविधाएं बिहार राज्य में रेल मंत्रालय में कार्यरत कार्यकारी निदेशक (कोचिंग) द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए स्टेशनों तक सीमित होंगी और बाद में, ऊपर उल्लिखित समुचित मूल्यांकन करने तथा बिहार में इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद इस तरह की परियोजनाएं अन्य राज्यों में शुरू की जायेंगी, जो रेलों की बड़ी रेल प्रणाली से संबद्ध होंगी।

(iii) इस ज्ञापन पर समझौता होने की तारीख से एक महीने के भीतर रेल मंत्रालय द्वारा चल स्टाक (बड़ी लाइन के सवारी डिब्बे) के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए विशिष्टियां और अन्य तकनीकी ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए।

(iv) चल स्टाक के ढांचे में अपेक्षित परिवर्तन करने और उन्हें परिसज्जित करने के कार्य पर होने वाले सभी खर्च की लागत वहन करने के लिए।

(v) भूतल से डिब्बे तक रोगी को ले जाने के लिए हाइड्रॉलिक उत्थापन सहित सभी सहायक प्रबन्धों, बिजली, पानी/सफाई और अन्य आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च की लागत वहन करने के लिए।

(vi) कोचिंग सेवाओं के परिचालन अनुरक्षण/मरम्मत पर आने वाले खर्च की 50% लागत वहन करने के लिए जिसके बारे में रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर बताया जाएगा और उस राशि का इम्पैक्ट इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा अविलम्ब भुगतान किया जाएगा।

(vii) जनित्र सेटों, चिकित्सा उपकरणों और विभिन्न उपकरणों सहित सभी सहायक उपकरणों की समूची लागत वहन करने के लिए।

(viii) चलते-फिरते अस्पताल को चलाने में सामाजिक, तकनीकी और चिकित्सा संबंधी कार्य करने के लिए।

रेल मंत्रालय निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए सहमत हुआ था :

(i) ढांचे में परिवर्तन करने के बाद इम्पैक्ट इंडिया फाउण्डेशन के उपयोग के लिए साधारण किस्म के बड़ी लाइन के तीन सवारी डिब्बे देने के लिए।

(ii) इम्पैक्ट इंडिया फाउण्डेशन द्वारा इन डिब्बों के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए पेश किये गये ब्यौरे की प्रति को तारीख से दो महीनों के भीतर ऊपर उल्लिखित बड़ी लाइन के डिब्बों के ढांचे में परिवर्तन करने पर आने वाली लागत का अनुमान तैयार करने के लिए ढांचे परिवर्तन के कार्य पर आने वाली लागत छोड़ी नहीं जायेगी।

(iii) इम्पैक्ट इंडिया फाउण्डेशन से पूरी लागत तथा संगत उपकरण (यदि कोई होगा) प्राप्त हो जाने के बाद ही डिब्बे के ढांचे परिवर्तन का कार्य शुरू किया जाएगा और इसकी लागत के प्राप्त होने से छः महीनों के भीतर यह कार्य पूरा किया जाएगा।

(iv) डीजल अनित्र सेटों की लागत का अनुमान देने के लिए जो इम्पैक्ट इण्डिया फाउण्डेशन से इन सेटों को लागत प्राप्त हो जाने के बाद उसे दिए जाएंगे।

(v) बहुत ही विशेष मामले के रूप में, कोचिंग सेवाओं के परिचालन और अनुरक्षण के लिए 50% की लागत वसूल करने के लिए।

(vi) रेल मंत्रालय में कार्यरत कार्यकारी निदेशक (कोचिंग) के माध्यम से उन स्टेशनों का उल्लेख करने के लिए जहां ज्ञापन में यथा निर्धारित उपर्युक्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

(vii) इम्पैक्ट इण्डिया फाउण्डेशन से लागत प्राप्त हो जाने के बाद उसके द्वारा अनुरोध किये जाने पर कोई सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयास करने के लिए।

(viii) परिचालनिक दृष्टि से सुविधाजनक पाए जाने पर इम्पैक्ट इण्डिया फाउंडेशन की इच्छानुसार सुविधाजनक गाड़ियों के साथ इन डिब्बों को चलाने हेतु प्रयास करने के लिए लेकिन किसी प्रकार की गड़बड़ी, बाधा अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप हुए किसी विलम्ब के लिए रेल मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होगा।

अमृतसर लोकोमोटिव वर्कशाप के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधाएं

1917. श्री कृपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अमृतसर लोकोमोटिव वर्कशाप में 30-10-43 से 28-10-73 के बीच सेवा में रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रेलवे पास की सुविधा नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मात्र 89/- रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं जबकि भारत सरकार में न्यूनतम पेंशन दर 375/-रु० प्रतिमाह है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन सेवानिवृत्त रेलवे पेंशनरों को 375/-रुपये की न्यूनतम पेंशन और रेलवे पास की सुविधा देने का है?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अनुसार सेवा उपरांत मानार्थ पास उन सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को दिए जाते हैं जो अपेक्षित न्यूनतम रेल सेवा पूरी करने के बाद सेवा निवृत्त होते हैं। उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जिन्होंने यह न्यूनतम अर्हक रेल रेल सेवा पूरी नहीं की थी, रेलवे पास नहीं दिए गए थे। ऐसे कर्मचारियों की संख्या का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पेंशन स्थापना के खाते में इस प्रकार का कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है जिसे प्रति माह 89/-रुपये पेंशन मिलती हो।

(ङ) पेंशन स्थापना के खाते में उल्लिखित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 1-1-86 से बढ़ाकर पहले ही 375/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सेवानिवृत्त जो रेल कर्मचारी पास की

पात्रता के लिए न्यूनतम रेल सेवा की शर्त पूरी नहीं करते हैं उन्हें सेवा उपरांत मानार्थ पास देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी

[हिन्दी]

1918. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) इस गाड़ी में पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) यह गाड़ी साप्ताहिक/मासिक रूप से किस निश्चित रूट पर चलाई जाती है और किन-किन पर्यटक स्थलों से होकर गुजरती है तथा प्रत्येक स्थल पर यह कितनी देर रुकती है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस गाड़ी से देश विदेश के कुल कितने पर्यटकों ने यात्रा की और प्रत्येक वर्ष उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ङ) क्या अजमेर (राजस्थान) में इस गाड़ी के रुकने की व्यवस्था करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी पूर्ववर्ती महाराजाओं सैलूनों को मिलाकर बनाई गई है, जिनका 1981-82 में 49.44 लाख रुपये की लागत से नवीकरण/पुनसंज्जीकरण किया गया था।

(ख) इस गाड़ी में पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं में दो/चार शायिका वाले केबिनों में सोने के स्थान, एक विश्राम कक्ष, प्रत्येक सैलून में एक छोटी रसोई, स्नानागारों में गर्म तथा ठंडे पानी का उपलब्ध होना, एक पुस्तकालय, एक छोटा बार, प्राथमिक उपचार, एक भोजन कक्ष आदि शामिल हैं।

(ग) "पैलेस आन व्हील्स" एक साप्ताहिक गाड़ी है जो अक्तूबर से मार्च तक प्रत्येक बुधवार को दिल्ली कैंट से रवाना होती है और यह जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-जसैलमेर-जोधपुर-भरतपुर-आगरा होकर गुजरती है और वापस दिल्ली कैंट आती है। पर्यटकों को भरतपुर से सड़क द्वारा फतेहपुर सिकरी भी ले जाया जाता है। दर्शनीय स्थलों के कार्यक्रमों की आवश्यकता के आधार पर ठहराव समय-2 घंटे तक अलग-अलग होता है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या तथा शुद्ध आमदनी निम्न प्रकार है :

	1987-88	1988-89	1989-90
पर्यटकों की संख्या	1747	2212	2282
आमदनी (लाख रुपयों में)	148.73	199.17	246.16

(ङ) जी, नहीं।

(च) गाड़ी के साप्ताहिक यात्राक्रम में अजमेर में ठहराव देना व्यावहारिक नहीं है।

कंटेनर डिपुओं और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों का गैर-सरकारीकरण

[अनुवाद]

1919. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक :**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंटेनर डिपुओं और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों का गैर सरकारीकरण करने का है;

(ख) क्या इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जाने में अधिक कठिनाई आड़े आती है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) कंटेनरीकरण के विकास में तेजी लाने और लागत को सार्थक बनाने के आधार पर बहुआयामी परिवहन सेवाओं के विकास को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं और कंटेनर माल स्टेशनों में निजी क्षेत्र के सहयोग की समय-समय पर जांच की गई है। जबकि कुछ निर्यात कार्गो एकत्रीकरण केन्द्र और कंटेनर माल स्टेशन, निजी क्षेत्रों द्वारा परिचालित किए जा रहे हैं, सभी मौजूदा अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो सरकारी एजेंसी द्वारा परिचालित किए जाते हैं और उनके स्वामित्वाधीन होते हैं। लेकिन, कार्गो की सम्हलाई और उसका परिवहन जैसे कतिपय विशिष्ट कार्य वाणिज्यिक आधार पर निजी क्षेत्र की एजेंसियों को ठेके पर दिए जा रहे हैं।

बिहार से कोयले का निर्यात

[हिन्दी]

1920. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बिहार से कितनी मात्रा में कोयले और कोयले के अन्य उप-उत्पादों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या बिहार से कोयले का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विश्व बैंक से भारतीय रेलवे को सहायता

[अनुवाद]

1921. **श्री आर० गुंडू राव :**

श्री गोपी नाथ गजपति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ वर्षों में विश्व बैंक की सहायता से रेल प्रणाली को विस्तृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता की आशा है;

(ग) इस सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ हुए समझौते की क्या शर्तें हैं; और

(घ) इस सहायता से रेल लाइनों/परियोजनाओं को किस सीमा तक बेहतर बनाया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) आगामी कुछ वर्षों में रेल प्रणाली के विस्तार के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहरहाल, चल स्टाक के उन्नयन के लिए एक मिशन ने हाल ही में एक परियोजना की पहचान की है।

पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे विमान चलाना

[हिन्दी]

1922. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे "रनवे" के कारण बड़े विमानों को उड़ान भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे "रनवे" के लिए उपयुक्त छोटे विमान चलाने का है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की कठिनाई और इस प्रकार के परिचालनों की आर्थिक साध्यता को दृष्टि में रखकर इस प्रकार के विमानों को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केरल में तिरूकारिपुर विद्युत संयन्त्र की स्थापना

[अनुवाद]

1923. **श्री रमेश चेन्नीथला** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तिरूकारिपुर में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस परियोजना पर कब तक काम शुरू करने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) और (ख) केरल में त्रिक्करीपुर में चरण-1 में 2×210 मे० वा० ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट केरल राज्य विद्युत बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सितम्बर, 89 में प्राप्त हुई थी। राज्य प्राधिकारियों से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए इस स्कीम पर विचार कर सकने से पूर्व दक्षिणी नौसेना कमान से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कहा गया है। केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में त्रिक्करीपुर में 3000 मे०वा० की अधिकतम क्षमता के साथ एक ताप विद्युत केन्द्र का प्रस्ताव किया गया है स्थल के चयन के

लिए नियुक्त एक दल ने न तो राज्य क्षेत्र में अथवा न ही केन्द्रीय क्षेत्र में 8वीं योजना अवधि में लाभ प्राप्त करने के लिए मालाबार, केरल में एक ताप विद्युत संयंत्र के स्थल का सुझाव दिया है।

गुजरात में पवन ऊर्जा का उपयोग

1924. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन चक्कियों की सहायता से बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में हाल में किया गया परीक्षण सफल सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश के अन्य भागों में भी इस प्रणाली को अपनाने का विचार है; और

(ग) इस समय देश में बिजली पैदा करने के लिए ऊर्जा के अन्य किन-किन गैर परम्परागत स्रोतों को प्रयोग में लाया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) जी हां। देश में स्थापित कुल पवन विद्युत क्षमता 34 मेगावाट है। इसमें गुजरात सहित 7 राज्यों में स्थापित 31.4 मेगावाट की कुल क्षमता की 12 पवन फार्म परियोजनाओं से विद्युत का संचयी उत्पादन 6.1 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। गुजरात में कुल संस्थापित क्षमता 14 मेगावाट है और लगभग 2 करोड़ यूनिट विद्युत राज्य ग्रिड को दी जा चुकी है। प्रदर्शन परियोजनाओं से यह पता चला है कि पवन विद्युत का उत्पादन व्यवहार्य है इसे लगाने तथा कमीशन करने में कम समय लगता है और यह परम्परागत विद्युत की अनुपूर्ति कर सकती है।

(ग) देश के विभिन्न भागों में विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय और बायोमास ऊर्जा रूपान्तरण पर आधारित प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है सौर तापीय ऊर्जा और कृषि अपशिष्टों पर आधारित प्रयोगात्मक विद्युत संयन्त्र भी शुरू किए गए हैं।

गुवाहाटी से तिनसुकिया के लिए रेल लाइन

[हिन्दी]

1925. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी से तिनसुकिया के लिए बड़ी रेल लाइन के निर्माण की कोई मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध से क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी हां।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण योजना आयोग इस परियोजना को फिलहाल शुरू करने के लिए सहमत नहीं है।

[अनुवाद]

गाजियाबाद रेल टर्मिनल

1926. **श्री के० सी० त्यागी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गाजियाबाद में एक रेल टर्मिनल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बना दिये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठा।

बिहार में कटिहार में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

1927. श्री युवराज : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कटिहार में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) बिहार में कटिहार में एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

"रेलवे में ग्रुप ए" अधिकारी

[अनुवाद]

1928. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे में ग्रुप "ए" अधिकारियों की श्रेणी-वार, विभाग-वार और जोनवार कुल संख्या कितनी है और अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन, रेलवे बोर्ड और अन्य एककों में उनकी संख्या कितनी-कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगत चरण दास) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जालन्धर और जालन्धर केन्ट के बीच उपरिपुल

1929. श्री कमल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्ट रेलवे स्टेशन के निकट रामा मन्डी चौक के पास स्थित रेलवे फाटक के बदले होशियारपुर को जाने वाली सड़क पर जालन्धर और जालन्धर कैंट रेलवे स्टेशनों के बीच मुख्य रेलवे लाइन पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यह निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) कुछ वर्ष पहले सरकार ने ऊपरी सड़क पुल के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन उसने अभी तक न तो कार्य के लिए इस योजना को अन्तिम रूप दिया है, न ही प्राथमिकता प्रदान की है और न ही निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए इसे रेलवे को प्रायोजित किया है।

लघु उद्योग क्षेत्र को मूल्य अधिमान

1930. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया फार्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि निपटान और पूर्ति महानिदेशालय सरकारी खरीद में लघु उद्योग क्षेत्र को 15 प्रतिशत मूल्य अधिमान दिए जाने के सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति की समीक्षा

1931. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा के उपयोग, बचत तथा ऊर्जा उत्पादन के सभी सम्बन्धित मामलों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और इसके कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कदाचार और ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने के लिए विस्तृत अध्ययन हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) एवं (ख) पंचवर्षीय योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करते समय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा के युक्तियुक्त एवं दक्ष उपयोग सहित ऊर्जा नीति की समीक्षा की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय वर्तमान ऊर्जा स्थिति की विविधताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिलाबाद को दिल्ली-नागपुर रेल मार्ग से जोड़ना

1932. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिलाबाद से दिल्ली-नागपुर मुख्य लाइन तक पिप्पलकोटी और बाम से होते हुए बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आदिलाबाद और पिंपलकुट्टी के बीच नई लाइन का अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ख) 1990-91 के दौरान इस परियोजना के लिए 4.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

(ग) इस कार्य के पूरा होने का लक्ष्य 1991-92 के दौरान रखा गया है ।

रेलवे वर्कशाप, बरेली में कंकरीट स्लीपरों का निर्माण

[हिन्दी]

1931. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे स्लीपर डिपो, बरेली में घटते हुए उत्पादन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कंकरीट के स्लीपरों का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नहीं । मीटर लाइन के कंक्रीट स्लीपरों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में एक फैक्टरी की स्थापना उसी परिसर में पहले ही जा चुकी है और यह उत्पादन कर रही है ।

(घ) रेलों के पास संसाधनों की सीमितता को देखते हुए नीति के तौर पर कंक्रीट स्लीपरों के लिए इस समय कोई विभागीय फैक्ट्री स्थापित नहीं की जा रही है ।

नासिक में गीतान्जलि और पुष्पक रेलगाड़ियों का रुकना

[अनुवाद]

1934. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर गीतान्जलि और पुष्पक (लखनऊ) रेलगाड़ियों के "स्टापेज" की व्यवस्था करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच की गई थी लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

रेलवे आरक्षण फार्मों का मुद्रण

1935. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों, विशेषकर कर्नाटक में रेलवे आरक्षण फार्म क्षेत्रीय भाषा में छापे जाते हैं;

(ख) क्या इन फार्मों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में छापने की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) रेल आरक्षण फार्म अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किये जाते हैं। बहरहाल, दक्षिण रेलवे पर आरक्षण फार्म हिन्दी, और अंग्रेजी में मुद्रित किये जाते हैं और क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में वे अलग से मुद्रित किये जाते हैं।

क्षय रोग-रोधी औषधियों के उत्पादन के लिए औषधियों के इन्टरमीडियेट आयात करना

1835. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग-रोधी औषधियों के उत्पादन के लिए किन-किन औषधि इन्टरमीडियेटों का आयात किया जाता है;

(ख) इन औषधियो के इन्टरमीडियेट के लिए सीमा शुल्क में असंगतता होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस असंगतता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) यक्ष्मा-रोधी औषधों के विनिर्माण के लिए 3 फारमाइल रिफेम्पिसिन एस वी, रिफेम्पिसिन एस, 2-साइनोपाइरेजोन, डी एल-2, एमिनोब्यूटानोल आदि मुख्य आयातित औषध मध्यवर्ती हैं।

(ख) और (ग) देश में मूलावस्था से प्रपुंज औषध के उत्पादन के विकास के आधार पर मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क विभिन्न स्तरों पर लगाया गया है। शुल्क के स्तर के प्रश्न पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है।

विमानों को सफदरजंग हवाई अड्डे पर उतारना

1837. **श्री मानू सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लाइंग क्लबों/सामान्य विमानन/राज्य सरकार के उन विमानों को जिनमें अति महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होते हैं, को सफदरजंग हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सफदरजंग हवाई अड्डे पर प्रशिक्षु पायलटों द्वारा सामान्य उड़ान की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) सुरक्षा कारणों से।

(ग) और (घ) सुरक्षा अपेक्षाओं के कारण इस समय प्रतिबन्ध में ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत परियोजनाएं

1938. श्री ओ० एम० बनातवाला :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का मूल लक्ष्य कितना है और क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत के लिए कितनी राशि आवंटित करने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) से (ग) करीब 38,000 मेगावाट के क्षमता संवर्धन, जैसाकि विद्युत विभाग द्वारा अनुशंसित है, के आधार पर आठवीं योजना के अन्त तक कुल 411586 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन करने की प्रत्याशा की गई है। तथापि, आठवीं योजना को अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना है और इसलिये विद्युत क्षेत्र के लिए आवंटित की जाने वाली राशि, जोड़ी जाने वाली क्षमता एवं क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में इस स्तर पर, निश्चय नहीं किया जा सकता है।

उड़ीसा में पेट्रोल में पम्पों पर मारे गए छापे

1939. **श्री अनादि चरण दास :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में अपमिश्रण के लिए कितने पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे गये तथा इस संबंध में कितने नमूने एकत्रित किये गये;

(ख) कितने नमूने लिए गए तथा उन प्रयोगशालाओं का ब्योरा क्या है जहां इन नमूनों का परीक्षण किया गया और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा कितने व्यक्तियों को आरोप मुक्त किया गया है; और

(घ) क्या इस संबंध में उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु नियमों को और अधिक कारगर बनाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंकलेश्वर (गुजरात) में गैस भण्डार

[हिन्दी]

1940. **श्री चन्दूभाई देशमुख :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर (गुजरात) में अधिक मात्रा में तेल भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस गैस को उसी क्षेत्र की जनता को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब से और उसकी दर क्या होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) अंकलेश्वर क्षेत्र 1961 से तेल और गैस का उत्पादन कर रहा है। अंकलेश्वर क्षेत्र में 2671 बिलियन घन मीटर गैस का शेष प्राप्तियोग्य भण्डार स्थापित हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्राकृतिक गैस का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और, उ० पू० क्षेत्र के अतिरिक्त जहां मूल्य में छूट दी जाती है, यह समूचे देश में समान होता है। सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्राइसिंग रिजिम में निर्दिष्ट दरों पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है और की जाएगी।

कोयले पर रायल्टी

1941. **श्री लोकेन्द्र सिंह :**

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कोयले की रायल्टी दरों में पिछली बार वृद्धि कब की गई थी;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक तीन वर्ष बाद रायल्टी दरों में वृद्धि करती है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों से रायल्टी दरों में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) मध्य प्रदेश में उत्पादित कोयले का वर्ष 1981 में ग्रेड-वार बिक्री मूल्य क्या था और इसके बिक्री मूल्य में हुई वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) 1957 से पहले "पिट हैड" पर कोयले के बिक्री मूल्य पर रायल्टी की प्रतिशतता कितनी थी और इस समय यह प्रतिशतता कितनी है; और

(च) कोयले की रायल्टी दरों में कब तक वृद्धि की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्षों में एक बार कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने की व्यवस्था है। रायल्टी की दरें पिछली बार 13-2-1981 से संशोधित की गई थी। इसके बाद रायल्टी की दरों में संशोधन कुछ राज्य सरकारों द्वारा कोयले पर बहुत अधिक उपकर/लेवी लगाए जाने से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए नहीं किया जा सका।

(घ) मध्य प्रदेश में वर्ष 1981 तथा वर्ष 1991 की अवधि के दौरान उत्खनन किए गए कोयले की ग्रेड-वार मूल कीमत संलग्न विवरण-I दी गई है।

(ङ) कोयले की वर्ष 1971 (उपलब्धता के अनुसार) तथा वर्ष 1991 की बिक्री कीमत पर रायल्टी की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में बाह्य समय सीमा निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत रायल्टी की दरों में संशोधन किया जा सके।

विवरण-I

वर्ष 1981 तथा वर्ष 1991 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में उत्खनन किए गए कोयले की ग्रेडवार मूल कीमत

ग्रेड	वर्ष 1981 में कोयले की पी० टी० मूल कीमत			वर्ष 1990 में मूल कीमत (1-1-89 से प्रभावी)		
	स्टीम	स्लैक	आर०ओ०एम०	स्टीम	स्लैक	आर०ओ०एम०
अर्द्ध कोककर						
ग्रेड-I	178	117	175	480	473	470
ग्रेड-II	169	168	166	400	393	390
अकोककर कोयला						
ग्रेड-ए	168	167	165	409	402	399
ग्रेड-बी	158	157	155	374	367	364
ग्रेड-सी	141	140	138	328	321	318
ग्रेड-डी	123	122	120	262	255	252
ग्रेड-ई	102	101	99	210	203	200
ग्रेड-एफ	78	77	75	170	163	160
ग्रेड-जी	51	50	48	124	117	114
लम्बी प्रज्वलन का अकोककर कोयला						
ग्रेड-ए	—	—	—	434	427	424
ग्रेड-बी	—	—	—	399	392	389
ग्रेड-सी	—	—	—	353	346	343
ग्रेड-डी	—	—	—	287	280	277

विवरण-II

वर्ष 1971 और 1991 की अवधि के दौरान कोयले की कीमतों की तुलना में रायल्टी की प्रतिशतता।

1971 में

ग्रेड	एफ०ओ०आर० कीमतें (रु० में)	रायल्टी की दर (रु० में)	एफ० ओ०आर० कीमत की प्रतिशतता
चुनिंदा ग्रेड	38.50	1.90	4.94%
ग्रेड-1	36.06	1.75	4.85%
ग्रेड-II और III	34.03	1.70	5.00%

1991 में

ग्रेड	1990 में मूल कीमत स्टीम	स्लैक	आर० ओ० एम०	रायल्टी प्रति टन	मूल कीमत पर रायल्टी की प्रतिशतता स्टीम	स्लैक	आर० ओ० एम०
ग्रेड-I	480	473	470	6.50	1.35	1.37	1.38
ग्रेड-II	400	393	390	6.50	1.62	1.65	1.66
अकोककर कोयला							
ग्रेड-ए	409	402	399	6.50	1.59	1.61	1.63
ग्रेड-बी	374	367	364	6.50	1.74	1.77	1.79
ग्रेड-सी	328	321	318	5.50	1.68	1.71	1.73
ग्रेड-डी	262	255	252	4.30	1.64	1.69	1.71
ग्रेड-ई	210	203	200	4.30	2.05	2.12	2.15
ग्रेड-एफ	170	163	160	2.50	1.47	1.53	1.56
ग्रेड-जी	124	117	114	2.50	2.02	2.14	2.19
लम्बी प्रज्वलन वाला कोयला							
ग्रेड-ए	434	427	424	6.50	1.50	1.52	1.53
ग्रेड-बी	399	392	389	6.50	1.63	1.66	1.67
ग्रेड-सी	353	346	343	5.50	1.56	1.59	1.60
ग्रेड-डी	287	280	277	4.30	1.50	1.54	1.55

कोल्हापुर में डिस्पेंसरी

[अनुवाद]

1942. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल्हापुर में रेलवे डिस्पेंसरी में पूर्णकालिक डाक्टर और नर्सिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कोल्हापुर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती करने तथा रेलवे कर्मचारियों के लाभार्थ डिस्पेंसरी के उचित रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) कोल्हापुर में एक लाक-अप डिस्पेंसरी है। चिकित्सा अधिकारी, मिरज अपेक्षित परा-चिकित्सा कर्मचारी सहित रेलवे मरीजों को देखने के लिए सप्ताह में दो बार कोल्हापुर डिस्पेंसरी में आते हैं। कोल्हापुर में किसी भी आपातकाल के लिए एक सिविल अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह रेल गाड़ियों द्वारा मिरज से भी भली-भांति जुड़ा हुआ है। जहां एक पूर्ण रेलवे स्वास्थ्य यूनिट है। कोल्हापुर डिस्पेंसरी में पूर्णकालिक डाक्टर और अन्य परा-चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती का फिलहाल औचित्य नहीं है।

मुम्बई से दिल्ली तक नयी राजधानी एक्सप्रेस चलाना

1943. **श्री काशीराम राणा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरत में रुकने वाली मुम्बई से दिल्ली तक एक नयी राजधानी एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चोलन एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार का प्रावधान

1944. **श्री एस० सिंगरावडीवेल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में तंजावुर और मद्रास में बीच मुख्य मार्ग पर लम्बी दूरी तक चलने वाली किसी भी गाड़ी में वातानुकूलन व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या चोलन एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार तथा रामेश्वरम एक्सप्रेस में वातानुकूलित दो टियर डिब्बे के प्रावधान की मांग की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चोलन एक्सप्रेस में वातानुकूल कुर्सीयान की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, कार्यक्रम बद्ध आधार पर वातानुकूल शयनयान की व्यवस्था की जा रही है।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल पम्पों तथा गैस एजेंसियों का आवंटन

[हिन्दी]

1945. **श्री राघवजी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिरोह जिलों में किन स्थानों पर डीजल और पेट्रोल की खुदरा दुकानें खोलने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं, तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलिय और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) स्थानीय मांग, संसद सदस्यों/विधायकों और राज्य सरकार के निकायों आदि से प्राप्त आग्रहों के अलावे अन्य बातों के साथ-साथ तेल उद्योग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में निम्नलिखित स्थानों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना के लिए निर्दिष्ट किया गया है :

जिला	स्थान
विदिशा	विदिशा, मंडीदीप, लतेरी, नतेरन, टाइपंजा, मलखामोदा और महानीम कासिंग।
रायसेन	सिरंज, सांची और नक्तोर।
सीहोर	बिलकिसगंज।

ये चालू होने के पूर्व के विभिन्न चरणों में हैं।

तमिलनाडु को मिट्टी के तेल का आबंटन

[अनुवाद]

1946. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून से दिसम्बर, 1990 तक प्रति माह तमिलनाडु को कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आबंटित किया गया;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से इस कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया था; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जून-दिसम्बर, 1990 के बीच तमिलनाडु को आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा निम्नलिखित है :

(आंकड़ा टनों में)

महीना	आबंटन
जून, 1990	51028
जुलाई, 1990	53464
अगस्त, 1990	53464
सितम्बर, 1990	53464
अक्तूबर, 1990	53464
नवम्बर, 1990	59578
दिसम्बर, 1990	58929

(ख) से (घ) तमिलनाडु के लिए एस० के० ओ० के कोटा में वृद्धि करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अन्तिम अनुरोध नवम्बर, 1990 में प्राप्त हुआ था। भुगतान सन्तुलन की समस्या के कारण जिसका देश सामना कर रहा है, जून-दिसम्बर, 1990 के दौरान तमिलनाडु के लिए एस० के० ओ० के आबंटन में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

बंगलौर में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1947. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर में अक्तूबर, 1990 के अन्त तक की स्थिति अनुसार रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों का नाम पंजीकृत था;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक नये कनेक्शन दिये गये हैं और प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को किस वर्ष तक रसोई गैस के कनेक्शन दे दिये जायेंगे, और

(ग) सरकार ने प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को रसोई गैस के कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) 31-10-1990 को बंगलौर शहर में कुल लगभग 2.91 व्यक्तियों को एल०पी०जी० कनेक्शन दिये गये। वितरकों के पास लगभग 89000 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं और वे प्रतीक्षा सूची में हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के मामले में बंगलौर शहर में प्रतीक्षा सूची 1987 से लम्बित है और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के मामले में प्रतीक्षा सूची 1988 से लम्बित है।

(ग) नये एल० पी० जी० कनेक्शन देशभर में उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के तहत एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। इसकी उपलब्धता को बढ़े हुए उत्पादन और आयात द्वारा और बढ़ाया जा रहा है।

टिकटों की बिक्री

[हिन्दी]

1948. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री से होने वाली आय में निरन्तर रूप से गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो 30 अक्तूबर, 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई उक्त आय का ब्यौरा क्या है और कितना घाटा हुआ; और

(ग) घाटे के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री से होने वाली आमदनी के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

कन्याकुमारी से सीधी रेलगाड़ियां

[अनुवाद]

1949. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी से देश के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए सीधी और अधिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नीलांचल एक्सप्रेस को जलेश्वर रेलवे स्टेशन पर रोकना

1950. **श्री समरेन्द्र कुण्डू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलांचल एक्सप्रेस को जलेश्वर रेलवे स्टेशन पर रोकने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जांच की गयी है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

इम्फाल विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं और दिल्ली से इम्फाल तक विमान सेवा को पुनः प्रारम्भ करना

1951. **प्रो० विजिनलण कामसन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल (मणिपुर) के विमान पत्तन पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या दिल्ली और इम्फाल के बीच इण्डियन एयरलाइन्स की पहले चल रही सीधी विमान सेवा को जनहित में पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) इम्फाल हवाई अड्डे पर अति उच्च घनत्व धावनपथ प्रकाश व्यवस्था, टैक्सीपथ और पहुंच प्रकाश व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स 16-12-1990 से दिल्ली/बागडोगरा/गुवाहाटी/इम्फाल मार्ग पर सप्ताह में तीन बी-737 सेवा परिचालन कर रही है।

उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा नई रेलगाड़ियां चलाना

[हिन्दी]

1952. श्री जनार्दन तिवारी :

प्रो० महादेव शिवनकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में कौन-कौन सी नई रेलगाड़ियां आरम्भ की गई हैं और निकट भविष्य में कौन-कौन सी आरंभ करने का विचार है तथा वे किन मार्गों पर चलाई जाएंगी और कौन-कौन सी रेलगाड़ियों के रूट बदल दिए गए हैं या बदलने का विचार है; और

(ख) बनारस-बलिया होते हुए दिल्ली से सीधे छपरा तक के लिए कब तक रेलगाड़ी आरम्भ करने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले 3 महीनों के दौरान, दो गाड़ियां, यथा 2401/2402 नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस और 2403/2404 कानपुर-वाराणसी श्रमिक एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की गई हैं और एक गाड़ी यथा 4017/4018 ऊंचाहार एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र नयी दिल्ली से अम्बाला कैंट तक बढ़ा दिया गया है। पिछले 3 महीनों के दौरान कोई मार्ग परिवर्तन नहीं किया गया है। नई गाड़ियां चलाना और मार्ग परिवर्तन करना आदि सतत प्रक्रिया है जो परिचालन की व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात के औचित्य पर निर्भर करता है।

(ख) दिल्ली और छपरा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशाखापत्तनम के लिए विमान सेवाओं को पुन: आरम्भ करना

[अनुवाद]

1953. डा० विश्वनाथन : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस ए-320 की सेवाएं पुन: चालू किए जाने के बाद दिल्ली से विशाखापत्तनम की सीधी विमान सेवा पुन: चालू कर दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखकर वर्तमान मार्ग दिल्ली-रायपुर, विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर को विशाखापत्तनम से होकर करने के वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(घ) क्या इसको राजधानी के साथ सीधी विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (घ) क्योंकि ए-320 विमानों को पुन: उड़ान में लगाने में काफी महीने लगेंगे इसलिये इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच एक सेवा चलाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

राजकोट-वेरावल रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1954. श्री ओ० के० शेखड़ा :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट-वेरावल की मीटर रेलवे लाइन को आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू किया जायेगा; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं। यह कार्य संसाधनों की तंगी के कारण आठवीं योजना के पहले वर्ष में स्वीकृत नहीं किया जा सका।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुक स्टालों का आवंटन

1955. श्री रामगंगल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 दिसम्बर, 1973 को पत्र संख्या 73-टी० जी०-III/461/9/आई० एम० पी० जारी करने के समय बेरोजगार स्नातकों और उनकी श्रेणी के लोगों के लिए प्रत्येक जोन में बुक स्टाल आवंटित करने के लिए कितने रेलवे स्टेशनों को खाली घोषित किया गया था;

(ख) इन स्टेशनों के नाम क्या हैं तथा जोन-वार किन पार्टियों को बुक स्टाल आवंटित किए गए थे; और

(ग) प्रत्येक जोन में कौन-कौन से स्टेशन अभी खाली पड़े हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जामनगर में रसोई गैस के कनेक्शन

1956. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर जिले में गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) वहां पर रसोई गैस का कनेक्शन लेने के इच्छुक कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) वहां रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) जामनगर में प्रत्येक स्थान में रसोई गैस के कनैक्शन देने की भावी योजना क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (दिसम्बर, 1987 से नवम्बर, 1990 तक) गुजरात के जामनगर जिले में लगभग 9,700 नए एल० पी० जी० कनैक्शन दिए गए हैं।

(ख) दिनांक 30 नवम्बर, 1990 को जामनगर जिले में एल०पी०जी० के नए कनैक्शन देने के लिए लगभग 10,900 व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में थे।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में एल०पी०जी० के नए कनैक्शन जारी किए जाते हैं बशर्ते कि एल०पी०जी० उपलब्ध हो। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से उन शहरों/कस्बों में एल०पी०जी० की सुविधा प्रदान की जा रही है जहां की आबादी 20,000 और इससे अधिक है जिससे व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप की सम्भावना बनती है बशर्ते कि कुल मिला कर उत्पाद उपलब्ध हो। तथापि, हाल ही के खाड़ी संकट, उत्पाद की उपलब्धता में कमी और पिछले आर्डरों के संचय की दृष्टि से, जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक नए कनैक्शनों को रोक दिया गया है।

पेट्रोल/डीजल पम्पों का आबंटन

1957. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 को देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या क्या थी;

(ख) इनका कंपनीवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों को कितने-कितने बिक्री केन्द्र आबंटित हैं;

(घ) बेरोजगार स्नातकों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों या अन्य विशेष समूह के लोगों को कितने-कितने पम्प आबंटित हैं;

(ङ) वर्ष 1990-91 के लिए कितने पम्प देने की योजना है; और

(च) इनका राज्यवार तथा वर्गवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के डीलरों को दिए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र (डीजल/पेट्रोल) के सम्बन्ध में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ङ) और (च) वर्ष 1990-91 के लिए नियोजित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

1-4-1990 के अनुसार राज्य और श्रेणीवार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की संख्या

राज्य	एम०सी	एम०टी०	यू०जी०/ यू०ई०जी०	पी०एच०	एफ०एफ०	डी०सी०/ डी०डी०पी०	डी०पी०	ओ०टी० एच०	योग
आन्ध्र प्रदेश	60	13	58	32	9	11	994	4	1181
अरुणाचल प्रदेश	—	20	—	—	—	—	6	—	26
असम	7	15	9	8	3	3	268	2	315
बिहार	40	12	65	33	8	4	725	5	892
गोआ	2	1	1	—	1	—	58	—	63
गुजरात	29	25	40	22	6	5	812	9	948
हरियाणा	33	—	19	16	3	4	406	1	482
हिमाचल प्रदेश	8	—	6	4	1	—	56	—	75
जम्मू और कश्मीर	3	—	5	4	—	4	98	1	115
कर्नाटक	43	2	51	20	5	7	783	4	915
केरल	27	1	23	17	4	5	611	2	690
मध्य प्रदेश	14	15	41	13	3	7	745	3	841
महाराष्ट्र	32	24	51	28	4	18	1306	26	1489
मणिपुर	—	10	3	1	—	1	11	—	26
मेघालय	—	21	—	1	—	—	24	—	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मिजोरम	—	6	—	—	—	—	6	—	12
नागालैंड	—	8	—	—	—	—	16	—	24
उड़ीसा	15	14	24	7	—	2	252	2	316
पंजाब	54	—	41	17	4	8	814	2	940
राजस्थान	49	29	52	31	10	3	690	4	868
सिक्किम	—	1	1	—	—	—	7	—	9
तमिलनाडु	105	3	77	39	11	10	1141	8	1394
त्रिपुरा	—	3	—	—	—	—	25	—	28
उत्तर प्रदेश	93	—	74	41	16	14	1569	13	1820
पश्चिम बंगाल	58	5	62	22	1	13	811	8	981
संघ राज्य क्षेत्र									
अंडमान निकोबार	—	—	—	—	—	—	2	1	3
चंडीगढ़	1	—	—	—	—	—	16	1	18
दादर और नागर हवेली	—	1	—	—	—	—	2	1	3
दमन और द्वीप	—	—	—	—	—	—	4	—	4
दिल्ली	3	—	12	—	—	16	198	5	234
पांडिचेरी	4	—	1	1	—	—	19	—	25
योग :	680	229	716	357	89	135	12475	102	14783

विवरण-II

राज्य	1-4-1990 को राज्य/यू०टी०/कम्पनी-वार					
	ए०ओ०डी०	बी०पी०सी०	एच०पी०सी०	आई०बी०पी०	आई०ओ०सी०	कुल
आन्ध्र प्रदेश	—	323	351	93	414	1181
अरुणाचल प्रदेश	16	—	—	—	10	26
असम	173	—	26	8	108	315
बिहार	—	231	223	100	338	892
गोआ	—	29	23	1	10	63
गुजरात	—	242	216	104	386	948
हरियाणा	—	96	111	90	185	482
हिमाचल प्रदेश	—	21	15	3	36	75
जम्मू और कश्मीर	—	32	19	3	61	115
कर्नाटक	—	272	264	35	344	915
केरल	—	199	241	31	219	690
मध्य प्रदेश	—	231	222	34	354	841
महाराष्ट्र	—	487	474	75	453	1489
मणिपुर	17	—	—	—	9	26
मेघालय	23	—	4	—	19	46
मिजोरम	8	—	—	—	4	12
नागालैंड	15	—	—	—	9	24
उड़ीसा	—	100	85	6	125	316
पंजाब	—	205	181	182	372	940
राजस्थान	—	225	254	44	345	868
सिक्किम	—	3	—	1	5	9
तमिलनाडु	—	416	436	47	495	1394
त्रिपुरा	21	—	—	—	7	28
उत्तर प्रदेश	—	441	380	266	733	1820
पश्चिम बंगाल	—	266	272	102	341	981

1	2	3	4	5	6	7
संघ शासित						
अण्डमान निकोबार	—	—	—	—	3	3
चंडीगढ़	—	4	7	1	6	18
दादर और नागर हवेली	—	1	1	—	1	3
दमन और दीऊ	—	3	—	—	1	4
दिल्ली	—	62	66	25	81	234
पांडिचेरी	—	4	7	2	12	25
जोड़ :	273	3894	3878	1253	5489	14783

पारेषण और वितरण क्षति

1958. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री वसंत साठे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषण और वितरण में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष कितनी क्षति होती है; और

(ग) इस क्षति को न्यूनतम करने तथा ऊर्जा की बचत करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) और (ख) भारतीय विद्युत प्रणालियों में पारेषण एवं वितरण हानियां करीब 22 प्रतिशत हैं।

(ग) हानियों को कम करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य सिद्धान्तों के साथ-साथ, अत्यधिक हानियों के लिए जिम्मेवार प्रणाली घटकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा की लेखा-परीक्षा करना, वोल्टता प्रोफाईल में सुधार करने के लिए कैपेसिटरों की प्रतिस्थापना करना, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत करने एवं उनमें सुधार लाने हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी रोकने के लिए टेम्पर प्रूफ मीटर (ऐसे मीटर जिनमें छेड़-छाड़ न किया जा सके) लगाना एवं ऊर्जा चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के अन्तर्गत ऊर्जा की चोरी को संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1987 से एक गहन स्कीम लागू की गई है।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत यूटिलिटियों ने एच० टी० उपभोक्ताओं के परिसरों की मौके पर जांच करने के लिए सतर्कता दलों का गठन किया है और अपनी पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को मजबूत बनाने एवं उनमें सुधार लाने के लिये वे प्रणाली सुधार स्कीमें भी तैयार कर रही हैं। पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों

द्वारा "प्रणाली सुधार स्कीमें" क्रियान्वयन हेतु हाथ में ली गई हैं एवं राज्य बिजली बोर्डों को पारेषण वितरण हानियां कम करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम भी लागू की गई है।

शीरे पर नियंत्रण समाप्त करना

1959. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शीरे पर नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शीरे पर आधारित एल्कोहल उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति का उद्देश्य औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए डिस्टिलरियों को उचित मूल्यों पर शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कोयले का उत्पादन और विद्युत उत्पादन

1960. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कोयले का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला उत्पादन
1987-88	179.75
1988-89	194.60
1989-90	200.89

(ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान देश में हुए बिजली के उत्पादन को नीचे दिया गया है :

(बिलियन यूनिट)

वर्ष	बिजली उत्पादन
1987-88	201.894
1988-89	221.125
1989-90	245.141

पान के पत्तों की ढुलाई

1961. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल से मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों द्वारा पान के पत्तों की नियमित और आसान बुकिंग के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से पान के पत्तों की ढुलाई में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल से पान के पत्ते यातायात की नियमित निकासी के लिए व्यापारियों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यापारियों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके जांच की गई थी और इस संबंध में समुचित प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

रेलगाड़ियों के परिचालन में घाटा

1962. **श्री अनिल शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक जोन में अधिकतर रेलगाड़ियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में विभिन्न जोनों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना का विचार है; और

(ग) लाभ अर्जित करने वाली रेलगाड़ियों का जोनवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) गाड़ी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

हल्दिया पेट्रोरसायन परियोजना

1963. **डा० देबी प्रसाद पाल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हल्दिया पेट्रोरसायन परियोजना हेतु पश्चिम बंगाल को कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट पेश की है इस कि धन का उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) हल्दिया पेट्रोरसायन कम्पलेक्स के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक और विकास निगम लि० को आशय पत्र जारी किया गया है, जिसने आशय पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों को तदनुसार जुटाने हैं। आशय पत्र में परियोजना में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहभागिता की परिकल्पना नहीं है।

कवास में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

1964. श्री सी० डी० गामित : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कवास (सूरत, गुजरात) में गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण की लक्ष्य तारीख क्या निर्धारित की गई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और यह कब तक चालू हो जाएगा; और

(ग) इस विद्युत केन्द्र से गुजरात और अन्य राज्यों को दी जाने वाली बिजली की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) और (ख) निर्माण कार्य की इस समय जो स्थिति है उसके आधार पर 4×106 मेगावाट की गैस टर्बाइन (जी० टी०) एवं 2×110 मेगावाट की स्टीम टर्बाइन (एस० टी०) यूनिटों वाली कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना के जुलाई, 1993 तक पूरी होने की संभावना है। विभिन्न यूनिटों के निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार चालू किए जाने की संभावना है—

गैस टर्बाइन यूनिट-1	मार्च, 1992
गैस टर्बाइन यूनिट-2	मई, 1992
गैस टर्बाइन यूनिट-3	जुलाई, 1992
गैस टर्बाइन यूनिट-4	सितम्बर, 1992
स्टीम टर्बाइन यूनिट-1	मार्च, 1993
स्टीम टर्बाइन यूनिट-2	जुलाई, 1993

(ग) इस परियोजना से पश्चिम क्षेत्र के राज्यों को बिजली का आबंटन केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों पर लागू विहित फार्मूला के अनुसार किया जाएगा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को विदेशी मुद्रा व्यय करने का अधिकार

[अनुवाद]

1965. श्री जी० एस० बासवराज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इनके प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं हेतु उपकरणों और सेवाओं का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा व्यय करने का अधिकार दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा के व्यय की अनुमति दी गई है;

(ग) आयात किये जाने वाले घटकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विश्व बैंक संबंधी मामलों को भी मंजूरी दे दी जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) सरकार ने अब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को उपस्करों और सेवाओं के आयात हेतु वित्तीय वर्ष के उनके अनुमोदित विदेशी मुद्रा बजट के 75% तक की विदेशी मुद्रा जारी करने की शक्तियां प्रदान कर दी हैं।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयात की जाने वाली सभी मदों के ब्यौरे संकलित करने में निहित प्रयास प्राप्त होने वाले सार्वजनिक प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे।

(घ) और (ङ) सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये भी विदेशी मुद्रा जारी करने की शक्तियां प्रदान की हैं। तथापि, उन सभी मामलों को, जहां ऋण का उपयोग किया जाना है, सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाना है।

आई० डी० पी० एल० के बारे में समाचार

1966. डा० असीम बाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर, 1990 के "दि सण्डे मेल" में आई० डी० पी० एल० के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसमें दिए गये विवरण का सत्यापन किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री [illegible]) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

मुआवजे का भुगतान

1967. श्री ए० चार्ल्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया था ताकि नाबालिग मृतक यात्री के माता-पिता को शामिल किया जा सके जिससे माता-पिता को मुआवजा प्राप्त करने हेतु आश्रित के तौर पर योग्य माना जाये;

(ख) क्या यह निर्णय किया गया है कि विलुप्पुरम में पेरूमन रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को उपरोक्त लाभ दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में बी० टी० और चर्चगेट स्टेशनों पर आरक्षण सुविधाएं

1968. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में वी० टी० और चर्चगेट स्टेशनों पर वहां से होकर गुजरने वाली गाड़ियों में यात्रियों को आरक्षण देने के लिए आरक्षण खिड़कियों की वर्तमान संख्या वहां पर आने वाली यात्रियों की भारी भीड़ के लिये पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्टेशनों पर आरक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) बम्बई वी० टी० और चर्चगेट स्टेशनों पर आरक्षण काउंटरों की मौजूदा संख्या यातायात के वर्तमान स्तर को संभालने के लिये पर्याप्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में तेल की खुदाई

[हिन्दी]

1969. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के चंगर-तलाई में तेल की खुदाई का काम शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अब तक के परिणाम संतोषजनक रहे हैं और कार्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या वहां पर इतना तेल मिलने की संभावना है कि उसका वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाइड्रोकार्बनों की वाणिज्यिक प्राप्ति के बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

कांचीपुरम और चिंगलपुट के बीच रेल लाइन का विद्युतकरण

[अनुवाद]

1970. **श्री कासी पन्नीर सेलवम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना में कांचीपुरम और चिंगपुट के बीच रेल लाइन के प्रस्तावित विद्युतीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब शुरू किये जाने का विचार है; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी, इसके शुरू किये जाने और इसे पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथियां क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) कांचीपुरम-चिंगलपुट खंड के विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन की नियुक्ति

[हिन्दी]

1971. **डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन और बिहार और पश्चिम बंगाल के मनोनीत सदस्यों के पद अंशकालिक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दामोदर घाटी निगम का कार्य भार बढ़ने को ध्यान में रखते हुए इन अंशकालिक पदों को पूर्णकालिक पदों में परिवर्तित करने का है; और

(ग) निगम के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के तहत एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की व्यवस्था की गई है जिनकी नियुक्ति, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार एवं पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद की जाती है। अन्य रिक्त पदों को, यदि कोई है, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के तहत बने नियमों के अनुसार एवं निगम द्वारा उस पद के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरा जाता है।

पश्चिम बंगाल की विद्युत उत्पादन क्षमता

[अनुवाद]

1972. **श्री अजीत पांजा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की परियोजना-वार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं द्वारा वास्तविक रूप से कितनी बिजली पैदा की गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन सम्बन्धी क्षमता और अप्रैल-मार्च, 1990 के दौरान इन स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत निम्नानुसार है—

स्टेशन का नाम	क्षमता (मे० वा०)	उत्पादन (एम० यू०)
थर्मल		
बन्देल	530	2238
संथालडीह	480	838
गैस टर्बाइन	100	45

कोलाघाट (डब्ल्यू० बी० पी० डवलमेंट, कारपोरेशन)	420	2126
डी० पी० एल०	390	617
फरक्का (एन० टी० पी० सी०)	630	2815
सी० ई० एस० सी० (प्राइवेट)	240	1036
टीटागढ़	240	1409
जल विद्युत		
छोटे केन्द्र	41.3	101

एच० बी० जे० पाइपलाइन संबंधी परियोजना

[हिन्दी]

1973. श्री छेदी पासवान : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० बी० जे० पाइपलाइन परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस परियोजना के पूरा न होने के कारण बिहार में गैस बिजली संयंत्र एवं उर्वरक संयंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) एच० बी० जे० परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाएंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है—

पाइप लाइन की लम्बाई	1809 कि०मी०
संपीड़न स्टेशन	4 संख्या
कैथोडिक प्रोटेक्शन/आर० आर० स्टेशन	58 संख्या
रेलवे क्रासिंग	37 संख्या
फोरेस्ट क्रासिंग	56 कि०मी०
नदी क्रासिंग	
बड़ी	22 संख्या
छोटी	69 संख्या
मार्ग क्रासिंग :	409 संख्या
नहर क्रासिंग	281 संख्या
गैस ले जाने की क्षमता :	
वर्तमान	18.2 मि०घ०मी० गैस प्रतिदिन
भावी	33.4 मि०घ०मी० गैस प्रतिदिन

पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से होकर गुजरती है।

(ख) जी, नहीं। एच० बी० जे० पाइपलाइन बिहार में किसी विद्युत अथवा उर्वरक संयंत्र को गैस की आपूर्ति करने के लिये नहीं बनाई गई थी।

(ग) एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन की आपूर्ति प्रणाली अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार जुलाई, 1989 में पूरी हो गई थी।

नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को आशय-पत्र

[अनुवाद]

1974. **श्री विद्याधर गोखले :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री 10 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4266 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के नैफ्था क्रैकर काम्प्लेक्स के विस्तार के लिए आशय-पत्र मंजूर करने में स्थान संबंधी मानक शर्तों में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस परियोजना के विस्तार के विरुद्ध स्वयंसेवी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) नैफ्था क्रैकर काम्पलेक्स के विस्तार के लिए तकनीकी आर्थिक आधार पर एन० ओ० सी० आई०एल० को जारी आशय पत्र में मानक स्थान निर्धारण स्थितियों से छूट की व्यवस्था है, किन्तु आशय पत्र में, आशयपत्र में शर्तें रखकर सुरक्षा प्रदान की गई है कि कम्पनी सक्षम राज्य प्राधिकारी से स्थल सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करेगी और भारत सरकार पर्यावरण और वन मन्त्रालय से पर्यावरण और प्रदूषण सम्बन्धी स्वीकृति भी लेगी और प्रस्तावित विस्तार से संबंधित कोई निर्माण कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रदूषण सम्बन्धी ऐसी कोई स्वीकृति ली नहीं जाती।

(ग) जी, हां।

(घ) औद्योगिक परियोजनाओं के लिए प्रदूषण संबंधी और अन्य स्वीकृतियों पर विचार करते समय सभी संगत पहलुओं को दृष्टिगत रखा जाता है।

कोयला क्षेत्र में उत्पादन और पूंजी-निवेश

1975. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की तारीख से राष्ट्रीयकृत कोयला खानों एवं अन्य कोयला परियोजनाओं में, वर्ष-वार, कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि की तुलना में इस समय कोयले के उत्पादन में, श्रेणी-वार, कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) उद्योगों को कोयले के वितरण की वर्तमान नीति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) वर्ष 1972 में कोककर कोयला खानों तथा वर्ष 1973 में अन्य खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद कोयला खानों में किए गए निवेश का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में राष्ट्रीयकरण के समय किए गए कोयले के उत्पादन की तुलना में हुए कोककर तथा अकोककर कोयले के उत्पादन को नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टन में)

	1972-73	1989-90	वृद्धि
कोककर	13.37	40.04*	26.67
अकोककर	56.61	138.58	81.97
जोड़ :	69.98	178.62	108.64

*इसमें गैर-धातुकर्मीय ग्रेड का कोककर कोयला शामिल है।

(ग) उद्योगों को कोयले का वितरण किए जाने की वर्तमान नीति नीचे दी गई है :—

(1) कोककर कोयला : धातुकर्मी कोककर कोयला कोलियरी नियन्त्रण आदेश के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। धातुकर्मी कोककर कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए सिफारिश कोयला नियन्त्रण द्वारा की जाती है।

(2) अकोककर कोयला : औद्योगिक उपभोक्ताओं को रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति कोयला कम्पनियों द्वारा उचित प्रायोजना प्राधिकारियों के प्रायोजन के अनुसार उनके प्रायोजना प्राधिकारियों की सलाह से तथा को० इ० लि० द्वारा स्थापित संयोजनों के अनुसार रेलवे द्वारा समग्र रूप से निर्धारित वेगन लोडिंग सीमा के अन्तर्गत किया जाता है।

कोलफील्ड क्षेत्र के निकट स्थित औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनके प्रायोजन/मांग आंकलन तथा स्थापित संयोजन के बदले में कोयले की आपूर्ति सड़क द्वारा की जाती है।

छोटे उपभोक्ताओं को अपनी आंकलित/प्रायोजित आवश्यकता को० इ० लि० के निकटवर्ती स्टाकयार्डों से प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को रेल द्वारा कोयले के प्रेषण में हुई कमी/आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोलियरियों अथवा को० इ० लि० के स्टाकयार्डों से सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की जाती है।

छोटे/अप्रायोजित/अपर्याप्त रूप से प्रायोजित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, को० इ० लि० द्वारा "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर "उदारीकृत वितरण योजना" के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किए गए स्रोतों से एक बार में 1000 मि० टन तक कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है।

कोल इंडिया लिमिटेड की वृहत मात्रा में बिक्री योजना के अन्तर्गत इच्छुक उपभोक्ताओं/ व्यापारियों को उनसे उत्पादों/कोयले की कोमी गति से परिचालित भंडारों उच्च-इन्वेंटरी-भी उपलब्ध की जाती है।

विवरण

वर्ष	करोड़ रु० में
(क) कोयला खान परियोजनाओं में निवेश	
1973-74	166.95
1974-75	82.80
1975-76	149.73
1976-77	200.46
1977-78	178.93
1978-79	198.11
1979-80	261.90
1980-81	345.70
1981-82	572.80
1982-83	712.94
1983-84	839.43
1984-85	787.67
1985-86	842.73
1986-87	980.41
1987-88	1005.55
1988-89	1282.81
1989-90	1419.15
वर्ष 1989-90 तक जोड़	10028.07
(ख) गैर-खनन कोयला परियोजनाओं में निवेश	
* 1984-85 तक	665.49
1985-86	112.39
1986-87	142.23
1987-88	142.28
1988-89	243.25
1989-90	190.90
वर्ष 1989-90 तक का जोड़	1496.54

टिप्पणी : वर्ष 1973-74 से 1984-85 के दौरान गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के वर्षवार निवेश का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होने की सूचना है।

व्हील सेटों का आयात

1976. श्री रति लाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने और कितने मूल्यों के "व्हील सेटों" के लिए ठेका दिया गया;

(ख) कितने तथा कितने मूल्य के "व्हील सेटों" का ठेका भारतीय सप्लायर्स को और कितने का विदेशी सप्लायर्स को दिया गया;

(ग) क्या भारतीय सप्लायर्स द्वारा सप्लाई किए गए "व्हील सेटों" में आयातित पुर्जों का प्रयोग किया गया है; यदि हां, तो ऐसे पुर्जों का मूल्य कुल मूल्य का कितने प्रतिशत है; और

(घ) इस कार्य के लिए विदेशी मुद्रा के खर्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) भारतीय रेलों द्वारा 1979 से खरीदे गये पहिया सेटों की कुल संख्या 120 है। इन पहिया सेटों का मूल्य 11,831,67 लाख रुपये है। पिछले 3 वर्षों के वर्ष-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
1988	5	599.57
1989	13	1532.12
1990	20	4196.94

(ख) 38 पहिया सेटों में से 2 मैसर्स हैग्नेषिड, पश्चिम जर्मनी से खरीदे गये थे और शेष पहिया सेटों के लिए मैसर्स हेवी इंजीनियरी कारपोरेशन रांची को आर्डर दिया गया है। 6328.63 लाख रुपये की कुल खरीद में से विदेशी सप्लाईकर्ता से की गई खरीद का मूल्य 264.9 लाख रुपये है।

(ग) भारतीय निर्माताओं द्वारा सप्लाई किये गए पहिया सेटों में कुछ आयातित पुर्जे लगे हैं। दिनांक 31-8-90 के नवीनतम आर्डर के अनुसार आयातित पुर्जों का प्रतिशत 1989 के 52.87% की तुलना में 27.62% बनता है।

(घ) एकमात्र देशी निर्माता अर्थात् मैसर्स हेवी इंजीनियरी कारपोरेशन जो मैसर्स हैग्नेषिड, जर्मनी के सहयोग से इन पहिया सेटों का निर्माण कर रहा है, देश में ही इनका उत्पादन बढ़ाने का निरन्तर प्रयास कर रहा है।

सिक्किम के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे

1977. श्री नन्दू थापा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए न्यू जलपाईगुड़ी (सिलगुड़ी) से नई दिल्ली के मध्य चलने वाली नार्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ी और तिनसुकिया मेल में एक-एक डिब्बा और जोड़ने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया का कार्यनिष्पादन

1978. श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया ठीक से काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कारपोरेशन के विभिन्न डिपुओं में प्रति वर्ष कितने कन्टेनर उपयोग में लाए जाने का लक्ष्य रखा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न डिपुओं द्वारा 52,405 कंटेनर संभाले गए थे। 1990-91 के लिए 65,800 कंटेनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मालाबार, केरल में ताप संयंत्र की स्थापना

1979. श्री के० मुरलीधरन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मालाबार, केरल में स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्र के लिए स्थान का चयन अन्तिम रूप से कर लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस उद्देश्य हेतु नियुक्त दल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) उत्तरोत्तर विद्युत उत्पादन क्षमताओं पर विचारार्थ आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आठवीं योजनावधि में राज्य क्षेत्र में या केन्द्रीय क्षेत्र में लाभ प्रदान करने के लिए, दल ने मालाबार, केरल में ताप विद्युत संयंत्र के लिये किसी स्थान का सुझाव नहीं दिया है।

दक्षिण मध्य रेलवे की कुडची-रायचूर रेलवे लाइन

1980. श्री एस० डी० पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में कुडची से रायचूर तक रेल लाइन बिछाने के लिए बहुत पहले सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसका निर्माण-कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने हेतु डिबेंचर जारी करना

[हिन्दी]

1981. श्री पुंडलिक हरी दानवे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से मराठवाड़ा क्षेत्र में छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए डिबेंचर जारी करने हेतु कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्र में निम्नलिखित रेलवे कार्य के विकास के लिए कोंकण रेलवे निगम की भांति एक निगम की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

( ) मनमाड-औरंगाबाद बड़ी लाइन खंड को परली-बैजनाथ और आदिलाबाद तक बढ़ाना।

(2) लातूर-बर्सी-पंढरपुर-मिरज छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलना और इसे लातूर रोड तक बढ़ाना तथा इस लाइन को औसनाबाद से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाना।

(3) बीर के रास्ते अहमदनगर से परली बैजनाथ तक एक नई बड़ी लाइन का निर्माण करना।

बहरहाल, उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि ये परियोजाएं वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होंगी और इसलिए निगम की स्थापना करना व्यावहारिक नहीं है।

दवाओं के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

1982. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत दवाओं के लाभ के प्रतिशत और मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लाभ के प्रतिशत और मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि की सिफारिश किसने की थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत एम० ए० पी० ई० में वृद्धि 1986 में सरकार द्वारा घोषित उपायों पर आधारित है। चूंकि औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत एम० ए० पी० ई० में वृद्धि हुई है अतः व्यापार लाभ में वृद्धि करके इसका लाभ व्यापार को भी दिया गया है।

व्यापार लाभ में वृद्धि रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है।

डी० पी० सी० ओ०, 1987 के अन्तर्गत श्रेणी I और II सूत्रयोगों के संबंध में एम०ए०पी०ई० को विद्यमान क्रमशः 40% और 55% के स्तर से बढ़ाकर 75% और 100% किया गया है। इसी तरह नियन्त्रित औषधों के लिए व्यापार लाभ को बढ़ाकर 16% किया गया है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

1983. श्री रमेश लाल जांगड़े : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ; और

(ख) इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के उन गांवों की संख्या क्या है जहां विद्युतीकरण किया गया है और ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां विद्युतीकरण नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी से नवम्बर, 1990 के दौरान मध्य प्रदेश में 2855 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

(ख) इस अवधि के दौरान रायपुर, बिलासपुर एवं रायगढ़ जिलों में विद्युतीकरण तथा अविद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नवत् है—

क्रम०सं० जिले	गांवों की कुल सं०	नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत गांव	जनवरी से नवम्बर 1990 के दौरान विद्युतीकृत गांव	अविद्युतीकृत
1. रायपुर	3842	3149	208	693
2. बिलासपुर	3517	5910	2:2	607
3. रायगढ़	2199	1717	147	491

रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

1984. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड में पृथक-पृथक इस समय ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के कितने अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से श्रेणी-वार कितने अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(ग) इस समय अन्य मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों में रेलवे के कितने अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : 1-8-90 तक एकत्रित सूचना नीचे दी गई : —

(क) रलवे बोर्ड : ग्रुप "क"—287, ग्रुप "ख" 307।

उत्तर रलवे : ग्रुप "क"—807, ग्रुप "ख"—666.

(ख) रलवे बोर्ड : ग्रुप "क"—अ० जा० 26, अ० ज० जा० 7
ग्रुप "ख"—अ० जा० 26, अ० ज० जा० 4

उत्तर रलवे : ग्रुप "क"—अ० जा० 114, अ० ज० जा० 17
ग्रुप "ख"—अ० जा० 89, अ० ज० जा० 14

(ग) अधिकारी : जोड़ 178, अ० जा० 14, अ० ज० जा० 3

कर्मचारी : जोड़ : 236, अ० जा० 16, अ० जा० 1।

रसोई गैस और पैट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए मानदंड

[अनुवाद]

1985. श्री सी० एम० नेगी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस की एजेंसी और पेट्रोल पम्प आवंटित करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान, दिसम्बर, 1990 तक ऐसी कितनी एजेंसियां स्वीकृत की गयी;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और टिहरी गढ़वाल के लिए कितनी एजेंसियों को स्वीकृति दी गयी; और

(घ) क्या सरकार इन एजेंसियों की स्वीकृति में स्थानीय लोगों को कुछ वरीयता देती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, तेल कम्पनियां प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप/खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिप और मिट्टी के तेल/एल०डी०ओ० की डीलरशिप के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करती हैं। ऐसे विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर संबंधित तेल चयन बोर्ड द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है जो उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्यरत एक स्वतन्त्र निकाय होता है। तेल चयन बोर्ड की सिफारिशों पर तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन किया जाता है।

(ख) जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान 315 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 658 खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों का आबंटन किया गया है।

(ग) सूचना निम्नलिखित है :—

स्थान	एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप
दिल्ली	16	5
देहरादून	—	2
पौड़ी-गढ़वाल*	—	—
चमोली*	—	—
टिहरी गढ़वाल*	—	2

* एल० पी० जी० विपणन का काम गढ़वाल मंडल विकास निगम को सौंपा गया है।

(घ) जी हां।

गोरखपुर-बरेली मार्ग पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी

[हिन्दी]

1986. श्री कलीम चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोरखपुर-गोण्डा-बहराइच-बरेली मीटर गेज लाइन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक एक्सप्रेस में रेल डिब्बों में वृद्धि करना

[अनुवाद]

1987. श्री वी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और बंगलौर के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में रेल डिब्बों में वृद्धि करने के बारे में जोरदार मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

काकीनाड़ा स्टेशन का विकास

1988. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाड़ा स्टेशन को विकसित करने एवं रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण करने के लिए

कोई योजना बनाई गई है जिससे मद्रास से हावड़ा जाने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियां उस स्टेशन से होकर सीधे जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काकानाड़ा एक जिला मुख्यालय है तथा इसके समुद्री पत्तन का तेजी से विकास हो रहा है, इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में रेल सेवाएं

1989. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से विद्यमान रेल सेवाओं के अतिरिक्त नई रेल सेवाए आरम्भ करने, रेलों के विस्तार और रेलों के समय में परिवर्तन किये जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) सुझाव मुख्यत: कुछ गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने, बंद की गई कुछ जोड़ी गाड़ियों को पुन: चलाने और विजयनगरम के रास्ते पुरी-दुर्ग सेवा चालू करने के बारे में है।

(ग) पुरी और तिरुपति के बीच सप्ताह में चलने वाली गाड़ी शुरू करना और हीराखंड एक्सप्रेस को राउरकेला तक चलाने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है अन्य प्रस्तावों पर कार्यान्वियन व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

राजस्थान में बिजली की आवश्यकता

[हिन्दी]

1990. **श्री कैलाश मेघवाल :**

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय बिजली की कुल कितनी आवश्यकता है और राजस्थान में कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है, राजस्थान को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए केन्द्रीय पूल से और अन्य स्रोतों से कितनी मात्रा मे बिजली प्राप्त होती है; और

(ख) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) राजस्थान में नवम्बर, 1990 के दौरान ऊर्जा की कुल आवश्यकता 10200 लाख यूनिट थी जबकि सभी स्रोतों से कुल उपलब्धता

10180.25 लाख यूनिट थी, इनका ब्योरा निम्नवत है —

	(आंकड़े लाख यूनिट में)
(1) स्वयं का उत्पादन	3308.69
(2) केन्द्रीय क्षेत्र/संयुक्त स्वामित्व की परियोजनाओं से प्राप्त	6404.17
(3) अन्य राज्यों से आयातित	467.39

(ख) विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में नई उत्पादन क्षमताओं को शीघ्र चालू किया जाना, अल्पनिर्माणावधि की परियोजनाएं क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा बचत के उपायों को अमल में लाना, ऊर्जा की अधिकता वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अन्तरण की व्यवस्था करना शामिल है।

खुरदा रोड-बोलनगीर रेल लाइन

[अनुवाद]

1991. श्री शिवाजी पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में खुरदा रोड से बोलनगीर तक एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस सर्वेक्षण के संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) 209 करोड़ रुपये (1985-86 के मूल्य स्तर पर)।

(ग) चूंकि यह परियोजना अलाभप्रद पायी गयी थी, इसलिये इस पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका, तथापि, पिछड़े क्षेत्रों के विकास का विकास करने के उद्देश्य से अब रेलवे को पुनः सर्वेक्षण/प्रस्ताव को अद्यतन करने के लिए दुबारा कहा गया है।

मनमाड-आदिलाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1992. डा० वेंकटेश काबडे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड-आदिलाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिए वर्ष 1990-91 के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें से अब तक कितनी धनराशि का उपभोग किया गया है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) आमान परिवर्तन के समूचे कार्य को दो परियोजनाओं में शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं का ब्योरा, इसमें हुई

प्रगति, 1990-91 के दौरान आवंटित धनराशि और अब तक इस्तेमाल किये जा चुके धन का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

परियोजना का नाम	खंड, जिस पर कार्य चल रहा है	जिन खंडों में कार्य चालू रहा है, उनमें हुई वास्तविक प्रगति	आवंटित धनराशि (90-91)	30-11-90 तक इस्तेमाल किया गया धन
1. मनमाड-परभनी परली बैजनाथ मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव (354 किमी०)	मनमाड-औरंगाबाद (114 किमी०)	71%	14.00 करोड़ रुपये	4.82 करोड़ रुपए
2. परभनी-पूर्णा तथा मुदखेड आदिलाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव तथा पूर्णा से मुदखेड तक समानांतर बड़ी लाइन बिछाना (240 किमी०)	नान्देड़-मूघाट (13.23 किमी०) तथा मूघाट-मुदखेड (9.26 किमी०)	12%	9.50 करोड़ रुपये	0.26 करोड़ रुपये

(ग) इनका पूरा होना आगामी वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए धन के आवंटन पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

[हिन्दी]

1993. श्री गुमान मल लोढा :

श्री रामचन्द्र :

श्री पुंडलिक हरी दानवे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कितनी रेलगाड़ियां 20 अक्तूबर, 1990 से 5 नवम्बर, 1990 के बीच रद्द की गई;

(ख) प्रत्येक मामले में उन्हें रद्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ रेलगाड़ियों को इस अवधि के दौरान बिना किसी लिखित आदेश के विशेष पुलिस द्वारा रोका गया;

(घ) क्या इन रेलगाड़ियों को स्थगित अथवा रद्द किये जाने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 84।

(ख) राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आवश्यकता से निपटने के लिए।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (ङ) किसी भी स्थिति से निपटने के लिये यात्री गाड़ियों को रद्द किया जा सकता है तथा बीच में रोका जा सकता है।

तेल भंडारों की खोज

[अनुवाद]

1994. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने पता लगाया है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में "शेल फार्मेशन" से कई बिलियन टन तेल प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के उत्तर-पूर्व भाग में शेल-तेल क्षमता का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) बैरल कोल-शेल (ओलिगोसीन) और डाइसंग शेल (इओसीन) क्रमों का काफी मोटा और विस्तृत क्षेत्र के रूप में होना कहा जाता है कि। पूर्वोत्तर भारत के असम आरकन तलछटी बेसिन के ही भाग हैं। आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किये गये आरम्भिक जांच के अनुसार कुछ क्षेत्रों में कच्चे तेल निकालने की क्षमता है। इन आरम्भिक अध्ययनों के आधार पर आयल इंडिया लिमिटेड ने निकालने योग्य तेल का अनुमान लगाया है जो काफी ज्यादा है। तथापि, निकालने योग्य तेल भंडार का निर्धारण करने के लिए और साथ ही जहां ये क्षेत्र हैं वहां के घने जंगल के परिवर्तनीय वातावरण में ऐसी खुदाई की तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए तेल क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने हेतु विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

नयी रेल गाड़ियां चलाना

[हिन्दी]

1995. प्रो० यदुनाथ पांडेय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 और दिसम्बर, 1990 के बीच कुल कितनी नयी रेल गाड़ियां चलाई गयीं और वे किन मार्गों पर चलाई गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने, इस अवधि में इन नयी रेल गाड़ियों के चलाने पर हुई आय और व्यय की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के शेष महीनों में कितनी नयी रेल गाड़ियां चलाई जायेंगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जनवरी से दिसम्बर, 1990 के दौरान 52 गाड़ियां चालू की गई थीं, जिन मार्गों पर ये गाड़ियां चलाई गई थीं, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई गाड़ियां, कुल मिलाकर यात्री आवश्यकताओं, वास्तविक संसाधनों की उपलब्धता तथा परिचालनिक व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए नई समय सारणी बनाते समय चलाई जाती हैं।

विवरण

(क) जनवरी से दिसम्बर, 1990 के दौरान जिन मार्गों पर नई गाड़ियां चलाई गईं।

1. जम्मू तवी-मंगलौर/तिरुचिरापल्ली
2. सूरत-वाराणसी
3. हटिया-वाराणसी
4. जम्मू तवी-गुवाहाटी
5. दादर-मुजफ्फरपुर
6. हवड़ा-गोरखपुर
7. गोंडा-गोरखपुर
8. कटिहार-सिलिगुड़ी
9. धनबाद-चोपन
10. जसीडीह-वैद्यनाथधाम
11. रामपुरहाट-साहिबगंज
12. सिलचर-जिरीबाम
13. चित्रदुर्ग-चालेकेरे
14. गुंटूर-मार्चेर्ला (2 जोड़ी)
15. गुंटूर-सत्तनपल्ली (2 जोड़ी)
16. मोचेर्ला-नडिकुडे
17. हजरत निजामुद्दीन-मिरज-वास्को-डि-गामा (1 जोड़ी बड़ी लाइन और एक जोड़ी मीटर लाइन)
18. बिलासपुर-गेवरा रोड
19. नई दिल्ली-पटना
20. कानपुर-वाराणसी
21. गांधीधाम-न्यू भुज-नालिया
22. गोरखपुर-इलाहाबाद
23. हवड़ा-बोकारो स्टील सिटी

प्रत्येक सात किलोमीटर के बाद एक डीजल बिक्री केन्द्र की स्थापना

1996. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक सात किलोमीटर के बाद एक डीजल बिक्री केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये डीजल बिक्री केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और कब; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों को आसानी से डीजल किस प्रकार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की स्थापना तेल कंपनियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मात्रा दूरी मानकों के अनुसार की जाती है। तेल उद्योग ग्रामीण/दूर-दराज के क्षेत्रों में कम लागत के बिक्री केन्द्र स्थापित कर रहा है ताकि हाई स्पीड डीजल किसानों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

सौर ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

1997. **श्री जनार्दन यादव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के मुंगेर जिले के चनई डिवीजन में 30 किलोमीटर क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) बम्बई में 207 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर 2 × 30 मे०वा० का एक सौर ताप विद्युत केन्द्र लगाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मौसम विज्ञान संबंधी अपेक्षित आंकड़े एकत्र कर लिए जाने तथा भारतीय स्थितियों में इस प्रौद्योगिकी के सिद्ध हो जाने और सभी आवश्यक निवेशों की व्यवस्था हो जाने बाद इस प्रस्ताव पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जा सकता है।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

1998. **प्रो० महादेव शिवनकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों के विलम्ब से प्रस्थान और विलम्ब से आगमन सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों के समय पर प्रस्थान पर निगरानी रखने हेतु कोई नये निर्देश जारी किए हैं और क्या इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच और निरीक्षण किया जा रहा है; और

(ग) क्या दुर्घटनाओं को रोकने और उनकी जांच करने के लिए इसी प्रकार की नई व्यवस्था की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 1990 की पहली और दूसरी छमाही के दौरान समयपालन इस प्रकार है :

	1980 की पहली छमाही	1990 की दूसरी छमाही
मेल/एक्सप्रेस	85.6 प्रतिशत	84.6 प्रतिशत
यात्री	92.5 ,,	93.1 ,,
उपनगरीय	95.3 ,,	95.2 ,,

(ख) गाड़ियों के समय पर निगरानी रखना एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें अनुदेशों का अनुपालन भी शामिल है।

(ग) जी, हां।

पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के लिए भूमिगत भंडारण व्यवस्था

[अनुवाद]

1999. **श्री धर्मणा मोण्डया सादुल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का निकट भविष्य में देश के पूर्वी भागों में प्राकृतिक गैस के लिए भूमिगत भंडारण व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं की वास्तविक भण्डारण क्षमता कितनी-कितनी होगी; और

(घ) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) यद्यपि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस प्रकार के भंडारण पद्धति की अवधारणा की है तथापि कोई भी परियोजना प्रस्ताव सरकार के पास सहमति के लिए न तो प्रस्तुत किया गया है और न तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपनी प्रदत्त शक्तियों के अधीन किसी ऐसी योजना को अनुमोदित किया गया है। इसको देखते हुए देश के पूर्वी भाग में ऐसे भंडारण पद्धति को निकट भविष्य में स्थापित किए जाने की सम्भावना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में रेल मार्गों का विद्युतीकरण

2000. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान उत्तर रेलवे में दिल्ली और अमृतसर के बीच रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां। केवल दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना खंड के विद्युतीकरण पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस कार्य से 136.96 करोड़ रुपये की अनुमति लागत से 314 कि०मी० मार्ग का विद्युतीकरण पूरा होगा।

विमान सेवा की उड़ानों में भोजन न दिया जाना

2001. श्री बाबू भाई मेघजी शाह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वायुदूत की उड़ानों में भोजन, नाश्ता अथवा पेय पदार्थ न दिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वायुदूत ने अपनी उड़ानों में भोजन/पेय पदार्थ न दिए जाने के एवज में विमान किरायों में कुछ कमी की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तक, वायुदूत का किराया ढांचा इसके परिचालन लागत की भी पूर्ति नहीं करता, जोकि इसके छोटे-छोटे मार्ग नेटवर्क के कारण काफी ऊंचे हैं।

एअर इण्डिया के पायलट द्वारा विमान (ए० आई० 130) उड़ाने से इन्कार

2002. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया जम्बो के को-पायलट ने हाल में सभी यात्रियों के विमान में सवार हो जाने के के पश्चात हीथ्रो से मुम्बई को आने वाले विमान (ए०आई० 130) को उड़ाने से इन्कार किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एअर इण्डिया द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां। 28-10-90 को ए० आई०-130 के को-पायलट ने हीथ्रो से मुम्बई को आने वाले विमान को उड़ान से इन्कार कर दिया था।

(ख) को-पायलट ने इसे उड़ाने से इसलिए इन्कार कर दिया था क्योंकि उनके अनुसार, उसने एयर इण्डिया के साथ भारतीय विमानचालक गिल्ड द्वारा किये गए करार में निहित उड़ान ड्यूटी समय सीमा से अधिक ड्यूटी दे दी थी। उड़ान का कमाण्डर विमान को उड़ाने का इच्छुक था। इसके परिणामस्वरूप एयर इण्डिया को विदेशी मुद्रा में 8 लाख रुपए से अधिक की हानि हुई।

(ग) एअर इंडिया ने इस घटना की रिपोर्ट नागर विमानन महानिदेशक को दे दी है। नागर विमानन के महानिदेशक वायुयान नियम, 1937 के अधीन उपयुक्त कार्रवाई कर रहा है।

बेरोजगार स्नातकों को "स्टालों" के ठेके दिया जाना

[हिन्दी]

2003. श्री राम लाल राही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय स्व-रोजगार नीति के अन्तर्गत "वेन्डिंग," "केटरिंग" और "बुक स्टालों" के ठेके देने में युवा बेरोजगार स्नातकों को प्राथमिकता देता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणी के अन्तर्गत दिल्ली और मुरादाबाद डिवीजनों में कितने ठेकों का आबंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार का युवा बेरोजगार स्नातकों को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई नई नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) खान-पान/वेंडिंग और बुक स्टाल ठेके आबंटित करने से संबंधित वर्तमान नीति में अन्य कोटियों के साथ-साथ बेरोजगार स्नातकों को तरजीह देने की व्यवस्था है।

(ख) दिल्ली मंडल में बुक स्टालों के 18 ठेके तथा मुरादाबाद मंडल में वेंडिंग का एक तथा बुक स्टालों के तीन ठेके आबंटित किए गए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय बेलून मेला

[अनुवाद]

2004. श्री एडुआर्डो फलेरो : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के दस शहरों में अत्यन्त सफलतापूर्वक आयोजित किए गए वर्ष 1990 के छठे अन्तर्राष्ट्रीय बेलून मेले (स्पष्ट रूप से 2-12-1990) की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार की भारत में गुब्बारा उड़ाने को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस प्रकार के कार्यकलापों को प्रारंभ में निजी संसाधनों की सहायता से पूरा किये जाने की आवश्यकता होगी।

कावेरी बेसिन से तेल का उत्पादन

2005. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने कावेरी तट-दूर क्षेत्र से तेल के उत्पादन के संबंध में कोई संभाव्यता प्रतिवेदन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की प्राप्ति हेतु छिद्रण-कार्य करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

2006. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवा प्रणाली एवं सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक हवाई अड्डे पर इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा कितनी खर्च की गई; और

(ग) उपलब्ध की गई सुविधाओं का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण सुविधाओं सहित विभिन्न सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1990-91 में संचार/दिक्चालन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर किये गये व्यय के ब्यौरे

सुविधा		निर्धारित की गई राशि (लाख रुपयों में)	अब तक खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)	कैफियत
1	2	3	4	5
1.	उपकरण अवतरण प्रणाली (7) दिल्ली, भुवनेश्वर, खजुराहो, इन्दौर, त्रिची, बंगलौर और कानपुर	130.00	100.00	चालू योजनाएं। कानपुर पर उपकरण अवतरण प्रणाली के संस्थापन का कार्य पूरा हो गया है और इसे दिल्ली और त्रिची पर जल्दी ही आरंभ किया जाना है।
2.	डी० वी० ओ० आर० (5) गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद और खजुराहो	4.00.00	300.00	चालू योजनाएं 4 डी० वी० ओ० आर० प्राप्त हो गए हैं। पांचवें के जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है।
3.	स्पीच स्विचिंग प्रणाली, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर और हैदराबाद	122.22	46.22	1990-91 में नये योजनाएं चालू की गयीं। संस्थापन का कार्य मार्च, 1991 तक पूरा होने की आशा है।

1	2	3	4	5
4.	ए० एम० एस० एस० गोहाटी, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास और नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	125.00	45.00	नयी योजनाएं, उपकरण के मार्च, 1991 तक प्राप्त होने की आशा है। गोहाटी और अहमदाबाद पर संस्थापन मार्च, 1991 तक पूरा होने की आशा है।
5.	काफी हवाई अड्डों पर एच० एफ० एस० एस० बी० टीकस० (60)	345.00	144.00	नई योजनाएं। 30 टी एक्स के मार्च, 1991 तक प्राप्त होने की आशा है। और 30 के अगस्त, 1991 तक प्राप्त होने की आशा है।
6.	काफी संख्या में हवाई अड्डों पर एच० एफ० एस० एस० बी० ट्रांस रिसीवर्स	115.00	37.40	नयी योजनाएं 40 उपकरण के मार्च, 1991 तक और 20 के जून, 1991 तक प्राप्त होने की आशा है।
7.	लगभग 50 हवाई अड्डों पर बी० एच० एफ० एफ० एम० वाकी टाकी सेट	75.00	60.00	चालू योजनाएं। सभी हवाई अड्डों के लिए प्राप्त की जाने वाली 50 उपस्करों में से केवल 3 प्राप्त होने बाकी हैं शेष प्राप्त हो गए हैं।
8.	इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स (47)	70.65	60.00	12 स्थानों पर संस्थापन पूरा हो गया है और 10 पर यह प्रगति पर है।
9.	दूरी मापक उपस्कर (16)	380.00	—	10 दूरी मापक उपस्करों के मार्च, 1991 तक प्राप्त होने की आशा है।
10.	दिल्ली हवाई अड्डे के लिए यू० एच० एफ०	10.00	—	उपस्कर के अगस्त, 1991 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।
	कुल :	1772.87	792.62	

कोयले पर आधारित नई तकनीक

2007. **श्री बी० देवराजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा विशेषज्ञों ने बिजली के उत्पादन के लिए एक कुशल तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित विकल्प के रूप में कोयले पर आधारित किसी नई तकनीक अर्थात इंटीग्रेटिड गैसिफिकेशन कम्बाईंड साइकिल का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) विभिन्न कोयला गैसीफिकेशन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने एवं अत्यधिक राख युक्त भारतीय कोयलों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए गठित विशेषज्ञ दल, विद्युत उत्पादन हेतु संघटित कोयला गैसीफिकेशन संयुक्त साइकिल (आई० जी० सी० सी०) में सम्मिहित तीन विभिन्न प्रजातियों के कोयले की गैसीफिकेशन की प्रक्रियाओं का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने में लगा हुआ है। इस समय उपलब्ध कोयला गैसीफिकेशन की तीन प्रक्रियाओं के गुणावगुण पर विचार करने पर अत्यधिक राख युक्त भारतीय कोयला हेतु एवं आई० जी० सी० सी० प्रणाली के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए फ्लूडाज्ड एवं मूविंग बेड गैसीफिकेशन प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी उपयुक्त पाई गई है।

वाराणसी से खजुराहो तक उड़ान संख्या 408

2008. **श्री बाल गोपाल मिश्र** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 सितम्बर, 1990 को वाराणसी से खजुराहो के लिए उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस के बोइंग बी० टी० ई० ए० जे० उड़ान संख्या 408 गंतव्य तक पहुंच नहीं सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विमान में कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे;

(घ) क्या इसमें कोई हताहत हुआ;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को कोई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (च) 17-9-90 को उड़ान संख्या आई० सी० 408 का परिचालन करने वाला बोइंग 737 विमान बी० टी०-ई० ए० जे० जिसमें 64 यात्री सवार थे, वाराणसी से उड़ते हुए हाईड्रोलिक प्रणाली में खराबी के कारण खजुराहो और आगरा के ऊपर से बिना उतरे हुए उड़ा। इसमें न तो कोई यात्री हताहत हुआ और न ही घायल हुआ। इंडियन एयरलाइंस के एक स्थायी जांच मंडल द्वारा दुर्घटना की जांच की गई थी और बोइंग कम्पनी को भी यह मामला भेजा गया था।

बोइंग कम्पनी ने इस निष्क्रियता को एक अलग-थलग मामला माना और इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की। इसलिए इंडियन एयरलाइंस का इस मामले पर कोई और आगे कार्रवाई न करने का विचार है।

पश्चिम बंगाल की लम्बित परियोजनाएं

2009. श्री सनत कुमार मंडल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पश्चिम बंगाल की विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय ग्रिड से विद्युत सप्लाई करने हेतु क्या सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की विद्युत स्कीमों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	वर्तमान स्थिति
जल विद्युत स्कीमें			
1.	फरक्का बराज ज० वि० परियोजना	5×25=125	जल विद्युत, सिविल लागत और विमानि मशीनरी पहलुओं के बारे में टिप्पणियों के सम्बन्ध में परियोजना प्राधिकारियों से उत्तर प्रतीक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्रतीक्षित है।
2.	राम्मन चरण-I	3×12=36	अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान किया जाना है।
ताप विद्युत स्कीमें			
3.	बज बज विद्युत उत्पादन केन्द्र	2×250=500	कोयला लिंकेज, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 29 के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि प्रतीक्षित हैं।
4.	सागरदीघी	4×250 अथवा 2×500=000	कोयला लिंकेज की उपलब्धता और कोयले की ढुलाई संबंधी व्यवस्था की पुष्टि प्रतीक्षित है।
5.	बालागढ़	3×10=630	कोयला लिंकेज की पुष्टि की जानी है। यूनिट की क्षमता को 210 मे० वा० से बढ़ाकर 250 मे० वा० किया जाना है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र के फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र और भूटान के चूखा जल-विद्युत केन्द्र से पश्चिम बंगाल को निम्नलिखित मात्रा में विद्युत का आबंटन किया गया है :

फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र (630 मे० वा०)	216 मेगावा (34.2 प्रतिशत)
चूखा ज० वि० केन्द्र (270 मे० वा०)	79 मेगावाट (29.1 प्रतिशत)

इसके अलावा, पश्चिमी बंगाल को फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र के 15 प्रतिशत अनाबंटित हिस्से और चूखा ज० वि० केन्द्र के 5% अनाबंटित हिस्से में से भी सहायता प्रदान की जाती है जोकि पूर्वी क्षेत्र के संघटकों में सापेक्ष प्रतिशत कमी पर निर्भर करती है।

अप्रैल से नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल द्वारा उपर्युक्त विद्युत केन्द्रों से 902 मि० यू० की अपनी कुल निर्धारित मात्रा की तुलना में वास्तविक रूप से 799 मि० यू० विद्युत ली गई।

एयर इण्डिया में लाभ/घाटा तथा छवि बनाने पर व्यय

2010. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा "लैंडर एसोसियेट्स आ० यू० एस० ए०" के माध्यम से "छवि बनाने" पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है, और एयर इंडिया को यातायात से आय में वृद्धि करने में इससे अन्ततः कितना लाभ हुआ है;

(ख) विदेशों में बंद किये गये कार्यालयों का ब्यौरा क्या है इनके कारण विदेशी एजेंसियों को कार्य सौंपने और जनरल सेल्स एजेंटों की नियुक्ति करने पर हुए व्यय की तुलना में कितनी बचत हुई है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया का लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है और इसमें से कितना भाग खाड़ी से लोगों को निकालने में इस कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि को हिसाब में डालने के बाद व्यय किया गया है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एयर इंडिया द्वारा छवि बनाने पर विदेशी मुद्रा में किया गया कुल व्यय 2.03 करोड़ रुपए है जिसमें परामर्शी शुल्क यात्रा व्यय लोगों इत्यादि का आयात शामिल है। इसे यातायात राजस्व से जोड़ना कठिन है।

(ख) हाल ही में एयर इंडिया के तीन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया था। बन्द किए गए कार्यालय, बन्द करने की तारीख और इससे अनुमानित बचत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

बन्द किए गए कार्यालय	बन्द करने की तारीख	अनुमानित बचत
याकोहामा	31-10-1989	15 लाख रुपए वार्षिक
सूवा	1-8-1989	12 लाख रुपए वार्षिक
कोबे	1-1-1991	10 लाख रुपए वार्षिक

याकोहामा और कोबे में सामान्य विक्रय एजेंटों की नियुक्ति नहीं की गई है। फिजी एयर को सूवा में सामान्य विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) 1990-91 के पूर्वार्द्ध में एयर इंडिया का अनुमानित लाभ 60 करोड़ (लगभग) रुपये है। खाड़ी से भारतीय राष्ट्रिकों को लाने पर किए गए खर्च के आधार पर एयर इंडिया द्वारा बीजक बनाया गया है और इस कारण से उसे हानि नहीं होगी वित्तीय प्रभाव, यातायात में कमी, तेल की कीमतों में वृद्धि तथा विमान/यात्री बीमा के कारण पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

2011. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभिन्न निगमों में, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कार्मिकों के लिये, चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वर्तमान अधिकारी का चयन किस प्रकार किया गया, कार्य-काल क्या है तथा वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) इनमें से कुछ निगमों में गैर-तकनीकी कार्मिकों को चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने में सरकार ने किन बातों पर विचार किया था;

(ङ) क्या इनमें से कुछ निगमों का पुनर्गठन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) ऊर्जा मंत्रालय के अधीन विभिन्न निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

(ग) विस्तृत ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के पदों पर नियुक्तियां संबंधित कार्यालय की विशिष्ट कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं उम्मीदवारों की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर की जाती हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

विवरण

ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के पदों पर वर्तमान पदधारियों के चयन के ढंग, उनकी कार्यावधि, वेतन एवं भत्ते तथा सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का नाम	चयन का तरीका	वर्तमान पदधारी की कार्यावधि	वेतन एवं भत्ते	सुविधाएं
1	2	3	4	5	6
1.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर चयन किया गया था।	पदधारी के अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक (अर्थात 27-4-1991 तक)	संशोधन पूर्व शड्यूल "ए" वेतनमान एवं भत्ते	सार्वजनिक चयन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।
2.	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	वही	पदधारी के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक (अर्थात् 10-10-1992)	संशोधन पूर्व शड्यूल "बी" के वेतनमान एवं भत्तों का अधिकतम	वही
3-	राष्ट्रीय विद्युत संचारण निगम	वही	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए अथवा पदधारी की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, इसमें जो भी पहले हो।	शड्यूल "ए" का वेतनमान एवं भत्ते	वही

1	2	3	4	5	6
4.	ग्राम विद्युतीकरण निगम	वही	कार्यभार सम्भालने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए।	शेड्यूल "ए" के वेतन मान एवं भत्ते लेकिन भारत सरकार के अपर सचिव के वेतन एवं भत्तों से कम नहीं।	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार
5.	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	वही	वर्तमान पदधारी का कार्यकाल 31-3-89 को समाप्त हो गया था जिसे 31-3-91 तक बढ़ाया गया है।	शेड्यूल "बी" के वेतन एवं भत्ते	वही
6.	विद्युत वित्त निगम	चयन सरकार द्वारा किया था	अगले आदेशों तक	सचिव, भारत सरकार को ग्राह्य वेतन तथा भत्ते	वही
7.	टिहरी जल विद्युत विकास निगम	सार्वजनिक उद्यम विभाग चयन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार चयन किया गया	पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए	अनुसूची "क" वेतनमान तथा भत्ते वैयक्तिक आधार	वही
8.	नाथपा झाकरी विद्युत निगम	वही	पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए।	संशोधन पूर्व अनुसूची "ख" वेतनमान एवं भत्ते। प्रतिमाह 2000/- रुपए की तदर्थ आधार पर राहत राशि भी प्राप्त करेगा।	वही

1	2	3	4	5	6
9.	कोल इण्डिया लि०	वही	5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा पदधारी की अधिवर्षिता की तारीख तक के लिए इसमें से जो भी पहले हो।	अनुसूची "क" वेतनमान एवं भत्ते	वही
10.	भारत कोकिंग कोल लि०	वही	वही	अनुसूची "ख" वेतनमान एवं भत्ते	वही
11.	इस्टर्न कोल फील्ड लि०	वही	वही	वही	वही
12.	साऊथ-इस्टर्न कोल फील्ड लि०	वही	वही	वही	वही
13.	वैस्टर्न कोल फील्ड लि०	वही	वही	वही	वही
14.	नोर्दर्न कोल फील्ड लि०	वही	वही	वही	वही
15.	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि०	वही	वही	वही	वही
16.	सेन्ट्रल कोल फील्ड लि०	वही	वही	वही	वही
17.	नैवेली लिग्नाइट निगम	पद पर नियमित रूप से नियुक्ति किए जाने के लिए सचिव कोयला विभाग, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद का अतिरिक्त पदभार सम्भाले हुए हैं।			
18.	इण्डियन रीन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग पदेन अध्यक्ष हैं।			

चीन के लिए विमान सेवा

2012. श्री समर कुमार बराक : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का चीन के लिए विमान सेवा प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विमान सेवा कलकत्ता से शुरू की जाएगी और चीन में इसे किन-किन विमान पत्तनों से जोड़ा जाएगा; और

(ग) यह विमान सेवा किस मार्ग पर तथा कब-कब चलाई जाएगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग) भारत और चीन के बीच सीधी सेवा की उड़ानों को आरम्भ करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है। तथापि, यह ऐसा मामला है जिसमें सरकार को लगातार ध्यान देना है।

दक्षिण भारत में विभिन्न औद्योगिक एककों को कोयले की सप्लाई में कमी

2013. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान सिंगरौली कोल कम्पनी लिमिटेड से दक्षिण भारत के विभिन्न औद्योगिक एककों को होने वाली कोयले की सप्लाई में कमी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कमी किस तरह पूरी की गई थी; और

(ग) क्या कोयला विभाग ने कोल इण्डिया लिमिटेड को दक्षिण भारत के संकटग्रस्त एककों को तत्काल कोयला भेजने के आदेश दिए थे और यदि हां, तो इस संबंध में कोल इण्डिया ने कुल कितना कोयला प्रेषित किया था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) जी, हां। इस वर्ष सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (सिं० को० कं० लि०) से कोयला की आपूर्ति हड़ताल और कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण कम हुई है। किन्तु नवम्बर, 1990 से कोयले के प्रेषण की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है। सिं० को० कं० लि० की खानों से कोयले के कम प्रेषण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावित यूनिटों को अपनी कोलियरीज से प्रेषण किए जाने में वृद्धि करें। अप्रैल-नवम्बर, 1990 की अवधि के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड से कोयले का कुल प्रेषण 110.7 मिलियन टन रहा है।

मुम्बई में रेल यात्री निवास बनाना

2014. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में रेल यात्री निवास बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) संसाधनों की तंगी के कारण बम्बई म रेल यात्री निवास की स्थापना करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं समझा जाता।

भारतीय तेल निगम, लखनऊ द्वारा शिकायतों का निपटान

2015. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डेन रसोई गैस उपभोक्ताओं से भारतीय तेल निगम में ग्राहक सेवा कक्ष, लखनऊ को प्राप्त शिकायतों के निपटान की दर बहुत कम है;

(ख) क्या पिछले दो महीनों के दौरान शिकायतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक शिकायत के निपटान के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) गत पांच माह के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन, लखनऊ के उपभोक्ता सेवा विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार से है—

माह	शिकायतों की संख्या
अगस्त, 1990	44
सितम्बर, 1990	43
अक्तूबर, 1990	54
नवम्बर, 1990	54
दिसम्बर, 1990	58

तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की जाती है और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो समुचित कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त शिकायतों में से 47 साबित मामलों के प्रति विपणन दिशानिर्देशों और डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की गई है।

अरब देशों से पेट्रोल का आयात

2016. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अरब देशों से कितने मूल्य का कितना पेट्रोल आयात किया गया तथा इसकी मांग कितनी थी; और

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान पेट्रोल की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान भारत में पेट्रोल की खपत क्रमश: 2.81 मि० टन, 3.05 मि० टन और 3.49 मि० टन रही है। वर्ष 1987-88 में कुवैत से 3.57 करोड़ रुपये के

16,000 मीट्रिक टन पेट्रोल का आयात किया गया था। वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान पेट्रोल का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1990 के दौरान पेट्रोल की खपत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के दौरान, आशा है कि रिफाइनरियों में देशी उत्पादन से पेट्रोल की मांग को पूरा किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान पेट्रोल के आयात की कोई योजना नहीं है।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का प्रभाव

2017. **श्री सीताराम पोटदुखे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरीकृत रेल यात्री आरक्षण प्रणाली के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इसमें सुधार के लिए और रेलवे आरक्षण में विभिन्न कमियों, त्रुटियों और कदाचारों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विभाग द्वारा अथवा किसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा अध्ययन कराने का विचार है; और

(घ) विभिन्न रेलवे मंडलों द्वारा कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के लिए अनुमानित कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) जी, हां। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने "नई दिल्ली में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण" पर अध्ययन शुरू किया है। इस अध्ययन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) 31-3-1990 तक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणालियों पर विभिन्न रेलों द्वारा किए गये अनुमानित खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

रेलवे	खर्च (करोड़ रुपयों में)
मध्य	22.03
पूर्व	19.93
उत्तर	26.41
पूर्वोत्तर	0.01
पूर्वोत्तर सीमा	0.01
दक्षिण	19.23
दक्षिण मध्य	9.70
दक्षिण पूर्व	0.01
पश्चिम	7.97

उदयपुर में यातायात की समस्या

[हिन्दी]

2018. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सिटी इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट" उदयपुर ने अजमेर डिवीजन को सेवाग्राम रेलवे क्रासिंग पर यातायात की भीड़ के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव रेलवे पुल सं० 171 के निकट एक स्पैन का "भूगत मार्ग" के रूप में उपयोग करने के बारे में है ताकि इसका उपयोग वाहनों के यातायात के लिए किया जा सके जिसके लिए रेलवे परामर्श से टाउन इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा विस्तृत नक्शों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

नडियाद-कपडवंज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और मोदासा तक विस्तार करना

[अनुवाद]

2019. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नडियाद-कपडवंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसे मोदासा तक बढ़ाने के कार्य को मंजूरी मिली थी और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या यह कार्य धीमी गति से चल रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) निर्माण कार्यक्रम 1978-79 में अनुमोदित किया गया था, इस समय परियोजना की लागत करीब 65 करोड़ रुपये आकलित की गई है।

(ख) जी, हां। क्योंकि पिछले वर्षों में संसाधनों की भारी तंगी के कारण परियोजना के लिए राशि का आबटन नहीं किया जा सका।

(ग) परियोजना को वर्ष 1989-90 में पुनर्चालित किया गया था। वर्ष 1989-90 में 3 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी थी और चालू वर्ष में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

राजकोट में उद्योगों के लिए आयातित कोयला

2020. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गुजरात में राजकोट स्थित इंजीनियरी उद्योग के लिए चीन से कोयले का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में; और

(ग) राजकोट में उद्योगों के लिए कुल कितने कोयले की आवश्यकता होती है और इसकी मांग किस हद तक पूरी की जाती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

2021. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश द्वारा 1989-90 में परियोजनाओं की स्थापना हेतु भेजी गई कुछ परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक मंजूर की जाएंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा नीचे दिया है :

क्र० सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	स्थिति
1	2	3	4
	ताप विद्युत स्कीमें		
1.	विजयवाड़ा चरण-3 (यूनिट 5 तथा 6)	2×210 =420	जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की शर्त के अधीन इस स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है।
2.	विशाखापत्तन में समुद्रतटीय ताप विद्युत केन्द्र	2×500 =1000	स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है बशर्ते कि केन्द्रीय जल आयोग (के० ज० आ०) से जल की उपलब्धता सम्बन्धी पुष्टि, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के बारे में के० वि० प्रा० की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए और उड़न राख समुपयोजन प्रबंध योजना प्रस्तुत की जाये।

1	2	3	4
3.	कोठागुडम चरण-5	2×210 =420	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज जल की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति आदि को सुनिश्चित किया जाना है।
4.	रामगुंडम विस्ता	2×210 =420	
5.	काकीनाडा में गैस आधारित संयुक्त साइकल संयंत्र	300	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से स्कीम को 400 मे०वा० क्षमता के लिए संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। संशोधित रिपोर्ट प्रतीक्षित है। ईंधन लिंकेज और सभी स्वीकृतियों को भी सुनिश्चित किया जाना है।
	जल-विद्युत स्कीमें		
6.	प्रियदर्शिनी जूराला	6×36.9 =221.4	परियोजना प्राधिकारियों से आयोजना, पारेषण, सिंचाई, लागत इन्जीनियरी और निर्माण मशीनरी आदि से सम्बन्धित पहलुओं के सम्बन्ध में टिप्पणियों के उत्तर प्रतीक्षित हैं।
7.	वेलुगुडु बैलेंसिंग जलाशय स्कीम	2×5=10	वही
8.	ककटिया नहर	1×3=3	वही
9.	पोलावर बहुद्देशीय	9×80=720	रिपोर्ट को वापिस कर दिया गया है और जल संसाधन मन्त्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा बहुद्देशीय परियोजना को स्वीकृत किए जाने के बाद इसे पुनः प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(ग) परियोजना फीचर्स/पैरामीटर्स, आवश्यक निवेश और स्वीकृतियां, जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, सुनिश्चित किये जाने के बाद क्र० सं० 3 से 9 पर दी गई स्कीमों को के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु हाथ में लिया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था

2022. **श्री राजमोहन रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण और विशेषकर पम्प-सेटों के लिए बिजली की सप्लाई के कार्यक्रम के लिए धन आवंटित करने के बारे में समान नीति अपनाई जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण और खासकर पम्पसैटों के ऊर्जन हेतु वित्त-पोषण की समान नीति अख्तियार करने के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों से कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि, वित्तपोषण की व्यवस्था करने एवं लक्ष्य निर्धारित करने के मामले में प्रत्येक वर्ष वार्षिक आधार पर जिस दल द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है उसमें योजना आयोग, विद्युत विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ग्राम विद्युतीकरण निगम एवं सम्बन्धित बोर्डों के प्रतिनिधि होते हैं।

केरल में बिजली की कमी

2023. **श्री ए० विजय राघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	जल विद्युत स्कीमें		
1.	अन्नाकायाम	2 × 4 = 8	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण और वन सम्बन्धी दृष्टि से अभी स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
2.	अथीरापल्ली	2 × 80 = 160	स्कीम को के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा 29 के तहत प्राप्त अभ्यावेदनों का निपटान किये जाने तथा स्कीम को पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृत किये जाने पर

1	2	3	4
			केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को स्वीकृत किए जाने पर विचार किया जाएगा।
3.	मणियार	1×5+ 2×2.5=10	परियोजना से संबंधित जल विद्युत आयोजना और निर्माण मशीनरी आदि पहलुओं पर से सम्बन्धित टिप्पणी परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।
4.	कुकियाळी विस्तार	1×50=50	परिवहन पहलुओं से संबंधित टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।
5.	बूथाथनकिट्ट	3×10=30	दूर संचार, पारेषण और आयोजना पहलुओं से संबंधित टिप्पणियों के जवाब परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षित हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्रतीक्षित है।
6.	पल्लीवासल पुनर्वास स्कीम	3×20=60	निर्माण मशीनरी संबंधी पहलुओं की टिप्पणियों के जवाब परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षित हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्रतीक्षित है।
7.	चेम्बुक्केदवन लघु जल विद्युत स्कीम चरण-2	3×3=9	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है।
8.	पैम्बर लघु जल विद्युत परियोजना	2×15=30	स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित हैं। इसे मार्च, 1990 में राज्य सरकार को वापिस कर दिया गया था।
9.	करपाड़ा कुरियाकुट्टी बहुद्देशीय परियोजना ताप विद्युत स्कीम	2×12+ 3×26=84	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है।
10.	ब्रह्रामपुरम (कोचीन) में तेल/गैस पर आधारित सी० सी० जी० टी० संयंत्र	2×30+ 1×30=90	ईंधन लिंकेज की व्यवस्था नहीं की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति, जल की उपलब्धता की व्यवस्था आदि अभी सुनिश्चित की जानी है।

केरल में लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

2024. श्री ए० विजय राघवन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल के लिए कितनी परियोजना मंजूर की गई और लम्बित पड़ी विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) विगत के तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग क्रियान्वयन के लिए कोई भी विद्युत परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है। विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति जिनको अभी तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत/अनुमोदित किया जाना है, निम्नवत है :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	जल विद्युत स्कीमें		
1.	अप्पाकायाम	2×4=8	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण और वन सम्बन्धी दृष्टि से अभी स्वीकृत प्राप्त की जानी है।
2.	अथीरापल्ली	2×80=160	स्कीम को के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा 29 के तहत प्राप्त अभ्यावेदनों का निपटान किए जाने तथा स्कीम को पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृत किये जाने पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाएगा।
3.	मणियार	1×5+ 2×2.5=10	परियोजना से संबंधित जल विद्युत आयोजना और निर्माण मशीनरी आदि पहलुओं पर से संबंधित टिप्पणी परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।
4.	कुकियाडी विस्तार	1×50=50	परिवहन पहलुओं से संबंधित टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
5.	बूथाथनकिट्टू	3×10=30	दूर संचार, परिवहण और आयोजना पहलुओं से संबंधित टिप्पणियों के जवाब परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षित हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है।
6.	पल्लीवासल पुनर्वास स्कीम	3×20=60	निर्माण मशीनरी सम्बन्धी पहलुओं की टिप्पणियों के जवाब परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षित हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्रतीक्षित है।
7.	चेम्बुककेदवन लघु जल विद्युत स्कीम चरण-2	3×3=9	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है।
8.	पैम्बर लघु जल विद्युत	2×15=30	स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित हैं। इसे मार्च, 1990 में राज्य सरकार को वापिस कर दिया गया था।
9.	करपाड़ा कुरियाकुट्टी बहुद्देशीय परियोजना ताप विद्युत स्कीम	2×12+ 3×20=84	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है।
10.	बहरामपुरम (कोचीन) में तेल/गैस पर आधारित सी० सी० जी० टी० संयंत्र	2×30+ 1×30=90	ईंधन लिंकेज की व्यवस्था नहीं गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति, जल की उपलब्धता की व्यवस्था आदि अभी सुनिश्चित की जानी है।

श्रेणी-दो अधिकारियों के पद

2025. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रेणी-दो के सभी पदों का सृजन विशेष रूप से डिपो-वार संचालन कार्य की देखभाल के लिए किया गया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने पदों का सृजन किया गया था और किन कार्यालयों/डिपो के लिए किया गया था;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति डिपो और यार्डों में करने के बजाय प्रभागीय मुख्यालयों और अन्य कार्यालयों में की गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी नियुक्तियां की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ए०सी०सी० बाबकाक लिमिटेड के साथ किया गया पैकेज

2026. **श्री हाराधन राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ए०सी०सी० कम्पनी (एसोसिएटेड सीमेंट एण्ड बाबकाक कम्पनी) के साथ एक पैकेज किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सहायता और प्रथम वर्ष के लिए 800 मेगावाट तथा शेष चार वर्षों के लिए 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए बायलर के गारंटी-शुदा आर्डर की बातें शामिल थीं;

(ख) क्या पैकेज में तय की गई बातों का अनुपालन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार द्वारा मार्च, 1988 में एक पैकेज तैयार किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सहायता एवं यह प्रावधान कि 1988-89 के दौरान 800 मेगावाट एवं उसके बाद अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 400 मेगावाट के बायलर हेतु आर्डर दिए जाने की व्यवस्था विद्युत विभाग सुनिश्चित करेगा, शामिल था। ए०बी०एल० को पैकेज तैयार होने के बाद अब तक 1050 मेगावाट के बायलर हेतु आर्डर प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) ए०बी०एल० को विभिन्न एजेंसियों से पर्याप्त आर्डर न मिलने का कारण विद्युत परियोजनाओं के संसाधनों में काट-छांट किया जाता रहा है क्योंकि कई परिकल्पित परियोजनाओं को अभी निवेशगत अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रत्येक रेल डिब्बे के लिए टी० टी० ई०/कोच कण्डक्टर

2027. **श्री हाराधन राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्रत्येक डिब्बे के लिए एक टी० टी० ई०/कोच कण्डक्टर की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) चल टिकट परीक्षकों/सवारी डिब्बा कंडक्टरों द्वारा आरक्षित सवारी डिब्बों को सम्हालने से संबंधित मानदंडों की समीक्षा करने का विचार है।

अंगोला से तेल का आयात

2028. **श्री शान्ताराम पोटदुखे:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगोला ने प्रति-व्यापार समझौते के अन्तर्गत कच्चे तेल की सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त सौदे को अंतिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इराक पर बकाया

2029. **श्री शान्ताराम पोटदुखे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्लाई किए गए माल और उपकरणों की लागत सहित "इंडियन रेलवे कांस्ट्रक्शन कम्पनी" और "रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानोमिक सर्विस" द्वारा इराक में किए गए विभिन्न कार्यों के लिए भारतीय रेलवे का इराक सरकार पर अनुमानतया कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) इस बकाया धनराशि की वसूली किस प्रकार की जायेगी;

(ग) क्या इराक-सरकार ने इस बकाया धनराशि की अदायगी के लिए कोई उपाय सुझाया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) इराक में इरकान द्वारा निष्पादित कार्य के लिए इराक द्वारा इरकान को वर्तमान अनुमानित देय राशि 74.93 मिलियन अमरीकी डालर और राइट्स को वर्तमान अनुमानित देय राशि 48.685 मिलियन अमरीकी डालर है (कुल 223.74 करोड़ रुपये के बराबर)।

(ख) से (घ) भारत और इराक की सरकारों के बीच हुए करार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे तेल के आयात का भी प्रावधान किया गया है, के अनुसार इराकी प्राधिकारियों से देय राशि वसूल की जानी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 661 ने इराक से आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। तथापि, इराक में वर्तमान अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए कोई उपाय किए जाने के लिए वहां स्थिति सामान्य होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन

2030. **श्री अनिल बसु :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यान्वयनाधीन योजनाएं कौन-कौन सी हैं; उनकी अनुमानित लागत क्या है, उन पर अब तक वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च की गई और यदि इसमें कोई कमी हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत निष्पादन योजनाओं की स्थिति को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	योजना/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	31-12-90 को व्यय	कमी के कारण/टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1.	बम्बई हवाई अड्डे पर अन्तर्देशीय टर्मिनल	19.73 (करोड़ रुपए)	11.64 करोड़ रुपए	परियोजना संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है और सितम्बर 1991 तक बिल्डिंग में काम करना शुरू हो जाने की संभावना है।
2.	कलकत्ता में नए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पलैक्स का निर्माण	19.58 करोड़ रुपये	5.18 करोड़ रुपये	प्रस्तावित टर्मिनल कम्पलैक्स के भीतर मौजूदा निर्माण के स्थानांतरण और पुनर्वास होने के कारण विलंब हुआ है।
3.	बम्बई हवाई अड्डे (फेज-1) पर कार्गो कम्पलैक्स का विस्तार	6.82 करोड़ रुपये	0.40 करोड़ रुपये	ठेकेदार के खराब काम के कारण ठेका रद्द कर दिया गया था। शेष कार्य के लिए नए टेंडरों को आमंत्रित किया गया है।

कच्चे तेल के मामले में गड़बड़ी

[हिन्दी]

2031. डा० चिन्ता मोहन :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री कमल नाथ :
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
श्री हरीश पाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 नवम्बर, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "बंगलिंग आन दि क्रूड फंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चालू वर्ष के लिए निर्धारित कच्चे तेल के लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना नहीं है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल का कितना कम उत्पादन होगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए वर्ष के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 33 मि० टन है। संभावित उपलब्धि इस लक्ष्य से नीचे होने की सम्भावना है।

(ग) उत्पादन में होने वाली कमी 2.174 मि० टन तक होने की है। कमी के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) असम और नागालैंड में बंध और आन्दोलन।

(2) एस० एस० एच० एस० की निष्पादन समस्याओं की वजह से कोयाली रिफाइनरी द्वारा क्रूड का कम उठाना।

(3) तेल क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा तीन दिन की हड़ताल।

(4) उच्च गैस तेल अनुपातों की घटना की वजह से गुजरात और बम्बई अपतट में कुछ कुओं का बन्द हो जाना।

(5) गुजरात में बाढ़ और जल जमाव की घटनाएं।

(6) रावा अपतट क्षेत्र के विकास में विलम्ब।

(घ) कोयाली रिफाइनरी में एस० एस० एच० एस० की समस्या का समाधान हो गया है। रावा अपतट क्षेत्र का तेजी से विकास किया जा रहा है। कुंआवार गहरा विश्लेषण करने और उत्पादक क्षेत्रों से उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कैश योजना बनाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में एक कार्य दल का गठन किया गया है।

उदयपुर स्टेशन पर वैगनों की कमी

2032. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेलखड़ी, संगमरमर, राकफास्फेट और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन उदयपुर में होता है जिसकी रेकों में अन्य स्थानों की ढुलाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उदयपुर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार वहां मांग के अनुसार वैगन उपलब्ध कराने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (घ) जी हां, उदयपुर क्षेत्र इन

वस्तुओं के महत्वपूर्ण उत्पादकों में से एक है और इनका लदान रेकों और फुटकर दोनों में ही किया जाता है। इस यातायात के संचलन के लिए प्राथमिकता और बारी के अनुसार पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जब व्यस्त मौसम में उच्च प्राथमिकता वाले यातायात की ढुलाई वरीयता के आधार पर की जाती है तो मांग और सप्लाई के बीच समय अन्तराल हो जाता है।

रेलवे द्वारा डीजल की खपत

[अनुवाद]

2033. कुमारी उमा भारती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा डीजल की बचत करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) रेलवे में वर्ष 1988-89, 1989-90 में और चालू वर्ष में अब तक डीजल तेल की कितनी खपत हुई है; और

(ग) डीजल तेल की बचत हेतु रेल लाइनों के विद्युतीकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) रेलों में डीजल तेल की खपत मुख्यतः कर्षण प्रयोजनों के लिए डीजल रेल इंजनों पर की जाती है। रेलों ने डीजल रेल इंजनों की कुशलता में सुधार करने और डीजल तेल की खपत में बचत करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। डीजल तेल की खपत में बचत करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं :

1. उनका ठीक से रख-रखाव और हिसाब रखना।

2. रेल इंजनों पर डीजल की खपत की ड्राइवर-वार और इंजन-वार निगरानी रखना।

3. रेल इंजनों को सही यांत्रिक हालत में रखने के लिए निगरानी रखना।

4. रेल-पथ और पहिया कोरो आदि का स्नेहन।

(ख) 1998-89, 1989-90 और 1990-91 (अप्रैल-से सितम्बर) के दौरान रेलों में डीजल तेल की वर्ष-वार खपत इस प्रकार है :

वर्ष	डीजल की खपत (लाख किलोलिटर में)
1988-89	16.79
1989-90	17.05
1990-91	8.27
(अप्रैल से सितम्बर)	
(अनन्तिम)	

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान कुल 2812 मार्ग किलोमीटर को विद्युतीकृत किया गया अर्थात प्रति वर्ष औसतन 562 मार्ग किलोमीटर के हिसाब से 31-3-90 तक कुल 9252 मार्ग कि०मी० विद्युतीकृत हो गया। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष में और 1000 मार्ग कि०मी० को विद्युतीकृत किए जाने का कार्यक्रम है, योजना अवधि के लिए समग्र रूप से लगभग 3000 मार्ग कि०मी० को विद्युतीकृत किए जाने की सम्भावना है।

औषध आयात

2034. **श्री बसन्त साठे :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1990 के "इकानोमिक टाइम्स" में ड्रग इम्पोर्ट बाई मिनिस्टरर्स सन अन्डर क्लाउड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) इन्टरफेरोन इन्जेक्शन (अलफा 2 बी०/अलफा एन० एल०) कैंसर-रोधी औषधि है और देश में इसके विपणन की अनुमति दी है। इस सम्बन्ध में 6-5-88 को तीन फर्मों को अनुमति दी गई थी। यह औषधि आयात और निर्यात नीति 1990-93 के ओ०जी० एल० परिशिष्ट-VI, सूची 3, मद संख्या 1 (Xii) के अन्तर्गत सूचीबद्ध हैं। मै० जेनेटिक्स साइन्सेज (ई०) प्रा० लि० को 16-9-88 को उक्त औषधि के आयात और विपणन की अनुमति दी गई थी। कम्पनी को फार्म 10 लाइसेंस ऐसे लाइसेंस की स्वीकृति के लिए कंपनी द्वारा सभी शर्तें पूरी करने के बाद औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा 6-4-90 को स्वीकृत किया गया था।

रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा वाले हवाई अड्डे

2035. **श्री प्रताप सिंह :**

श्री पुंडलिक हरि दानवे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं, जिनमें रात्रि के समय विमानों के उतरने की सुविधाएं हैं; और

(ख) देश में सभी हवाई अड्डों, विशेष रूप से औरंगाबाद हवाई अड्डे में रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो एयर लाइनों की आवश्यकताओं और भूमि और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। औरंगाबाद हवाई अड्डे को इन सुविधाओं से युक्त कर दिया गया है।

विवरण

1.	अगरतला	7.	बागडोगरा
2.	आगरा	8.	बेलगाम
3.	अहमदाबाद	9.	भटिण्डा
4.	इलाहाबाद	10.	भोपाल
5.	अमृतसर	11.	भावनगर
6.	औरंगाबाद	12.	भुवनेश्वर

13.	भुज	31.	कानपुर
14.	बम्बई	32.	खजुराहो
15.	कलकत्ता	33.	लखनऊ
16.	कालीकट	34.	मद्रास
17.	चाबुआ	35.	मदुरै
18.	चण्डीगढ़	36.	मंगलौर
19.	कोयम्बतूर	37.	नागपुर
20.	दिल्ली	38.	पटना
21.	गोरखपुर	39.	पुणे
22.	ग्वालियर	40.	रांची
23.	गुवाहाटी	41.	राजकोट
24.	हैदराबाद	42.	श्रीनगर
25.	इन्दौर	43.	तेजपुर
26.	जयपुर	44.	तिरुचिरापल्ली
27.	जैसलमेर	45.	त्रिवेन्द्रम
28.	जामनगर	46.	उदयपुर
29.	जोधपुर	46.	बड़ोदरा
30.	जोरहाट	48.	वाराणसी

दक्षिण में "पैलेस आन व्हील्स"

2036. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
प्रो० के० वी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण में "पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह गाड़ी कब तक आरंभ कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) जब अक्तूबर 1991 में "पैलेस आन व्हील्स" का नया वातानुकूलित रेक चलाया जायेगा, तब पर्यटन विभाग के साथ परामर्श करके उसे वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए दक्षिणी क्षेत्र में उपयोग में लाये जाने की व्यावहारिकता की जांच की जाएगी।

जलबिजली परियोजनाएं

[हिन्दी]

2037. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी पनबिजली का उत्पादन होता है;

(ख) कितनी पनबिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा इनकी क्षमता कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरी हो जाने तथा कार्य करने की सम्भावना है;

(घ) नेपाल से भारत की ओर बहने वाली अनेक नदियों में विभिन्न बहुद्देशीय परियोजनाओं से कितनी पनबिजली पैदा करने का प्रस्ताव है अथवा पैदा किए जाने की सम्भावना है; और इन परियोजनाओं को कब तक चालू कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) नहरों तथा अन्य लघु जल स्रोतों से बिजली पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ ढाकणे): (क) वर्ष 1989-89 के दौरान जल विद्युत कुल उत्पादन राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्रवार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 8वीं योजना में लाभ देने वाली निर्माणाधीन तथा स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्र/राज्यवार ब्योरा, उनकी क्षमता तथा सम्भावी प्रचालन अनुसूची संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विचार-विमर्श के अन्तर्गत नेपाल में से होकर भारत में बहने वाली विभिन्न नदियों पर मिश्रित बहुद्देशीय परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की प्रस्तावित प्रष्ठिापित क्षमता 15200 मे० है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

1989-90 के दौरान जल विद्युत प्रतिष्ठापित क्षमता और विद्युत उत्पादन का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्योरा

क्षेत्र/राज्य	31-3-90 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	वार्षिक डिजाइन ऊर्जा (मि० यू०)	वास्तविक उत्पादन 1989-90 (मि० यू०)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
1. केन्द्रीय/साझी परियोजनाएं			
(क) बी०बी०एम०बी०	2704.5	9515	11450
(ख) एन०एच०पी०सी०	52.5	3037	2983
उपजोड़	3229.5	12552	14433

1	2	3	4	5
	2. हरियाणा	48	220	224
	3. हिमाचल प्रदेश	271.77	1178	913
	4. जम्मू एवं कश्मीर	180.305	922	922
	5. पंजाब	515.1	2973	2656
	6. राजस्थान	420.165	1075	961
	7. उत्तर प्रदेश	1432.55	5227	5080
	जोड़ उ० क्षेत्र	6097.39	24147	25189
प० क्षेत्र				
	1. गुजरात	365	1193	997
	2. मध्य प्रदेश	205.435	819	516
	3. महाराष्ट्र			
	(क) महा०रा०वि० बोर्ड	1381.875	4311	4004
	(ख) टाटा जल विद्युत	278	1350	1129
	उपजोड़	1667.875	5661	5133
	जोड़ प० क्षेत्र	2228.31	7673	6646
दक्षिणी क्षेत्र				
	1. आन्ध्र प्रदेश	2500.76	7908	8075
	2. कर्नाटक	2210.8	7674	8239
	3. केरल	1476.5	5281	5068
	4. तमिलनाडु	1940.95	4071	3326
	जोड़ दक्षिणी क्षेत्र	8129.81	26934	24708

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
	1. उड़ीसा	1070	3731	3213
	2. डी॰वी॰सी॰	144	247	306
	3. बिहार	150	237	256
	4. प॰ बंगाल	46.46	118	101
	5. सिक्किम	17.596	49	36
	उप जोड़ पूर्वी क्षेत्र	1429.056	4382	3912
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
	1. मेघालय	127.71	310	404
	2. त्रिपुरा	16.01	49	45
	3. केन्द्रीय परियोजनाएं			
	(क) एन॰एच॰पी॰सी॰	105	538	450
	(ख) नीपको	105.006	805	942
	उप जोड़ केन्द्रीय	255.006	1333	1092
	4. असम	2	00	0
	5. अरुणाचल प्रदेश	16.16	0	0
	6. मणिपुर	2.6	0	0
	7. नागालैंड	2.5	0	0
	8. मिजोरम	2.365	0	0
	जोड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र	423.351	1692	1541
	जोड़ अखिल भारत	18303.117	64828	61996

विवरण-II

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	आठवीं योजना के दौरान लाभ (मे०वा०)	चालू करने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	निर्माणाधीन और स्वीकृति स्कीमें				
(क)	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	चमेरा चरण-1 (एन०एच०पी०सी०)	हि० प्र०	3×180	540	1992-93
2.	दुलहस्ती (एन०एच०पी०सी०)	जे० एंड के०	3×130	390	1994-95
3.	सलाल-2 (एन०एच०पी०सी०)	जे० एंड के०	3×115	435	1993-94
4.	टनकपुर (एन०एच०पी०सी०)	उत्तर प्रदेश	3×40	120	1991-92
5.	रंगीत (एन०एच०पी०सी०)	सिक्किम	3×20	60	1994-95
*6.	दोयांग (नीपको)	मेघालय	3×25	75	1994-95
	केन्द्रीय क्षेत्र-एक		18 यूनिट	1530	
(ख)	राज्य क्षेत्र				
	उत्तरी क्षेत्र				
2.	1. दादुपुर	हरियाणा	4×1.5	6	1994-95
	2. बनेर	हि० प्र०	3×4	12	1994-95
	3. गज	वही	3×3.5	10.5	1992-93
	4. घाम्बी	वही	3×7.5	22.5	1994-95
	5. लारजी	वही	3×42	126	1994-95
	6. उहल-3	वही	4×17.5	70	1994-95
	7. बिरोट	वही	3×1.5	4.5	1993-94
	8. अपर सिंध-2	जे० एण्ड के०	2×35	70	1991-92
	9. अपर सिंध विस्तार	वही	1×35	35	1994-95
	10. कारगिल	वही	3×1.25	3.75	1992-93

1 2	3	4	5	6
11. यू०बी०डी०सी० चरण-2	पंजाब	3×15	80	1990-91
*12. जाखम	राजस्थान	1×5.5	5.5	1994-95
13. सूरतगढ़	राजस्थान	2×2	4	1991-92
14. मंगरोल	राजस्थान	3×2	6	1990-91
15. श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	6×55	55	1994-95
16. सोबला	उत्तर प्रदेश	3×2	6	1993-94
उपजोड़		41 यूनिट	456.75	
पश्चिमी क्षेत्र				
1. कदाना चरण-1	गुजरात	2×60	60	1991-92
*2. कदाना पी०एस०बी० विस्तार	गुजरात	2×60	120	1994-95
3. सरदार सरोवर	गुजरात म०प०	6×200	500	1994-95
4. बाणसागर टोन्स	म०प्र०	3×105	315	1990-91
		3×151+	30	1994-95
		3×20	60	1993-94
*5. हस्दियो बेंगो	मध्य प्रदेश	3×40	120	1993-94
6. बिरसिंगपुर	मध्य प्रदेश	1×20	20	1991-92
7. तावा एल०बी०सी०	मध्य प्रदेश	2×6	12	1993-94
8. भास्सा	महाराष्ट्र	1×15	15	1990-91
9. भण्डारदारा चरण-2	महाराष्ट्र	1×34	34	1993-94
10. माणिकडोह	महाराष्ट्र	1×6	6	1993-94
11. सूर्या	महाराष्ट्र	1×6	6	1992-93
12. वारना	महाराष्ट्र	2×8	16	1993-94
13. कोयना चरण-4	महाराष्ट्र	4×250	1000	1994-95
14. उज्जानी	महाराष्ट्र	1×12	12	1992-93
15. दूधगंगा	महाराष्ट्र	2×12	24	1993-95
16. विधभे	महाराष्ट्र	1×5	5	1993-94
17. कन्हेर	मराराष्ट्र	1×4	4	1990-91
उपजोड़		36 यूनिट	2359	

1	2	3	4	5	6
	दक्षिणी क्षेत्र				
1.	श्रीसैलम एल०बी०पी०एच०	आन्ध्र प्रदेश	6×150	300	1994-95
2.	बेलीमेल्ला**	वही	2×30	60	1994-95
3.	अपरसिलेरू	वही	2×60	20	1992-93
4.	पैन्ना एहोबिल्लम	वही	2×10	20	1991-92
5.	नागार्जुनसागर एल०बी०सी०	वही	2×30	60	1990-91
6.	मुम्पूर कैनाल-1	वही	2×2	4	1992-93
7.	कालीनदी-2 (कोडासल्ली एवं कदरा)	कर्नाटक	3×40+ 3×50	270	1993-95
8.	इरावती टी० आर०	कर्नाटक	4×60	240	1593-95
9.	घाटप्रभा	कर्नाटक	2×16	32	1991-92
10.	मल्लापुर	कर्नाटक	2×4.5	9	2992-93
11.	वराही	कर्नाटक+	2×151	124	1990-92
	—	1	2×4.5		
12.	लोअर पेरियार	केरल	3×60	180	1992-93
13.	मुवत्तीपूझा	केरल	2×3.5	7	1992-93
14.	कक्काडा	केरल	2×25	50	1992-93
15.	कल्लाडा	केरल	2×7.5	15	1991-92
16.	पोरिंगलकुथु विस्तार-यूनिट-4	केरल	1×16	16	1992-93
17.	लोअर भवानी आरबीसी	तमिलनाडु	2×4	8	1994-95
18.	सथनूर	तमिलनाडु	2×7.5	15	1994-95
19.	लोअर भवानी	तमिलनाडु	4×2	4	1990-91
		उपजोड़	45 यूनिट	1534	
	पूर्वी क्षेत्र				
1.	पूर्वी गण्डक कैनाल	बिहार	3×5	15	1991-93
2.	सोन पश्चिमी कैनाल	बिहार	4×1.65	6.6	1991-92

1	2	3	4	5	6
	3. सोन पूर्वी कैनाल	बिहार	2×1.65	3.3	1992.93
	4. चाण्डिल डिहा	बिहार	2×4	8	1993-94
	5. उत्तरी कोयल	बिहार	2×12	24	1993-94
	6. गयांगचू	सिक्किम	2×2	4	1991-92
	7. अपर रौंगिचू	सियिकम	4×2	8	1991-93
	8. अपर इन्द्रावती	उड़ीसा	4×150	600	1992-94
	9. रेंगाली विस्तार	उड़ीसा	3×50	50	1991-92
	10. अपर कोलाब विस्तार	उड़ीसा	1×80	80	1991-92
	11. पोट्टेरू उड़ीसा	उड़ीसा	2×3	6	1993-94
	12. हिराकुड चरण-3	उड़ीसा	1×37.5	37.5	1990-91
	13. राम्मम चरण-2	प० बंगाल	4×12.5	50	1992-93
	14. तीस्ता फाल्स-1	प० बंगाल	3×7.5	22.5	1992-93
	15. तीस्ता फाल्स 2 से 4	प० बंगाल	6×7.5	45	1992-93
		उपजोड़	41 यूनिट	959.9	
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
	1. टंगो	आन्ध्र प्रदेश	3×1.5	3	1990-91
	2. लोअर बोरपानी	असम	2×50	100	1992-93
	3. लानसीकी	असम	15×133	20	1991-93
	4. लिकिम्रा-रो	नागालैण्ड	3×8	24	1993-94
	5. उमियम-उमतरु (अपर खेड़ी डिविजन स्कीम को छोड़कर)	मेघालय	2×30	60	1991-92
		उपजोड़	24 यूनिट	207	
	राज्य क्षेत्र जोड़-I		190 यूनिट	5526.65	
	अखिल भारत जोड़-I		205 यूनिट	7056.65	

* पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्वीकृति अपेक्षित है।

** आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच अन्तर्राज्यीक पहलुओं का समाधान किया जाना है।

टिप्पणी : 3 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली मिनी/माइक्रो स्कीमों को शामिल नहीं किया गया है।

बिहार में कोयला खानों में बिजली की कमी

2038. श्री देव नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयला खानों में बिजली की अत्यधिक कमी है जिसके कारण उत्पादन कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों के नाम क्या हैं और इनमें बिजली की कितनी कमी है और कोयला खानों में बिजली की कमी कब से चल रही है;

(ग) बिजली की कमी के कारण उत्पादन की लगभग कितनी हानि हुई है और इसका मूल्य तना है और इस सम्बन्ध में खान-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) इन कोयला खानों में सामान्य रूप से बिजली सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) जी, हां। पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानें विशेषकर न, 1990 के अन्तिम सप्ताह से बिजली की कमी तथा बार-बार बिजली में अवरोधों का सामना कर ती हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी एगी।

(घ) इन कोयला खानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए दमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों द्वारा सम्बन्धित बिजली आपूर्ति करने वाले अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क रखना तथा इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई।

(2) कोयला विभाग, बिजली विभाग, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम और कोल इण्डिया लि०, आदि के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित किया जाना।

(3) कोयला कम्पनियों द्वारा कैपटिव पावर जनरेशन गृहों का स्थापित किया जाना।

(4) फालतू क्षेत्रों से तथा अनाबंटित केन्द्रीय हिस्से से बिजली की आपूर्ति करके दामोदर घाटी निगम प्रणाली को बाहरी सहायता प्रदान करना।

(5) कोयला खानों के सम्बन्ध में फीडर्स का पृथक्करण और दामोदर घाटी निगम (दा० घा० नि०) द्वारा बिजली की सीधी आपूर्ति।

ताप बिजली परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

[अनुवाद]

2039. कुमारी उमा भारती : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ताप बिजली परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि मंजूर की गई है;

(ख) इस ऋण-राशि से किन-किन ताप बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का खजुराहो निर्वाचन-क्षेत्र में एक ताप-बिजली परियोजना आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) भारत में निम्नलिखित तीन निर्माणधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के लिये एशियाई विकास बैंक (ए० डी० बी०) ने 617.40 मिलियन अमरीकी डालर (1038.13 करोड़ रुपये) की ऋण सहायता का अनुमोदन किया है : —

परियोजना का नाम तथा क्षमता		अनुदान की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	करोड़ रुपये	
1. रायलसीमा (मुद्दनूर) ता० वि० के० —2×210 मे० वा०		230	375	
2. उत्तरी मद्रास ता० वि० के० —3×210 मे० वा०	(1)	150	258	(यूनिट 1 व 2 के लिए)
	(2)	77.40	133.13	(यूनिट 3 के लिए)
3. ऊंचाहार ता० वि० के० विस्तार —2×210 मे० वा०		160	272	

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने खजुराहो में एक ताप विद्युत परियोजना की प्रतिष्ठापना के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

विशाखापत्तनम में अनुप्रवाहगामी पेट्रो रसायन परियोजनाएं

2040. श्री के० बोक्का राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में पेट्रोरसायन परिसर की अनुप्रवाहगामी परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी करने सम्बन्धी नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : विजाग नैफ्था क्रैकर की डाउन स्ट्रीम परियोजना के लिए आशय-पत्र जारी करने के लिए सरकार को आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे आवेदनों पर परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद तकनीकी-आर्थिक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

सीमेंट उद्योग को कोयले की सप्लाई

2041. श्री माधवराव सिंधिया : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग ने कुछ समय पूर्व कोयले की बहुत कम सप्लाई होने के कारण सीमेंट के उत्पादन में भारी कमी होने की गंभीर आशंका प्रकट की थी;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार इस उद्योग को की जाने वाली सप्लाई की स्थिति क्या थी; और

(ग) सीमेंट उद्योग को कोयले की समुचित सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) अप्रैल-सितम्बर, 1990 की अवधि के दौरान सीमेंट उद्योग को कोयले की कुल आपूर्ति, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई 43.2 लाख टन की कोयले की आपूर्ति की तुलना में, 45.7 लाख टन की गई। इस अवधि के दौरान हड़ताल और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में कम उत्पादन होने की वजह से, विशेषकर दक्षिण के सीमेंट उद्योगों को कोयले की आपूर्ति कम की जा सकी थी। अब कोयले की आपूर्ति में सुधार हो गया है। अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान सीमेंट उद्योग को पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 7% अधिक कोयला दिया गया है। सीमेंट उद्योग को कोयले की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में रेलवे के परामर्श से नजदीक से निगरानी रखी जा रही है और इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार उपचारी कार्रवाई की जा रही है। इस अवधि में कुल मिलाकर उद्योग को की गई कोयले की आपूर्ति संतोष जनक रही है और अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार उद्योग में पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में लगभग 6% की उत्पादन दर की वृद्धि हासिल की है।

दिल्ली में बिजली की कमी

2042. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष, 1989 और 1990 के दौरान बिजली की कोई कमी थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में बिजली सप्लाई में अवरोध दूर करने के लिये बिजली सप्लाई की स्थिति की निगरानी हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) से (ग) वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक थी। उत्तरी ग्रिड की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप विद्युत की उपलब्धि में थोड़ी बहुत कमी को उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लागू करके और भार प्रबन्ध सम्बन्धी उपयुक्त उपाय करके पूरा किया गया। दिल्ली में विद्युत की सप्लाई की समुचित प्रकार से मानीटरिंग करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया है।

दिल्ली में विद्युत शुल्क दर

2043. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्युत शुल्क दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) निवेशों की लागत में बहुमुखी वृद्धि के कारण, डेसू द्वारा बिजली की खरीद एवं विद्युत उत्पादन की वर्तमान लागत तत्वत: औसत वसूली (प्राप्ति) से काफी अधिक है। इसलिये डेसू के लिये यह आवश्यक है कि दिल्ली में विद्युत टैरिफ को युक्तियुक्त बनायें ताकि राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत की समुचित आपूर्ति बनाये रखने के लिये उपक्रम की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर प्रदेश की पन-बिजली परियोजनाएं

[हिन्दी]

2041. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सभी पन-बिजली परियोजनायें सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की आशा है; और

(ग) आठवीं योजना में निर्माण कार्य का प्रस्तावित समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 8वीं योजना के दौरान लाभ देने वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए (दिसम्बर, 1989 में) गठित "विद्युत सम्बन्धी कार्यदल" की रिपोर्ट में अनन्तिम रूप से शामिल की गई उत्तर प्रदेश की सभी जल विद्युत स्कीमें के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दी गई है और खारा (3 × 24 मेगावाट) के अलावा शेष सभी परियोजनाए योजना आयोग द्वारा मंजूर कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में, केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वयनाधीन मंजूरी प्राप्त एवं निर्माणाधीन ऐसी परियोजनाओं जिनसे 8वीं योजना एवं उसके बाद लाभ मिलने की सम्भावना है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन स्वीकृत/निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (संख्या × मेगावाट)	8वीं योजना के दौरान के लाभ मे० वा० में	9वीं योजना के दौरान के लाभ मेगावाट में	अभ्युक्ति
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	टनकपुर (एन एच पी सी)	3 × 40	120	—	
2.	टिहरी चरण-I (टी एच डी सी)	4 × 250	—	1000	
राज्य क्षेत्र					
1.	श्रीनगर	6 × 55	55	275	
2.	मनेरी भेली चरण-2	4 × 76	—	304	मूल रूप से 3 × 52 मेगावाट के लिए स्वीकृति की गई थी।

1	2	3	4	5	6
3.	लखवार व्यासी	3×100+ 2×60	—	420	
4.	खोबला	3×3	6	—	मूल रूप से 3×52 मेगावाट (4×65.5 मे॰वा॰) के लिए स्वीकृत की गई थी।
5.	विष्णुप्रयाग	3×120+ 1×120	—	480	
6	खारा	3×24	72	—	निर्माणाधीन परियोजना, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बीच निहित अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान किया जाना है।

उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का विस्तार

2045. श्री हरीश रावत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कुछ हवाई अड्डों का विस्तार और कुछ नई हवाई पट्टियों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में नयी विमान पट्टी के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है। तथापि, आगरा हवाई अड्डे पर टर्मिनल परिसर के विस्तार और परिवर्धन और लखनऊ हवाई अड्डे पर एक नये टर्मिनल परिसर का निर्माण करने पर 1991-92 में विचार किये जाने की आशा है।

विमान परिचारिकाओं को हवाई अड्डों पर कार्य सौंपा जाना

2046. श्री हरीश रावत : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने विमान परिचारिकाओं का एक निश्चित आयु सीमा के पश्चात्‌ हवाई अड्डे पर कार्य सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया का कर्मचारी संघ ने इस निर्णय का विरोध कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त निर्णय को लागू न करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एअर इण्डिया के परिपत्र के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया गया है और इसलिए इसे वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय होटल निगम में घाटा

2047. **श्री हरीश रावत** :

श्री ए० विजयराघवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो घाटे में चल रहे इसके एककों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कम्पनी को गैर सरकारी पार्टियों को बेचने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) जी, हां। सेन्टार होटल, बम्बई हवाई अड्डा के अलावा अन्य यूनिटों में हानि हो रही है।

(ग) और (घ) एअर इण्डिया बोर्ड ने निर्णय किया है कि भारतीय होटल निगम के विपणन और प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के इच्छुक किसी अन्तरराष्ट्रीय रूप से विख्यात होटल की शृंखला से भारतीय होटल निगम के लिये इक्विटी सहयोग लिया जाना चाहिए। भारतीय होटल निगम को हुई अधिक हानि और बाजार में उसके द्वारा प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में असमर्थ रहने के कारण ऐसा आवश्यक हो गया है।

गैर-सरकारी एजेंसियों को हवाई टैक्सियां चलाने की अनुमति

[अनुवाद]

2048. **श्री मान्धाता सिंह** :

श्री रमेश चेन्नीथाला :

श्री मोरेश्वर सावे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय गैर-सरकारी एजेंसियों को हवाई टैक्सियां चलाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी एजेंसियों ने हवाई टैक्सी सेवा प्रारम्भ कर दी है और वे किन-किन जोनों/क्षेत्रों में अपनी टैक्सियां चला रहे हैं; और

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के विमान चालकों ने इस निर्णय का विरोध किया है और यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और इस समस्या के प्रति सरकार का रवैया क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित चार पार्टियों को अभी तक एअर टैक्सी प्रचालक परमिट जारी किए गए हैं :

1. मैसर्स इण्डिया इन्टरनेशनल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. मैसर्स दिल्ली गल्फ एअरवेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. मैसर्स मानकजी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।
4. मैसर्स एअर एशियाटिक लिमिटेड, मद्रास।

एअर टैक्सी प्रचालक प्राइवेट गैर-अनुसूचित प्रचालक हैं। सरकार ने उनके लिए कोई मार्ग निर्धारित नहीं किया है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के कुछ संघों ने परिचालकों से संबंधित मार्गदर्शन की उदारता के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। तथापि उन्हें सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई है जबकि इंडियन एयरलाइन्स प्रमुख रूप से अन्तर्देशीय वाहन कम्पनी बराबर बनी रहेगी, लेकिन इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जिन मार्गों पर परिचालन नहीं किया है वहां पर एअर टैक्सी की पूरक सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित मार्गों पर प्रतिस्पर्द्धा करने के उपाय किए जायेंगे। अत: यात्रा करने वाले लोगों को लाभ होगा, उसीसमय इंडियन एयरलाइन्स के हित पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितताएं

[हिन्दी]

2049. डा० चिन्ता मोहन :

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अगस्त, 1990 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "क्रिमिनल्स इन द गार्ब आफ डेसू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को जनवरी, 1990 में आई०टी०ओ०, दिल्ली के निकट यमुना के किनारे स्थित झुग्गियों में लगी आग के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन अनियमितताओं में शामिल व्यक्तियों और जांच रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

करनाल और मंगलौर में तेलशोधक कारखानों की स्थापना

2050. डा० चिन्ता मोहन :

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री बी० कृष्ण राव :

श्री फूलचन्दवर्मा :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करनाल और मंगलौर में तेलशोधक कारखाने स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनके निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या उक्त तेलशोधक कारखानों का निर्माण कार्य पहले तय की गई समयावधि के अनुसार चल रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार ने उक्त तेलशोधक कारखानों को पूरा करने के लिए अब कोई संशोधित समायावधि निर्धारित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ङ) वर्ष 1984 से सरकार ने करनाल में एक 6 मि० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय किया था जिसे वर्ष 1992 के मध्य में पूरा करने का कार्यक्रम था। अनेक तकनीकी-आर्थिक मामलों और वित्तीय सीमितताओं के कारण परियोजना के कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है। सरकार ने इण्डियन आयल कारपोरेशन से कहा है कि वह सरकार की स्वीकृति के लिए यथाशीघ्र संशोधित विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आगे की कार्रवाही में शीघ्रता की जा सके।

मंगलौर में 1160 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 3 मि० टन प्रतिवर्ष क्षमता की पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

ज्वारीय लहरों से बिजली का उत्पादन

2051. **डा० चिन्ता मोहन** :

श्री आर०एन० राकेश :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्वारीय लहरों से बिजली उत्पादन के बारे में किए गए सर्वेक्षण का ब्योरा प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केरल के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी परियोजना स्थापित करने हेतु अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है और इनसे बिजली उत्पादन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या ज्वारीय लहरों से बिजली की लागत तुलनात्मक रूप से कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) गुजरात में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में सरकार को विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) केरल के पश्चिमी समुद्र तट अथवा पूर्वी समुद्र तट पर उपलब्ध ज्वारीय विद्युत शक्यता के विकास के सम्बन्ध में अभी विस्तृत जांच एवं अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य को पूरा किए जाने के बाद कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में निर्णय किया जाएगा।

(घ) कच्छ की खाड़ी में प्रस्तावित ज्वारीय परियोजना से 1690 मिलियन किलोवाट आवर वार्षिक ऊर्जा उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है।

(ङ) और (च) कच्छ की खाड़ी में प्रस्तावित ज्वारीय विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन पर दिसम्बर, 1987 के मूल्य स्तर पर 96 पैसे/किलोवाट आवर की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में मूल्यांकित परियोजनाओं के आधार पर पारम्परिक जल-विद्युत एवं ताप-विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की औसत लागत निम्नानुसार है—

जल विद्युत : 50-85 पैसे/किलोवाट आवर

ताप विद्युत : 75 पैसे-1.25 रुपए/किलोवाट आवर

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्वीकृत परियोजनाएं

[अनुवाद]

2052. **श्री माणिक सान्याल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 दिसम्बर, 1990 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" (नई दिल्ली संपादन) में "ओ०एन०जी०सी० प्रोजेक्ट क्लियर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि बम्बई हाई में एल-II और एल-III रिजर्वरों के विकास के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजना को लोक निवेश बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है और सरकार को स्वीकृति के लिए सिफारिश की है। यह भी सच है कि बम्बई हाई में अनुषंगी गैस के दहन को रोकने में इस

परियोजना से सहायता मिलेगी और परियोजना के तत्वों के लिए वित्त-पोषण विश्व-बैंक से कराने का अनुमोदन दिया गया है।

केरल में उपरिपुल

2053. प्रो० के०वी० थामस : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1990-91 के दौरान कितने नये रेलवे उपरिपुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) इन उपरिपुलों पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इन उपरिपुलों के निर्माण की लागत में रेलवे का योगदान कितना होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास): (क) पुकुन्नम, वडक्कांचेरी (मुल्लुरकरै), तिरुवुनित्तुरा और वडगरा में चार पुल।

(ख) 600.14 लाख रुपए।

(ग) 253.15 लाख रुपये।

बालाघाट, मध्य प्रदेश में रसोई गैस के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों और एजेंसियों की संख्या

[हिन्दी]

2054. श्री शंकर मुंजारे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रसोई गैस के कितने उपभोक्ता हैं और इसके कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को गैस उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या बालाघाट जिले में कोई नयी गैस एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो संबंध में सरकार द्वारा क्या कारंवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में सम्बन्ध को कोई प्रस्ताव आमन्त्रित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): (क) नवम्बर, 1990 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एल०पी०जी० के लगभग 6057 उपभोक्ता थे और नये एल०पी०जी० कनेक्शन के लिए लगभग 1800 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे।

(ख) नए एल० पी० जी० कनेक्शन देश भर में उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के तहत एक चरणबद्ध तरीके से जारी कि जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। इसकी उपलब्धता को बढ़े हुए उत्पादन और आयात द्वारा और बढ़ाया जा रहा है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आर्थिक रूप से व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए और उत्पाद की उपलब्धता की संभावना पर निर्भर करते हुए अतिरिक्त गैस एजेंसियों के स्थानों को एल०पी०जी० विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है।

बालघाट-कटंगी और तिरोड़ी-तुमसर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2055. श्री कंवर मुंजारे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी मीटर गेज लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का बालघाट-कटंगी और तिरोड़ी-तुमसर मीटर गेज लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बालघाट-कटंगी शाखा (278 कि०मी०) लाइन के साथ-साथ जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1980 में सर्वेक्षण किया गया था। परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाई गई थी, इसलिए इस पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका था। सर्वेक्षण को हाल में अद्यतन किया गया है तथा प्रतिफल की दर अभी भी ऋणात्मक पाई गई है।

अगस्त, 1990 में रेलवे से कहा गया था कि जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किए गये सर्वेक्षण का दायरा चन्द्रपुर तक बढ़ा दिया जाए ताकि अर्थपूर्ण वैकल्पिक उत्तर-दक्षिण मार्ग की स्थापना करने के बारे में विचार किया जा सके।

तिरोड़ी-तुमसर पहले ही बड़ी रेल लाइन है।

(घ) चूंकि रेलवे पर पहले ही कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण चल रहे हैं, इसलिए इस सर्वेक्षण, जिसके लिए हाल में आदेश दिया गया है, के पूरा होने में भी कुछ समय लगेगा।

ऊर्जा बचत के उपाय

[अनुवाद]

2056. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा बचत के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध उपायों का पता लगाया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिजली क्षेत्र द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कोयले की कुल कितनी मांग की गई तथा कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कितनी मात्रा में इसे कहां तक पूरा किया जा सका ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) इस बात पर विचार करके कि

ऊर्जा बचत के उपयंत्रों/उपस्करों का दुनिया भर में निरन्तर विकास हो रहा है, भारत में उपयोग में लाई जाने योग्य इस प्रकार के उपयंत्रों का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। पता लगा लिए गये उपयंत्रों में से 15 उपयंत्रों/उपस्करों पर जिनका संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है इस समय शुल्क में रियायत दी जा रही है।

(ख) विद्युत क्षेत्र के लिए 1989-90 के दौरान कुल 121.0 मिलियन टन की प्रक्षेपित आवश्यकता थी परन्तु वास्तविक प्राप्ति 110.7 मिलियन टन थी। 1990-91 के दौरान, 131 मि० टन की अनुमानित कोयला मांग की तुलना में, करीब 113 मि० टन कोयला प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण

उपयन्त्रों/उपस्करों जिनके लिए कर में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है, की सूची

1. री-हीटिंग एवं हीट ट्रीटमेंट उपयोग के लिए लौ विहीन भट्ठियां।
2. री-हीटिंग एवं हीट ट्रीटमेंट उपयोग के लिए उच्च वोल्टता पुनर्परिचालन भट्ठियां।
3. लो-एक्सेस एअर बर्नर्स (10%) एक्सेस एअर से निम्न)।
4. फ्यूल आयल एमलसन बर्नर्स।
5. गढ़ाई एवं हीट् ट्रीटमेंट भट्ठियों के उपयोग के लिए रीजनरेटिव बर्नर्स।
6. सेल्फ-रीकूपरेटिव बर्नर्स (पूर्व तापित वायु का उपयोग करने वाली भट्ठी)।
7. फ्लैट फ्लैम बर्नर्स।
8. निम्न ताप के द्रव एवं गैसों से ताप प्राप्त करने के लिए हीट पाइप्स।
9. स्पेस हीटिंग, वाटर हीटिंग, कूलिंग उपयोग के लिए हीट पम्प।
10. लिंक/कब्जे विहीन फ्री बाल बकेट स्ट्रीम ट्रैप्स।
11. कुशल भार प्रबन्ध के लिए स्वचालित माइक्रोप्रोसेसर आधारित भार मांग।
12. बायलरों के लिये माइक्रोप्रोसेसर आधारित कम्बशन कंट्रोल प्रणाली।
13. स्ट्रीट लाइट नियन्त्रण के लिए लाइट संवेदित टाईम स्विच।
14. कास्टिक क्लोरिन एवं एल्यूमिनियम उद्योगों में माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित स्वचालित एनाड ओवर-पोटेन्शियल कन्ट्रोलर।
15. टायर उद्योगों एवं रेयन उद्योगों जैसे उद्योगों में सतत एवं असतत प्रक्रियाओं के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित यूनिवर्सल प्रोग्रामेबल टाइमर्स।

वायुदूत को हुआ घाटा

2057. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री वामनराव महाडीक :

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एन० डेनिस :

श्री फूलचन्द वर्मा :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री राजमोहन रेड्डी :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

डा० असीम बाला :

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

श्री मणिक सान्याल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत को अपनी सेवायें आरम्भ करने के समय से ही घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष 1900-91 के दौरान अब तक इसे कितना घाटा हुआ है और घाटे को कम करने, विशेष रूप से ऊपरी खर्चों में और प्रशासनिक खर्च आदि में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन घाटों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है;

(घ) वायुदूत ने अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन से प्रायोजित कार्यक्रम की तरह, जनवरी 1991 से एक नई योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(च) क्या सरकार का विचार विदेशों के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान चालू वर्ष में अक्तूबर तक के दौरान वायुदूत को लगभग निम्नलिखित रूप में हानि हुई—

वर्ष	हानि (लाख रुपए में)
1987-88	1359.32
1988-89	2135.50
1989-90	2969.97
1990-91	1422.88 (अक्तूबर, 90 तक)

(ये आंकड़े लेखा परीक्षा के अधीन हैं)

हानियों को कम करने के लिए वायुदूत अपने मार्ग नेटवर्क को युक्तियुक्त करने के लिए कदम उठा रहा है। कम यात्री भार गुणक के क्षेत्रों में सेवाओं को बन्द करने के द्वारा नेटवर्क में स्टेशनों की संख्या पहले से ही 55 तक कर दी गई है। वायुदूत गैर-परिचालन व्यय को कम करने और गैर परिचालन राजस्व को बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई कर रहा है। हानियों को कम करने की दृष्टि से वायुदूत के परिचालन का लक्ष्य वाणिज्यिक आधार पर होगा।

(ग) वायुदूत के पास बहुत पुराने और अलाभकारी बेड़ा, कम परिवहन के प्रचालन और घाटे के किराया सूची है। इन्होंने वायुदूत के परिचालन की निहित अव्यवहार्य सेवा दी है। भारतीय रुपए के मूल्यह्रास के कारण परिचालनों का व्यापक विस्तार अधिक कर्मचारी और अनुरक्षा लागत में वृद्धि से भी वायुदूत को हानि हुई है।

(घ) और (ङ) वायुदूत के गैर परिचालन राजस्व को बढ़ाने के लिए यह अपने उड़ानों को प्रायोजित करने के उपाय पर विचार कर रहा है। यह योजना अभी शुरू की जानी है और पार्टियों के साथ इस पर बातचीत चल रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं है।

बिजली क्षेत्र को विश्व बैंक का ऋण

2058. श्री वी० एन० रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व बैंक का विचार विकासशील देशों में बिजली के क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए अपनी ऋण देने की प्रक्रिया में कुछ मौलिक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परिवर्तनों से भारत के प्रभावित होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अम्बाला कैंट में नियुक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण

2059. श्री तेज नारायण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अम्बाला कैंट में डिवीजनल रेलवे मैनेजर, सहायक डिवीजनल रेलवे मैनेजर, वरिष्ठ उप-वाणिज्यिक अधीक्षक और उप-वाणिज्यिक अधीक्षक कितनी-कितनी अवधि के लिए तैनात रहे हैं; और

(ख) इन अधिकारियों के एक स्टेशन पर निर्धारित समय से अधिक ठहरने के क्या कारण है और निर्धारित कार्यावधि समाप्त होने के बाद इन अधिकारियों को कब स्थानांतरित किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शताब्दी एक्सप्रेस में पेंट्री कार का ठेका

2060. श्री तेज नारायण सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शताब्दी एक्सप्रेस (दिल्ली चंडीगढ़) में पैंट्री कार का ठेका सही व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कांडला और मंगलोर में खाना पकाने की गैस का टर्मिनल

2061. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री बी० कृष्ण राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला और मंगलोर में खाना पकाने की गैस के टर्मिनलों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे तथा अनुमानित लागतों के बारे में अभी भी निर्णय लिया जाना है।

(ग) कांडला और मंगलोर में इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को सरकार ने अनुमोदन दे दिया है । वे रिपोर्टें अब प्राप्त हो चुकी हैं ।

मिजोरम में रसोई गैस के रेग्यूलेटर उपलब्ध न होना

2062. डा० सी० सिलवेरा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिजोरम में एल० पी० जी० डीलरों के पास रसोई गैस के रेग्यूलेटर उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो मिजोरम में विशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिशों पर रसोई गैस के नए कनेक्शन देने में प्राथमिकता प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन को, जो मिजोरम में एल० पी० जी० की एक मात्र विपणन करने वाली कम्पनी है वर्ष 1990 (नवम्बर तक) एल० पी० जी० रेग्यूलेटर की अनुपलब्धता, वरीयता आधार पर दिये गये एल० पी० जी० कनेक्शन देने में देरी होने या कनेक्शन न देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

वायुदूत विमान सेवा के एजेंटों द्वारा छात्रों को किराए में रियायत न दिया जाना

2063. डा० सी० सिलवेरा : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत विमान सेवा में मिजोरम से बाहर जाने वाले प्रामाणिक छात्रों को किराये में रियायत दिये जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो मिजोरम में वायुदूत एजेंटों और विभागीय कार्यालयों द्वारा प्रामाणिक छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वायुदूत एजेंट और विभागीय कार्यालय मिजो छात्रों को ये रियायतें उस समय प्रदान करते हैं जब वे देश के किसी अन्य भाग से मिजोरम वापस आते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस असंगतता को शीघ्र ही दूर करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ङ) मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थानों के प्रामाणिक छात्रों को अध्ययन करने के स्थान से होम टाउन या वापसी तक यात्रा के लिए वायुदूत सेवाओं में मूल किरायों का 50 प्रतिशत की दर पर किराए में छूट दी जाती है। वायुदूत लिमिटेड के हैंडलिंग एजेंटों को भी वायुदूत बुकिंग कार्यालयों से परामर्श करके रियायती टिकटें जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। वायुदूत के अनुसार मिजोरम के प्रामाणिक छात्रों को ऐसे रियायती टिकटों के इन्कार करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

मिजोरम में बैराबी पनबिजली परियोजना

2064. डा० सी० सिलवेरा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में बैराबी पनबिजली परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के बारे में अक्तूबर, 1990 में अनुरोध प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) परियोजना पर कार्य कब से आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) मिजोरम सरकार ने भारत सरकार से अगस्त, 1990 में अनुरोध किया था कि बैराबी (धलेश्वरी) परियोजना को पुनः जल विद्युत परियोजना के रूप में शीघ्र स्वीकृत किये जाने और क्रियान्वित किए जाने के लिए पुन: विचार किया जाये। पूर्व में विद्युत उत्पादन की अधिक अनुमानित लागत के कारण इसको बहुद्देशीय परियोजना के रूप में मूल्यांकित किया गया था, जिसकी 60% लागत विद्युत क्षेत्र के लिए तथा शेष लागत अन्य लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के लिए प्रभार्य थी। मिजोरम सरकार से वर्तमान अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए यह महसूस किया गया है कि क्या इस स्कीम के कुछ मूल पैरामीटरों में परिवर्तन करके यह जांच करने के लिए कि वैकल्पिक अध्ययन कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि तकनीकी आर्थिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से इसको व्यवहारिक बनाया जाना सम्भव हो।

(ग) आठवीं योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता के अधीन, अपेक्षित वैकल्पिक अध्ययन कार्य पूरे हो जाने तथा परिवर्तन किए गए पैरामीटरों के अनुरूप इसकी व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् परियोजना पर क्रियान्वयन के लिए विचार किया जायेगा।

उ० प्र० में चोपन में नया डिवीजन स्थापित करना

2065. श्री कल्पनाथ राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में चोपन में एक रेलवे स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चोपन तक का उत्तर रेलवे का कुछ भाग इस डिवीजन में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई/मद्रास से उत्तर प्रदेश में चोपन तक सीधी रेलगाड़ी

2066. श्री कल्पनाथ राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई अथवा मद्रास से चोपन तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाने का विचार है ताकि देश के दक्षिणी भाग को उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में औद्योगिक क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सीधी से जोड़ा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

2067. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों को प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजा गया;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान ब्रिटेन में प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित-जनजातियों में कुछ अधिकारियों का चयन किया गया था और उन्हें रिजर्व में रखा गया था तथा अन्त में छोड़ दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी थे तथा इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) दो।

(ख) जी, हां।

(ग) दो चूंकि इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में, जिनमें 1986-87 के दौरान अनुसूचित जनजाति के दो, अधिकारियों को रिजर्व के रूप में रखा गया था, नियमित उम्मीदवारों में से किसी को भी नहीं छोड़ा गया था, इसलिए उन्हें उस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं भेजा जा सका।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों पर अत्याचार के समाचार

2068. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में जांच के दौरान समूह "क" के कुल कितने अधिकारियों को पदावनत किया गया तथा इनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के थे;

(ख) जब आधी जांच हो चुकी थी, तो उस समय समूह "क" के कितने अधिकारियों को रेलवे के एक जोन से दूसरे जोन में स्थानांतरित किया गया तथा इनमें से कितने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के थे; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी को जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों का सरकारीकरण

2069. **श्री के० ओबका राव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों पर विशेष ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के दोहन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं, या उठाए जाने का विचार है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं और

विभाग को, अन्य बातों के साथ-साथ, अब तक 14.85 लाख बायो गैस संयंत्र, 92.66 लाख उन्नत चूल्हे, 1,57,790 सौर कुकरों, 630 सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्रों, 34 मे० वा० की पवन विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 40,000 सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों को लगाने में सफलता मिली है।

(ग) और (घ) कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन में इन युक्तियों के निर्माण के कार्य में ही नहीं बल्कि उनके इस्तेमाल में भी लगा हुआ है। इसका एक मुख्य उदाहरण सूर्य की ऊर्जा से जल को गरम करना है जहां कई वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं ने अपने कार्यों में प्रयोग के लिए गरम जल प्राप्त करने के वास्ते इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्में हैं जिन्होंने ग्रेड से जुड़े पवन विद्युत जनरेटरों को लगाया है।

कृष्णा और गोदावरी परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना

2070. श्री के० योस्का राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा और गोदावरी परियोजना के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यालय में उन विस्थापित व्यक्तियों के बजाय, जिनकी भूमि ड्रिलिंग प्रयोजन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, राज्य से बाहर के व्यक्तियों को भर्ती किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार विस्थापित अथवा स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम, 1980 में निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में भर्ती की जाती है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए जाने वाले भूमि के लगभग सभी अधिग्रहण अस्थायी अधिग्रहण होते हैं जिसके लिए मुआवजा दिया जाता है और अन्ततः पुनरुद्धार प्रभार लेकर अथवा भूमि को उसकी मूल हालत में लाकर वापिस उसके मालिक को सौंप दिया जाता है।

वर्तमान नीति के अनुसार, जिस परिवार की भूमि अधिग्रहण किया जाता है उसके सदस्यों को कोई रोजगार की सहायता नहीं दी जाती है। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आवश्यक वित्तीय सहायता देता है। प्रभावित व्यक्तियों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा यह सलाह भी दी जाती है कि अपना नाम स्थानीय रोजगार केन्द्र में दर्ज कराएं ताकि जब भी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में रिक्तियों के लिए उनका नाम प्रायोजित किया जाए, उनके नाम पर विचार किया जा सके।

हैदराबाद हवाई अड्डे में शीतागार एकक

2071. श्री के० योस्का राव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों को निर्यात करने के लिए फलों, फूलों, सब्जियों आदि जैसे उत्पादों के भण्डारण के लिए हैदराबाद

हवाई अड्डे पर शीतागार एकक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का हैदराबाद में कोई कार्गो टर्मिनल नहीं है। हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय एयर कार्गो काम्प्लेक्स का प्रबन्ध आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है।

बम्बई में प्राकृतिक गैस की सप्लाई

2072. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहत मुम्बई में प्राकृतिक गैस के वितरण की एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यह परियोजना कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) सरकार ने ग्रेटर बम्बई के घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के लिए प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए परियोजना की विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। आरंभिक आकलन के अनुसार परियोजना पर 418 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार द्वारा विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट के अनुमोदन पर परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

नम्बलीगढ़, असम में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

2073. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में नम्बलीगढ़ में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की परियोजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत और उत्पादन क्षमता सहित तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) 189.73 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सहित 1259.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर असम के गोलाघाट जिले के नुमलीगढ़ में 3 मि० टन प्रतिवर्ष की आरंभिक क्षमता के साथ एक ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

(ग) मैसर्स आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक कार्यकलाप पहले ही शुरू कर दिए गये हैं।

गया, बिहार में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

2074. श्री ईश्वर चौधरी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गया/बोधगया (बिहार) में सौर ऊर्जा पर आधारित एक विद्युत संयंत्र की स्थापना को मंजूरी देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार को यह अभिवेदन दिया गया है कि गया में एक सौर ताप-विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाए। इस प्रस्ताव में 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर 2×30 मे० वा० की क्षमता की स्थापना की बात कही गई है।

(ग) मौसम विज्ञान के सम्बन्ध में अपेक्षित आंकड़े एकत्र कर लिए जाने, भारतीय स्थितियों में इस प्रौद्योगिकी के सिद्ध हो जाने और सभी आवश्यक निवेशों की व्यवस्था हो जाने के बाद इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में पार्वती और अन्य परियोजनाओं का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

2075. श्री महेश्वर सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की पार्वती परियोजना के सर्वेक्षण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ग) हिमाचल प्रदेश की अन्य किन-किन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है और वर्ष 1990-91 के लिये प्रत्येक परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) पार्वती परियोजना का सर्वेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार चरण-I (750 मेगावाट) का व्यापक जांच कार्य हाथ में लिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 1993-94 तक पूरा कर लिए

जाने की सम्भावना है। चरण-दो (800 मेगावाट) सम्बन्धी जांच कार्य अग्रिम चरण में चल रहा है और 1990-91 में इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है। चरण-3 (400 मेगावाट) सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई है।

(ख) पार्वती परियोजना का जांच कार्य राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मदद से किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 के लिए दी जाने वाली सहायता को राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) हिमाचल प्रदेश में अन्वेषणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बताया गया है, का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य हेतु 1990-91 की राज्य योजना में 50 लाख रुपये की एकमुश्त राशि की व्यवस्था की गई है।

(घ) माननीय संसद सदस्य श्री महेश्वर सिंह से इस सम्बन्ध में एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने पार्वती जल विद्युत परियोजना के अन्वेषण कार्य के लिए 1990-91 के दौरान 80 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य के लिए 1990-91 के दौरान दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता राशि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक हेलिकाप्टर सेवा

2076. श्री महेश्वर सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अनेक सुन्दर स्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यावसायिक हेलिकाप्टर सेवा द्वारा उन स्थलों को जोड़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग) पवनहंस लिमिटेड अनुसूचित वाणिज्यिक हेलिकाप्टर सेवाओं का परिचालन नहीं करता और न ही इसका निकट भविष्य में ऐसा करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली से कुल्लू के लिए डोर्नियर हवाई सेवाओं को रद्द करना

2077. श्री महेश्वर सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से शिमला होते हुए कुल्लू के लिए डोर्नियर हवाई सेवाओं को रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) सर्दियों के दौरान अपर्याप्त यात्रियों के कारण 3 दिसम्बर, 1990 से शिमला और कुल्लू के बीच डोर्नियर परिचालन रोक दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में लार्जी पन-बिजली परियोजना को वित्तीय सहायता

2078. श्री महेश्वर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में लार्जी पन-बिजली परियोजना के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) लारजी जल विद्युत परियोजना हेतु निधियों सम्बन्धी आवश्यकता के लिए योजना आयोग के कार्यदल ने राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था वर्ष 1991-92 के लिए 500 लाख रुपये तथा आठवीं योजना के दौरान 10,000 लाख रुपये के परिव्यय की कार्यदल द्वारा इस परियोजना के लिए सिफारिश की गई है। इस परियोजना को ओ० ई०सी०एफ० के समक्ष अथवा अन्य विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

मद्रास में कदम्पराई विद्युत केन्द्र में आग लगना

[अनुवाद]

2079. श्री आर० एन० राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कदम्पराई (मद्रास) स्थित 400 किलोवाट क्षमता वाले जल विद्युत केन्द्र में 19 अक्तूबर, 1990 को भीषण आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के कारण क्या थे और इससे अनुमानित कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(ग) क्या इस मामले में जांच कराई गई है; और

(घ) उक्त विद्युत केन्द्र ठीक प्रकार से कब तक कार्य करने लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा की गई प्राथमिक जांच के अनुसार, आग, यूनिट-4 के "ब्लू फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर" पर स्थित 220 के० वी० के केबिल पाटहैड के फटने से शुरू हुई और इसके फलस्वरूप ट्रांसफार्मर में डले 1800 लीटर तेल में भी आग लग गई। इस आग से 4.92 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई-कोचीन और मुम्बई-त्रिवेन्द्रम हवाई मार्गों पर एयरबस-320 का चलाया जाना

2080. श्री रमेश चेन्नीथाला :

श्री पी० सी० थामस : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-कोचीन और मुम्बई-त्रिवेन्द्रम हवाई मार्गों पर एयरबस ए०320 को चलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) कोचीन हवाई अड्डा ए-320 परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है। बम्बई-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर पहले ही ए-300 सेवा को दैनिक आधार पर चलाया जा रहा है।

कोट्टायम में विमानपत्तन का निर्माण

2081. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नए विमानपत्तनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोट्टायम (केरल) में एक विमानपत्तन के निर्माण का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) पहले से ही चल रहे निर्माण कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में नए हवाई अड्डों के निर्माण कार्य के किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) कोट्टायम में नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

क्विलोन-मद्रास रेल लाइन को दोहरा करना

2082. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन-मद्रास रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) मद्रास और कोल्लम के बीच दो मार्ग हैं अर्थात् जोलारपेट्टै सेलम-पोरूवण्णूर) एर्णाकुलम-कायनकुलम के रास्ते बड़ी लाइन मार्ग और विलुपुरम-तिरुचिरापल्ली डिण्डीगुल-विरुदुनगर-तेनकाशी के रास्ते मीटर लाइन मार्ग। बड़ी लाइन मार्ग पर, मद्रास-एर्णाकुलम खंड में दोहरी लाइन उपलब्ध है। एर्णाकुलम-कायनकुलम खंड में एक वैकल्पिक बड़ी लाइन का निर्माण किया जा रहा है और जब यह पूरी हो जाएगी तो इससे इस खंड में दो इकहरी लाइनों के रूप में दोहरी लाइन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी अर्थात् एक कोट्टायम के रास्ते मौजूदा लाइन तथा दूसरी अलेप्पी के रास्ते निर्माणाधीन लाइन। कायनकुलम और कोल्लम के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

मीटर लाइन मार्ग को दोहरा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मीटर लाइन

मार्ग यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

2083. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की मंजूरी के लिए कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना को मंजूरी के लिए लम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकने) : (क) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) परियोजना रिपोर्टों की जांच किये जाने के पश्चात् अधिकांश मामले में केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं तथा इन टिप्पणियों के बारे में उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है। इसके अतिरिक्त तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु कुछ सम्बन्धित मामलों में राज्य प्राधिकारियों द्वारा, अपेक्षित निवेश यथा ईंधन लिंकेज, जल की उपलब्धता, तथा स्वीकृतियां यथा पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, भारत के राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्वीकृति आदि सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित होता है।

इन अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने के पश्चात् इन स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)
1	2	3
	जल विद्युत परियोजनाएं	
	हिमाचल प्रदेश	
1.	धानवारी सुन्दा	2 × 35=70
	जम्मू एवं कश्मीर	
2.	नैनाद नाल्लाह	4 × 1.5=6
3.	हिरपोरा (शोपियन)	3 × 3=9
4.	बटकोट लालमुम	2 × 18=36
5.	न्यू गन्देरबाल	3 × 15=45
6.	तुमखर	3 × 1.5=4.5

1	2	3
7.	इग्नो-मरसिंगोंग	2×1.5=3
8.	बोनियार	2×1.5=3
9.	परिनई	3×12.50=37.50
10.	मण्डी	4×1=4
11.	सुवा चरण-2	3×40=120
	हरियाणा	
12.	दादुपुर (संशोधित रिपोर्ट)	4×1.5=4.60
	उत्तर प्रदेश	
13.	धौलीगंगा (मध्यवर्ती चरण)	4×50=200
14.	धौलीगंगा चरण-1 एवं 2	3×20+3×40=180
15.	बाल्गुली	5×0.856=4.78
	मध्य प्रदेश	
16.	बानसागर टान्स पावर हाऊस-4 (संशोधित)	2×10—20
	महाराष्ट्र	
17.	कोयना	2×5=10
	गुजरात	
18.	कर्जन एल० बी० सी०, (संशोधित)	2×1=2
	आन्ध्र प्रदेश	
19.	विलुगुडु	2×5=10
20.	काकतिया कैनाल	1×3=3
21.	प्रियावर्षनी जुराला	6×36.92=21.4
22.	नागार्जुन पी० एस० एस० (सेल पोण्ड डैम)	2×15=30
23.	सोमासिला	2×5=10
	केरल	
24.	मनियार	1×5+2×2.5=10
25.	कुट्टियाडी विस्तार	1×50=50
26.	कुयाधानकेत्तू	3×10=30
27.	पाल्लीवासाल रिहैबिलिटेशन	3×20=60
28.	चेम्बुकसकेवावान-2	3×3=9

1	2	3
29.	कारपारा कुरियारकुट्टी बहुद्देशीय परियोजना	2×12+3×20=84
	पश्चिम बंगाल	
30.	फरक्का बाराज जल विद्युत परियोजना	5×25=125
	उड़ीसा	
31.	बारगढ़ मेन कैनाल	3×3=9
	असम	
32.	लोअर कोपिली	2×50=100
	मणिपुर	
33.	लोकतक डाउन स्ट्रीम	3×30=90
34.	तिपाईमुख (बहुद्देशीय)	10×150=1500
35.	तुईवाई	3×17=51
36.	इरांग	4×15=60
	अरुणाचल प्रदेश	
37.	दिहांग (बहुद्देशीय)	40×500=20000
38.	सुबनसिरी (बहुद्देशीय)	12×400=4800
39.	कामेंग	4×150=600

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मे० वा०)
ताप विद्युत		
	हरियाणा	
1.	हिसार ता० वि० के०	500 (2×250)
2.	यमबक ता० वि० के०	740 (4×210)
	पंजाब	
3.	गोबिन्दवाल ता० वि० के०	420 (2×210)
4.	घुरी ता० वि० के०	1000 (2×500)
	उत्तर प्रदेश	
5.	बेलपालारा रोड	630 (3×210)
6.	जगदीशपुर एस० टी०	210 (4×35 जी० टी० +2×35 एस० टी०)

1	2	3
	गुजरात	
7.	नर्मदा ता० वि० के० चरण-1	1000 (2×500)
8.	सिक्का ता० वि० के० चरण-3	420 (2×210)
9.	गांधीनगर सी० सी० जी० टी०	200
10.	पीपावाव सी० सी० जी० टी० चरण-2	615
11.	उतरान सी० सी० जी० टी०-चरण-2	135
	मध्य प्रदेश	
12.	मान्ड ता० वि० के०	420 (2×210)
13.	पेंच ता० वि० के० चरण-2	500 (2×250)
14.	ग्वालियर सी० सी० जी० टी०	817
15.	गोपाड ता० वि० के०	2000 (4×500)
	महाराष्ट्र	
16.	पारली "ग" ता० वी० के०	420 (2×210)
17.	दाभोल सी० सी० जी० टी०	760 (4×120 जी० टी० +2×140 एस० टी०)
18.	शिप/बैरज माउण्टल पी० एस० मैसर्ज कान्फिडेंस शिप्पिंग कम्पनी	110
19.	नागोथाणे जी० टी० सी० सी० ता० वि० के०	820 (4×130 जी० टी० +2×150 एस० टी०)
20.	विज्जेश्वरम में दूसरा सी० सी० जी० टी०	300 (3×100)
21.	कोठागुडम ता० वि० के० चरण-5	420 (2×210)
22.	रामागुडम ता० वि० के० विस्तार	420 (2×210)
23.	काकीनाडा में गैस आधारित ता० वि० के०	300
24.	एल०एस०एच०एस०/एफ० ओ० आधारित ता० वि० के०, रैनिगुन्ता	100
25.	गैस आधारित ता० वि० के० (जेगुरूपाडु)	400
26.	आमलापुरम में गैस आधारित ता० वि० के०	75 (3×25)
27.	मुद्दानूर ता० वि० के०	420 (2×210)

1	2	3
28.	मनुगुरु सु० ता० वि० परि०-एन० टी० पी० सी०	1000 (2×500)
	कर्नाटक	
29.	रायचूर चरण-3	500 (1×500)
	तमिलनाडु	
30.	उत्तरी मद्रास चरण-2	420 (2×210)
31.	कुड्डालूर ता० वि० के० चरण-2	630 (3×210)
	बिहार	
32.	मुजफ्फरपुर विस्तार	420 (2×210)
33.	पतरातु ता० वि० के०	420 (2×210)
34.	गया एवं चोकई सोलार	120 (2×30 प्रत्येक)
35.	माराज ता० वि० के०	500 (2×250)
36.	इब ता० वि० के० विस्तार	1000 (2×500)
	प० बंगाल	
37.	डी०पी०एल० 7वीं यूनिट	110 (1×110)
38.	डी० जी० सेटस, दक्षिण-पूर्वी कलकत्ता में	30 (5×6)
39.	बज-बज विद्युत उत्पादन केन्द्र सी० ई० एस० सी०	500 (2×250)
40.	मैंथान बायां तट (डी० वी० सी०)	840 (4×210)
	असम	
41.	नामरूप जी० टी० केन्द्र	60 (2×30)
	त्रिपुरा	
42.	बारामुरा अपशिष्ट ऊष्मा संयंत्र	11
43.	रोखिया फेज-2 जी० टी० परियोजना	16 (2×8)
44.	रोखिया फेज-3 जी० टी० परियोजना	16 (2×8)
45.	त्रिपुरा गैस आधारित जी० टी० परियोजना	500
	अरुणाचल प्रदेश	
46.	बारसांग गैस आधारित विद्युत संयंत्र	6 (1×6)
	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	
47.	नेहरू तेल आधारित ता० वि० के०	2×20=40

बाम्बे हाई में प्लेटफार्म का निर्माण करने का ठेका

2084. प्रो० मधु दंडवते : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल में बाम्बे हाई पर प्लेटफार्म के निर्माण का ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतियोगिता में केवल दो ही पार्टियां थीं;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से एक पार्टी, "जापानीज कन्सोर्टियम पर विचार नहीं किया है जिससे केवल एकमात्र पार्टी अर्थात् हयुन्डाई हैवी इन्डस्ट्रीज, जो दक्षिण कोरिया की कम्पनी है, प्रतियोगिता में रह गई है;

(घ) क्या दक्षिण कोरिया की कम्पनी की निविदा की जांच में अनुसूचित विलम्ब हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो इस विलम्ब से लागत में वृद्धि के कारण देश को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं । यद्यपि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिमी अपतट में प्रोसेस प्लेटफार्मों के लिए अनेक निविदाएं दी गई हैं तथापि हाल में कोई संविदा नहीं दी गई है ।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

वाष्प इंजिन के स्थान पर विद्युत इंजिन का उपयोग

2085. प्रो० मधु दंडवते : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टीम इंजिन से गाड़ी चलाना अधिक महंगा है;

(ख) यदि हां, तो किन गाड़ियों का खड़ा रहना लागत वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल विभाग का विचार वाष्प इंजिन को और दस वर्ष तक उपयोग में लाते रहने के अपने निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(घ) क्या रेल विभाग ने अर्थव्यवस्था के हित में सभी प्रमुख यार्डों में शंटिंग तथा विभागीय कार्यों के लिए विद्युत इंजन का उपयोग करने की संभावना की जांच की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, भाप इंजनों को मार्ग में बन्द करना व्यावहारिक नहीं है और इसलिए इन्हें निष्प्रयोजन खड़ा रखना अपरिहार्य है ।

(ग) किफायत के अलावा भाप इंजनों को सेवा से हटाना भी धन की उपलब्धता, डीजल और बिजली इंजनों की निर्माण क्षमता और अतिरिक्त यातायात के लिए परिचालनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से समीक्षा की है और वर्तमान संकेत यह दर्शाते हैं कि भाप इंजनों के अगले 10 वर्षों के अन्दर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए जाने की संभावना है।

(घ) जी हां। चूंकि यार्डों में शंटिंग की अनेक गतिविधियां होती हैं। इसलिए बिजली इंजनों से शंटिंग करना किफायती नहीं पाया गया है। क्योंकि इसके लिए यार्ड, साइडिंग आदि में तार लगाने पर बहुत अधिक मात्रा में पूंजी निवेश करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन परिचालनिक जरूरतों के कारण विभागीय और मार्ग में छोटी मोटी शंटिंग करने के लिए मुख्य लाइन के कुछ बिजली इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है।

चुखा पन-बिजली परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी

2086. प्रो० मधु दंडवते : क्या ऊर्जा मंत्री 22 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9849 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले ही नौ कर्मचारियों की सेवाएं नवम्बर, 1990 में समाप्त कर दी गई हैं;

(ख) क्या कुछ और कर्मचारियों की छंटनी होनी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या चुखा पन-बिजली परियोजना में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भूटान या भारत में चरण-2 या अन्य परियोजनाओं में खपाया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से चुखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है तथा भूटान की महामहिम सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसका क्रियान्वयन भूटान की महामहिम सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन चुखा परियोजना प्राधिकरण द्वारा किया गया था। भूटान सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चुखा परियोजना प्राधिकरण द्वारा सीधे ही भर्ती किए गए कर्मचारियों को, परियोजनाओं के पूरा होने पर, सरप्लस घोषित किया जा रहा है तथा तदनुसार इनकी छंटनी की जा रही है। परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार जिन कर्मचारियों ने ठेके के आधार पर भूटान की महामहिम सरकार के कार्य करने के लिए अनिच्छा प्रकट की है। इनकी छंटनी कर दी गई है। वैकल्पिक रूप से रोजगार दिए जाने के लिए विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुरोध किया गया है कि वे इन सरप्लस कर्मचारियों को जहां तक संभव हो खपाएं। यह भी संभावना है कि चुखा के कुछ सरप्लस कर्मचारियों को चुखा-चरण-2 और 3 के प्रस्तावित अन्वेषण कार्य हाथ में लिए जाने के लिए इनके अनुभव और उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए इनको खपाये जाने की सम्भावना है।

दक्षिण भारत में बिजली की कमी

2087. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 दिसम्बर, 1990 के इण्डियन एक्सप्रेस में "पावर शार्टेज टू हिट साउथ इन 2000" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का दक्षिण भारत में बिजली की कमी पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय आयोजना प्राधिकरण देश में बिजली की सप्लाई करने सम्बन्धी आयोजना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने हेतु केन्द्रीय आयोजना प्राधिकरण का क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में ये शामिल हैं : क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र के सम्बन्धित राज्यों में नई विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करना, विद्यमान क्षमता का अधिकतम समुपयोजन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना, प्रभावकारी भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण।

(ग) और (घ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1949 में शामिल किये गये, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि यह देश में विद्युत विकास के लिए अल्पकालीन तथा संदर्शी योजनाएं तैयार करें या बनायें। प्राधिकरण ने जून, 1987 में एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार की थी जिसमें सातवीं योजना (1985-90) में 22,245 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य के अलावा आठवीं योजना (1990-95) में 48,000 मेगावाट तथा नौवीं योजना (1995-2000) में 62,000 मेगावाट क्षमता समेत 1985-2000 तक की अवधि के लिए क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई थी। तथापि योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर विद्युत विभाग ने आठवीं योजना के लिए 38,369 मेगावाट (जिसमें 7906 मेगावाट दक्षिणी क्षेत्र के लिए शामिल हैं) की क्षमता अभिवृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा है। योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बंगलौर में रेलवे हाल्ट

2088. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या बंगलौर-मुम्बई, मंगलौर-दादर, त्रिवेन्द्रम-राजकोट और कोचीन-अहमदाबाद, रेलगाड़ियां के० आर० रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं जो कि बंगलौर सिटी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है;

(ख) क्या बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के रोकने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच की गयी है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के रख-रखाव पर व्यय

2089. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बहुत सारे वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की उड़ानें बन्द की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने हेलीकाप्टर हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य हेलीकाप्टरों की तुलना में वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के रख-रखाव पर कितनी लागत आती है;

(घ) एक वेस्टलैंड हेलीकाप्टर में रख-रखाव पर औसतन कितनी लागत आती है और हुसैनी समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद उस पर आने वाली लागत की क्या स्थिति है;

(ङ) क्या सरकार ने इस हेलीकाप्टर की मंजूरी देने का निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान में रखा था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) हुसैनी समिति रिपोर्ट के स्वीकृत किए जाने के बाद अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) जी, हां । 21 दिसम्बर 1989 से 19 वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के पूरे बेड़े को तब तक ग्राउंड कर दिया गया था जब तक कि इन हेलीकाप्टरों के परिचालन और सुरक्षा पहलुओं की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा न हो जाए । इस समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों को हाल ही में पुन: शामिल किया गया है । इस समय, इन हेलीकाप्टरों में से छ: हेलीकाप्टर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय तेल लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं ।

(ग) जबकि वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की औसत अनुरक्षण लागत अनुमानित 26,634 रुपए प्रति घंटा है, पवनहंस लिमिटेड द्वारा परिचालित अन्य डाफिन हेलीकाप्टरों के लिए यह अनुमानित 13,348 रुपए प्रति घंटा है ।

(घ) ओवरहाल के लिए रिजर्व सहित वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के अनुरक्षण की औसत लागत अनुमानित 26,634 रुपए प्रति घंटे है । इसमें सीमा-शुल्क भाड़ा बीमा आदि शामिल नहीं है ।

हुसैनी समिति द्वारा की गई सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद अनुरक्षण में अंतर्ग्रस्त लागत दायित्वों का अभी हिसाब लगाया जाना है ।

(ङ) वेस्टलैंड और डाफिन हेलीकाप्टरों की खरीद के समय अनुरक्षण अनुमानित लागत क्रमश: 5901/- और 3981/- रुपए प्रति घंटा थी । अनुरक्षण लागत के अंतर को वेस्टलैंड हेलीकाप्टर लिमि-

टेड ने 10 मिलियन पौंड जो 18.97 करोड़ रुपए के बराबर थी, की एकमुश्त राशि की आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा देकर पूरा किया था।

(घ) हैलीकाप्टरों और इंजिनों पर प्रमुख संशोधनों से सम्बन्धित जिसके लिए निर्माता उत्तरदायी है, अन्यों पर पुसैनी समिति की सिफारिशों को पहले से हो कार्यान्वित किया जा चुका है। जहां तक प्रमुख संशोधनों का संबंध है निर्माताओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई है।

रेलवे में भ्रष्टाचार

2090. श्री राम सागर (सैदपुर)

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हाल ही में कोई विशेष अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और जोन-वार भ्रष्टाचार/कदाचार के आरोप में कितने कर्मचारी पकड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) रेलों पर भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध अभियान चलाना एक सतत प्रक्रिया है और हाल ही में इसे और तेज किया गया है।

(ख) और (ग) प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल करने तथा रेलों द्वारा स्वयं निवारक जांच करने के परिणामस्वरूप, वर्ष 1988, 1989 और 1990 (नवम्बर तक) के दौरान कदाचार/भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों की वर्ष-वार और रेलवे-वार संख्या नीचे दी गयी है—

रेलवे	1988	1989	1990 (नवम्बर तक)
मध्य	895	1093	1190
पूर्व	1084	1170	1148
उत्तर	2088	2411	1995
पूर्वोत्तर	849	912	992
पूर्वोत्तर सीमा	323	493	392
दक्षिण	2047	2410	1365
दक्षिण मध्य	548	442	530
दक्षिण पूर्व	738	1020	993
पश्चिम	732	693	1031
उत्पादन यूनिटें	23	86	250
जोड़	9328	10730	9886

प्लास्टिक प्रसंस्करण एककों का बन्द होना

2091. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफ्था के मूल्यों में भारी वृद्धि होने तथा प्लास्टिक के कच्चे माल की कम सप्लाई के कारण प्लास्टिक प्रसंस्करण एकक बन्द हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) खाड़ी संकट के परिणामों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा नेफ्था, जो प्लास्टिक प्रसंस्करण एककों द्वारा पालिमर्स के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रमुख फीड स्टाक है, सहित पेट्रोलियम उत्पादों पर 25% खाड़ी अधिभार लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पालिमर्स के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

पालिमर्स की कुल आवश्यकता के लगभग 50% का आयात किया जाता है और खाड़ी संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और पालिमर्स की उपलब्ध कठिन हो गयी है। जिसका परिणाम यह है कि बाजार में इसकी कुछ कमी हो गयी है स्वदेशी उत्पादकों से अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कहा गया है।

फारेन ड्रग यूनिट्स

2092. श्री रामेश्वरम प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली में "फोरन ड्रग यूनिट्स प्रसराइजिंग इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) घरेलू औषध उद्योग को, विशेष रूप से छोटे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की विद्यमान औषध नीति में घरेलू औषध उद्योग को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। हालांकि लघु क्षेत्र एककों द्वारा औषधों के उत्पादन और सम्भरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन संगठित क्षेत्रों में औषधों की अनुसूची और भारतीय कम्पनियों के लिए औषध नीति में विनिर्दिष्ट उत्पादन तथा सप्लाई की शर्तें फेरा यूनिटों के लिये विनिर्दिष्ट शर्तों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है।

समाम परियोजना का हस्तान्तरण

[हिन्दी]

2093. श्री महेश्वर सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सनान परियोजना को पंजाब सरकार से लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश, राज्य सरकार जोगिन्दर नगर (सनान) विद्युत गृह के स्थानान्तरण से सम्बन्धित अपने अनुरोध पर आगे कार्यवाही न करने के लिए सहमत हो गई है।

प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

2094. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोलीमर के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या इस मूल्य-वृद्धि के कारण लगभग 50,000 लघु उद्योगों को बन्द करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) चूंकि पालिमर्स की कुल आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत का आयात किया गया है अत: खाड़ी संकट के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पालिमर्स के मूल्यों में वृद्धि से प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में उपभोक्ताओं के लिए इस प्रकार के आयात की उतराई लागत बढ़ गयी है। खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पालिमर्स की उपलब्धता को सीमित हो गयी है। देशी उत्पादकों से अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कहा गया है। अन्ततः स्थापित की जा रही नई घरेलू उत्पादन क्षमताओं से सप्लाई की समस्या सुलझ जायेगी।

———

12 00 मध्याह्न

प्रेस की स्वतन्त्रता समाप्त करने के कथित प्रयास और फरीदाबाद में थामसन प्रेस की बिजली काटे जाने के समाचार के बारे में

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल मेरे सहयोगी प्रो० दंडवते और सभा के सभी वर्गों के अनेक सदस्यों ने; जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी शामिल थे, हरियाणा में स्थित थाम्पसन प्रेस की घटनाओं के बारे में चिन्ताव्यक्त की थी। और प्रधान मन्त्री ने इन विचारों को नोट करते हुए कहा था कि ;

[हिन्दी]

"मैं आपके जरिए सदन और देश को एक ही बात बताना चाहता हूं कि प्रेस की स्वतन्त्रता के ऊपर कोई भी आंच आए तो हम सब के लिए दुख और लज्जा की बात है। प्रेस की स्वतन्त्रता हमेशा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। मैं हरियाणा सरकार से इस बारे में जानकारी करूंगा और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार हर कदम उठाएगी।"

[अनुवाद]

मैं नहीं समझता कि, प्रधानमन्त्री ने कल सभा में जो कुछ कहा, उससे अधिक आश्वासन दिया जा सकता है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि 24 घंटे गुजार जाने के बाद भी, स्थिति और खराब हो गई है। जहां तक उक्त घटना का सम्बन्ध है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, आज सुबह सभा में आने से पूर्व, मैंने इस बारे में पूछताछ की है और बिजली अभी भी कटी हुई है।

जो कर्मचारी प्रेस में काम पर जाना चाहते हैं उनकी बुरी तरह पिटाई की जाती है। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें प्रेस की स्वतन्त्रता को दबाने के लिए राज्य सरकार और गुंडा-शक्ति का मेल हुआ है। देश की सर्वोच्च संसद में प्रधानमन्त्री द्वारा ऐसा कहने के बाद भी यह सब हो रहा है और उन्होंने ये शब्द कहे हैं :

"हर कदम उठाकर भी मैं प्रेस की स्वतंत्रता की वहां पर रक्षा करूंगा।"

मैं समझता हूं कि यह केन्द्र की सत्ता को एक चुनौती है और राज्य सरकार से इन गुंडों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। इस विशेष मामले में, इसकी पृष्ठभूमि काफी लम्बी है। मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस या न्यूजट्रैक के खिलाफ बदले की भावना से कार्य किया गया है, क्योंकि पूर्व में उन्होंने आपको बेनकाब किया था। अतः इस प्रेस को सजा दी गई है। श्रीमन्, इस मामले में समय पर कार्यवाही करना आवश्यक है। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि प्रधानमन्त्री द्वारा सभा में आश्वासन दिए जाने के पश्चात उन्होंने अपने अधिकारियों से इस बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार को संदेश भेजा होगा और कहा होगा कि प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी चाहिए और इसे किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, जैसाकि उन्होंने सभा में आश्वासन दिया था। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि ऐसे आदेश तीन या चार दिन तक पड़े रहते हैं और राज्य के अधिकारी कहेंगे कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और बाद में कहेंगे कि उन्होंने बिजली दे दी है। तीन चारदिन के पश्चात्, वे कहेंगें कि, उन्होंने ये-ये कार्य किये हैं।

मैंने आपकी अनुमति से यह मामला, इसलिए उठाया है, क्योंकि इसमें समय पर कार्यवाही करना अति आवश्यक है। इंडिया टुडे के प्रकाशन में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। आज हालात यह है कि गुंडों द्वारा पिटाई के डर से 15 या 18 प्रतिशत कामगार ही प्रेस में आ रहे हैं। जिस प्रेस के बारे में सभा में कल चिन्ता व्यक्त की गई थी, उसकी यह स्थिति है। मैं आशा करता हूं कि सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी और शाम तक थाम्पासन प्रेस की स्थिति में सुधार आयेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जब मैंने आपकी अनुमति से इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कोशिश की तब प्रधानमन्त्री ने हस्तक्षेप करते हुए हमें स्पष्ट आश्वासन दिया था, जिसमें बारे में अभी श्री आडवाणी ने कहा है, और उसके पश्चात हमने महसूस किया कि स्थिति में वास्तव में सुधार आयेगा । लेकिन आज सुबह, हिन्द मजदूर संघ, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि थाम्पसन प्रेस के द्वार पर गुंडागर्दी हो रही है और उनमें से कुछ ने कहा कि "आप संसद में इस मुद्दे को उठा सकते है, लेकिन वास्तव में आपको हमसे ही निबटना है" उन्होंने ऐसा कहा है । अतः प्रधानमन्त्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के पश्चात भी, हिन्द मजदूर सभा और सम्बन्धित संघों पर हमला जारी है और प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन संसद में ही रह गए । इन्हें थाम्पसन प्रेस में लागू नहीं किया गया ।

अतः, अध्यक्ष के नाते, आपको सरकार को निदेश देना चाहिए कि कल संसद में दिए गए सभी आश्वासनों को सरकार पूरा करेगी । स्थिति में सुधार के लिए अध्यक्ष द्वारा दिशानिदेश जारी किये जाने चाहिएं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अपने सहयोगियों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं । श्रीमन्, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि, यह उसी समय कुछ कामगारों द्वारा की गई कार्यवाही नहीं है यह एक सोच समझ कर की गई कार्यवाही है जोकि इस प्रेस, पत्रिकाओं के विरूद्ध की गई है । कल माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के पश्चात, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वहां कार्यवाही क्यों नहीं की गई । श्रीमन्, मैं सत्ता पक्ष में बैठे श्री भजन लाल के भी, इस बारे में विचार जानना चाहूंगा । वह सत्ता पक्ष में बैठे हैं । अब जब, आगे इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो हमें उनके विचार भी जानने चाहिए । प्रश्न यह है कि देश भर में प्रधानमन्त्री के कथन का कोई मूल्य है या नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके आदेश का पालन किया जाता है या नहीं । हरियाणा ज्यादा दूरी पर नहीं है । यहां से वहां निदेश पहुंचाना मुश्किल नहीं है । अतः, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और आज क्या कार्यवाही करने वाली है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव (रामटेक) : मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमन्त्री द्वारा कल दिए गए आश्वासन लागू किये जाएं और सभा को यह जानने का अधिकार है कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है । मैं इस बात से सहमत हूं कि समय पर, अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : मैं तो कल इस पर बोला हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह इस विषय पर बोलना चाहते थे और सोमनाथ बाबू भी इस विषय पर उन्हें बोलने देना चाहते थे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने कल इसके बारे बहुत डिटेल से कहा था । मैं

इतनी बात ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री जी ने जो कल हाउस में आश्वासन दिया उसको फौरन इम्पलीमेंट करना चाहिये ।

लेकिन मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो हाथ है वह एक बहुत बड़े जाबर आदमी का है और वह फाल्टेड है (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नाम बताइये ।

श्री भजन लाल : सुनिये न, आप सुनते तो हैं नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ? आप बैठिये ।

श्री भजन लाल : आप सुनेंगे तब काम चलेगा । अध्यक्ष महोदय, वह जनता दल (एस) के जनरल सैक्रेटरी हैं, उनके पिताजी जनता दल (एस) के प्रेसीडेंट हैं और हरियाणा में सरकार यहीं के आदेश से चलती है । जब तक प्रधानमन्त्री जी इस मामले में पूरी दिलचस्पी लेकर दखल नहीं देंगे तो यह प्रैस के साथ जो अन्याय हुआ है, वह अन्याय दूर नहीं हो सकेगा, क्योंकि, वह मेरा हलका है, मैं वहां की नुमाइन्दगी करता हूं, मैं जानता हूं कि क्या हालत वहां की उन लोगों ने बना रखी है और बड़ा भारी शोषण, ज्यादती और जुल्म उन लोगों के साथ उन्होंने किया है । इसके लिए आप चाहें तो हाउस की कमेटी बनाकर आप जांच करवायें और या प्रधानमन्त्री जी से कहें, इसकी सी० बी० आई० जांच करे और जिनका इसमें कसूर है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप सपोर्ट विदड्रा कर लो न ।

श्री भजन लाल : आपने कितनी बार सपोर्ट विदड्रा कर ली थी ?

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : सभा को आश्वासन देने के लिए मैं, प्रधानमन्त्री को धन्यवाद देता हूं । कल मैंने तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'दीनामनी' के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के बारे में निवेदन किया था । प्रधानमन्त्री को इस बारे में भी कुछ करना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत रहें । डा० तम्बि दुरै, आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० तम्बि दुरै, आप एक पुराने सांसद हैं, दूसरे के व्यवधान करने पर ध्यान न दें । श्री चित्त बसु, कृपया बैठ जाइए ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : कल यह मुद्दा उठाया गया था । प्रधानमन्त्री ने कल कहा था कि वे मामले की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रेस की स्वतन्त्रता पर किसी भी प्रकार का असर न पड़े । श्रीमन्, यह किसी विशेष प्रेस का प्रश्न नहीं है—चाहे यह थाम्पसन प्रेस हो या कोई अन्य प्रकाशन —अब संसद में यह समस्या उठाई गई है और देश के सर्वोच्च प्रशासक ने आश्वासन दिया है । और इस आश्वासन को लागू नहीं किया गया है । क्या यह संसदीय प्रणाली का उल्लंघन नहीं है ? मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं । सारे सदन ने यही राय व्यक्त की है । प्रधानमन्त्री ने भी इस पर अपना

मत व्यक्त किया है। लेकिन उसके पश्चात भी, राज्य सरकार ने इसके अनुसार कार्यवाही नहीं की है। यह विषय लोगों और प्रेस के मूलभूत अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

महोदय, क्या मैं पूछ सकता हू कि कोई राज्य सरकार अथवा श्री चौटाला अथवा कोई अन्य संसद से भी अधिक शक्तिशाली है। मैं यही प्रश्न उठाना चाहता हूं। संसद से अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं हैं तथा यदि आप इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेते हैं तथा सरकार से कोई विशेष कार्रवाई करने के लिये नहीं कहते है तो मेरे विचार से आप स्वयं ही एक ऐसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति से हमारा अपमान करवाना चाहते हैं जो हरियाणा में राज्य कर रहा है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर कुछ ध्यान देने की उदारता दिखाई है। मेरे विचार से आपने इसे नामंजूर इस सभा में व्यक्त आम राय को ध्यान में रखकर ही किया था। यह एक अत्यन्त चिन्ताजनक मामला है। इस तथ्य के बावजूद कि इस महीने की तीसरी तारीख से विद्युत में कटौती की गई है, आज आठ तरीख है तथा पांच दिन व्यतीत हो गए हैं, इस सम्बन्ध में कोई कारंवाई नहीं की गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रधानमन्त्री जो से यहां 4.00 बजे एक स्पष्ट वक्तव्य देने के लिए कहें ताकि हमें दोषी व्यक्ति का पता लग सके।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : महोदय, यह पूरी तरह से एक अफवाह है तथा गंभीर चिन्ता का विषय है कि प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। मेरा यह सुझाव है कि प्रधानमन्त्री जी स्वय सभा को यह बताएं कि समाचार माध्यम को उनके अधिकार वापस दिलाने के संबंध में तथा फरीदाबाद में समाज-विरोधी तत्वों तथा गुंडों को रोकने के लिए क्या कार्यवाई की गई है।

प्रो० मधु दंडवते : आप विद्युत शक्ति कहिए अन्यथा इसका गलत अर्थ समझा जा सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्री भजन लाल ने जो कहा है तथा जिसे तरीके से उन्होंने एक व्यक्ति विशेष जोकि सत्तारूढ़ जनता दल (समाजवादी) का महासचिव है, उसकी तरफ जिस प्रकार से अपनी उंगली से संकेत किया था, हम इस मामले को यूं ही हल्के-फुल्के ढंग से लेकर नहीं टाल सकते। जिस सदस्य ने सत्ताधारी दल के इस नेता विशेष पर आरोप लगाए हैं वह व्यक्ति उस दल का सदस्य है जो इस सरकार को चला रहा है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। इस प्रश्न विशेष के सम्बन्ध में सरकार की इस अपंगता, निष्क्रियता के पीछे यही कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री जी आज अवश्य आयें तथा यह वक्तव्य दें कि क्या कार्रवाई की गई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस नेता विशेष अथवा सत्ताधारी दल के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है? मैं समझता हूं कि यदि हममें लोकतन्त्र के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा तथा सम्मान है तो इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेवार इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या किसी को भी इस सम्बन्ध में चिन्ता है कि वहां क्या हो रहा है? इस सम्बन्ध में कौन चिन्तित हैं?

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री जी ने इस हाउस में जो वायदा किया था, हम सभी को मानना चाहिए कि प्रधानमन्त्री जी उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। लेकिन प्रधानमन्त्री जी को देखना चाहिए कि अभी तक जो आश्वासन उन्होंने हाउस में दिया था, वह पूर्ण क्यों नहीं हुआ। उनको यह भी साथ में देखना चाहिए कि प्रेस की स्वतन्त्रता और मीडिया की

स्वतन्त्रता को राजनीतिक दलगत की भावना में लेकर उनको राजनीतिक फायदे उठाने में नहीं पड़ना चाहिए। हमें प्रेस को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के लिए अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति को पैदा करना चाहिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जिस समय सत्ता में आता है या जिस समय उसकी चलती है, वह प्रेस को अपने अधीन करना चाहते हैं। इस सदन में जो अपनी अन्दरूणी भावना है, कथनी और करनी को अपने हिसाब से प्रकट करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि अगर इस हाउस में एक सदस्य प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए वचनबद्ध है, तो उन्हें सम्पूर्ण रूप से हाउस में एकजुट होकर इस घिनौने कृत्य के प्रति एक प्रस्ताव पेश करना और पास करना चाहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली-सदर) : अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर साहब यहां नहीं है, कल उन्होंने आश्वासन दिया था। कोई और मिनिस्टर इस पोजीशन में नहीं है कि जो कल प्राइम मिनिस्टर ने बात कही थी उस एश्योरेंस के बारे में कुछ कह सके। ऐसी स्थिति में यहां बहस का क्या फायदा होगा। आडवाणी जी ने आपके सामने बात रखी है, बाकी लोगों ने और सारे हाउस ने उसका अनुमोदन किया है। इसका क्या असर होगा ? सारे पार्लियामेंट की आवाज को, यूनैनीमस-विल को अगर फैंक दिया गया और कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यह पार्लियामेंट के लिए शर्म की बात हो जाएगी। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाइए वे जहां कहीं भी हों। जहां कहीं हो, वे हाउस में आकर उन्होंने जो एशोरेंस दी थी उस पर उन्होंने क्या कदम उठाया है, उसको बतायें, तब बात आगे चल सकती है।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : महोदय, आपको याद होगा कि कल जब प्रधानमन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था तब मैंने उनसे मजदूरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ पूछा था। प्रधानमन्त्री जी ने मेरी बात सुनी थी परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। आज सुबह ही मुझे 8 थोमसन प्रेस कर्मचारियों तथा एच० एम० एस० कर्मचारियों के भी टेलीफोन आए हैं। उन्होंने कहा पुलिस तथा अन्य व्यक्ति कह रहे है कि यहां पर प्रधानमन्त्री जी के आदेश नहीं माने जाते—तो एक अदृश्य शक्ति अर्थात् भूतपूर्व मुख्यमंत्री, के जो प्रधानमन्त्री जी के एक घनिष्ठ मित्र हैं, आदेश माने जाते हैं।

कल रात को उन्होंने पूरे मुहल्ले का चक्कर लगाया था तथा प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक दी थी तथा चिल्लाकर कहा था कि "यदि आप थोमसन प्रेस आएंगे तो आपका शव ही मिलेगा।" कार्यालय के अन्दर सभी कर्मचारी साहसी हैं तथा इसीलिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि वे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे जिस पर यह सरकार अकुंश लगाना चाहती है। पिछले पांच दिनों से प्रेस का कार्य एक जनरेटर से किया जा रहा है। अभी तक प्रधानमन्त्री जी ने कुछ नहीं किया है। मैं अभी भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रधानमन्त्री जी को कहें कि वह कम से कम प्रेस के कर्मचारियों की सुरक्षा को ही सुनिश्चित करें। (व्यवधान) मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभार-प्रकट करता हूं जो यहां पर उपस्थित हैं तथा जिन्होंने इस समस्या के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, अभी सभी पक्षों के सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाने से कोई फायदा होने वाला है। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है और जो व्यक्ति इसके पीछे है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने में

प्रधानमंत्री जी अक्षम हैं। इसलिये बेहतर होगा कि आप चेयर से इस सम्बन्ध में रूलिंग दीजिये और इस सदन को आश्वस्त कीजिये कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रजवं करने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि यहां से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद है। अगर आप अपने यहां से किसी व्यक्ति को भेज दें तो वह एक घंटे में वापस आ सकता है। (व्यवधान) इसलिये यह कहना कि कन्याकुमारी की बात होती तो समझ में आ सकती थी और फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री जी ने कल यह विश्वास दिलाया कि अगर 20 किलोमीटर के नजदीक कोई घटना होती है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा, सकता इसलिये इस सरकार से क्या आशा करनी चाहिये ? अब अगर प्रधानमंत्री जी यहां आ जायें तो बहुत अच्छा हो (व्यवधान) आप रिपोर्ट दें और उसके बारे में कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं। मैं उस निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जो हरियाणा में है तथा मैं जानता हूं कि किस प्रकार से हरियाणा में लोकतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। आप इस प्रेस की बात कर रहे हैं। इस प्रकार का यह पहला अवसर नहीं है। अभी हाल ही में ऐसे उदाहरण थे एक तो सिरसा का था था तथा दूसरा कुरुक्षेत्र का था। यदि प्रेस की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, यदि उनकी स्वतंत्रता का इसी प्रकार से गला दबाया जाता रहा तब मैं नहीं जानता कि यह लोकतन्त्र फिर कहां से रहेगा। मामला गम्भीर है तथा सम्पूर्ण सदन इस मामले में अत्यन्त चिन्तित है। अतएव मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी से इस मामले में निजीतौर पर रुचि लेने के लिए कहें···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला कल से चल रहा है और प्रधानमन्त्री जी ने आश्वासन दिया था। मैं समझता हूं कि उनका आश्वासन जरूर पूरा होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक सदस्य के नाते कहना चाहता हूं। मैं प्रेस से सम्बन्धित व्यक्ति हूं, प्रेस की सुरक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए और सारे का सारा यह जो सिलसिला है। (व्यवधान) मेरे माननीय सदस्य, जो मेरे साथी हैं वे एकांगी होकर चलते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : वह किस सम्बन्ध में बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती अली, उनको भी आपके समान बात करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री : जिन दिनों मण्डल आयोग के मामले में 180 के करीब लड़के और लड़कियां जले और उसने जो चित्र दिखाए। उस वक्त जो सत्ता पक्ष था उसने अन्धाधुन्ध आक्रमण किया और उनको पीटा। आज "अमर उजाला" और "आज" जिस तरीके से सरकार के विरुद्ध छाप

रहा है, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) 20-20, 30-30 लाशों की बात करते हैं। यहां प्रधानमन्त्री जी ने खुला ऐलान किया कि जो लोग ये कहते हैं कि सौ लाशें पाई गई। (व्यवधान) उनमें 16 से ज्यादा लाशें नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सैंकड़ों लोगों को नदी में बहा दिया गया। एक भी उदाहरण वह हमें इस तरह का बताएं। ये जो एकांगी बहस है इसका कोई अर्थ नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हमें संसदीय मंत्री जी को सुनना चाहिए। श्री मालवीय बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सभा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यदि सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा कोई आश्वासन दिया गया हो तथा यदि सदस्य यह महसूस करता है कि उस आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है तब हमने हमेशा अध्यक्ष जी से इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं। अतएव मेरे कहने का सार केवल यही है कि चूंकि आप इस सभा के अभिरक्षक हैं अतः आप कृपा करके प्रधानमन्त्री जी को निर्देश दें कि वह यह देखें कि उन्होंने जो भी आश्वासन दिया है उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दण्डवते जी द्वारा उठाए गए प्रश्न के अतिरिक्त क्या मैं यह बता सकता हूं कि यह मामला उस समय उत्पन्न हुआ था जबकि दण्डवते जी द्वारा औपचारिक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा स्थगन-प्रस्ताव पर बल नहीं दिया गया था। स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य है कि हम सरकार की उसकी असफलता के लिए आलोचना करना चाहेंगे। परन्तु जब सरकार ने स्वयं ही कहा था कि "नहीं, हम समाचार-पत्रों की उनकी स्वतन्त्रता प्रदान करने के अत्यन्त उत्सुक हैं तथा इस सम्बन्ध में हम तुरन्त ही कार्रवाई करेंगे।" उस स्थगन प्रस्ताव पर बल नहीं दिया गया था क्योंकि प्रधानमन्त्री जी ने स्वयं ही यह कहा था।

तमिलनाडु अथवा पश्चिम-बंगाल के मेरे मित्रों द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए तथा यदि इस सम्बन्ध में कोई चर्चा होती है तब हम समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता के बारे में ही बात करना पसन्द करेंगे। तथा विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से उसकी स्वतन्त्रता का हनन किया जा रहा है। अतएव इस मामले को केवल अपने विचार व्यक्त करके ही समाप्त नहीं किया जा सकता कि कल दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किया गया है। अतः आपके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि या तो आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दें अथवा सभा में इस पर चर्चा करने दें अथवा या तो प्रधानमन्त्री जी अथवा सरकार का कोई व्यक्ति हमें बताएं कि कल से लेकर अब तक इस सम्बन्ध में क्या किया गया है तथा इस पर क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं। इन दोनों में से किसी एक पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। वह बेहतर होगा। मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, मेरे विचार से सरकार इस पर ध्यान दे रही है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं चाहता हूँ कि पीठासीन अधिकारी यह निर्देश करें कि सरकार को इस आश्वासन का पालन करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से यह निर्देश क्यों नहीं दिया जा रहा है कि जो भी आश्वासन दिया गया है, सरकार को उसे पूरा करना चाहिए ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मधु जी, गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि हम नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दो दिन बाद सत्र समाप्त हो जाएगा, इस तरह की बातें कंटीन्यू रहेंगी तो क्या प्रेस की आजादी बचेगी ?

श्री मदन लाल खुराना : 4 दिन बाद की गई कार्यवाही का कोई फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बात से सारा हाउस सहमत है, प्रधानमन्त्री जी भी कहते हैं कि प्रेस की आजादी एक संवैधानिक चीज है और प्रेस की आजादी सारा सदन चाहता है, प्रधानमन्त्री जी भी इस बात को मानते हैं और प्रेस की आजादी के लिए आश्वासन दे रहे हैं, हमें विश्वास करना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमें श्री दिनेश सिंह को सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हमें श्री दिनेश सिंह को सुनना चाहिए। वह सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : सभा के सभी वर्ग इस बात पर सहमत है कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता सबसे महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमन्त्री ने इस बात पर भी जोर दिया था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रा बरकरार रखी जाए। अत: इस मुद्दे पर किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : कल आश्वासन देने के बाद आज अब तक कुछ नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : किसी की बात तो सुनिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह कोई निवेदन कर रहे हैं। लोढा जी, आप श्री दिनेश सिंह को क्यों नहीं सुनते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं कह रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री यहां मोजूद हैं। सरकार को

आज सभा के उठने से पहले इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने इस मामले पर क्या कार्यवाही की है। यह एक स्पष्ट मुद्दा है और मैं समझता हूं कि आज अन्त में सभा के उठने से पहले माननीय मंत्री को यह बात कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इस संबंध में या तो प्रधान मन्त्री या संसदीय कार्य मन्त्री एक वक्तव्य देंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने इस संबंध में सभा की भावनाओं को ध्यान में रख लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आज सभा के स्थगित होने पहले सरकार इस मुद्दे पर एक वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेसिफिक बात कह देता हूं कि आपने बहुत सही निर्देश दिया है। पावर रिस्टोरेशन के बारे में उस समय आश्वस्त कर लें तो बहुत अच्छा होगा।

———

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा कराधान के बारे में "फाइनेंशियल टाइम्स, लंदन" को दिए गए साक्षात्कार के समाचार के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए एक महत्वपूर्ण बात सभा के ध्यान में लाना चाहती हूं। यह बात वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री द्वारा पिछले महीने 27 तारीख को "फाइनेंशियल टाइम्स, लंदन" को दिए गए साक्षात्कार के बारे में है। ये मन्त्री 'न्यायविहीन' मन्त्री के रूप में जाने जायेंगे। यह इस देश के लिए दुःख का दिन है कि उन्हें न्याय मन्त्री बनाया गया। "फाइनेंशियल टाइम्स" को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने एक सदस्य तथा अपने साथी, जो कि वित्त मन्त्री हैं, के उस निर्णय के बारे में कहा था, जिसमें कर वृद्धि की बात थी और उन्होंने "फाइनेंशियल टाइम्स" को वचन दिया था कि जैसे ही हमारी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण संबंधी बातचीत पूर्ण हो जायेगी, हम इस निर्णय को बदल देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं श्री राजीव गांधी और श्री चन्द्र शेखर को एक साथ लाने के लिए जोर डाल सकता और मैं इसके बदले में किसी चीज का सबसे अधिक दावा करता तो मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है कि मैं प्रधान मन्त्री को इस

उदारवादी अवधारणा के लिए मना लेता। अध्यक्ष महोदय इस साक्षात्कार से मन्त्रि मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, के कार्यकरण के सिद्धान्त के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और इस प्रकार का प्रवक्ता कौन है। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि हमारे इस तरह के मन्त्री हैं, ऐसे मंत्री हैं जो विदेश जाते हैं और इस देश की नीतियों के बारे में वक्तव्य देते हैं, यह आश्वासन देते है कि जो कर उनके एक साथी ने लगाये हैं, वे एक भ्रमित मन की उपज है, एक हड़बड़ाहट की प्रतिक्रिया है और वह यह आश्वासन देते हैं कि एक बार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात पूरी हो जाने पर वह उन करों को वापिस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी दूसरों को अपनी बात समझाने की शक्ति इतनी विरल है कि श्री राजीव गांधी, और श्री चन्द्र शेखर को एक मंच पर ला सकता हूं। अत: मैं श्री चन्द्र शेखर से कहूँगा कि वे वह समाजवाद आदि से सम्बन्धित अपनी पक्की वचनबद्धता त्याग दें मैं उन्हें अपने अनुरूप ढल जाने की यह सलाह दूंगा कि वह मेरे उदारवादी विचारों को समझें। मैं समझता हूं ये गंभीर मसले हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस देश के प्रधान मन्त्री आयें और इस सभा में इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कि उनका और उनकी सरकार का क्या दृष्टिकोण है। उन्हें यह स्पष्ट करना पड़ेगा। उन्होंने अपने दल को जनता दल (समाजवादी) नाम दिया है। इस सरकार का ध्येय क्या है? प्रधान मन्त्री का क्या दृष्टिकोण है? मैं समझता हूं कि इस संसद को यह जानने का अधिकार है। हमें प्रधान मन्त्री से यह जानकारी चाहिए कि यदि उनकी कोई नीति है तो वह क्या है···(व्यवधान) क्या उनका इन भद्र पुरुष जैसा कोई स्वार्थपरायण सिद्धान्त हैं···(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मित्र और साथी श्रीमती सुभाषिनी अली का समर्थन करता हूँ। इस मुद्दे से चार विशेष पहलू सम्बद्ध है। एक यह कि जब केन्द्रीय मन्त्रिमंडल का कोई सदस्य यह कहता है कि केन्द्रीय मन्त्रिमंडल का कदम हड़बड़ाहट में लिया कदम है तो··· **(व्यवधान)**

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम लिया जा चुका है। चूंकि वह यहां हैं अत: मैं उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जसवन्त सिंह को सुनें।

श्री जसवन्त सिंह : मैं ऐसे चार विशिष्ट उदाहरणों का जिक्र करूंगा, जहां मन्त्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी को ताक पर रखा गया है। एक का जिक्र तो मेरी मित्र और साथी श्रीमती सुभाषिनी अली ने किया है, जहां एक केन्द्रीय मन्त्री ने कहा था कि आयात शुल्क का लगान, एक हड़बड़ाहट में लिया गया निर्णय है और इसे वापस ले लिया जायेगा।

दूसरे अहमदाबाद के किसी समाचारपत्र में एक साक्षात्कार दिया गया था कि इस सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधी समझौते पर 23 जनवरी को साक्षात्कार किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल के उसी सदस्य द्वारा उस समाचारपत्र को ऋण राशि दी गई, जबकि केन्द्रीय वित्त मन्त्री··· (व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, जब यह सब झूठ हैं तो वह इस मुद्दे पर कैसे बोलते जा रहे है? यह मामला माननीय श्रीमती सुभाषिनी अली ने उठाया था। महोदय, आपको मुझे उत्तर देने का अवसर देना चाहिए···**(व्यवधान)** ऐसी झूठी बातों पर प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की अनुमति देने का कोई फायदा नहीं है···**(व्यवधान)** यह एकदम झूठ है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वस्तुत:, मैंने श्री जसवन्त सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह के बोलने के बाद मैं सीधे ही श्री स्वामी को कहूंगा।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। माननीय प्रधान मन्त्री ने अभी-अभी सभा में प्रवेश किया है। मन्त्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी के हनन के चार उदाहरण हैं। केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के एक सदस्य ने "फाइनैंशियल टाइम्स" के एक स्थानीय संवाददाता को एक साक्षात्कार दिया, जिसमे उन्होंने अपने साथी द्वारा आयात शुल्क लगाने को हड़बड़ाहट का कार्य कहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जैसे ही वह इसका बन्दोबस्त कर लेंगे, यानि कि केन्द्रीय मन्त्री इसका बन्दोबस्त कर लेंगे तो इस निर्णय को बदल दिया जायेगा। इसका जिक्र मेरी मित्र श्रीमती सुभाषिनी अली पहले ही कर चुकी हैं। दूसरे एक समाचारपत्र को एक साक्षात्कार दिया गया हैं कि इस सरकार द्वारा 23 जनवरी को एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। इसकी राशि दी जा चुकी है और शर्तें निर्धारित की गयी हैं जबकि केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने हाल में ही हमें बताया कि यह अभी भी विचाराधीन है। तीसरे यही के मन्त्री ब्रुसेल्स गये तो वह सरकारी इजाजत के बगैर इजरायल के मन्त्री से मिले···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुछ माननीय सदस्य : यह···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने कहा था**···यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा···

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, तीसरी बात यह कि यही केन्द्रीय मंत्री महोदय जाकर इजरायल के मंत्री से बात करते हैं। अतः सरकार को हमें यह बताना जरूरी है। कि क्या इजरायल के साथ यह

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

विचार-विमर्श करने की सरकार की नीति है, या क्या इसके लिए सरकार ने उन्हें इजाजत दे दी है। चौथे समाचारपत्रों में एक रिपोर्ट छपी है कि ये ही मंत्री महोदय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिले। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ वार्तालाप के बारे में रिपोर्ट, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता, अत्यधिक आपत्तिजनक है और इसने पाकिस्तान के सम्बन्ध में सरकार की सम्पूर्ण विदेश नीति को एक दिशा दी है। ये सभी अत्यन्त गम्भीर मामले हैं और मैं तथ्य जानना चाहता हूं · (व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि वह इन बातों की हामी भरें·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र जसवन्त सिंह का पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन ये सभी मामले किसी न किसी अवसर पर मेरे ध्यान में लाए गये थे। मैंने इनके बारे में सुब्रह्मण्यम स्वामी से पूछताछ की थी और अधिकांश मामलों में, या मैं कहूँगा कि सभी मामलों में उन्होंने ऐसा कोई भी वक्तव्य देने से इन्कार किया···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री को सुनिए। आप प्रधान मन्त्री के बोलते समय व्यवधान न डालें।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं इसे आपके निर्णय पर छोड़ता हूं कि अगर इस प्रकार के गम्भीर मामले किसी सदस्य के ध्यान में आते हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि वह आपको, इस सम्बन्ध में नोटिस दे और सम्बद्ध मंत्री या सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाए? तथ्यों की जांच किए बिना ही, केवल समाचारपत्र की रिपोर्ट के आधार पर अगर सभा में ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो मेरे लिए स्थिति स्पष्ट करना अत्यन्त कठिन होगा · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल बाबू, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं समाचारपत्रों की खबरों पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता में पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं सभा से कहना चाहूंगा कि ये खबरें हमेशा सही नहीं होती। कई बार मैं पढ़ता हूं कि मैं ऐसे लोगों से मिला, जिन्हें मैंने पिछले कुछ महीनों से कभी नहीं देखा। कुछ समाचारपत्रों की खबरों की स्थिति ऐसी ही है।

एक अन्य मामला जो मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह के अनुसार गंभीर है, यह है कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ब्रुसेल्स में एक इजरायली मन्त्री से मिले, तथ्य यह है कि रात्रिभोज अथवा मध्यान्ह भोजन का अवसर था, जिसमें सभी मन्त्री आमन्त्रित थे और इंडिया और इजरायल की वर्ण-क्रमानुसार साथ-साथ सीटें थी···(व्यवधान) अगर ऐसा रवैया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ लोग ऐसी बिमारी से ग्रस्त है, तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। मैंने उन्हें केवल तथ्य बताए हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती तो अध्यक्ष महोदय, आप अपना निर्णय दीजिये कि अगर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रात्रिभोज या मध्यान्ह भोज हो तो क्या मंत्री महोदय उस स्थान से उठकर बाहर चला जाए। भारत

सरकार ने यह रवैया नहीं अपनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां तक सरकार का साझा उत्तरदायित्व है, हम इसका पालन करेंगे और अगर इस संबंध में कोई मंत्री गलती करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अतः मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे मंत्री डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कुछ भी गलत नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन यादव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। मैं प्रधान मंत्री के उत्तर के बाद इस चर्चा को समाप्त करता हूं। अब, श्री जनार्दन यादव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में बहस की अनुमति नहीं दे रहा। श्री जनार्दन यादव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां तो, श्री इन्द्रजीत बाबू।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं प्रधानमन्त्री को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। प्रधानमंत्री ने यहीं कहा है कि आमतौर पर अखबारों की रिपोर्ट सही नहीं होती। उन्होंने यही कहा है। यह इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं है कि क्या 'फाइनैंशियल टाइम्स' को दिए गए इस साक्षात्कार···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो समाचार में निकला है, वह सत्य नहीं है, वे ऐसा कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अखबार में छपी बातों से इन्कार किया है···(व्यवधान) अगर वे सभा को ऐसे चलाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने भी सही कहा है, मैं कहता हूं कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया।

श्रीमती सुभाषिनी अली ; कौन सा वक्तव्य ?

श्री चन्द्र शेखर : कराधान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्बन्धी ऋण तथा जो कुछ आपने कहा है उससे संबंधित। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन मुझे यह महसूस होगा कि कोई मंत्री अपने उत्तरदायित्व या मंत्रिमंडल में साझे-उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है तो उस मन्त्री के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यह नहीं करना चाहिए कि आप एक व्यक्ति को लें और रोजाना इस विषय को उठाएं। यह उचित तरीका नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से कुछ सदस्यगण बगैर किसी कारण छोटे-छोटे प्रश्नों पर बहुत उग्र हो जाते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में ?

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, सभा में तौर-तरीके होते हैं और इनका पालन होना चाहिए व्यर्थ ही उत्तेजित होना बहादुरी का सूचक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जनार्दन यादव । मैंने श्री जनार्दन यादव को बोलने के लिए कहा है ।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । कुन्डू जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । मैंने श्री जनार्दन यादव को अनुमति दी है । मैं आपको नहीं सुन रहा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा समाप्त हो चुका है । अध्यक्ष ने यह मामला समाप्त कर दिया है । अब, श्री जनार्दन यादव ।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार के जिला में सोर पश्चिमी बंगाल के जिला में काला-ए-जार फैल चुका है'''(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुन्डू जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री के स्पष्ट वक्तव्य के बाद यह मामला समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात के बारे में तब सोचूंगा जब आप नोटिस देंगे । आप इसके बारे में नोटिस दीजिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना चाहता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुन्डू जी आप आपने स्थान पर जाइए । श्री सैफुद्दीन चौधरी को व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इस विशिष्ट अखबार-रिपोर्ट पर प्रधान मंत्री के कथन के बाद हमारी मांग यह है कि 27 दिसम्बर, 1990 के 'फाइनेंशियल टाइम्स' में छपे इस विशिष्ट प्रकरण पर स्पष्ट इन्कार हो। अन्यथा, यह तो अस्पष्ट है; हो सकता है इस संवाददाता के पास उनके साथ हुए साक्षात्कार का टेप हो। वह इस बारे में स्पष्ट रूप से इन्कार करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं जानता। आप इस बारे में नोटिस दीजिए, मैं इस पर गौर करूंगा। लेकिन इसमें व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, संसद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अखबारों की रिपोर्ट की सच्चाई को चुनौती दी गई है। मुद्दा यह है कि मुझे प्रधान मन्त्री द्वारा अपने साथी की तरफ से बोलने के अधिकार पर एतराज नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि संबंधित मंत्री सभा में मौजूद है। प्रधान मन्त्री ने जो कुछ कहा है उसके साथ-साथ यह उचित होगा कि मन्त्री महोदय स्वयं भी स्पष्ट रूप से इन्कार करें। (व्यवधान) दूसरे, अगर "फाइनेंशियल टाइम्स" ने सारी रिपोर्ट झूठी तैयार की है तो क्या आप ऐसी बातें होने देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, सुभाषिनी जी ने सामूहिक उत्तरदायित्व का मुद्दा उठाया था। अत: यह ठीक ही है कि प्रधान मन्त्री ने इसका उत्तर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इस पत्रिका को तो पकड़ना होगा। अगर यह बात झूठ छपी तो आप लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे ?

[अनुवाद]

इस बारे में प्रैस परिषद को रिपोर्ट कीजिए।

[हिन्दी]

इसके बारे में आप उनसे ऐडिटर को लिखिए। आप उनसे ऐक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मांगते ? (व्यवधान) उनको बुलाकर पूछिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिल्कुल ठीक बात कही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल विपक्ष के नेता को सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर क्या हो रहा है ? यह उचित तरीका नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री कुप्पुस्वामी, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात भी सुन ली है। आप संसदीय प्रथा को जानते हैं। आपका यह व्यवहार उचित नहीं है कि आप इसके लिए सभा के बीच में आ जाएं। इस मामले में आपका व्यवहार पूरी तरह गलत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री कुप्पुस्वामी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको उचित व्यवहार करना चाहिए। यह लोक सभा है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आप इस प्रकार क्यों उठ खड़े होते हो ? मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जग पाल सिंह (हरिद्वार) : क्या आप एक ही पार्टी के 10-10 आदमियों को बुलायेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां तो, श्री आडवाणी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्राइम मिनिस्टर को सुना है तो कम से कम लीडर आफ दि अपोजीशन

को भी तो सुनना चाहिए। वही मैं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जसपाल सिंह : लेकिन टापिक चेंज होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : आपको उन्हें एक ही मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह अध्यक्ष महोदय के विनर्णय के बारे में है। यदि यह सही है तो कृपया अपने विनिर्णय की जांच कीजिए एक विशेष मामले के बारे में प्रधान मंत्री महोदय द्वारा अपने सहयोगी की ओर से जवाब देने के बाद आपने कहा था कि मामला समाप्त किया जाता है। आपके ये शब्द हैं।

यदि यह सच है तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसी बात को पुनः शुरू करने को किसी माननीय सदस्य को अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उनकी बात सुनूंगा।

श्री वसंत साठे : उन्हें खड़े होने की अनुमति देने का तात्पर्य यह है कि आप उन्हें उसी मामले पर बोलने की अनुमति दे रहे हैं। फिर तो सभा में प्रत्येक को अनुमति देनी पड़ेगी। इसका अभिप्राय यह है कि आपके विनिर्णय का कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं इसके बारे में आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी व्यक्ति को उसी मामले पर बोलने की अनुमति देंगे ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी रूलिंग पर अब भी कायम हूं। मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद, मैं लीडर आफ दि अपोजीशन को सुनना चाहता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है तो मैटर क्लोज समझा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : यदि आप उन्हें बोलने की अनुमति देंगे तो उसके बाद आपके विनिर्णय का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केवल एक टिप्पणी कर रहा हूं अर्थात् मेरे विचार से श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो प्रश्न उठाया है वह तर्कसंगत है। इस मामले पर आपत्तियां की गयी थीं। मैं

इसे इसलिए तर्कसंगत बताता हूं क्योंकि मेरी सहयोगी श्रीमती सुभाषिनी अली द्वारा उठाये गये मामले में···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय दृढ़ है। वह विनिर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक, रिपोर्ट की सत्यता और दूसरा, सामूहिक जिम्मेदारी का प्रश्न। (व्यवधान) वे मेरे बीच में लगातार व्यवधान डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं विनिर्णय के बारे में कोई एतराज नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपनी रूलिंग पर कायम हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : जब आप कहते हैं कि इस मामले को खत्म कर दिया गया है तो कृपया इसे पुनः शुरू करने की अनुमति मत दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे चलेगा तो फिर मैं आप को बता देना चाहता हूं कि आगे से हाउस में कोई नहीं बोल पायेगा।(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता को वरीयता प्राप्त है इसलिए मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

श्री बसंत साठे : क्या वह नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि श्री आडवाणी क्या कहेंगे। हम उनकी बात सुनें।

श्री बसंत साठे : आपने उनकी बात सुन ली है। वह उसी विषय को पुनः उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए आप बैठ जाइए। मुझे पहले आडवाणी जी को सुनने दीजिए।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : वह वरीयता प्राप्त नहीं कर सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा। मैंने आपको बता दिया है। यदि अध्यक्ष उन्हें बोलने की अनुमति देते हैं तो इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया याद कीजिए मैंने श्री दिनेश सिंह को अपने विनिर्णय के बारे में बोलने

की अनुमति दी थी। मैं याद दिलाता हूं कि मैंने श्री विमेश सिंह को अनुमति दी थी और सभा में उनकी बात चुपचाप सुनी गयी थी। उस समय उन्होंने विनिर्णय का प्रश्न नहीं उठाया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार अध्यक्ष को आदेश नहीं दे सकते हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रधान मंत्री महोदय बोलेंगे। मैंने प्रधान मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: आपके इस आदेश के बाद कि मामला समाप्त हो गया है, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने माननीय नेता विरोधी दल को बुलाया तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि स्पीकर···(व्यवधान)

मैंने प्रारम्भ से ही निवेदन किया कि सामान्यत: यह नहीं होना चाहिए लेकिन आपने निर्देश दिया है तो इस पद की गरिमा को देखते हुए आप यदि चाहते हैं कि नेता विरोधी दल बोलें तो हम यह जरूर कहेंगे कि यह परम्परा के विपरीत है लेकिन फिर भी आपकी बात मानते हुए हमको आपके निर्देश को शिरोधार्य करना चाहिए। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि आपके आदेश को मानकर विरोधी दल के नेता की बात सुन लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस विशेष मामले में श्रीमती सुभाषिनी अली और जसवंत सिंह ने दो पहलुओं का उल्लेख किया है। एक, सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में है जिसके संबंध में प्रधान मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। उन्होंने बिलकुल सही कहा है कि यदि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त में कोई परिवर्तन किया गया है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में जिस मंत्री ने गलती की है तो उससे उचित ढंग से निपटा जाएगा। दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मेरा विश्वास है कि केवल श्री स्वामी ही यह बता सकते हैं कि क्या यह रिपोर्ट सच है अथवा नहीं। मैं 'फाइनेंसियल टाइम्स' की रिपोर्ट के बारे में श्रीमती सुभाषिनी अली की बात का उल्लेख कर रहा हूं···(व्यवधान) जहां तक इस सभा का संबंध है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि संसद को यह सुनिश्चित करना है कि विशेषाधिकार के हनन और अवमानना के लिए दंड देने के अपने अधिकार से सच्चाई को उजागर किया जाए। जब प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब नोटिस देंगे तो देखेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

इस मामले में प्रधान मंत्री महोदय ने सभा को बताया है कि उन्हें स्वामी जी ने बताया है कि 'फाइनैंसियल टाइम्स' की रिपोर्ट सच नहीं है। सभा के बाहर इसके बारे में कुछ और कहा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि श्री स्वामी सभा को सूचित करें ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन रिपोर्ट के संवाददाता ने गुमराह किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो हो गया है कि फिलहाल तो ठीक है। आप लिखकर देंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं प्रिवलेज मोशन मूव नहीं कर सकता जब तक कि स्वामी जी इसको डिनाई न करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि प्रधान मंत्री महोदय ने सभा को सूचित कर दिया है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह देखेंगे कि वह उसको डिनाई करेंगे या नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस रिपोर्ट की सच्चाई पर शक है। मैं 'फाइनैंसियल टाइम्स' के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें समाचारपत्र या मंत्री जिम्मेदार थे। श्री स्वामी को इसका सदन में खण्डन करना चाहिए, ताकि अगर हम चाहें तो समाचारपत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया इस मामले को समाप्त करें। अगर आप इस बारे में

सूचना देंगे तो, मैं इस पर विचार करूंगा। श्री जनार्दन यादव।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्रीमती सुभाषिनी अली ने इस साक्षात्कार का हवाला दिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस बारे में सूचना दें, तो मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अगर आप सूचना दें, तो मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं देता। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार की नीति मंत्रीमंडल द्वारा तय की जाती है और सभा द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। किसी एक द्वारा दिया गया कथन, सरकार की नीति नहीं बनते। आपको इस विषय को अधिक तूल नहीं देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें इसका खण्डन करना चाहिए। इस समाचार का खण्डन नहीं किया गया है। हम प्रधान मन्त्री के सरकार के नीति कथन के बारे में दिए गए वक्तव्य की सराहना करते हैं। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि 'फाइनेंशियल टाइम्स' को उन्होंने साक्षात्कार दिया था या नहीं। उन्हें उत्तर देने के लिए कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री यादव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत बाबू, मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है। आप सूचना दें, मैं इस पर विचार करूंगा। मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर और चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : प्रत्येक बात की सीमा होती है।

(व्यवधान)

— — — —

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के 29 जिलों में तथा बंगाल के 9 जिलों में कालाजार बीमारी आग की तरह फैल रही है। उत्तर बिहार में कालाजार बीमारी से पांच हजार आदमी मर चुके हैं और बिहार में एक लाख से अधिक लोग कालाजार से पीड़ित हैं। कालाजार की बीमारी की दवा बाजार में नहीं मिलती। ब्लैकमार्किट में एक सुई की कीमत तीन हजार से चार हजार तक है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने कालाजार बीमारी को समाप्त

करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अविलम्ब बिहार में टीम भेजकर कालाजार बीमारी की जांच कर उसकी समाप्ति के लिए उपाय करे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू, आपका व्यवस्था का प्रश्न कौनसा है? किस नियम का उल्लंघन किया गया है?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : प्रधान मंत्री रोजाना ही नए मामले सामने रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं मेरा निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, खाड़ी युद्ध आरम्भ होने के कारण, तमिलनाडु के अनेक परिवार जो कुवैत में कार्यरत थे भागकर भारत वापस आ गए हैं वे मोटर द्वारा आए हैं। उनके पास और पैसे भी नहीं हैं। आगे यात्रा करने के लिए, उनके पास पैट्रोल भी नहीं है। पिछले अनेक दिनों से यह तमिल परिवार, खराब मौसम में दिल्ली में रह रहे हैं। उनके जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। इस माननीय सदन से मेरी यह प्रार्थना है। वे परिवार त्रिची, तिरुपुर त्रिवेन्द्रम, तंजावुर, कोयम्बटूर और तिरुनेलवली के रहने वाले हैं। इस सरकार को इन परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इन तमिल परिवारों के पास कुवैत की करंसी है और सरकार इसके बदले भारतीय करंसी (मुद्रा) नहीं दे रही है। अतः, मैं, इस माननीय सभा से पुनः अनुरोध करता हूं कि तमिलों के हितों और उनके सम्मान की रक्षा की जाए। पिछली बार और इस बार भी, मैं प्रधान मंत्री से और इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि कुवैत से आए इन तमिल परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : कल, कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि आज मूल्य वृद्धि पर चर्चा और कल पंजाब मामले पर चर्चा के पश्चात्, खाड़ी स्थिति पर चर्चा की जाए। आज के समाचारपत्रों में हमने पढ़ा है कि खाड़ी की स्थिति और खाड़ी संकट और इसके देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के कारण अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसका संबंध सरकार से ही नहीं, आपसे भी है। मैंने आपके माध्यम से, सभा में यह बात सरकार की सूचना में पहले भी लाई थी कि खाड़ी स्थिति काफी गम्भीर है और युद्ध होने ही वाला है और कुछ भी हो सकता है; आर्थिक स्थिति और पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता है। विश्व की और विशेषकर भारतीय आर्थिक स्थिति पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, हम सरकार से वक्तव्य चाहते हैं। इस बारे में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति में

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह निर्णय किया गया था कि पंजाब पर चर्चा के तुरंत पश्चात् चर्चा आरम्भ की जाए किन्तु कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की गई है। अतः मैं अध्यक्ष और सभा से अनुरोध करता हूं कि खाड़ी संकट पर पहले चर्चा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए सरकार इस स्थिति के बारे में वक्तव्य दे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको मौका दूंगा, मैं आपके हाथ देख रहा हूं। श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, इस समय विश्व जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वह बहुत गम्भीर है। अमेरिका ने 30 जनवरी को ईराक पर आक्रमण करने का तय किया है, जैसाकि अखबारों में, समाचारपत्रों में रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ईराक ने भी अपनी सेनाओं को तैयार रहने के लिए कह दिया है। ईराक ने यह धमकी भी दी है कि वह तेल के कुओं में आग लगा देगा। ऐसी सिचुएशन विश्व में कभी पैदा नहीं हुई, यदि ऐसा होता है, युद्ध होता है तो वर्ल्ड में ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी, जो आज तक कभी पैदा नहीं हुई, जो स्थिति दूसरे विश्व युद्ध में भी पैदा नहीं हुई। अभी पिछले दिनों ईराक के विदेश मंत्री यहां आये थे और वह प्रधान मंत्री से मिले थे। यह सदन चल रहा है, सदन और यह देश जानना चाहेगा कि भारत निर्गुट देशों का नेता होने के नाते इसमें क्या भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हमारे देश का आर्थिक हित भी इस स्थिति से जुड़ा हुआ है, हमारे आर्थिक और कई दूसरी तरह के हित भी इस स्थिति से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में तेल संकट भी है तो मैं जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी और भारत इस युद्ध को रोकने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, भारत क्या कदम उठा रहा है? इस बारे में सदन को सूचित करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० विजयराघवन (पालघाट) : श्रीमान्, हमने पहले ही केरल के लोगों की भावनाओं को यहां प्रकट किया है। मेरा उस राज्य से संबंध है, जहां से लगभग 20 लाख लोग खाड़ी में कार्य करते हैं। जब यहां पर कुवैत मामले पर चर्चा हो रही थी, तब तत्कालीन सरकार ने प्रयास कर, वहां से एक लाख लोगों को निकाला था। अब स्थिति और अधिक खराब है और अब यदि कुवैत में निकट भविष्य में कुछ होता है, तो देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में केरलवासी सबसे अधिक प्रभावित होंगे। केरल के लोगों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे इलाके से प्रत्येक घर/परिवार से कम-से-कम एक व्यक्ति सऊदी अरब में कार्य कर रहा है। अगर युद्ध आरम्भ हो जाता है तो इससे इन सब लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर एक वक्तव्य जारी करे और इस संबंध में कुछ प्रयास करे। हमारे जो लोग वहां रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय परसों, 10 जनवरी को सदन का सत्र समाप्त हो रहा है। श्रीमान्, कल प्रस्तुत की गई कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में, बताया गया था कि समिति ने निर्णय किया है कि बोफोर्स मामले पर चर्चा की जाए, लेकिन इसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। अतः तारीख निश्चित करना आवश्यक है यह एक अति महत्व पूर्ण विषय है। जो कुछ सामने आ रहा है, वह बेचैन करने वाला है। इस शताब्दी के सबसे बड़े घोटाले पर पर्दा डाला जा

रहा है। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि बोफोर्स मामले पर चर्चा के लिए एक तारीख निश्चित की जाए। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार-पत्रों में आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से 'लिट्टे' और 'उल्फा' के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के बारे वक्तव्य दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 'उल्फा' के लोगों को तमिलनाडु में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। (व्यवधान) तमिलनाडु में विघटनकारी ताकतों और विदेशी तत्वों के तालमेल की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए कुछ कार्यवाही करना आवश्यक था। प्रधानमंत्री द्वारा मात्र यह स्वीकार करना कि इनमें संबंध है और तमिलनाडु में भारत विरोधी गतिविधियां की जा रहीं हैं, से समस्या हल नहीं हो जाएगी। (व्यवधान)

मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने में क्या देरी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मनिन्दर पाल सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मनिन्दर पाल सिंह के अलावा किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मनिन्दर पाल सिंह को सुनने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : श्रीमन्, 'लिट्टे' द्वारा यह पत्र 'बरासु' को लिखा गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप प्रतिदिन अपनी बात रखते हैं। श्री अतिन्दर पाल सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार से संबंधित है। इस संबंध में आपको इस सभा के नियमों की जानकारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार करना सही नहीं है।

(व्यवधान)

1.25 म० प०

इस समय, श्री आर० मुखिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसेट स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको कैसेट लाने या दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह, जोकि एक वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसा दृश्य सदन में हर क्षण पैदा किया जा सकता है।

(व्यवधान)*

1.27 म० प०

इस समय श्री आर० मुखिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के ब्लाक देवीगढ़ में टांगरी

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नदी के पानी के अत्यधिक बहाव से मुनरहेड़ी क्षेत्र के 46 गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें एवं फसलें बाढ़ के पानी से डूब चुकी हैं। इसी के साथ डेरा बस्सी ब्लाक में घग्गर नदी में पानी बढ़ जाने से 26 से अधिक गांव में सड़कें एवं फसलें पानी में डूब गई हैं। मेरी सरकार से यह मांग है कि प्रत्येक वर्ष इन नदियों में बाढ़ आने से रोकने के लिए तुरन्त उचित प्रबन्ध किए जाएं एवं दोनों क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का निकास एवं नदियों में पानी के बहाव को मोड़ने के लिए दोनों क्षेत्रों में ड्रेन बनवाए जाएं। सदैव के लिए इन क्षेत्रों को बाढ़ से मुक्त करवाने हेतु इन नदियों पर जोकि हरियाणा से पंजाब में प्रवेश करती हैं, उचित बांध बनवाकर इनका मुहाना मोड़ा जाए। हरियाणा में जो टांगड़ी एवं घग्गर नदी है, उस पर बांध बना कर रोक लगाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो पुराने मेंबर हैं, आप बोलिए जो बोलना है।

स० अतिन्दर पाल सिंह : हमें तो मेंबर्स बोलने ही नहीं देते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलिए, पढ़िये मत।

स० अतिन्दर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, देवीगढ़ ब्लाक में 40 से अधिक गांव बाढ़ आने से डूब चुके हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। इसी तरह से घग्गर नदी में बाढ़ आने की वजह से डेराबस्सी ब्लाक में 26 से अधिक गांवों में पानी आ चुका है और फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मेरी सरकार से मांग है कि प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की वजह से जो नुकसान होता है, उसका उचित एवं सदैव के लिए प्रबंध किया जाए। दोनों में अलग-अलग ड्रेन्स बनाई जाएं तथा हरियाणा क्षेत्र का जो पानी पंजाब में आता है, उसको रोकने के लिए नए सिरे से उचित बांध बनवाकर उस पर रोक लगाई जाए और नदी का मोहाना मोड़ा जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सी० श्रीनिवास (डिण्डिगुल) : महोदय, यह एक बहुत गम्भीर समस्या है। आप, कृपया, संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें कि वह हमारी बात का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निर्देश नहीं दे सकता। आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गोपाल सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अखबार है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में उग्रवादियों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि पंजाब के अन्दर जो नहरें राजस्थान के इलाके में जा रही हैं, राजस्थान नहर, गंग नहर और भाखड़ा की नहरें, जो करीब 40 लाख एकड़ क्षेत्र को आबाद करती हैं, लाखों लोग जिससे लाभान्वित होते हैं, उग्रवादियों ने चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी इन नहरों में पानी छोड़ते हैं तो उसका नतीजा भयंकर होगा और इसकी सजा दी जाएगी। यह फरमान जारी हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत इस

सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह सवाल बहुत भयंकर है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उग्रवादियों की गतिविधियां पहले बहुत सीमित थीं, कुछ लोगों को मारने तक सीमित थीं, लेकिन अब फरमान जारी हो रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन उग्रवादियों का संबंध न तो सिक्खों से है और न किसी और से है, इनका संबंध पाकिस्तान से और साम्राज्यवादी ताकतों से है और इनसे साठगांठ करके वे बदनामी फैलाने चाहते है। अध्यक्ष महोदय, इसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ेगा। सिर्फ राजस्थान ही नहीं हरियाणा में भी नहरों पर असर पड़ेगा और हरियाणा में एक नहीं लाखों सिक्ख रहते हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उग्रवादियों का ताल्लुक न तो सिक्खों से है और न किसी और से है, ये लोग इस देश के खिलाफ साजिश करने में लगे हैं। अगर सरकार ने इस सवाल को गंभीरता से लेकर इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो इसके नतीजे कैसे हो जाएंगे, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। आज अगर हमारी नहरों में 5-10 दिन के लिए पानी रोक दिया जाए तो उसका बहुत असर पड़ेगा और बहुत तबाही होगी, क्या हालात पैदा होंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी मारफत इस सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के फरमानों पर रोक लगाई जाए। कभी हिन्दी को खत्म करने के लिए फरमान निकाल दिए जाते हैं, कभी किसी और चीज के फरमान निकाल दिए जाते हैं, ये हालात पैदा हो गए हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे देश में बहुत भयंकर हालात पैदा हो जाएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कटारिया जी, बैठिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आपको बार-बार खड़े नहीं होना चाहिए, बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाथू सिंह जी, आप बैठ जाएं, मक्कासर जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में राजस्थान पानी की वजह से प्यासा है। कई वर्षों के प्रयत्न के बाद कम से कम 2 हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद राजस्थान कैनाल का निर्माण हुआ। लेकिन पिछले 10 साल से, जब से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, आतंकवादियों ने अपने प्रभाव का हमेशा उपयोग किया, धमकियों का उपयोग किया और राजस्थान के हितों को बराबर काटते रहे। 1981 में एक समझौता हुआ। उसके तहत् राजस्थान को जितना पानी मिलना चाहिए था, जबरन यह कह कर कि आपके यहां उपयोग नहीं होगा, उस पानी का भी उपयोग कर लिया और आज भी उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद 1984 में फिर इस प्रकार का समझौता किया सरकार ने दबाव में आकर राजस्थान के हितों पर हमेशा कुठाराघात किया है।

अभी कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने फिर धमकी दी है कि राजस्थान को पानी नहीं दिया जाए। अगर राजस्थान को पानी नहीं दिया गया तो राजस्थान की जनता त्राहि त्राहि करके मर जाएगी राजस्थान नहर को बनाने में 30 वर्ष बरबाद किए हैं, राजस्थान तबाह हो जाएगा। यह सामान्य बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग इस बारे में जवाब दें। टैरोरिस्ट्स ने यह कहा है, वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमकाया है, क्योंकि हैड-वर्क्स का अधिकार पंजाब के लोगों

का है। अगर हैडवर्क्स से राजस्थान को पानी नहीं मिला तो राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि करके मर जाएगी। सवाल उग्रवादियों का नहीं है, सरकार को इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। वास्तव में इस प्रकार की गलती के कारण कहीं राजस्थान की जनता को पानी मिलना बन्द न हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त···

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। करोड़ों लोग प्यासे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाथू सिंह जी, मैंने आपको कहा आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं··· (व्यवधान)। मैं आपसे केवल मार्गदर्शन मांग रहा हूं क्योंकि सदन परसों स्थगित होने जा रहा है। आप स्वयं इसके लिए सहमत हुए थे कि···(व्यवधान)

महोदय, राजस्थान से निर्वाचित संसद सदस्यों के साथ हमें पूरी सहानुभूति है। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे केवल वे ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उत्तेजित होंगे। मंत्री महोदय के लिए केवल इतना ही कहना पर्याप्त था कि वे इस पर विचार कर रहे हैं तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान के हितों की रक्षा हो। परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यहां पर दो कैबीनेट मिनिस्टर बैठे हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खैर, मैं पंजाब के बारे में बात कर रहा था। दो दिन बाकी हैं। प्रधान मंत्री तथा श्री मान के बीच महत्वपूर्ण तथा अभूतपूर्व बातचीत हुई है। आपने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया था कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति ने पंजाब पर चर्चा के लिए कोई तिथि अथवा समय निश्चित नहीं किया है और यह जाने बिना कि इन दोनों में क्या बातचीत हुई, सदन का स्थगन हो जाएगा। आपको तिथि निश्चित करनी चाहिए ताकि हम पंजाब पर चर्चा कर सकें।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तीन दिन और हैं अभी आयेगा···

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं सक्षम रूप से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ बार-बार हिन्दुस्तान के अन्दरूनी मामलों में दखल देने वाले बयान दे रहे हैं। अभी उनका बयान आया है कि पाकिस्तान काश्मीर के उग्रवादियों को हर तरह की सहायता देती रहेगी। यह डायरेक्ट इन्टरवेन्शन है। बार-बार वहां के प्रधानमंत्री के ब्यान आने के बावजूद भारत सरकार ने इसका कोई कड़ा प्रतिरोध नहीं किया है मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज पाकिस्तान की हिम्मत है और भारत सरकार की यह हिम्मत नहीं रही कि पाकिस्तान का कड़ा विरोध करे और खुली चुनौती दें कि अगर आप हिन्दुस्तान के अन्दरूनी मामलों में दखल दें तो पाकिस्तान को इसके भयानक नतीजे भुगतान पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अपने स्तर पर या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत स्टैंड रखें कि आइंदा आने वाले समय में पाकिस्तान की हिम्मत पंजाब और कश्मीर में दखल देने की न हो।

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान रियासत जम्मू-कश्मीर में बसने वाले आठ लाख से ज्यादा गुर्जर और एक लाख जो गोदी लोग हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर करने की तरफ दिलाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश जोकि पहाड़ी प्रदेश है और हमसे मिलता है। गुर्जर और बकरवाल शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर किए हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि बड़े देशभक्त हैं और 1965 की जंग में भी पौली जी ने जब पाकिस्तान से इन्फ्लीट्रेशन हुआ तो श्री मोहम्मद से कहा और पदमश्री मिला। मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे हिमाचल में गेदी और गुर्जरों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स किया गया है तो उसी तरह हमारे यहां बसने वाले गंदी और गुर्जरों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर करना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर मामला है जिसकी वजह से अपने देश को···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप खामोश रहिए।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : हमारे देश को और हमारे पड़ोसी नेपाल को भी नुकसान पहुंचाया है। 1981 में हमारे यहां से संसार का सबसे ऊंचा डैम···(व्यवधान) कोसी डैम परियोजना भेजी गई। तब से लेकर आज तक 19·8 में एक बार अभूतपूर्व बाढ़ आई थी और 1987 में भी बाढ़ आई। नेपाल की तराई के लोग बरबाद हो रहे हैं बाढ़ और सूखे से जिसमें उत्तर बिहार है और बिजली का जो संकट है तो तीस लाख किलोवाट पनबिजली केवल एक डैम से पैदा होगी।

कोसी पर सभी डैम्स को मिलाकर 70 लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। मुझे भारत सरकार से 1974 में लिखित पत्र मिला था कि इतनी बिजली हम खर्च नहीं कर सकेंगे, इतनी बिजली का उपभोक्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उसको नहीं लिया गया। मेरा आपसे आग्रह है कि अभी जो नेपाल

में परिवर्तन हुआ है वहां भी ऐसी सरकार है जिसको वहां के लोगों के लिए, वहां के विकास के लिए फिक्र होगी, मगर यह नेपाल के बूते की बात नहीं है। हमारी ओर से 1981 मे प्रस्ताव गया हुआ है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि भारत सरकार कोसी नदी पर बराह क्षेत्र में डैम बनाये तो जहां तक कलकत्ता बन्दरगाह का मामला है, फरक्का क्षेत्र के बाद बराह क्षेत्र में डैम बनने से अप्रैल, मई जैसे सूखे दिनों में भी हम 50 हजार क्यूसेक पानी कलकत्ता बन्दरगाह को दे सकते हैं और फिर वहां कोई संकट नहीं होगा। कोसी पर बराह क्षेत्र में, बागमती नदी पर नूनथर में, कमला नदी पर शीशापानी और पंचेश्वर तथा करनाली के लिए 1976 में समझौता हुआ था। उस पर भी सरकार सोई हुई है।

जबकि वह ऐसी चीज है कि हमारे देश की इससे काया पलट हो जाएगी विद्युत के मामले में, इसलिए मैं फिर जोर दे रहा हूं कि नेपाल हमारा पड़ोसी ही नहीं है, मित्र देश भी है, प्रकृति ने उसे हमारे साथ एक प्रकार से मिला रखा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे कि वह इस सम्बन्ध में कौन-सा कदम उठाने जा रही है। वर्ना ऐसा न हो कि लोगों को आन्दोलन की राह पर उतरना पड़े। 1982 में राजनीतिक स्तर पर भारत सरकार के सिंचाई मंत्री स्वर्गीय केदार पांडे ने सदन में आश्वासन दिया था कि हम राजनीतिक स्तर पर वार्ता करें। लेकिन आज तक वार्ता नहीं हुई है और हम नेपाल को ही दोष देते रहे हैं। मई, 1984 को नेपाल सरकार ने मुझे बुलाया था और मैं उनका अतिथि होकर गया था वार्ता में शामिल होने के लिए, इसलिए जब उधर से भी एतराज नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे वक्तव्य दिलायें।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : पहले केन्द्रीय सरकार की ओर से औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। कांग्रेस सरकार ने अपने अन्तिम वर्ष में अचानक किन्हीं कारणों से वह सब्सिडी बन्द कर दी। उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र पिछड़े रह गये हैं वहां पर उद्योगों का प्रसार और स्थापना लगभग ठप हो गई है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने भी यह प्रश्न जब उठाया तो उसके तत्कालीन उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि अब पिछड़े हुए क्षेत्रों में 25 प्रतिशत औद्योगिक सब्सिडी उद्योग लगाने के लिए दी जायेगी। लेकिन उस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। जिसके कारण हिमाचल प्रदेश जैसे जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में और होटल बनाने को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है और उद्योग बिल्कुल ठप हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि 25 प्रतिशत सब्सिडी को पुनः चालू किया जाए।

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सोवियत संघ का एक सूचना केन्द्र स्थित है। जिसमें 170 पत्रकार काम करते रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में उन 170 पत्रकारों में से 40 पत्रकारों को गलत ढंग से बर्खास्त किया गया है। उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। उन पर पेंशन और ग्रेचुअटी के नियम लागू नहीं किये गये। अपने को प्रगतिशील कहने वाले लोग चुप्पी साधे हुए हैं और राजनीतिक कारणों से भी भारत सरकार सोवियत रूस पर दबाव नहीं डाल रही है। वे पत्रकार न तो सोवियत दूतावास के अधिकारी माने जाते हैं न इस पर बछावत आयोग का वेतनमान लागू है। इस प्रकार की धांधली के कारण सैकड़ों पत्रकारों का अहित हो रहा है। यदि इसके

विरुद्ध हम सोये रहे तो प्रेस की आजादी का नाम लेने वाला प्रधानमंत्री केवल प्रधानमन्त्री की हैसियत रखेंगे, प्रेस की आजादी की रक्षा नहीं कर सकेंगे। केवल हिन्दुस्तान में जिस प्रकार सोवियत रूस···

अध्यक्ष महोदय : आप हद से आगे बढ़ रहे हैं, शैलेन्द्र जी। आप बैठ जाएं।

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : मैं विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय······

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं, उसके बारे में खत्म होने के बाद मुझसे मिल लेना।

श्री नीतीश कुमार : आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, इसका वायदा जनता दल की पिछली सरकार ने किया था और उस वायदे के अनुरूप श्री वी० पी० सिंह की सरकार इस सदन में प्रसार भारती विधेयक लायी और वह पारित हुआ। इस विधेयक के अनुसार प्रसार भारती निगम एक अप्रैल से बन जाना है लेकिन जो अभी तक स्थिति है, प्रसार भारती निगम बनाने की दिशा में यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यह साजिश है कि प्रसार भारती कभी बन नहीं पाए और रेडियो तथा दूरदर्शन को स्वायत्तता नहीं मिल जाए। आज स्थिति यह है कि इलैक्ट्रानिक मीडिया से कवरेज करके जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण एकतरफा रवैया अपनाया जा रहा है और आज तक जितना भी कवरेज हो रहा है और एक छोटे से इस सत्ताधारी गुट को जिस प्रकार का कवरेज मिल रहा है जो अभी तक न आपके द्वारा रिकगनाईज है और न इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकगनाईज है, वह राजीव गांधी के जमाने को भी लज्जा देने वाली बात है। यह बिलकुल घिनौना हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में एक विधेयक पारित है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस सरकार को निर्देश दें कि शेड्यूल के मुताबिक जो पहले तय हुआ है, इसको एक निगम का रूप दिया जाये।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला आप के माध्यम से सदन के सामने लाना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ तब साउथ अफ्रीका के साथ हमारे संबंध नहीं रहेंगे क्योंकि वहां आर्थोडाक्स, रेशियल और एंटी डैमोक्रेटिक प्रकार की सत्ता रही, ऐसा हमने फैसला लिया। यदि हम लोग पासपोर्ट लेते हैं तो साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते हैं। अब गत दिनों अर्थात 2-3 महीने पहले नेल्सन मंडेला यहां आए थे, उनका हमने बहुत आदर-सत्कार किया लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अखबारों में यह बात आयी है कि हमारे यहां के भूतपूर्व संसद सदस्य, सिनेस्टार अमिताभ बच्चन अब साउथ अफ्रीका गये हैं। वहां जोहन्सबर्ग और डरबन में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने अपनी विदेश नीति बदली है? क्या लोग साउथ अफ्रीका जा सकते हैं? जहां हमारे ट्रेड रिलेशन्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कल्चरल रिलेशन्स नहीं है तो ये लोग अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, कल्याणजी आनन्द सब कानून तोड़कर वहां गये होंगे तो उनके विरुद्ध कोई कदम उठाना चाहिए और उनके जो पासपोर्ट्स हैं, उन्हें इम्पाउन्ड करना चाहिए, मैं सरकार से यही मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि सरकार बतलाये कि क्या हमारी विदेश नीति बदली है, यदि नहीं तो वस्तुस्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा कराधान के बारे में "फाइनेंशियल टाइम्स, लंदन" को दिए गए साक्षात्कार के समाचार के बारे में

8 जनवरी, 1991

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों गैट वार्ता सम्पन्न हो गई तथा जहां तक उन्हें वार्ता का सम्बन्ध है यह इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि अमरीका विश्व के दूसरे देशों पर आर्थिक उपनिवेशवाद स्थापित करना चाहता है। गैट में अमरीकी नीति की एक सूत्रधार इसकी एक वार्ताकार श्रीमती कार्ला हिल्स थीं। हमारे वाणिज्य मंत्री ने उन्हें आमन्त्रण दिया है तथा समाचारपत्रों से यह भी विदित हुआ है कि हमारे वाणिज्य मन्त्री उनसे काफी प्रभावित हैं। वे उनके द्वारा काफी आकर्षित हुए हैं तथा इस सम्बन्ध में मैंने प्रेस में वक्तव्य भी पढ़े हैं। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें सावधान रहना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वे बातचीत के लिए यहां आयेंगी तो हमारे हितों से समझौता तो नहीं किया जाएगा, क्या देश की आर्थिक स्वायत्तता को बरकरार रखा जायेगा अथवा नहीं। (व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। (व्यवधान) पैप्सी कम्पनी चल रही है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी पांव जमाने के लिए अग्रसर हैं। क्या हम अपनी कृषि व्यापार नीति पर समझौता तो नहीं कर रहे हैं? बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के प्रश्न पर तीसरी दुनिया के सभी देश संघर्ष कर रहे हैं। क्या इस पर भी समझौता किया जाएगा। और इस समझौते के विपणन सम्बन्धी पक्ष भी है; जिस पर कि अमरीका तथा संसार के तीसरी दुनिया के देशों में मतभेद है। उदाहरणार्थ, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या देश की आर्थिक स्वायत्तता के कायम रखने के लिए सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है। (व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका यहां आने का उद्देश्य क्या है और उन्हें आमन्त्रित क्यों किया जा रहा है?

डा० तम्बि दुरै (करूर) : इस सदन में कुछ मिनट पहले हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री दिनेश सिंह ने देश की अखण्डता से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और उस खतरे की ओर संकेत किया जिसका सामना हम तमिलनाडु में कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे प्रधान मन्त्री ने भी यह जानकारी दी है कि 'उल्फा' तथा 'लिट्टे' की गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई हैं तथा तमिलनाडु में प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। हमारे कुछ सदस्यों ने यह मामला काफी गंभीरता से उठाया है। इसलिए, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है? (व्यवधान)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है तथा हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : पिछले दिनों गुजरात में साम्प्रदायिक गड़बड़ी तथा साम्प्रदायिक दंगे आरम्भ हो गए हैं। कल गुजरात सरकार के गृह राज्य मन्त्री ने बताया कि तीन व्यक्ति अहमदाबाद में तथा दो व्यक्ति बड़ोदा में मारे गए हैं। बहुत से लोग घायल हुए। साम्प्रदायिक दंगे गुजरात में मार्च, 1990 में आरम्भ हुए तथा अभी भी जारी हैं। जब एक दंगा पीड़ित क्षेत्र में गया, तो मैंने देखा कि दो व्यक्ति आपसी गोलीबारी के कारण मारे गए हैं। वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पिस्तौलें तथा रिवाल्वर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना विस्तार में क्यों जा रहे हैं? यह जरूरी नहीं।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : गुजरात सरकार इन दंगों को दबाने में असफल रही है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए। (व्यवधान) सरकार को ऐसा करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल, डीजल का जब कोटा निर्धारित किया तो मेरे राजस्थान के ही कोटा नगर में साम्प्रदायिक दंगे फैल रहे थे। तीन महीने बाद थोड़े दिनों तक वहां कर्फ्यू लगा रहा और उसी कारण से, उन्हीं तीन महीनों को बेस मान कर डीजल और पेट्रोल का कोटा निश्चित कर दिया गया और उसमें भी 15 प्रतिशत कटौती करके डीजल और पेट्रोल का कोटा निर्धारित किया था और उसके बाद कोटा शहर के लिए जो कोटा निर्धारित हुआ था, उसके तहत 21 लाख 30 हजार लीटर पेट्रोल और 60 लाख 46 हजार लीटर डीजल तय हुआ था। दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले माह में 1 लाख 56 हजार लीटर पेट्रोल कम भेजा गया और 13 लाख 39 हजार लीटर डीजल कम भिजवाया गया और उसके कारण कोटा नगर में जब काश्तकार को डीजल की आवश्यकता थी, दो-दो किलोमीटर की लाइनें वहां लगी हुई थीं। आज वहां डीजल और पेट्रोल के लिए लोग तरस रहे हैं। आज भी मेरे पास एक व्यक्ति आया है। वह बतला रहा था कि 7 घंटे बाद उसका पेट्रोल का नम्बर आ पाया है।

2.00 म० प०

आज कांदला से आने वाला डीजल और पेट्रोल का कोटा हमारे राजस्थान के कोटा जिले में नहीं पहुंच पा रहा है। तय यह हुआ था कि हर महीने 60 रैक्स कोटा के लिए भेजी जाया करेंगी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले महीने केवल मात्र 15 रैक्स ही गयीं और उनमें से भी अभी केवल दो रैक्स ही पहुंच पायी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय पैट्रोलियम मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वहां शीघ्र से शीघ्र आबंटित कोटा पहुंचाये जाने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप बैठिए। आपका प्वाइंट नोट कर लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, आज सैकड़ों की संख्या में अलीगढ़ से आये शान्तिप्रिय लोग यहां बोट क्लब पर आकर धरने पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अलीगढ़ के बारे में नहीं, शुगर मिल के बारे में कहिये। मैं आपको इस पर अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : वैसे तो सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि सम्पूर्ण घटना की जांच होगी लेकिन इस सदन के एक माननीय सदस्य और पूर्व प्रधानमन्त्री के निजी सचिव जब अलीगढ़ गये थे तो उनके अंगरक्षक की स्टैनगन छीन ली गयी थी। बाद में स्टैनगन तो मिल गयी परन्तु उसके कारतूस नहीं मिले।

अध्यक्ष महोदय : आप शुगर मिल के बारे में नहीं कहना चाहते, इसका मतलब यह है ।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : मान्यवर, पिछले तीन महीनों में वहां तीन बार कर्फ्यू लग चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे कल मिल लेना । अभी आप बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : मेरा निवेदन है कि जो लोग यहां आकर धरने पर बैठे हैं, सरकार उनकी बातों को सुने । वहां उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस घटना पर तुरन्त ध्यान दिया जाये और सम्बन्धित मंत्री जी निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करें ताकि निर्दोष लोगों का हैरासमैंट न होने पाये और उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, वह बन्द हो सके । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा न कि आप कल मुझसे मिल लेना ।

(व्यवधान)

2.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इण्डियन रेन्यूएबल अनर्जी डिवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड; निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन रेन्यूएबल अनर्जी डिवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन रेन्यूएबल अनर्जी डिवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1907/91]

(ख) (एक) निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नियेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1908/91]

(ग) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1909/91]

(2) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1910/91]

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1999, जो 7 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 762 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1990, जो 16 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1911/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1912/91]

(ख) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1980-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षिक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1913/91]

(ग) (एक) भारतीय तेल-निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1914/91]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1915/91]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (पूर्ति तथा निपटान में अनाचार का निवारण) आदेश, 1990, जो 25 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 811(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1916/91]

रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) खुला परिवहन देने की रीति तथा अंशतः परिवहन का चिरस्थीन प्रमाण पत्र प्रारूप

नियम, 1990, जो 11 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 942 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रेल (अधिसूचित रेल स्टेशनों से हटाए न गये माल का निपटान) नियम, 1990, जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) रेल (माल डिब्बे को अधिभारित करने के लिए दण्डात्मक प्रभार) नियम, 1990, जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) रेल (रेल रसीद के बिना प्रेषित माल का परिदान तथा बिक्री आगम की रीति) नियम, 1990, जो 22 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 595(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) रेल दर अधिकरण (प्रक्रिया) विनियम, 1990, जो 26 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 600(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) यात्री (नामों में परिवर्तन) नियम, 1990 जो 16 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) दायित्व की समाप्ति (पारगमन की समाप्ति के पश्चात) नियम, 1990, जो 7 सितम्बर 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) परेषण निपटान नियम, 1990, जो 12 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) परेषण तोल (वैगन भार या गाड़ी भार में) संशोधन नियम, 1990, जो 23 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 854(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) सा०का०नि० 855(अ), जो 23 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 3 जुलाई 1990 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 615(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1917/91]

कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1990 आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास): मैं श्री रामजीलाल सुमन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 61 के अन्तर्गत कोयला खान (संशोधन) विनियम 1990, जो 6 जून, 1990, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 550(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1918/91]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नेप्था झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1919/91]

(ख) (एक) नेप्था झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेप्था झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1920/91]

(ग) (एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1921/91]

(घ) (एक) पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1922/91]

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1923/91]

2.03½ म० प०

याचिका समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री लोकनाथ चौधरी (श्री जगतसिंह पुर) : मैं याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 म० प० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.04 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए।]

सभापति महोदय : श्री महेश्वर सिंह।

निदेश 115 के अधीन वक्तव्य

मिलिटरी ट्रांजिट कैम्प के लिए हिमाचल प्रदेश में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित दिनांक 9 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के बारे में

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निदेश 115 के अधीन एक वक्तव्य देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

दिनांक 9 अप्रैल 1990 को मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री महोदय से जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर जो तत्कालीन रक्षा मन्त्रालय के राज्य मन्त्री महोदय ने दिया, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए किसानों को मुआवजा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है कि रक्षा मन्त्रालय ने फाटी बुरूआ और फाटी पलचान कोठी मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ट्रांजिस्ट कैम्प की स्थापना हेतु पहले 150 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, तत्पश्चात उच्च स्तरीय बैठक में मौका देखने के उपरान्त 372.'6 बीघा फाटी बुरूआ में और 11 बीघा 3 बिस्वा जमीन फाटी पलचान में किसानों को भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय रक्षा मंत्रालय द्वारा मौका देखने के बाद और स्थान का चयन करके लिया गया था।

अत: फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने सैक्शन 4 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने हेतु दिनांक 13-10-88 को डिविजनल कमिश्नर, मंडी द्वारा कार्यवाही आरम्भ की गयी और रक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों ने तुरन्त गरीब किसानों की 38 बीघा 11 बिस्वा भूमि फाटी बुरूआ में और 11 बीघा 3 बिस्वा फाटी पलचान में अपने कब्जे में ले ली, लोगों की खड़ी फसल तबाह की, फलदार वृक्ष सेब इत्यादि के उखाड़ कर फेंक दिए और जिसमें रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने किसानों को पूर्ण आश्वासन दिया कि उनका पूरा नुकसान शीघ्र ही सरकार द्वारा दिया जाएगा। फसल की क्षति का अनुमान लगाकर राजस्व अधिकारियों ने सारा केस बनाकर रक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों को दे दिया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेक्शन 4 का नोटिस 28 अक्तूबर 1989 को जारी किया गया। जिसकी प्रति स्टेशन हैड क्वार्टर पालमपुर को दे दी गयी। इसके पश्चात स्टेशन हैड क्वार्टर पालमपुर के अधिकारी ने 2 मई से 4 मई, 1990 तक इस एरिया का निरीक्षण किया और यह कहा कि जब तक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो जाती है तब तक रक्षा मन्त्रालय भूमि का किराया देगा और उन्हें राजस्व अधिकारियों द्वारा फिर से 4 मई, 1990 को पूर्ण संबंधित रिकार्ड दिया गया तत्पश्चात 1 जून, 1990 को यही अधिकारी महोदय मौके पर पधारे और 2 जून को पलचान नामक स्थान पर बोर्ड की बैठक हुई। परन्तु खेद का विषय है कि आज तक गरीब किसानों को एक भी पैसा नहीं दिया गया, यहां तक कि ब्यास नदी पर हर साल फाटी बरूआ और पलचान के बीच में सेना द्वारा कब्जा करने से पूर्व एक टैम्प्रेरी पुल वन विभाग द्वारा सर्दियों में लगाया जाता था, स्थानीय किसान पुल को पार कर अपनी भूमि पर बीज बोने जाया करते थे, परन्तु जब से सेना ने इन किसानों की कुछ भूमि पर कब्जा किया है तब से लेकर अब ब्यास नदी पर पुल सेना द्वारा लगाया गया है और स्थानीय किसानों तथा लोगों को वहां के अधिकारी इस पर भी चलने नहीं देते। जिसके फलस्वरूप किसानों को अपनी निजी जमीन पर काश्त करने की भी मुश्किल हो गयी है सेना ने जहां भूमि पर कब्जा किया है वहां इस पर बुलडोजर चलाकर मलवा भी किसानों के खेतों में डाल दिया है। जिसके फलस्वरूप आसपास के किसानों की भूमि भी बेकार पड़ी है और स्थानीय जनता के बार-बार अनुरोध पर भी आज तक कार्यवाही नहीं की गयी।

मेरा प्रधान मन्त्री महोदय से इस माननीय सदन में अनुरोध है कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और गरीब किसानों को अविलम्ब न्याय प्रदान करें।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय श्री महेश्वर सिंह के वक्तव्य के उत्तर में तथ्यों का उल्लेख और स्पष्टीकरण कर रहा हूँ।

संक्रियात्मक आवश्यकता के कारण जुलाई, 1988 में सेना ने पालचन में 49 बीघा 11 बिस्वा ज़मीन कब्जे में ली थी। इस तथ्य को नहीं छिपाया गया है। पर माननीय सदस्यों को किसी भी स्तर पर गुमराह करने की कभी कोई मंशा नहीं रही है।

जब लोक सभा में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया गया था, उस समय 76.9348 एकड़ निजी भूमि (जिसमें पहले से अधिग्रहीत 49 बीघा 11 बिस्वा भूमि भी शामिल है) को अधिग्रहीत करने और पालचन में मिलिट्री ट्रांजिट कैम्प स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की 155.05 एकड़ भूमि स्थानांतरित करने का प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर का था। यहां तक कि आज भी उस भूमि को अधिग्रहीत करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि रक्षा परियोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की कार्रवाई केवल तब की जाती है जब अपेक्षित भूमि अधिग्रहीत करने के लिए रक्षा मंत्रालय मंजूरी दे देता है और ज़मीन के अधिग्रहण किए जाने की मांग संबंधित रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा कलक्टर के सामने रखी जाती है। इस मामले में अधिग्रहण का प्रश्न रक्षा मन्त्रालय में अभी विचाराधीन है।

यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार की मंजूरी जारी किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सद्भाव में एक अधिसूचना जारी की थी। जालंधर के रक्षा संपदा अफसर ने कुल्लू के उपायुक्त से यह निवेदन किया था कि रक्षा मंत्रालय से अपेक्षित मंजूरी जारी होने तक अधिग्रहण करने की कार्यवाही रोक दें।

इसकी पुष्टि की जाती है कि सेना द्वारा भूमि को अपने कब्जे में लेने की तारीख से लेकर इसका अन्तिम रूप से अधिग्रहण किए जाने की तारीख तक की अवधि तक के लिए जो किराया पड़ेगा, उसकी अदायगी की जाएगी। इस भूमि के किराये के निर्धारण और भुगतान के प्रश्न के बारे में सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

जहां तक आसपास के किसानों के किराए पर ली गई भूमि के बीच से आने-जाने की सुविधा का प्रश्न है, सरकार ने इस संबंध में तत्काल एक रिपोर्ट मांगी है और व्यावहारिक रूप से जितना संभव होगा, मदद की जाएगी।

मैं पुनः दोहराता हूं कि किसी भी स्तर पर माननीय सदस्य को गलत सूचना देने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित किसानों को विधि के अनुसार पूरा मुआवजा दिया जाए।

———

3.10 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 7 जनवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पूर्वसूचना दी है··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु यह कालातीत हो चुकी है। आप इसे अभी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : कालातीत होने का प्रश्न ही नहीं है। कई सदस्यों ने नियम 193 के अधीन उड़ीसा की बाढ़ के बारे में चर्चा के लिए एक पूर्वसूचना दी है लेकिन कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर विचार नहीं किया है।

सभापति महोदय : सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी पूर्व सूचना की समयावधि समाप्त हो गयी है। दूसरे आपने इसमें एक नया मद जोड़ने के लिए कहा है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सेलम) : महोदय, मैंने भी पूर्वसूचना दी है।

सभापति महोदय : आपके मामले में भी कार्य मंत्रणा समिति ने सरकारी कार्य के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। आपने भी कुछ नये मुद्दे उठाए हैं। इसलिए इसकी अनुमति नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। यह प्रस्ताव की भांति पेश किया गया है।···(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मुझे सुनें। कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव में समिति द्वारा सिफारिश किए गए समय के आवंटन में परिवर्तन हेतु संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन संशोधन के जरिए कार्य सूची में नए मद नहीं जोड़े जा सकते हैं···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक एक करके बोलें।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, हमने अध्यक्ष महोदय को नियम 193 के अधीन एक पूर्व सूचना दी है। उसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अतः जब कार्यसूची आ जायेगी तो हमें यह जानने का अधिकार है कि हमारा प्रस्ताव इसमें क्यों नहीं लिया गया। यह एक नया मुद्दा नहीं है। यह नोटिस उचित ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री को इस सभा को अवश्य बताना चाहिए।

सभापति महोदय : देखिए आपके प्रतिनिधि कार्य मंत्रणा समिति में थे। इसे वहां नहीं उठाया गया। अब मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मैं इसे कहां उठाऊं। मैंने अध्यक्ष महोदय को एक नोटिस दिया है। या तो अध्यक्ष को कहना चाहिए कि इसे रद्द कर दिया गया है··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : लेकिन कार्य मंत्रणा समिति प्रत्येक नोटिस को स्वीकार नहीं करेगी। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुमारमंगलम जी आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदय, इस सभा के समक्ष पेश किए गए प्रतिवेदन में उन्होंने नियम 193 के अधीन चार महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए निर्धारित किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से प्राथमिकताएं रखी गयी हैं। मैं समझता हूं कि समिति की बैठक में पहली प्राथमिकता मूल्य वृद्धि थी, फिर पंजाब, फिर खाड़ी और बोफोर्स। लेकिन अब इस प्रतिवेदन में यह किया गया कि उन्होंने बोफोर्स को खाड़ी से पहले कर दिया है। सुबह मैंने जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे—यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि खाड़ी पर चर्चा हो और सवाल यह है कि खाड़ी की स्थिति पर चर्चा तीसरे नम्बर पर की जाए, यही काफी है।

सभापति महोदय : ठीक है, श्री कुमारमंगलम। अब आप केवल समय के निर्धारण के लिए ही संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, बस। आप नये विषयों को शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : नहीं, यह नया विषय नहीं है। यह तो विषयों के प्राथमिकता का प्रश्न है। मैं फिर कहता हूं कि यह एक नया विषय नहीं है। मैं नये विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूं जो वास्तव में स्वीकार की गई है। इस प्रतिवेदन में यह एक गलती है। मैं एक नया विषय नहीं ला रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जहां तक नियम 193 के अधीन चर्चा के विषयों की बात है जिस विषय को 5 पर रखा गया है उसे 4 पर होना चाहिए और जिसे 4 पर रखा गया है उसे 5 पर होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : महोदय, नियम 377 के अधीन प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों के बारे में क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया था। फिर भी कुमारमंगलम जी द्वारा उठाये गए मुद्दे पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी महोदय, यह संसदीय कार्य मंत्री का निजी कार्य नहीं है। हम यह बात अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाये हैं। इसलिए जब नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा की गई थी तो आपने इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष पेश करना था क्योंकि हमें पता चला है कि उड़ीसा में गम्भीर स्थिति है। हम एक चर्चा चाहते थे। सरकार ने पैसा नहीं दिया और लोग खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं। हम यहां एक चर्चा चाहते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, परन्तु यह उचित मंच नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : यही उचित मंच है।

सभापति महोदय : नहीं, आप इसे इस तरह नहीं उठा सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं जिसमें हम इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं कि चर्चा किये जाने वाले विषय क्या है। महोदय, केवल यही एकमात्र मंच है।

सभापति महोदय : जी, नहीं।

श्री लोकनाथ चौधरी : फिर यह प्रस्ताव सभा के समक्ष क्यों है ? जब प्रस्ताव आया है तो तो मुझे इसमें एक संशोधन शामिल करने के लिए प्रस्ताव करने का अधिकार है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह बात समझनी चाहिए कि वह एक नए विषय को शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं कर सकता हूं।

सभापति महोदय : जी नहीं। आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने नियम पढ़ा है। आप इसे नहीं उठा सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : नहीं महोदय, इसे शामिल करने के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। यह एक प्रस्ताव है। अन्यथा मैं प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त करूंगा। मुझे मत विभाजन की मांग करने का अधिकार है।

सभापति महोदय : यह स्वीकार्य नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? आपका संशोधन स्वीकार नहीं हुआ है फिर आप इस संशोधन को यहां कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं श्री कुमारमंगलम द्वारा दिये गए सुझाव का जिक्र करना चाहता था। वास्तव में मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित था और वहां कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ भी घटित हुआ है उसका ठीक ही चित्रण किया गया है। कृपया इसे जैसा था वैसे ही स्वीकार कीजिए। और प्रश्न यह नहीं है कि क्या संसदीय कार्य मंत्री इसे चाहते हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या बैठक में इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था और इस पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था।

सभापति महोदय : दोनों माननीय सदस्यों के दोनों संशोधनों में अन्तर है। वह नये विषय को शामिल करने की मांग कर रहे हैं जोकि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। माननीय सदस्य यह बात समझ सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मेरा निवेदन है कि यह स्वीकार कर लिया जाए।

सभापति महोदय : जी नहीं।

श्री लोकनाथ चौधरी : यह स्वीकार्य कैसे नहीं हो सकता है ?

सभापति महोदय : मैं नियम पढ़ता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी : जी नहीं महोदय, यह प्रस्ताव तो सदन के समक्ष है। **(व्यवधान)** यह

प्रस्ताव तो सदन की सहमति के लिए सदन में पेश किया गया है। हमें अपने संशोधन देने का अधिकार है।

सभापति महोदय : मैं इसे पुन: पढूंगा। सदस्य कृपया सुनें।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं इसे सुन चुका हूं, मैं नियम जानता हूं।

सभापति महोदय : फिर आप यह क्यों कह रहे हैं ?

श्री लोकनाथ चौधरी : यह ऐसी बात नहीं है। हम एक ऐसे विषय के बारे में कर रहे हैं जिस पर ध्यान दिया गया और शामिल नहीं किया गया कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करने के लिए सहमत नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : फिर आप वह संशोधन कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं जो स्वीकार्य नहीं है। आप इस बात को मानते हैं कि यह स्वीकार्य नहीं है। आप अब आगे क्या कर सकते हैं ? आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, जब उन्होंने सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तब इसका अर्थ यह है कि सभा को इसे पारित करना है।

सभापति महोदय : इसीलिए मैंने वह निर्णय पढ़कर सुनाया। आप एक नया विषय शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यही मेरा विनिर्णय है।

श्री लोकनाथ चौधरी : नहीं महोदय, आप प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए मैं उस पर मत विभाजन की मांग करूंगा।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : जब यह स्वीकार्य नही है तब वह मत-विभाजन के लिए कैसे कह सकते हैं ?

सभापति महोदय : नहीं, वह मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मत-विभाजन की मांग करेंगे। उनका यही कहना है।

अब, प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 7 जनवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.20 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल के कन्नानौर जिले में अझिक्कल पत्तन का विकास किए जाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौरे) : सभापति महोदय, केरल के कन्नानौर जिले में अझिक्कल पत्तन की उपेक्षा की जा रही है। जिसमें वर्ष 1920 तक 300 टन क्षमता के पोत थे और वर्ष 1959-60 के दौरान 30,000 टन तक माल का परिवहन किया जाता था।

अझिक्कल पत्तन वालपत्तनम नदी के मुहाने पर स्थित है जो मंगलौर और कोचीन के मुख्य पोतों के बीच केरल तट पर सबसे गहरी नदी है।

इस पत्तन के विभिन्न लाभ हैं जैसे यह बड़ी रेल लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग का विकल्प है और इसकी प्राकृतिक स्थिति इसे सभी मौसमों में उपयोग के लिए विकसित करने में सहायक है।

इस पत्तन का विकास करने के लिए डाक को बड़ा करने, गाद निकालने, पीने के पानी की सुविधा तथा विद्युत क्रेन आदि उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है।

अझिक्कल पत्तन की स्थिति, जो उत्तरी मालाबार की पहाड़ियों के किसानों और मछुआरों को अपना उत्पाद निर्यात करने में सहायता देगा, के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस पत्तन का विकास करने को उच्च प्राथमिकता दें।

(दो) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में टडोबा राष्ट्रीय उद्यान और गढ़चिरौली जिले में मार्कण्ड मंदिर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग

श्री शांता राम पोटदुखे (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में टडोबा राष्ट्रीय उद्यान और गढ़चिरौली जिले में मार्कण्ड मन्दिर को अखिल भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।

टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान बहुत आकर्षक है और यहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार के पशु-पक्षी हैं। पर्यटक मार्कण्ड मन्दिर को भी पसंद करेंगे जिसका प्रसिद्ध हेमपंथी वास्तुशिल्प है। दोनों ही स्थल अद्वितीय हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन पर्यटक स्थलों को अखिल भारतीय स्तर पर विकसित किया जाए और वहां सभी अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए धन उपलब्ध कराने के निदेश दिए जाएं।

(तीन) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाए जाने की मांग

श्री उत्तम राठोड़ (हिंगोली) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन से सम्बन्धित अनेक आवेदन गृह मंत्रालय के समक्ष लम्बित हैं। आमतौर पर इन मामलों को निपटाने में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण स्वतंत्रता सेनानियों में काफी असंतोष है। केन्द्र सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और राज्य सरकारों, द्वारा सिफारिश किए गए स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के मामलों को शीघ्र निपटाना चाहिए।

(चार) मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की मांग

श्री एन० तोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची मे सम्मिलित किए जाने के बारे में बढ़ती हुई राष्ट्रीय सहमति पर दुबारा बल देने की आवश्यकता नहीं है। इसका औचित्य है कि मणिपुरी मणिपुर की राजभाषा है। यह

मणिपुर में बारहवीं कक्षा तक परीक्षा देने का माध्यम है। मणिपुर के प्रशासन और न्यायपालिका में हजारों वर्षों से मणिपुरी भाषा का उपयोग किया जाता रहा है जब तक कि ब्रिटेन ने वर्ष 1891 में मणिपुर पर कब्जा नहीं कर लिया था और यह स्थिति तब तक जारी रही जब तक मणिपुर वर्ष 1949 में भारत संघ में शामिल नहीं हो गया। यह मणिपुर, असम और त्रिपुरा में रह रहे 2 लाख से अधिक मणिपुरी लोगों की मातृभाषा है। इसे साहित्य अकादमी द्वारा आधुनिक भाषा के रूप में विकसित किया गया है। इसकी अपनी प्राचीन पाडुलिपियां हैं और प्राचीन मध्यकाल, आधुनिक और समकालीन साहित्य है जिसमें आधुनिक और समकालीन साहित्य में उपन्यास, कहानियां, निबंध, आलोचना, कविताएं, साहित्य का इतिहास तथा नाटक जैसी मूल रचनाएं हैं। महाभारत, रामायण, पुराणों, उपनिषदों, स्मृतियों, श्रीमद्‌भागवत गीता, बाइबल और प्रसिद्ध बंगाली, हिन्दी और अंग्रेजी की रचनाओं का मणिपुरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध है वर्ष 1891 तक मणिपुरी राजाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर मणिपुरी में हस्ताक्षर किए जाते थे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह लम्बे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु तत्काल कदम उठाए।

(पांच) मानव निर्मित तन्तु धागे पर उत्पाद और सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय वापस लिए जाने की मांग

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मानव निर्मित तन्तु धागे पर हाल ही में हुई उत्पाद और सीमा शुल्क वृद्धि का सूरत के सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को उत्पाद और सीमा शुल्क का घाटा होगा। इसका बीस हजार छोटे विद्युत-करघा एककों और सहायक एककों में कार्यरत तीन लाख से अधिक कामगारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सूरत और दक्षिणी गुजरात के आस-पास का क्षेत्र भारत में आर्ट सिल्क और बुनाई उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है जहां 185 हजार विद्युतकरघे हैं और प्रति दिन लगभग 45 लाख मीटर कपड़ा बनाया जाता है।

1985 की वस्त्र नीति में अन्य बातों के साथ-साथ मानव निर्मित तन्तु धागे पर कर कम करने के बारे में कहा गया था। आबिद हुसैन समिति ने भी इस विचार का समर्थन किया था। 1988 में तत्कालीन वित्त मन्त्री ने उत्पाद शुल्क में कमी कर दी थी। इसके अलावा एन० डी० सी० की पिछली बैठक में धागे की बजाय तन्तु पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने पर सहमति दी गई।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वर्तमान निर्णय को वापिस ले ले जिसका वस्त्र उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

(छः) आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सरजू प्रसाद सरोज (मोहनलाल गंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान देश में चल रही बाल विकास परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इन बाल विकास परियोजनाओं में कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हालत दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है। मेरे क्षेत्र मोहनलाल गंज, लखनऊ और उसके विकास खंड सरोजिनी नगर, मलिहाबाद, पुरवा, औरास और दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में सामान पूरा नहीं दिया जाता, जैसे दवाइयां, बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री इत्यादि। इस परियोजना में कार्य

जाति को 50, पिछड़ी जाति को 25 और अनुसूचित जाति को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है जबकि सवर्ण जाति को 40, पिछड़ी जाति को 30 और अनुसूचित जाति को 30% आरक्षण दिया जाना चाहिये।

देश में कार्य कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अवैतनिक कर्मचारी माना जाता है तथा मात्र 275/- रुपये से 325 रुपये व सहायिकाओं को 110/- रुपये प्रति माह पारिश्रमिक के रूप में मिलता है। जबकि बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं।

सरकार ने इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक वेतन-वृद्धि का सिर्फ आश्वासन दिया है परन्तु इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार ने इनके वेतन में वृद्धि न करके हमेशा यही कहा है कि इनको पारिश्रमिक दिया जाता है जोकि उचित जवाब नहीं है। सरकार को आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इनका जीवन-स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

सरकार ने अभी बालिका दिवस भी मनाया था। बालिकाओं के उत्थान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इतने कम पारिश्रमिक में अपनी बालिका व बालकों का समुचित विकास कैसे कर पायेंगी ?

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तुरन्त सरकारी कर्मचारी माना जाए और इनको प्राइमरी अध्यापक के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जानी चाहियें।

(सात) उड़ीसा की महान विभूतियों, गोपबन्धु दास, मधुसूदन दास और कृष्ण चन्द्र गजपति देव के नाम पर दिल्ली की किसी सड़क का नाम रखे जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री ए० एन० सिंह देव (आस्का) : महोदय, दिल्ली न केवल महानगर है बल्कि भारत की राजधानी तथा केन्द्रीय सरकार का कार्यस्थल है। यह देश की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों के नाम से अनेक गलियों, सड़कों का नाम रखा गया है। जबकि अनेक सड़कों के नाम राष्ट्रीय नेताओं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्तियों के नामों से रखे गये हैं लेकिन उड़ीसा के किसी भी व्यक्ति के नाम से किसी सड़क का नाम नहीं रखा गया।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसी भी गली, सड़क अथवा लेन का नाम उड़ीसा की महान विभूतियों गोपबन्धु दास, मधुसूदन दास और कृष्ण चन्द्र गजपति देव के नाम पर रखा जाए।

(आठ) केरल में एलीमाला में नौसैनिक अकादमी का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की मांग

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : महोदय, एलीमाला, केरल के नौसैनिक अकादमी की स्थापना का कार्य धीमी गति से चल रहा है।

इस कार्य के लिए हजारों एकड़ उपजाऊ और मूल्यवान भूमि का अधिग्रहण किया गया है और करोड़ों रुपये व्यय करके हजारों लोगों को उस स्थान से हटाया गया है, लेकिन काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लोगों के मन में भारी चिन्ता उत्पन्न हो गई है।

वहां केवल चार-दिवारी खड़ी करके कुछ गार्डों को ही तैनात किया गया है और इस समय वहां कोई काम नहीं हो रहा है।

अत: नौसैनिक अकादमी की स्थापना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, ताकि केरल में नौसैनिक अकादमी अपना कार्य तुरन्त शुरू कर सके।

(नौ) भुर्जी समुदाय के लाभ के लिए भूसी निकालने की 'हुलर' मशीनें लगाने हेतु लाइसेंस दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

भुर्जी समुदाय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित एक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी अनुमानत: 5 (पांच) लाख के लगभग है। इस समुदाय के लोग भारत के हर प्रान्त में बसते हैं परन्तु इसका स्वरूप प्रत्येक प्रांत में अत्यन्त शोचनीय रूप में ही है।

इस समुदाय का पैतृक व्यवसाय खील, परमल, चूड़ा, चबेना, सत्तू आदि को भूनकर जीविकोपार्जन करना है। यह समुदाय आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर भी अत्यन्त शोचनीय स्थिति में ही है।

विभिन्न केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारी नीतियों के अन्तर्गत इस समुदाय की रोजी रोटी की समस्या आकर खड़ी हो गयी है। यदि भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कार्यक्रम न बनाया तो आने वाले कुछ वर्षों में इस समुदाय का विलुप्त होना निश्चित है।

इस समुदाय का कारोबार मुख्य रूप से धान के ऊपर ही आश्रित है तथा इस पर जटिल कानूनी प्रावधान है। धान से चावल निकालने के लिए शहरी क्षेत्रों में मिनी माडर्न प्लांट ही स्वीकृत हैं। यह समुदाय अधिकतर शहरी क्षेत्रों में निवासित है। अत: इनकी आर्थिक स्थिति मिनी प्लांट लगाने की नहीं है, क्योंकि मिनी प्लांट हुलर मशीन से 20 गुना अधिक कीमत में व्यवस्थित हो पाता है। हुलर मशीन का लाइसेंस शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित है।

अत: केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना है कि भुर्जी समुदाय को विलुप्त होने से बचाने के लिए इनका सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक सर्वेक्षण कराकर इनको विशेष क्षेत्रों में हुलर मशीन के लाइसेंस आवंटित किए जाएं और सांस्कृतिक व्यवसाय का संरक्षण प्रदान करते हुए विभिन्न छूट एवं राहत प्रदान की जाए।

————

3.31 म० प०

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक पर आगे विचार करने के लिए और चर्चा करेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बोलेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिसे विधि मन्त्री जी ने सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया है।

इस विधेयक में प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन तथा सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन तथा सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होगी।

इस विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री ने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के संबंध में इसके लिए जिम्मेदार कुछ बातों का संक्षेप में दोहराया था। माननीय मंत्री ने उस सर्वदलीय सम्मेलन की याद दिलाई जिसे प्रधानमन्त्री ने चुनावों के कुछ समय बाद आयोजित किया था। इसके बाद निर्वाचन संबंधी कानून पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति का एक सदस्य मैं भी था। उन्होंने आगे बताया कि इस समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद में चार विधेयक पुर:स्थापित किये गये थे—तीन राज्य सभा में और एक लोक सभा में। यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक सिफारिशें की गई थी कि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संस्था बन जाए तथा संविधान के तहत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए यह अधिक सशक्त हो जाए। उनमें से कुछ सिफारिशों के लिए साधारण कानून की आवश्यकता थी। कुछ सिफारिशों के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। चार विधेयकों में से जो संसद में पुर:स्थापित किए गए थे उनमें से दो विधेयक निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। उनमें से एक विशिष्ट विधेयक जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है और अन्य संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक है, जिसे संसद में भी पुर:स्थापित किया गया है लेकिन इस संबंध में अभी तक मुझे यह मालूम नहीं कि सरकार क्या करने जा रही है। मेरा विचार यह है कि यदि दोनों विधेयकों पर एक साथ ही चर्चा कर ली जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अथवा कम से कम सरकार की मंशा का तो पता चल जाता। अन्यथा: इस विशिष्ट विधेयक का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मेरे विचार से निर्वाचन आयोग को स्वतन्त्र बनाना बहुत अनिवार्य भी है। इसके लिए स्वतन्त्र सचिवालय होना चाहिए जैसाकि संसद के लिए है, इसे आधारभूत सुविधाएं देने से यह अधिक कारगर ढंग से अपने दायित्वों को पूरा कर पाएगा। वास्तव में, दूसरे विधेयक में इन सब बातों की व्यवस्था है संविधान (सत्तरवां) संशोधन विधेयक में स्वतन्त्र सचिवालय का प्रावधान है। फिर यह विधेयक भी, जो मेरे पास है, कुछ कहता है, जैसाकि इस सदन के एक माननीय सदस्य भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने इस विधेयक का एक संशोधन प्रस्तुत किया है। श्री बनातवाला यहां उपस्थित नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि जब एक बार किसी व्यक्ति की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति की हो जाती है, तो उसके बाद वह किसी कार्यकारी अधिकारी या किसी कार्यकारी पद के दायित्व से परे होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटने के बाद उस व्यक्ति को अन्य किसी भी पद के लिए पात्रता समाप्त हो जानी चाहिए। यह एक निर्वाचन सुधार समिति द्वारा की गई कठोर सिफारिश है। मैं पाता हूं कि सत्तरवां संशोधन विधेयक इस विधेयक में सम्मिलित है जब यह कहता है :

> "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के किसी पद अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद के लिए पात्र नहीं होगा।"

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि इस विशेष विधेयक से निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग की

स्वतन्त्रता मजबूत होगी। लेकिन इससे भी आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता है, और विशेषतया मेरी इन दो प्रावधानों में दिलचस्पी है। इस विशेष विधेयक (सत्तरवां संशोधन विधेयक) में अन्य प्रावधान भी है, जिन्हें पूरा करना सरकार के लिए आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने से पहले सदन के अध्यक्ष से, राज्य सभा के सभापति से और विपक्ष के नेता या यदि सदन में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सदन सबसे बड़ी पार्टी के नेता से सलाह लेनी चाहिए। यह भी निर्वाचन सुधार संबंधी समिति की सिफारिशों का एक हिस्सा है।

आज, इस विशेष विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे माननीय विधि मंत्री से दो प्रश्न पूछने हैं: पहला प्रश्न यह है कि अन्य दो विधेयकों पर उनका निर्णय क्या है? एक विधेयक के मामले में उन्होंने अपनी स्पष्ट टिप्पणी मे पहले ही उल्लेख किया है और मैं उससे अवगत हूं कि एक विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है। यह विधेयक लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक है जो संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है। यह इस सदन में प्रस्तुत होगा। जब यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया जाएगा हमें उस समय अपनी टिप्पणी देने का अवसर मिलेगा। ये दो संविधान संशोधन विधेयक हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं, ये सत्तरवां संशोधन विधेयक और इकहत्तरवां संशोधन विधेयक हैं। इनमें से एक मे निर्वाचन आयोग की शक्तियों का जिक्र है। यह उसकी प्रक्रिया को दर्शाता है, तथा उसके लिए स्वतन्त्र सचिवालय की आवश्यकता पर बल देता है। दूसरा, इकहत्तरवां संशोधन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह निर्वाचन आयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, लेकिन यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन : प्रश्न से संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया को बताता है यह इकहत्तरवां संशोधन काफी पहले हो जाना चाहिए। 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। उसके बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ। 1971 से आज तक तीन जनगणनाएं हुई हैं। भारत में लोक सभा के सांसदों और विधान सभाओं के सदस्यों का चुनाव अभी भी 1971 की जनगणना के आधार हुए परिसीमन के आधार पर ही हो रहे हैं। तब से लेकर अब तक काफी परिवर्तन हो चुके हैं। हमारी निर्वाचन सुधार संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि यद्यपि सदन के कुल सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: परिसीमन किया जाना चाहिए। समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी बदलना चाहिए, जिससे कि दूसरे क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को भी चुने जाने का अवसर मिल सके। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में गैर अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि नहीं चुने गये हैं, उन्हें ऐसा करने का मौका मिलेगा। ये उस इकहत्तरवें संविधान के ही हिस्से हैं, जिसे पहले ही राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है। मैं सरकार से, जब मंत्री महोदय इस वाद-विवाद का उत्तर दें, यह जानना चाहूंगा कि जब इस विषय पर लगभग मतैक्य है, तो इन महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में उनका क्या विचार है।

डा० तुम्बि दुरै (करूर) : सभापति महोदय, मुझे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) विधेयक, 1990 की चर्चा में भाग लेते हुए प्रसन्नता है। चूंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र और स्वायत्तशासी संस्था है, इसलिए इस संस्था के प्रमुख को कोई दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए हमने इस विधेयक पर चर्चा शुरू की है। मैं इस विधेयक की विशेषताओं की सराहना और स्वागत करता हूं, क्योंकि यह सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा बढ़ाकर देश के मुख्य न्यायाधीश के समान कर दिया जाना चाहिए।

दूसरे, इसके कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया जाना चाहिए। उन्हें इस प्रकार का स्वतन्त्र और

[डा० तम्बि दुरै]

सम्माननीय दर्जा देते समय हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसके कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया जाए। आजकल देश में संसद, विधान सभाओं, पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये जा रहे हैं। इसलिए जब यह चुनाव हो रहे हैं तो यह आवश्यक है कि इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाए, क्योंकि ये ऐसे संगठन हैं जिन्हें हमें निचले स्तर पर मजबूत बनाना है। इसके लिए यह कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके सचिवालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होना चाहिए। मेरा यही सुझाव है।

कल, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री शेषन की नियुक्ति का उल्लेख किया था। जैसाकि आडवाणी जी ने कहा है कि एक बार कार्य-भार ग्रहण करने के पश्चात यह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, उसे स्वतन्त्र रूप से कार्य करना है। श्री शेषन एक कुशल प्रशासक हैं। उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया है और सदस्यों की संतोषजनक ढंग से सेवा की है। कल कहा गया था कि क्या उनके पास कोई योग्यता है, क्या उन्हें विधि का ज्ञान प्राप्त है। हमें ऐसी बातों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि उन्होंने विधि का अध्ययन कर ही रखा हो। यदि उन्हें कानून के बारे में जानकारी है, तो अच्छी बात है। इसी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। उस समय उन्होंने उनकी योग्यता और क्षमता के बारे में सन्देह नहीं किया था, अब उनकी दक्षता के बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पहले ही अपना कार्य-भार ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए मुझे आशा है कि वह संसद और अन्य विधायी संस्थाओं के सदस्यों की आशा के अनुरूप कार्य करेंगे। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि सहकारी संस्थाओं और पंचायतों के चुनाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने केवल एक ही राज्य सरकार के नहीं, बल्कि अनेक राज्य सरकारों के कार्यों की आलोचना की है। यदि उनके राज्यों में कोई दूसरी पार्टी शासन करती है तो राजनैतिक दल आलोचना करते ही हैं। यहां मैं अपने राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनावों की घटनाओं का और उनसे निपटने के लिए राज्य सरकार के तरीकों का उल्लेख करना चाहता हूं। यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के चुनाव में धांधली हुई थी। इन चुनावों में अनेक गलत तरीके अपनाए गए। हाल ही में कुछ सहकारी संस्था के चुनाव हुए थे। वे चुनाव में मतदाताओं को कभी मतदान की अनुमति नहीं देते हैं। मैं तमिलनाडु के बारे में बता रहा हूं। जब हम कुछ राज्यों की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना करते समय हमें यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव आयुक्त इस पर ध्यान दे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वहां यह सब लगातार हो रहा है?

डा० तम्बि दुरै : ऐसा हाल ही में हुआ है। कुछ माननीय सदस्य पश्चिमी बंगाल की आलोचना करते हैं तो आप कुछ अन्य राज्यों की आलोचना करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं के चुनाव हुए थे, परन्तु अधिकांश परिणाम इनके सदस्यों की इच्छाओं के अनुकूल नहीं हुए थे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि निर्वाचन आयुक्त की संस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिक शक्तियां और दर्जा प्रदान करते समय आपको यह सुनिश्चित करना है कि पंचायत और सहकारी संस्थाओं के चुनावों को भी इसके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाए।

जहां तक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का संबंध है, इसके बारे में श्री आडवाणी पहले ही बोल

चुके हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि 1971 में हमने जनगणना कराई थी और उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। हमें समूची स्थिति की समीक्षा करनी है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारित बारी-बारी से किया जाना चाहिए, ताकि अन्य क्षेत्रों को भी आरक्षित उम्मीदवारों को, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बात पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए और मुझे आशा है कि चुनाव आयुक्त इस पर गौर करेंगे।

इस विधेयक में कुछ और सम्मिलित नहीं करना है, क्योंकि यह छोटा सा विधेयक है और चर्चा की गुन्जाइश भी सीमित है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मैंने इस सभा में जो सुझाव दिए हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। मुझे आशा है कि वह ऐसा ही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बहुत साधारण बिल है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेलरी, पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज और काम्प्ट्रालर एण्ड आडिटर जनरल के बराबर होगी और इलेक्शन कमिश्नर की सेलरी तथा पेंशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होगी। इलेक्शन कमिश्नर का प्रावधान तो है, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। जब हमारी सरकार थी तो हमने दो इलेक्शन कमिश्नर बनाये थे और यह कहा था कि अकेला मुख्य चुनाव आयुक्त इतने बड़े देश में चुनावों का सुपरविजन और कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें जैसे ही पता चला कि तमिलनाडु में पंचायती चुनाव होंगे तो हमने कहा कि इनका भी चुनाव इलेक्शन कमिश्नर करेगा। परन्तु दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जब आई और उसे भारतीत जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों का सहयोग मिला तो उसने इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर दिया। जब आप प्रावधान कर रहे हैं तो इलेक्शन कमिश्नर भी नियुक्त करना चाहिए। जबकि अभी कोई चुनाव आयुक्त नहीं है इसलिए जल्दी ही आप दो नये इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त करें। सचिवालय स्वतन्त्र होगा, यह बात ठीक कही गई है। वहां किसी भी राज्य सरकार के मुलाजिम डेपुटेशन पर न हों। अगर यह बिल कम्प्रीहेंसिव तौर पर लाया जाता तो ज्यादा उचित रहता। क्योंकि हमारे यहां चुनावों में काफी धांधलियां होती हैं। हमारे पास सिर्फ पेटिशन का ही एकमात्र जरिया है। इसमें हमें कोई मैकेनिज्म ढूंढ़ना चाहिए और यह हाउस की विजडम पर हो। वैसे तो राजनीतिक दल कहते हैं कि चुनावों में राजनीति के साथ धर्म को, मजहब को नहीं जोड़ना चाहिए। वैसे भी सियासत और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान इस पर अमल नहीं किया जाता है। जब हम थे। सरकार में तो हमने चुनावों में धार्मिक संस्थानों द्वारा प्रचार कार्य बन्द कर दिया था और धर्म का इस्तेमाल चुनाव मे करने की मनाही कर दी थी, लेकिन अब इस पर अमल नहीं हो रहा है। चुनाव में धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काई जाती हैं, धार्मिक उन्माद के भाषण दिए जाते हैं और पूरा चुनाव अभियान धर्म के नाम से किया जाता है तथा मजहब के झण्डे लेकर चुनाव अभियान चलाया जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि चुनाव आयुक्त और सचिवालय स्वतन्त्र हो। मैं चाहूंगा कि यदि चुनाव के दौरान कोई राजनीतिक दल अथवा कोई उम्मीदवार धर्म का दुरुपयोग करता है अपने चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए तो उसी समय चुनाव के दौरान ही उस राजनीतिक दल या उम्मीदवार को डिस-क्वालिफाई घोषित कर दिया जाये। और यह भी पावर्स होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव में कि किसी प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिगिंग होती है—मिसाल के तौर पर हमारे सामने बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां क्या होता है और अभी महम काण्ड हमारे सामने है—

[श्री धर्म पाल शर्मा]

वहाँ वह उस चुनाव को रद्द कर दे। यह प्रावधान हमें करने पड़ेंगे। मसल पावर, मनी पावर दूर कर सकें चुनाव से और जिम्मेदार ढंग से चुनाव हो सकें इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर के अपायंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और स्पीकर का मशविरा जरूर होना चाहिए ताकि ऐसा आदमी इलेक्शन कमिश्नर बने जिस पर सबको विश्वास हो, पालिटीकल पार्टीज को विश्वास हो और जनता का उस पर विश्वास हो। वह तभी साफ काम कर सकेगा जब चुनाव फेयर एण्ड फ्री हों। चुनाव सही तरीके से लड़े जायें जिसमें हरेक को मनी मिले, इस किस्म की पावर होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि दो आदमी इलेक्शन कमिश्नर अपायन्ट किये जायें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, जिस विधेयक पर आज चर्चा हो रही है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। इसके बारे में कुछ आपत्तियां है। (व्यवधान) मैं यह नहीं जानता कि क्या वह इन्हें पूर्णत: समझते हैं अथवा नहीं। भाषण देते समय मंत्री महोदय ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह विधेयक देश में चुनाव सुधार का एक भाग है। चुनाव सुधार सम्बन्धी चार विधेयक विचाराधीन हैं, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। स्वभाविक रूप से मंत्री महोदय से यह आशा की जाती है कि वह यह स्पष्ट करें कि राज्य सभा में जो तीन विधेयक विचाराधीन हैं उनके बारे में सरकार की क्या मंशा है। यदि वह यह स्पष्ट कर देंगे तो हमें सरकार का इरादा जानने में सुविधा हो जाएगी। चूंकि यह चुनाव सुधार का एक भाग है इसलिए मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चुनाव सुधार का वास्तविक अर्थ क्या है। केवल चार विधेयक ही, जिन्हें पहले ही पुरःस्थापित किया गया है और उनमें से एक पर विचार किया जा रहा है, ऐसे चुनाव सुधार नहीं कर सकते हैं जिसकी आज देश में आवश्यकता है।

मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जिन पर सरकार को चुनाव संबंधी व्यापक नीति निर्धारित करने से पहले विचार करना चाहिए। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना है। दूसरे, चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की विकृति नहीं की हो।

तीसरे, चुनाव में जब तक धन और बाहुबल का प्रभाव रहेगा मेरे विचार से निष्पक्ष चुनाव होना सम्भव नहीं हैं। ये सब बातें चुनाव सुधार का अंग हैं।

एक माननीय सदस्य ने उचित कहा है कि चुनाव को साम्प्रदायिकता से मुक्त रखा जाए। यदि कुछ राजनैतिक पार्टियां साम्प्रदायिक उन्माद और मांगों के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करती हैं तो मेरे विचार से हमारे राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में पड़ जाएगा। यदि आप इन सब महत्वपूर्ण विषयों को नजरअंदाज कर सकते हैं तो चुनाव सुधार के बारे में सोचने और बोलने का क्या अर्थ है?

एक दूसरा मामला अर्थात प्रचार माध्यमों की भूमिका के बारे में है जो चुनाव सुधार से संबंधित है। प्रचार माध्यमों की भूमिका का तात्पर्य प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों से है। जब तक इन मामलों को चुनाव सुधारों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता कि केवल इस विधेयक से चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

इसके बाद सरकार और चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के आधार संहिता का प्रश्न है। जब तक

आचार संहिता को कानून का अंग नहीं बनाया जाएगा, मेरे विचार से तब तक कोई भी चुनाव लड़ने वाला इसका पालन नहीं करेगा।

अतएव, आचार संहिता अर्थहीन हो जाती है। उस बल का भी ध्यान रखना है।

इस समय राजनैतिक दलों के पंजीकरण का भी प्रश्न है। इसके लिए एक सुनियोजित नीति होनी चाहिए, जिसके आधार पर चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनैतिक दल का पंजीकरण किया जाए। इस समय चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी राजनैतिक दल के पंजीकरण के लिए कोई सुपरिभाषित मार्गनिर्देश नहीं है।

आज निर्वाचन आयोग असहाय हो गया है। उनके पास न तो संघीय स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर अपना कोई आधारभूत तंत्र है। स्तर पर निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि निर्वाचन आयोग को चुनाव करने के लिए उसकी प्रारम्भिक अवस्था अर्थात मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर चुनाव करवाने तक के लिए स्वतन्त्र सचिवालय तथा स्वतन्त्र तन्त्र नहीं दिया जाता, तो उस स्थिति में सही मायने में निर्वाचन आयोग को स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। जब तक निर्वाचन आयोग को उस प्रकार की आधारभूत सुविधा प्रदान नहीं की जाती मैं समझता हूं कि चुनावी प्रक्रिया दोषमुक्त नहीं हो सकता।

हममें से कुछ यह महसूस करते हैं कि सभा में चुनाव के माध्यम से एक उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने इस पद्धति का समर्थन भी किया है। इसका समर्थन अनेक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया है। चुनाव के माध्यम से मतदाताओं द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं के आधार पर एक उचित प्रतिनिधित्व वाली सभा हेतु मेरे विचार से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली है तथा इस बारे में कुछ विचार किया जाना चाहिए।

कुछेक देशों में मतदाताओं के पास ऐसा अधिकार है कि वह निर्वाचित व्यक्ति को पुन: वापिस बुला सकते हैं। हम इस सभा में भी अनेक दोष पाते हैं। मैं समझता हूं कि यह बताने का उचित अवसर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मामले पर पहले निर्णय हो जाने दीजिए।

श्री चित्त बसु : ठीक है, पहले इस पर निर्णय हो जाने दीजिए। जैसे भी हो, कुछ सदस्य दल-बदल कर रहे हैं। इससे पूर्व केवल राज्यों में ही दल-बदल होता था। यह हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब संसद में भी दल-बदल देखा जा सकता है तथा कुछ दल-बदल करने वाले सदस्यों को मंत्री के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है तथा मामला अभी भी आपके समक्ष अनिर्णीत पड़ा है। आप ही इस पर निर्णय करें। (व्यवधान) दल-बदल हुआ है। (व्यवधान) दल-बदल कानून मौजूद है। (व्यवधान) दल-विभाजन भी हुआ है। (व्यवधान)

डा० लक्ष्मि दुबे : अध्यक्ष महोदय निर्णय देंगी। आप इस मामले की चर्चा क्यों कर रहे हैं?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैंने इस पर चर्चा नहीं की है। मैं स्थिति जानता हूं। मैं कह रहा हूं कि "दल-बदल" नामक एक रोग है तथा राज्य विधानसभा में यह दल-बदल हुआ करता था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि अब संसद में भी यह दल-बदल नामक रोग घुस आया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि अध्यक्ष के समक्ष दल-बदल का मामला है। अध्यक्ष को ही इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेना है। अध्यक्ष के अधिकार-क्षेत्र के बारे में भी प्रश्न उठाए गए हैं।

सभापति महोदय : अध्यक्ष के समक्ष निर्णय के लिए लम्बित मामले के बारे में कुछ भी चर्चा न करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बसु जी, कृपया मेरी बात सुनिए। आप दल-बदल के बारे में बोल सकते हैं, परन्तु अध्यक्ष के समक्ष निर्णय के लिए लम्बित मामले के सम्बन्ध में कुछ भी मत बोलिए।

श्री चित्त बसु : मैंने क्या उल्लेख किया है? मैंने दल-बदल का जिक्र किया है। **(व्यवधान)** दल-बदल के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को है। मैंने और क्या कहा है? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप दलबदल के बारे में बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर कोई रोक नहीं है, परन्तु अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत इस मामले के बारे में कुछ मत कहिए।

श्री चित्त बसु : इस दल-बदल के कुछ लाभ भी हैं। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं।

तत्पश्चात निर्वाचित सदस्य को वापिस बुलाने के अधिकार का प्रश्न भी उत्पन्न होता है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह भी असंसदीय है? जिस प्रकार से दलबदल से अनेक बुराइयां उत्पन्न होती हैं मैं चाहता कि इन बुराईयों को एक उस कानून की सहायता से दूर किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत मतदाताओं को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को पुन: वापिस बुलाने के अधिकार की व्यवस्था हो। **(व्यवधान)***

4.00 म० प०

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, यह पूरी तरह से संसद की कार्यवाही प्रक्रिया के अन्तर्गत है। ये अत्यंत मुद्दे हैं तथा हमें व्यापक चुनाव सम्बन्धी सुधार करने हैं। इस विधेयक के बारे में मेरी भी अपनी कुछ आपत्तियां हैं, क्योंकि इस विधेयक में चुनावों में सुधार जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी कुल मिलाकर मैं इसका समर्थन करता हूं। "कुल मिलाकर" से मेरा अभिप्राय है कि इस बारे में एक पग तो उठाया गया। इससे निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयुक्त की स्थिति सुदृढ़ होती है। चुनावी प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण के लिए नियम निर्धारण की दिशा में यह एक कदम उठाया गया है। अतएव इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय विधि तथा न्याय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह चुनावों के साथ न्याय करें तथा देखें कि उचित कानून बनाए

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाएं, ताकि आज देश में व्याप्त सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त रहकर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। संसदीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए ये कानून आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कि सभा मेरे इस दृष्टिकोण को सराहेगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, मैं इस बिल के सम्बन्ध में केवल दो-तीन प्वाइंटस ही आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि माननीय आडवाणी जी ने बहुत विस्तार से अपने विचार पहले ही रख दिये हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है और यहां चुनाव सुधार की प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली है, समय-समय पर हम इस बारे में विचार करते रहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आज जब हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, और इलैक्टोरल रिफार्म्स के संबंध में सुझाव देने के लिए पीछे जो कमेटी बनी थी, उसने मई, 1990 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, उसमें सभी दलों के लोग शामिल थे और विस्तार से डेलिबरेशन्स करके उस कमेटी ने सरकार के सामने कुछ सिफारिशें पेश की हैं। उसकी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, मेरी राय है कि यदि उसमें की गयी सिफारिशों को मान लिया जाये तो देश में चुनाव की प्रक्रिया में काफी सुधार हो सकता है। इसलिए सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि इतनी मेहनत करके उस इलैक्टोरल रिफार्म्स कमेटी ने सरकार को जो सिफारिशें की है, मई, 1990 में, मंत्री जी सदन में स्पष्ट रूप से बतायें कि वे उस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से कहां तक सहमत हैं, कौन-कौन सी सिफारिशें वे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन सी सिफारिशें एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा सभापति जी, मुझे दो प्वाइन्टस ही बहुत संक्षेप में कहने हैं।

4.05 म० प०

[डा० लक्ष्मि दुबे पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, मुझे दो पाइन्ट बहुत छोटे से कहने हैं। एक तो यह कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जिस तरह से लोगों के शक के दायरे में आ गयी है, वह किसी शक के दायरे में न आये और उसको स्वतंत्र होना भी चाहिए तथा लगना भी चाहिये। फ्री एण्ड फेयर इलैक्शन के लिए जैसा मैंने कहा कि एक इण्डिपेंडेंट चीफ इलैक्शन कमिश्नर हो, उसके लिये इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उसको राष्ट्रपति अपाइन्ट तो करे, लेकिन चीफ जस्टिस आफ इण्डिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर आफ दि अपोजीशन और हाउस की लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई हो, उससे बात करके करे। जैसे आजकल एक छोटी सी पार्टी राज कर रही है और लार्जेस्ट पार्टी, कांग्रेस उनका सहयोग कर रही है, यदि ऐसी स्थिति हो, तो लार्जेस्ट पार्टी से भी बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय, श्री पेरी शास्त्री जी के निधन से जो पद रिक्त हुआ उस पर श्रीमती रमा देवी को चीफ इलैक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो हिन्दुस्तान के लिये बहुत फख्र की बात थी कि पहली बार एक महिला को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया है, वह ठीक नहीं किया गया है। मुझे बताया गया कि 5 आई० ए० एस० ऑफीसर्स को पहले पूछा गया, जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तब उनको बनाया, फिर भी उनको जिस तरह से हटाया गया है, वह ठीक नहीं किया गया है। लॉ सैक्रेट्री, इलैक्शन कमीशन का चीफ इलैक्शन कमिश्नर बनता आया है, यह परिपाटी है। उनकी एक साल थी। वे इंडिपेंडेंट भी थीं और ईमानदार भी, उनको हटाकर सरकार ने अच्छा नहीं किया। एक तरफ हमने महिला होने के नाते उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर

[श्री मदन लाल खुराना]

जो सम्मान दिया था वह नहीं रहा और दूसरी तरफ जो नये आने वाले हैं, उनकी नियुक्ति को भी हमने शक के घेरे में ले लिया। इसलिये मैंने यही कहा है कि अपाइंटमेंट करने से पहले न केवल सत्तारूढ़ पार्टी से, बल्कि विपक्ष के नेता से भी और पार्टी जो राज कर रही है, उसकी सबसे बड़ी और सहयोगी पार्टी के लीडर से भी पूछना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग में और मुख्य चुनाव आयुक्त में सभी सदस्यों का विश्वास हो।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन होना चाहिये क्योंकि अगर एक मेम्बर पर सारा कुछ छोड़ दिया जायेगा, तो हो सकता है कल को वह दबाव मे आ जाये और कुछ और न हो जाये। इसलिए अगर हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं, तो हमको 3 या 5 का इलेक्शन कमीशन के मेम्बर बनाने चाहिये। यह मेरा भी निवेदन है और इस रिपोर्ट मे भी कहा गया है।

सभापति महोदय, तीसरी बात मैं दल-बदल के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का यह निश्चित मत है कि इसका निश्चित राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ही होना चाहिए और वह, यह निर्णय सभी पक्षों को सुनकर करे। महोदय आज की स्थिति आप देख रहे है, दल बदल के बारे में मैं किसी पर आक्षेप नही करना चाहता हू, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हू कि इतना बड़ा कसूर किया है और उसको कोई सजा नहीं मिल रही है। यह लग नहीं रहा है कि देश मे कोई दल-बदल कानून है, उसका तो एक मजाक सा बन कर रह गया है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हू कि यह जो रिपोर्ट है, उसको स्वीकार किया जाये। मैं मन्त्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हू कि वे अपना उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से यह बतायें कि वे इसको कितना मान रहे हैं, कितना नहीं मान रहे है या बिलकुल नहीं मान रहे हैं, वे स्थिति स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक एक उपयुक्त कदम है। सही है कि हमें एक ऐसे व्यापक विधेयक की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चुनाव की अनेक खामियों को दूर किया जा सके।

मैं इस माननीय सभा को यह सूचित करते हुए अत्यधिक प्रसन्न हूं कि मैं एक ऐसे राज्य से हूं जहां पर अभी भी चुनावी प्रक्रिया को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। मेघालय में किसी मतदान केंद्र पर चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को केवल दो पुलिस कांस्टेबिल अपने साथ ले जाने की आवश्यकता होती है। वहां पर उतने अधिक चुनावी दोष नहीं होते, जोकि बाकी सारे भारत में देखे जा सकते हैं। और, मैं समझता हूं कि यहां पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, अर्थात कि हमें एक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आवश्यकता है। इस बारे में सरकार संविधान की दसवीं अनुसूची के सम्बन्ध में की जा रही चर्चा को ध्यान में रखकर ही विचार करे। अन्यथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर काम का बोझ और बढ़ जाएगा। यदि एक अथवा उससे अधिक निर्वाचन आयुक्त होंगे तब उस स्थिति में पूरी चुनावी प्रक्रिया में और अधिक गति लाई जा सकती है।

महोदय, मैं सभा का ध्यान एक-दो महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिलाता चाहूंगा। यह बहुत अच्छा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त के वेतन तथा भत्तों के बारे में भी विधेयक में उल्लेख किया गया है। मेघालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण हमें यह भी अवश्य

याद रखना चाहिए कि चुनाव सम्बन्धी अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। अतः मेरे विचार से इन व्यक्तियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा उनके लिए चुनाव सामग्री की व्यवस्था करने के लिए आकस्मिकता-निधि भी बढ़ाई जानी चाहिए। अन्यथा केवल उच्च अधिकारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को बढ़ाना तथा उन व्यक्तियों को भूल जाना, जो देश में चुनाव करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थहीन हो जाता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ मैं इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह मतदाता सूची के सम्बन्ध में है। हम देखते हैं कि अधिकतर मतदाता सूची उचित तरीके से तैयार नहीं की जाती है तथा कई नाम विशेषकर अशिक्षित व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल नहीं किए जाते हैं तथा इस प्रकार वे अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित हो जाते हैं। अतएव एक बेहतर प्रणाली का पता लगाया जाना चाहिए, ताकि मतदाता सूची में वास्तविक व्यक्तियों के नाम शामिल किए जा सकें। वर्तमान कानून के अन्तर्गत मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम का दावा करने में काफी लम्बा समय लग जाता है। इस पर अनेक आपत्तियां उठाई जा रही हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक मतदाता है, तो निर्वाचन अधिकारी को उसका नाम, मतदाता सूची में से किसी अन्य मतदाता से प्रमाणित करवा कर सूची में शामिल कर लेना चाहिए। यदि वह एक निर्धन व्यक्ति है तथा उसे किसी सुदूर स्थित मतदान केन्द्र पर अपने नाम का दावा करने लिए जाना पड़ता है, तो वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, जब हम इस सम्बन्ध में कोई व्यापक कानून लाते हैं तब ये ही कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि भारत के अठारह वर्ष की उम्र वाले सभी नागरिकों को अपना मतदान सम्बन्धी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाए।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसको देखने से यह जाहिर होता है कि निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन आयुक्त जिनको सम्मान, सुविधा देने की बात सोची गई है, मेरा यह मानना है कि उसको व्यापक तरीके से लाया जाना चाहिए ताकि निर्वाचन प्रणाली में जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए। जैसा मेरे साथियों ने बताया, धनी, कोटिया और माफिया का वर्चस्व निर्वाचन प्रणाली में बढ़ता जा रहा है, उसको दूर करने के लिये कोई प्रावधान लाया गया होता तो शायद यह ज्यादा स्वागत योग्य होता।

जहां तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुविधायें देने की बात कही गई है, उसको तनख्वाह बढ़ाने की बात कही गई है उसको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज के बराबर सुविधा देने की बात कही गई है, उसमें मेरा यह मानना है कि अगर उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर सुविधायें दी जा रही हैं, तनख्वाह दी जा रही है और सम्मान दिया जा रहा है तो उसके अनुरूप इसकी योग्यता भी होनी चाहिये। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, उनकी निष्पक्षता और उनकी स्वतन्त्रता में कहीं किसी को अविश्वास नहीं होता है उसी तरह से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी ताकि सब लोगों का विश्वास उस पर बना रहे। इसके अलावा जिस प्रकार की गरिमा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है उसी गरिमा के अनुरूप यह लोग भी काम करें तो अच्छा होगा।

जहां इनको सुविधायें दी जा रही हैं वहीं इनको कुछ जिम्मेदारियां भी दी जानी चाहिए थीं। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव होता है मेरी समझ से

[श्री राम कृष्ण यादव]

अनुसार उसी योग्यता के अनुरूप इनकी योग्यता होनी चाहिए और फिर उसी के अनुरूप इनका चुनाव होना चाहिये लेकिन दुख की बात है कि इनकी योग्यता का कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर ऐसा प्रावधान किया होता तो अच्छा होता।

इसके अलावा उनके दायित्व को भी दर्शाया जाना चाहिये था जिससे वह निष्ठापूर्वक अपने काम को कर सकें। राजनीति में रहे व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त न किया जाये लेकिन देखने में आया है कि निर्वाचन आयुक्त में राजनीति घुसी रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों को यह विश्वास हो जाये कि इस पद पर काम करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष और स्वतन्त्र है अगर इन सब बातों का इसमें समावेश किया गया होता तो यह बिल बहुत अच्छा रहता।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति को पवित्र मानता हूं और मैं महसूस करता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके सहयोगियों को स्वतन्त्र रह कर कार्य करना चाहिए। उनकी तुलना उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से की गई है। इन अधिकारियों की नियुक्ति एक सामान्य दैनिक कार्य है, जिसे हमें मंजूरी देनी है। लेकिन जहां तक इस नियुक्ति विशेष का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मैं जो कुछ सुझाव दे रहा हूं, उन पर विचार किया जाए।

इन अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे जनगणना से पूर्व इस बात का फैसला करें कि जनगणना किस तरह से की जानी चाहिए। वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र के नियतन के लिए, पहले जनगणना सर्किल बनाए जाते हैं और इन सर्किलों को बदला नहीं जाता। इसीलिए, क्षेत्र निर्धारण करते समय, निर्वाचन क्षेत्र के नजदीक रह रहे मतदाता और दूर रह रहे लोगों को सही प्रकार से नहीं बांटा जाता। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या चुनावों के संबंध में सर्किल के सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है और निर्वाचन क्षेत्रों को (मिला-जुला) बनाने के लिए मतदान सर्किल को भी बांटा जा सकता है।

दूसरे, मैं चुनाव प्रणाली में, सरकार के हस्तक्षेप का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि चुनाव से एक माह पूर्व ही सत्तारूढ़ दल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पहलू पर इन अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल, प्राय: चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए सभी प्रकार की सरकारी मशीनरी का प्रयोग करता है। सत्तारूढ़ दल द्वारा पुलिस की सहायता से बल और हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए।

तीसरी बात, धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर अयोग्य ठहराये जाने के बारे में है। यह कहना आवश्यक है कि क्या 'धर्म' शब्द का प्रयोग वास्तव में धर्म रिलिजन के लिए ही हुआ है। उदाहरण के तौर पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतीक में "यतो धर्मस्ततो जय:" लिखा हुआ है। इसका किसी धर्म से सम्बन्ध नहीं है। "यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत..." स्वधर्मे निधनम् श्रेय: पर धर्मो भयावह: ध्यारयति इति: धर्म:"

इन बातों का धर्म के निरुक्त से संबंध है । क्या हम धर्म को 'रिलिजियन' के बराबर मानते हैं ? इसीलिए अयोग्य ठहराए जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है और इससे किसी व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय होता है । यदि किसी दल का चुनाव चिन्ह हाथ है और अगर वह यह कहता है कि यह राम का हाथ है और अन्य दल कहते हैं कि यह कृष्ण का हाथ है, तो यह धर्म के नाम का प्रचार होगा । मान लें कि 'धनुष और बाण' मेरा चुनाव चिन्ह है, तब मेरे पर धर्म आदि के नाम पर प्रचार करने का आरोप लगाया जा सकता है । अतः प्रश्न यह है कि इस प्रकार वे चुनाव चिन्ह ही आवंटित न किए जाएं । अतः यह जानने के लिए कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए कि वे कौन से आधार हैं जो किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा सकते हैं ।

तत्पश्चात् कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर लिए जाते हैं । हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानते है परन्तु अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की नीति नहीं होनी चाहिए । हम ऐसे कानून बनाते हैं जिनके अन्तर्गत सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है । अब हम विशेष रूप से महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं । यदि हम इस प्रकार का विभाजन करना चाहते हैं तब हम यह विभाजन सभी के लिए ही जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर क्यों नहीं करते ?

ये ही वे सब बातें हैं जो निष्पक्ष चुनाव कराने के मार्ग में बाधा डाल रही हैं । अतएव इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए । इससे उम्मीदवारों को अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोका जा सकता है । इससे समय तथा धन की भी बचत हो सकती है तथा पुनः अयोग्य घोषित होने को भी रोका जा सकता है । यदि उन्हें अयोग्य ठहराया जाता है तब उन्हें उच्चतम न्यायालय में जाकर याचिका दायर करनी होगी ।

अतः मैं यही सुझाव देना चाहूंगा ।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं ।

केवल मुझे कुछ पाइन्ट्स के ऊपर बात करनी है । इलेक्शन ला इतना पुराना हो गया है, चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए जो आवश्यकता थी, वह थोड़े-थोड़े हिस्से में जो बिल लाये जा रहे हैं, जिसके प्रति मैं विधि मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि बाकी जो चुनाव सुधार की, इलेक्शन रिफार्म्स की आवश्यकता है, जैसे रोटेशन आफ दि कांस्टीट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र के डीलिमिटेशन की बात है, जो चुनाव क्षेत्र रिजर्व कर दिए गए हैं, उन चुनाव क्षेत्रों को 20-20 वर्ष हो गए हैं, वह अभी तक रिजर्व ही चले आ रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि वो बिल शीघ्र ही लाएं, जो सुझाव आए हैं । दूसरा मेरा सुझाव है कि डिफैक्शन के मामले में, जो दलबदल होता है, निर्णय का अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया जाय, चुनाव आयोग को दिया जाए ।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि जब भी चुनाव आयोग के सदस्यों की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हो तो उसमें लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के चेयरमैन और विरोधी पक्ष के नेता की राय भी ली जाए, जैसा कि कमेटी आन इलेक्टोरल रिफार्म्स ने अपने सुझाव में कहा भी था । जिस प्रकार से वर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी की, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, उसके कारण लोगों के मनों में संदेह भी पैदा हुए हैं, जैसा मेरे सहयोगियों ने पहले कहा भी है कि श्रीमती रमा देवी को पहले नियुक्त किया गया और फिर उन्हें हटाकर दूसरे व्यक्ति को बनाया गया । जिसके

[प्रो० प्रेम कुमार धूमाल]

बारे में कहा भी गया है कि उन्होंने पहले इस नियुक्ति को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था तो जहां एक अनविलिंग आदमी को, जिसकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छापूर्वक आपने बनाया, वहीं आपने महिला वर्ग को जो प्रतिनिधित्व मिलने वाला था, संसार के सबसे बड़े गणतन्त्र में एक महिला मुख्य चुनाव अधिकारी बनती, उससे आपने उसको वंचित करके महिलाओं का आक्रोश भी अर्जित किया है।

अन्त में, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन में मल्टी मेम्बर्स होने चाहिए, जैसा कि कमेटी ने रिकमैंड भी किया था। मुझे आशा है कि जब विधि मन्त्री जी जवाब देंगे, तो मेरे इन सुझावों के ऊपर विचार करेंगे। वैसे मेरा मुख्य सुझाव यही है कि चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार आना चाहिए और इसके बारे में आप कब तक सदन में बिल लायेंगे ?

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : सभापति महोदय, प्रस्तुत बिल का मैं अधूरे मन से समर्थन करता हूं क्योंकि इस बिल में सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए वेतन की बात कही गई है, जबकि जरूरत इस बात की थी कि चुनाव आयोग को पूर्ण रूप से वित्त के मामले में अधिकार दिया जाता, जिस प्रकार महालेखाकार और सुप्रीम कोर्ट को अपने वित्त के मामले में स्वतन्त्रता प्राप्त है। मेरे विचार से उसी प्रकार चुनाव आयोग को भी अपने वित्त के मामले में स्वतन्त्रता दी जाए। मैं आशा करता हूं कि इस अधूरेपन को सरकार पूरा करेगी।

इसी के साथ-साथ हमारे देश में बूथ-कैपचरिंग भी होती है। इसको रोकने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की प्रथा डाली जानी चाहिए और इसी के साथ-साथ वोटर के लिए यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वह अपना वोट डाले। मेरा एक सुझाव यह भी है कि जिस प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा है, उसी प्रकार भारतीय चुनाव सेवा भी प्रारम्भ की जानी चाहिए; ताकि प्रत्येक प्रदेश में और प्रत्येक जिले में चुनाव सुचारू रूप से हो सकें। चुनाव आयोग को यह भी स्वायत्तता दी जानी चाहिए कि पंचायत स्तर के चुनाव वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के तौर पर उनकी मियाद पूरी होते ही बिना सरकार की दखलअन्दाजी के और बिना सरकार की इजाजत लिये करवा सके। जब तक हम ये सभी प्रावधान नहीं करते है तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में जनतान्त्रिक प्रणाली पूर्ण रूप से विकसित है। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि पूर्व-चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं, उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में दिए है, उन पर भी सरकार गौर करे और उन्हें भी पूर्ण रूप से अमल में लाने के लिए एक प्रारूप तैयार करके एक बिल सदन में लाए।

[अनुवाद]

श्री शिलिंहो सेमा (नागालैंड) : मैं मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों (सेवा-शर्तें) विधेयक, 1990 के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूंगा।

भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देशों में से एक है तथा हम जनता द्वारा निर्वाचित नौवीं लोक सभा के सदस्य हैं। यहां अनेक राज्यों में अनेक बार चुनाव हुए हैं। चुनाव हमारी जनता के लिए कोई नयी बात नहीं है। परन्तु मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के स्तर-निर्धारण का प्रश्न केवल आज ही उत्पन्न हुआ है। खैर, यद्यपि काफी विलम्ब से यह प्रश्न उठा है परन्तु अभी भी बहुत देर नहीं हुई है।

मैं विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा परन्तु मैं समझता हूं कि यह विधेयक व्यापक नहीं है। इसे बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। मैं सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उन्होंने

इस विषय में सोचा नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इस विषय में समुचित तैयारी नहीं की है।

4 27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विधेयक में आपने उनके अवकाश, इस्तीफे इत्यादि के लिए प्रावधान किए हैं परन्तु उन्हें हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के मामले में प्रावधान है कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाए तथा उन्हें पद से कैसे हटाया जाए और आवश्यकतानुसार क्या कार्य-वाही की जाए। परन्तु इस मामले में केवल उनके अवकाश, इस्तीफे इत्यादि के लिए प्रावधान किए गए हैं तथा उन्हें जब कभी भी जैसी स्थिति हो उसके अनुसार उन्हें पद से हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : सभा में उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है।

श्री शिखिहो सेमा : परन्तु इस विधेयक में अभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अतः इस पर ध्यान दिया जाना है।

आप मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का जिक्र कर रहे हैं। जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों, उनसे नीचे के अधिकारियों तथा मतदान केन्द्र-अधिकारियों के बारे में क्या प्राव-धान किए गए हैं? कुछ सदस्यों ने कहा है कि आपने उनसे नीचे के अधिकारियों को शामिल नहीं किया है। अतः इस विधेयक को बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। यह एक व्यापक विधेयक नहीं है। इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

हमारे देश में चुनाव सम्बन्धी सुधार लाने का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। माननीय सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने पर हमने काफी चर्चा की थी। यहां पर सभा में, प्रैस, प्रचार माध्यमों तथा विभिन्न मंचों पर इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी। लेकिन अभी भी आप मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ला रहे हैं।

हम धन तथा ताकत के बल की बात करते रहे हैं तो इसमें कमी लाने या इससे बचने के लिए क्या किया गया है। इस बारे में विचार करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए मत-दाताओं के लिए व्यापक चुनाव सुधार शीघ्र होने चाहिएं; इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए।

हमारे यहां अनेक चुनाव हुए हैं। मेरे विचार से पहचान-पत्र का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम पहचान-पत्र जारी कर दें तो कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। इसलिए सरकार इस बारे में सोचे। अगर आप यह समझते हैं कि पहचान-पत्र जारी करना बहुत महंगा कार्य है लेकिन आप यह मानेंगे कि इसका अनेक कार्यों में उपयोग हो सकता है। अतः सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

यह विधेयक व्यापक नहीं है, इसमें अनेक संशोधन होने हैं और अनेक मुद्दों को प्रमाणित किया जाना है जिसमें निचला स्तर भी शामिल है। मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्री देश है और उसमें कई वर्षों से चर्चा चल रही है कि हम चुनाव में सुधार करना चाहते हैं और जिस

[श्री गुलाब चन्द कटारिया]

ढंग से हम इस बिल को लाए हैं, केवल चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की तनख्वाह बढ़ा देना या सेवा बढ़ा देने से देश में चुनाव का सुधार नहीं हो सकता। इस कारण से मैं किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपने केवल उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, जिस प्रकार से इसको सबसे पहले प्रमुखता दी, मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। प्राथमिकता जिन बातों को देनी चाहिए थी, उन बातों को तो प्राथमिकता दी नहीं गई। अगर आप इसको 4, 6 या 8 महीने बाद लाते तो इसमें कौन सा पहाड़ गिर जाता और ऐसी कौन सी चुनाव में बाधा आ जाती, जिसके कारण से चुनाव की जो प्रक्रिया, अब तक हिन्दुस्तान में चली आ रही है वह एकदम अवरुद्ध हो जाती और उसमें कोई गिरावट आ जाती।

मेरी मान्यता यह है कि हमको पहले उन बातों पर विचार करना चाहिए था जो आज हिन्दुस्तान के इस लोकतन्त्र को खा रही हैं, जिसके कारण इस हिन्दुस्ताम का लोकतंत्र तबाह हो रहा है। जिस प्रकार पैसे के दुरुपयोग से, यह सब यहां चल रहा है, उसको आपने चार टुकड़ों में क्यों रखा है? उसको एक ही बना करके क्यों नहीं रखा, उस एक ही पर अगर आप हम सबकी राय लेकर कोई रास्ता निकालते तो अवश्य ही कोई रास्ता निकल सकता था। अब उसमें भी आपने कहा कि उनकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। इन चुनाव आयुक्त में ऐसी क्या विशेषता आती है कि उसकी आयु 65 वर्ष हो जबकि रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष है। इसमें तो ऐसा लगता है कि उसको फिर से कोई चान्स मिल जाए और इस कारण से वह सरकार की निगाह देखता रहे, सरकार के इशारे पर काम करता रहे। वह व्यक्ति इसका लाभ लेकर 62 या 65 साल तक अपनी नौकरी और करे। मैं चाहता हूं कि यह जो आयु सीमा है, इसको हम सामान्य कर्मचारी या न्यायाधीश की आयु से ज्यादा मुकर्रर न करें।

इसके कारण कई बार जो सुधार होने चाहिए, उसमें ये बाधक होंगे। आदमी की आंख इसी बात पर लगी रहेगी कि जो व्यक्ति पावर में है, उसको किस प्रकार प्रभावित करके फायदा उठाया जा सके। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि चुनाव आयुक्त बन जाने के बाद किसी पद को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, ताकि उसके मन में कहीं गिरावट न आए और उस पर कोई बाहरी प्रभाव न पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां चुनाव में इतनी अनियमितताएं होती हैं, उनमें सुधार की तुरन्त आवश्यकता थी, उनमें सुधार किया जाना चाहिए था। हमारे यहां एक व्यक्ति का नाम 6-6 जगहों पर वोटर लिस्टों में होता है, एक व्यक्ति का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में होता है, अपने गांव की वोटर लिस्ट में भी होता है, और भी कई जगह पर होता है, कई-कई जगह वोट दिए जाते हैं। इसलिए इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर वोट दे सके और एक ही स्थान की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। इस तरह की अनियमितता करने वाले को किसी तरह से पेनलाइज किया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वह ठीक प्रकार से वोट दे सके। ये जो प्राथमिकताएं थीं, जिन पर चिंता की जानी चाहिए थी, उन पर चिंता नहीं की गई, सिर्फ सेवा शर्तों पर इस बिल को केन्द्रित कर दिया गया।

इसी तरह से चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जो चुनाव आयुक्त बनेगा, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, कौन व्यक्ति चुनाव आयुक्त होगा, इन चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ उनकी सेवा शर्तों के बारे में कहा गया है। आपने कहा कि राज्यसभा में पेश कर दिया गया है, चाहे लोक सभा में हो या राज्यसभा में हो, सब लोग एक सम्मिलित चुनाव सुधार चाहते हैं, सारे सुधारों को मिलाकर एक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, ताकि

इस बिल को देखकर हिन्दुस्तान की जनता अहसास करती कि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है। यह सरकार भी ऐसी सरकार है जो अपने आप में इतनी सीमित है, जिसके पास बहुमत भी नहीं है, यह केवल सेवा शर्तों में सुधार करके वाहवाही लेना चाहती है, चुनाव अधिकारियों को प्रभावित करना चाहती है। ऐसा लगता है कि इस समय इस बिल को लाने का तात्पर्य चुनाव आयुक्त को प्रभावित करना है और इसको गलत ढंग से लेकर आए हैं। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन नहीं कर सकता, बल्कि घोर विरोध करता हूं। जिस हालत में यह बिल लाया गया, जिस तरीके से लाया गया, वह तरीका अनुचित है, ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों को उचित दर्जा देकर कुछ स्वतन्त्रता प्रदान करता है। वास्तव में जिस प्रकार हम उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को मानते हैं उसी प्रकार हमें इस उच्च पद को भी मानना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आयु के सम्बन्ध में 62 और 65 की जो विषमता है वह नहीं होनी चाहिए। यद्यपि इस विधेयक को आम समर्थन प्राप्त है और हम ऐसे विधेयक से यही अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन हमें यह आशा थी कि इसमें इससे अधिक होगा। सभा का मत तथा यहां दिए गए सुझाव भी यही संकेत देते हैं। मेरे विचार से हम चाहते हैं कि कुछ चुनाव सुधारों अथवा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के रूप में एक और कानून लाया जाए।

मेरे विचार से एक वर्ष पूर्व एक सम्मेलन हुआ था। लगभग एक वर्ष पूर्व 9 जनवरी, 1990 को सभी पार्टियों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में अनेक सुझाव दिए गए थे। इस सम्मेलन से यह अपेक्षा थी कि यह लाभप्रद होगा और इसके बाद एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने भी अनेक सुझाव दिए थे। चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में हमने सभा में भी एक चर्चा की थी।

तब भी यही अनेक सुझाव दिए गए थे। इस चर्चा के दौरान भी अनेक सुझाव दिए गए हैं। मैं विधि मन्त्री तथा सरकार से आग्रह करता हूं कि वे यहां पर दिये गये इन बहुमूल्य सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये कोई कानून लाने हेतु तत्काल कदम उठाये। विशेषकर चुनाव खर्चों के संबंध में जो सुधार आवश्यक हैं, मेरे विचार से इस सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिये।

चुनावों के लिये सार्वजनिक रूप से धनराशि देने के संबंध में अनेक सुझाव दिये गए। कुछ सुझाव सूची प्रणाली और उम्मीदवारों के चयन तथा मतदान इत्यादि के बारे में दिए गए हैं। चुनाव प्रचार तथा मतगणना के बारे में मौजूदा समस्या का सामना करने के लिए हमें कुछ करना होगा। हम समझते हैं कि कुल चुनाव परिणाम बाहरी व्यवहार से बहुत प्रभावित होते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरीके में कोई सुधार तुरन्त किया जाए। मैं इसके लिए सरकार से आग्रह करता हूं और एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियों के विषय को लेकर कुछ विवाद खड़े करने की चेष्टा की गयी। यह उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के विवाद इस विषय पर इस सदन के मान्यता प्राप्त विरोधी पक्ष की तरफ से आए हैं। मुझे, जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके विषय में कोई सर्टीफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। सारा देश उनकी इंटग्रीटी के विषय में, उनके अनुभव के विषय में, उनकी प्रशासनिक परिपक्वता के विषय में जानता है। यह कोई नयी बात नहीं है। ((व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : हमने नियुक्त हुए व्यक्ति के विरुद्ध आपत्ति नहीं की है। हमने तो इस बारे में अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति की है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी से मक्खन लगा रहे हैं। इससे कोई फायदा लेना चाहते हैं। अफसरों की तारीफ में लगे हुए हैं। अफसरों की तारीफ या बुराई न करें।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आप लोगों को अक्ल सिखाना चाहता हूं। कुछ ऐसे पद हैं जिनकी गरिमा को, जिनकी पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी अकेले सरकारी पक्ष की नहीं है, आपकी और हमारी भी है। अपने-अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनको विवाद में खींचने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सम्मानित भाषा इनके प्रति यूज की है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे वापिस लिया जाए। ये मक्खन लगाना जानते हैं। ये मक्खन खरीद कर लगाते हैं, इसलिए मक्खन महंगा हो गया है।

श्री हरीश रावत : राजवीर सिंह जी मेरे पड़ोसी ही नहीं मेरे बड़े भाई भी हैं। यह सारा आर्ट मैंने इन्हीं से सीखा है। मुझे कोई एतराज नहीं है। उपाध्यक्ष जी, कोई पहली बार सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनाया। इससे पहले स्वामीनाथन जी और त्रिवेदी साहब इस पद को सुशोभित कर चुके हैं और उन्होंने जिस गरिमा के साथ इस पद को सुशोभित किया है, हमें उम्मीद है कि श्री शेषन् साहब भी उसी स्तर के सिद्ध होंगे, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर नयी परम्पराओं को डालने और अच्छी परम्पराओं को डालने का काम करेंगे। जो आज के समय की आवश्यकता है, जिस परिपेक्ष्य में भविष्य में चुनाव होंगे, हमें उम्मीद है कि जो सदन की भावनाएं हैं, सारे देश की भावनाएं हैं उसके अनुरूप अपने कार्य के लिए सक्षम होंगे। मैं यहां पर दो-तीन छोटे सुझाव, जो बनातवाला जी की तरफ से दिए गए हैं, उनका समर्थन करना चाहता हूं और माननीय न्याय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बुनियादी प्रश्न उठाया करते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को हम मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं तो उसके बाद उनको सरकार की तरफ से कोई दूसरा लाभ का पद नहीं दिया जाना चाहिए, उसके लिए कानूनन रूप होना चाहिए, उनकी पुनर्नियुक्ति के सवाल पर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा करता है और उसमें क्षमता है तो उनकी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। इसका प्रोवीजन भी यहां होना चाहिए। लेकिन साथ-साथ इस बात का प्रोवीजन भी होना चाहिए कि उनको लाभ का कोई पद न दिया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सुझाव जो माननीय बनातवाला जी की तरफ से संशोधन के रूप आया है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि जो राज्यों के चुनाव आयुक्त हैं, उनके लिए भी ऐसा रास्ता बनना चाहिए। यदि वे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं तो उन्हें केन्द्रीय स्तर पर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सके। और उन पर भी वह चीजें लागू होनी चाहिए जो केन्द्रीय स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर लागू होती हैं। मुझे इस बात की उम्मीद है कि जब माननीय विधि मन्त्री जी 70 और 71वां संशोधन विधेयक सदन के सामने लाएंगे तब उस समय इन सवालों पर भी विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का एक सवाल लटक रहा है और जिसका बार-बार आग्रह करता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए जोकि विधान सभा और लोक सभा के लिए हैं। लोक सभा के लिए आप दूसरा मापदण्ड नहीं रख सकते। हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, मेघालय या मिजोरम हो, वहां कम जनसंख्या के आधार पर विधान सभा क्षेत्र बनाए गए हैं। हमारे वहां बड़ी मापदण्ड है जो उत्तर प्रदेश के

मैदानी क्षेत्रों का है। हमारे विधान सभा क्षेत्र इतने बड़े बन गए हैं कि पांच साल के अन्दर दौरा करना असम्भव लगता है। इससे हमारे लोगों को बहुत बड़ा असंतोष है। लोग ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाते हैं। जब वृहद चुनाव संशोधन विधेयक लेकर आयेंगे तो उन पर मेहरबानी करके विचार करें कि क्या एक राज्य के अन्दर दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाएं हैं तो उनको एकोमोडेट किया जा सकता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह तो साधारण सी बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के वेतन और पेंशन के बारे में केवल एक ही बात कही गई है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार हम लोग भी यहां चुनाव होकर के आए हैं। चुनाव में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए। उस सम्बन्ध में एक ही बिल को लाया जाता तो मैं समझता हूं कि विस्तृत रूप से चर्चा हो सकती थी। इस प्रकार से मतदाता सूची में विदेशी अपना नाम लिखा देते हैं। उसमें कोई पाकिस्तान का या अन्य देश का व्यक्ति अपना नाम जुड़ा देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मतदाता सूची इस प्रकार से बने। भारत का जो नागरिक हो तो वास्तव में उसका नाम आए। चुनाव प्रक्रिया सुधार के लिए इलैक्ट्रोनिक मशीन सब जगहों पर लगाने के लिए कहा गया था कि केवल मात्र बारह बिजली की मशीने लग जायेंगी और बटन दबाकर वोटों की गिनती हो जायेगी। वोट की गिनती मे झगड़ा होता है और दादागिरी होती है। मैं उसका शिकार रहा हूं। इलैक्ट्रोनिक मशीन का उपयोग कब होगा। लोगों को आइडेन्टीटी कार्ड मिले जिससे वे अपना वोट दे सके और बोगस वोटिंग न हो। इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। यह बात सही कही गई है कि इस सारे विभाग का स्वतन्त्र विभाग होना चाहिए और स्वतन्त्र सचिवालय होना चाहिए तब जाकर इस सम्बन्ध में निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। एक-दो स्थान तो नहीं बल्कि लोक सभा के बीस स्थान रिक्त पड़े हुये हैं जिनमें चुनाव होना बाकी है। आप सरकार की मरजी पर छोड़ देते हैं। सरकार चाहे तो चुनाव होगा। लोक सभा में अगर प्रधान मन्त्री चाहें तो चुनाव होंगे। लोक सभा चुनाव निर्धारित समय पर होने ही चाहिये। उसमें कहीं कोई मुख्य मन्त्री या देश के प्रधान मन्त्री को पूछने की आवश्यकता नहीं तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे। डी-लिमिटेशन का होना बहुत जरूरी है। पोलिंग स्टेशन बहुत दूर-दूर हैं। पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं और दादागिरी के आधार पर वोट डलवा देते हैं। इस सम्बन्ध में सुधार होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि निर्वाचन आयुक्त की निष्पक्षता पर भी आप लोगों को इस स्वतन्त्र भारत मे इतने सालो के बाद संदेह होने लगा है। इसका उदाहरण आपके सामने है। महम के मामले मे धूमिल नीति थी। इस पद पर रहने वाले लोगों का उन्नत भविष्य हो। ये लालच में या किसी प्रकार के दबाब में न आ सके। इन सब बातों का आप प्रावधान करेंगे। मेरा यही निवेदन है कि जो मैंने बातें कही हैं तो आप अपने उत्तर में इनका जवाब देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : महोदय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक पर हो रहे इस वाद-विवाद में अनेक महत्वपूर्ण तथा अच्छे सुझाव दिए गये हैं। मैं प्रत्येक सुझाव का बारी-बारी से उत्तर नहीं दे सकूंगा लेकिन मैंने इन सबको एकत्र कर लिया है और मैं मुद्दों के आधार पर इनका उत्तर दूंगा।

सर्वप्रथम, अनेक सदस्यों ने नियुक्ति प्रक्रिया का प्रश्न उठाया है। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का मार्गदर्शन संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा होता है जिसमें कहा गया है कि

[श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी]

राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। इस प्रक्रिया को बदलने की मांग की गई है और इसके लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। राज्य सभा में इस विषय पर एक संविधान (संशोधन) विधेयक लम्बित पड़ा है और जब लम्बा सत्र होगा तो हम अवश्य ही इस पर कार्यवाही करेंगे। फिलहाल यह सत्र छोटा है और लम्बित कार्य काफी है इसलिए हम केवल यह विधेयक लाए हैं ताकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में नियम पहले से ही हैं उस बारे में एक उचित कानूनी दर्जा दिया जा सके।

मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति न सिर्फ इस तथ्य पर आधारित हो कि उसे कानून का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उसके उत्तरदायित्व का एक भाग यह भी है कि उसे कानून के मुद्दों पर निर्णय देना होता है, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की अच्छा समझ हो। इस समय देश जिस कठिन स्थिति में है और हमें देश के कठिन भागों में चुनाव कराने पड़ेंगे जहां पर काफी ध्यान रखना होगा, इन सब बातों को देखते हुए हमने ऐसा व्यक्ति देखा जिसे कानून का ज्ञान भी था और प्रशासनिक अनुभव भी काफी था। इसी आधार पर प्रधानमन्त्री ने श्री शेषन के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को की और मैं समझता हूं कि अब जबकि उनकी नियुक्त हो गई है तो उनका नाम विवाद से परे रखा जाए।

आडवाणी जी ने अपने हस्तक्षेप के दौरान चुनाव सुधार के उपायों के एकमुश्त रूप पर प्रश्न किया। प्रो० रंगा ने भी अपने भाषण में इसका उल्लेख किया। अब प्रश्न यह है कि राज्य सभा और यहां पर प्रस्तुत हुए विधेयकों के अलावा इस सम्बन्ध में काफी बातें पूर्व सरकार के मंत्रिमण्डल ने भी अपनाई थी। इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही एकमुश्त हो या इसका एक भाग ही लाया जाए, इस बारे तभी निर्णय लिया सकता है जबकि सरकार प्रमुख विपक्षी पार्टियों से मंत्रणा करे और एक सहमति पर पहुचे क्योंकि अनेक मुद्दों पर संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और इसके लिए विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात मंत्रणा है जोकि अभी होनी है। इस एकमुश्त कार्यवाही में अनेक बातें है। यदि आज के सन्दर्भ में हम इसे आज ही लाएं तो इससे अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए माननीय सदस्य श्री मदन लाल खुराना ने कहा कि दल-बदल विरोधी कानून एक मजाक बन कर रह गया है। एक अन्य माननीय सदस्य श्री पी० के० थूंगन चाहते थे कि दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने वाले सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हस्तांतरित कर दी जाए। यह सच है कि सभा में सचेतक का उल्लंघन करने तथा पार्टी बदलने के अलावा अयोग्य करार देने की मौजूदा शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है जोकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर कार्यवाही करते हैं और करेंगे। वर्तमान में अध्यक्ष के पास किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का केवल यही एक अधिकार है। मुझे नहीं मालूम कि प्रो० प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वह कहां है और क्या इस बात का भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह समिति की सिफारिश है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सही बात है। यह निर्णय न केवल विशेषज्ञ समिति का है अपितु 11 अगस्त, 19?0 को मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये एक निर्णय पर भी आधारित है। यह निर्णय लिया गया कि सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय की बजाए राष्ट्रपति को होना

चाहिए। यदि हम इस तरह के संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो जब तक हमें इस प्रकार के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त नहीं होता इसे गलत समझा जा सकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीय विधि मन्त्री ने भी इसका उल्लेख किया था। इसी बात पर मैंने तुरन्त उत्तर दिया था कि इस अधिकार को अध्यक्ष से लेकर कार्यपालिका को सौंपने की अवधारणा को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सभी पत्रों को और जो हमने सिफारिश की है उसे पढ़ने के पश्चात मैंने पाया कि वास्तव में इस अधिकार को अध्यक्ष महोदय से लेकर इसे चुनाव आयोग को सौंपने की बात की गई है क्योंकि इस स्थिति में राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह करने की बजाए चुनाव आयोग की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अतः वास्तव में इस अधिकार को चुनाव आयोग में निहित करने की बात कही गई है। अतः इस प्रकार सभी पक्षों, पिछली सरकारों सहित समूची समिति इसके लिए वचनबद्ध है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे विपक्ष के नेता आडवाणी को इस विषय पर सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है और निश्चित रूप से इस आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंच सकेंगे।

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : क्या इसे परिभाषित किया जा सकता है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका आशय कुछ ठोस बात से है। वह आप संतुष्ट हैं या आप यह चाहते हैं कि मैं इसे विस्तार से बताऊं ?

महोदय, अधिकांश सदस्यों ने ताकत का, धन शक्ति के प्रयोग का उल्लेख किया था।

श्री चित्त बसु : संचार माध्यम।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, संचार माध्यम, आपका आशय झूठ को छापने की शक्ति से है।

महोदय, हम कानून बना सकते हैं लेकिन मतदाताओं को इस विषय पर शिक्षित करने का भार राजनैतिक दलों के ऊपर है। हम कानून बना सकते हैं और विचार किये गए उन उपायों को अपना सकते हैं जोकि सिफारिशों का भाग है और जिन्हें हम विधेयक के रूप में प्रस्तुत करेंगे लेकिन जब तक राजनैतिक दल संयुक्त रूप से ऐसा न करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक बिना किसी कमी के ठोस कानून बनाना संभव नहीं है जिससे यह स्थिति दुबारा उत्पन्न न होने को सुनिश्चित किया जा सके।

मैं सदस्यों की इस बात से भी सहमत हूं कि धर्म का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि इसे सदन का पूर्ण समर्थन है। न केवल सदन का अपितु हृदय से सभी लोग सहमत हैं कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाया रखा जाना चाहिए और धार्मिक कट्टरपंथ नारों से कम से कम चुनावों को दूषित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह बहुत ही साधारण विधेयक है और इस पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

डा० लम्बि दुरै : अभी आपने कहा था कि सदस्यों ने ताकत और संचार माध्यमों को नियंत्रित करने की बात कही थी। उदाहरण के तौर पर निचले स्तर पर जो चुनाव होते हैं वह ग्रामीण स्तर पर होते हैं विशेषकर सहकारी समितियों और पंचायत के स्तर पर। इस स्तर पर भी निर्वाचित होने के लिए लोगों ताकत का और धन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अतः जहां लोग पहले ही इन बातों को चुनाव आयोग के अन्तर्गत लाने के विषय में कह चुके हैं, और यह अन्य चुनावों पर भी लागू है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पंचायत चुनावों को चुनाव आयोग के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में आप कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं।

डा० बिप्लव दास गुप्त : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। **(व्यवधान)** हम जानते हैं कि कलकत्ता में आपने किस प्रकार ताकत का प्रयोग किया था। **(व्यवधान)** पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रकार का प्रयास किया था। चुनावों को चुनाव आयोग के नियन्त्रण में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5.00 म० प०

इस प्रकार वह राज्यों के वोटों को प्रभावित करना चाहते हैं। इसे राजीव गांधी सरकार ने प्रस्तुत किया था। **(व्यवधान)** वह सहकारी समितियों और पंचायत के चुनावों में गड़बड़ी करना चाहते थे। लेकिन हमने इसका विरोध किया था। **(व्यवधान)**

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने अभी ताकत के इस्तेमाल की बात की है। उनके सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन इस समय सदन में इस पर कोई सहमति नहीं है। अतः हम इस मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। फिर एक बार इस पर सहमति हो जायेगी तो हम संसद के समक्ष कुछ उपाय प्रस्तुत करेंगे।

डा० बिप्लव दासगुप्त : महोदय, चुनाव आयोग द्वारा सहकारी समितियों या पंचायतों के चुनावों को कराने का अर्थ यह है कि केन्द्र में शासित दल का इन चुनावों पर नियन्त्रण रहना। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ सुझाव दे रहे हैं तो इस समय इन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अतः कृपया कोई सुझाव न दें। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। 5 बजे हमें कीमतों में वृद्धि पर चर्चा शुरू करनी है। इस मुद्दे पर 5 बजे चर्चा शुरू होनी है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं माननीय मन्त्री को अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति देता हूं और इसके शीघ्र बाद हम कीमतों में वृद्धि पर चर्चा शुरू कर सकतें हैं। उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्हें विधेयक को पारित करते समय लागू नहीं किया जा सकता।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, पंचायती चुनाव विधेयक का भाग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश मन्त्री महोदय ने इस विषय को भी चर्चा में शामिल कर लिया है। जब मंत्री महोदय ने इसे दुर्भाग्यवश चर्चा में शामिल कर लिया तब हमें भी स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इस चर्चा का बहुत ज्यादा विस्तार मत कीजिए।

डा० लक्ष्मि दूबे : महोदय, यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विधेयक है। लेकिन हम इसके भी आगे चर्चा कर चुके हैं। जब हम विधेयक के विषय क्षेत्र के बाहर चर्चा कर रहे थे उस समय मैंने सुझाव दिया कि पंचायत और सहकारी समितियों के चुनावों को भी चुनाव आयोग के नियन्त्रण में लाना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे अन्य मुद्दे भी हैं। जिसमें आपको इतनी ही रुचि होगी। उदाहरण के तौर पर कीमतों में वृद्धि और कीमतों में वृद्धि पर चर्चा 5 बजे शुरू होने को है। माननीय मन्त्री ने उत्तर देते समय माननीय सदस्यों की भावनाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया था। मैं समझता हूं कि विषय क्षेत्र बहुत सीमित है और हमें इसी क्षेत्र तक चर्चा को सीमित रखना चाहिए और फिर अन्य मुद्दे पर चर्चा प्रारम्भ करनी चाहिए।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : चूंकि विधेयक का विषय क्षेत्र बहुत सीमित है अतः सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह एक को छोड़कर सारे संशोधन स्वीकार कर लें जिसे हमने ही प्रस्तावित

किया था जिसमें वर्ष को 1990 से बदलकर 1991 करने का प्रस्ताव किया था। अन्य विधेयकों को राय जानने के लिए परिचालित कर दिया गया है। यह बहुत ही साधारण विधेयक है अतः मैं समझता हूं कि इसे इसी रूप में पारित कर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक को कल पारित करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम इस विधेयक को आज ही पारित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सुझाव को इस शर्त के साथ स्वीकार करता हूं कि संशोधनों पर चर्चा को ज्यादा लम्बा न खींचा जाए।

डा० वेंकटेश काबडे क्या आप अपना संशोधन संख्या 6 वापिस ले रहे हैं ?

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड) : मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वर्तमान पदधारी के विषय में किसी तरह के विवाद को चर्चा में शामिल नहीं करना चाहिए। इस मामले में मैं तारकुंडे आयोग के सुझाव की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसके विस्तार में मत जाइये। इससे कठिनाइयां पैदा होंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे वापिस ले रहे हैं या नहीं।

डा० वेंकटेश काबडे : मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता इन तीन व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस संशोधन द्वारा विधेयक को राय जानने के लिए परिचालित करने का सुझाव दिया है। विधेयक पर विचार किए जाने के समय, जोकि प्रक्रिया का पहला चरण है, आपको यह बताना है कि क्या आप अपना संशोधन संख्या 6 वापस ले रहे हैं ?

डा० वेंकटेश काबडे : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या डा० वेंकटेश काबडे को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 6 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों का उपबन्ध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

"खण्ड 2 और 3 के लिए कोई संशोधन नहीं है। इसलिए मैं खण्ड 2 और 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।"

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-4—कार्यकाल

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी० एम० बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 33 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(2) पद पर न रह जाने पर—

(क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन और नियोजन या पद के लिए अपात्र होगा;

(ख) कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, परन्तु भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन या पद के लिए पात्र नहीं होगा;

(ग) कोई प्रादेशिक आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, परन्तु भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त, अपनी पदावधि की समाप्ति पर और उपधारा (I) के उपबन्ध के अध्यधीन, उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।" (7)

मुझे आशा है कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

डा० वेंकटेश काबडे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 25,

"बासठ" के स्थान पर "पैंसठ" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, अगर आप चरित्रवान तथा योग्य व्यक्तियों का इस पद के लिए नियुक्त करेंगे तो उन्हें स्वयं पता होगा कि क्या गलत है तथा क्या ठीक। मैं नहीं समझता कि इसके लिए कानून की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए, क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री जी० एम० बनातवाला : उन्होंने कहा है कि चुनाव सम्बन्धी कानूनों पर वे सर्वांगीण विचार करेंगे। मुझे आशा है कि उस समय इस खण्ड के लिए सुझाए गए संशोधनों संबंधी प्रावधानों पर भी गौर किया जायेगा।

माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए संशोधन को देखते हुए, जिसे कि मैंने स्पष्ट किया है, मैं इस संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री जी० एम० बनातवाला को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 7, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कावडे, क्या आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

डा० वेंकटेश कावडे : मैं यह जानना चाहूंगा कि आयु में अन्तर क्यों है ? मैं यह चाहता हूं कि यह 65 वर्ष होनी चाहिए। मैं अपने संशोधन पर कायम हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 8 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 5 के लिए कोई संशोधन नहीं है। इसलिए मैं खंड 4 और 5 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटेश कावडे, क्या आप खंड 6 के लिये अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

डा० वेंकटेश कावडे : जी, नहीं मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 7 और 8 के लिए कोई संशोधन नहीं है। इसलिए मैं खंड 6, 7 और 8 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, 7 और 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-1 — संक्षिप्त नाम

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

'1990' के स्थान पर '1991' प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 —,

'1990' के स्थान पर '1991' प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.13 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि पर चर्चा करेगा। श्री जी० एम० बनातवाला अब बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : प्रातः हमें यह जानकारी दी गई थी कि प्रधानमन्त्री चामसन प्रेस के मामले में एक वक्तव्य देंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दें।

प्रधानमन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य तैयार हो रहा है। परन्तु हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। हरियाणा सरकार के अनुसार वहां पर बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी किसी तकनीकी खराबी के कारण है जिसे ढूंढ़ा जा रहा था। **(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री चन्द्र शेखर : कृपया, मेरी बात सुनिए। जब मैंने 2.00 और 3.00 बजे के बीच बातचीत की तो मुझे बताया गया कि कर्मचारी खराबी को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आज शाम तक बिजली की सप्लाई प्रारम्भ हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में मूल्य स्थिति बहुत खतरनाक है। जैसाकि प्रत्येक जानता है कि थोक मूल्य सूचकांक के हिसाब से 8 दिसम्बर, 1990 के सप्ताहांत तक मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में 10.9% और 15 दिसम्बर, 1990 तक 11.4% तक पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर अक्तूबर, 1990 में 10.8 तक पहुंच गई थी। 12 महीने में निर्वाह व्यय सूचकांक 5.2% से बढ़कर 11.4% हो गया है। इस समय मैं मंत्री महोदय का ध्यान छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल्य स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने यह देखा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान थोक बिक्री मूल्य सूचकांक मे 8.8% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर में 6.6% की गिरावट आई। मैं संक्षेप मे यही कह सकता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि और खाद्य वस्तुओं की अत्यधिक खपत के कारण मूल्य वृद्धि में कमी आई है। वर्तमान मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति का सबसे कष्टकारक और दुखदायी पहलू यह है कि इसका आवश्यक उत्पादों और वस्तुओं के मूल्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। हमें लगता है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं में 13.3% की वृद्धि हुई है जो एक रिकार्ड है इन दिनों में गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे ईंधन, बिजली आदि में 17.5% की रिकार्ड वृद्धि हुई है। जोरदार फसल और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। हमें प्रतीत होता है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में दर्ज की गई है। इस प्रकार यह मुद्रास्फीति का एक कष्ट-कारक पहलू है। मुद्रास्फीति का सबसे अधिक दुखदायी पहलू यह है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है। तुलनात्मक दृष्टि से मैं कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उल्लेख कर रहा हूं और 1989-90 से लेकर 1990-91 तक की विकास दर की तुलना करता हूं।

खाद्यान्नों के मामले में 1989-90 में इनके मूल्यों में 4.9% की वृद्धि हुई थी जबकि 1990-91 के दौरान 12.1% की वृद्धि हुई है। 1990-91 के दौरान दालों में 11.2% की रिकार्ड वृद्धि हुई है। 1990-91 के दौरान सब्जियों में आवश्यक वस्तुओं जैसे आलू और प्याज में 60.1% तक की रिकार्ड वृद्धि हुई है। जैसाकि मैंने पहले बताया है कि वर्तमान मुद्रास्फीति का यह कष्टकारक पहलू है। चालू वर्ष में खाद्य तेलों में 18.3% की रिकार्ड वृद्धि हुई है। ऐसे अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ऐसे अनेक कारक हैं जिनकी वजह से यह मूल्य वृद्धि हुई है। इनमें पिछला बजट एक मुख्य कारक है। 1990-91 के पिछले बजट में कर बोझ में 1790 करोड़ रुपये की अधिकतम वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार रेल बजट में, जो चालू वर्ष के लिए इस बार प्रस्तुत किया गया था, माल भाड़े और किराए मे 847 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की वजह से मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोत्तरी हुई है।

इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों पर 25% का खाड़ी अधिभार लगाया गया। यह देखकर दुख होता है कि वर्तमान सरकार ने भी पिछली सरकार का अनुसरण किया है और मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाया है। हम देखते हैं कि 1,340 करोड़ अतिरिक्त रुपए जुटाने के लिए 17 सितम्बर, 1990

[श्री जी० एम० बनातवाला]

को सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क में वृद्धि की घोषणा की गयी है। इसके अतिरिक्त हमने आवश्यक वस्तुओं और खाद्य तेलों के आयात में कमी कर दी है। निस्संदेह विदेशी मुद्रा में गिरावट, आयात प्रतिबन्ध और खाड़ी संकट के प्रभाव से मुद्रास्फीति पैदा हो गई है। खाड़ी संकट के बारे में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि तेल के मूल्यों में वृद्धि का परिवहन लागत और परिवहन की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मैं सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बारे में कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में चावल और गेहूं की आपूर्ति की जाए। मैं केरल के मामले के बारे में भी यह कहना चाहता हूं कि केरल को और अधिक मात्रा में चावल आबंटित करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चालू वर्ष में चावल और गेहूं की अत्यधिक खरीद हुई है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सम्भव है। हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा और अधिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके इसे मजबूत बनाना है।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने सुझाव दिया है कि धन प्रसार में 12% वार्षिक तक सीमित रखा जाए। उन्होंने अनेक कड़े वित्तीय अनुशासन के उपायों का सुझाव दिया है। परन्तु इसके अतिरिक्त धन आपूर्ति में वृद्धि अथवा विस्तार को कम करने के लिए, जिसकी वजह से भी मूल्य वृद्धि हो रही, सख्त वित्तीय अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा को प्रभावित किए बगैर आयात द्वारा घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए यह अनिवार्य है। अब मूल्यों में कमी होगी केवल तब ही आपूर्ति मे वृद्धि होगी। आपूर्ति में वृद्धि केवल अत्यधिक आयात और उत्पादन में बढ़ोतरी करके की जा सकती है बशर्ते कि विदेशी मुद्रा पर इसका प्रभाव न पड़े। इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूं कि बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। आज अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, इन प्रौद्योगिक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि जैव-प्रौद्योगिकी और अनुवांशिक इन्जीनियरिंग उपलब्ध हैं। कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए इस प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष महीनों अर्थात चालू वित्त वर्ष के शेष छ: महीनों में औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट आ सकती है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर जबरन प्रतिबन्ध और सरकार द्वारा अतिरिक्त करों की घोषणा के जिनका नियमित कार्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, कारण गिरावट आ सकती है।

इससे पहले भी मैंने टिप्पणी की थी कि यह सरकार भी अधिक संसाधन जुटाने के लिए अत्यधिक अप्रत्यक्ष कर लगाकर पिछली सरकार का अनुसरण कर रही है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि वास्तव में वित्तीय संकट है। वस्तु अतिरिक्त कराधान विशेषत: अप्रत्यक्ष कराधान के बजाए बकाया करों को वसूलने की दर में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यदि आप बकाया करों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो आपको आश्चर्य होगा। ये आंकड़े हजारों करोड़ रुपयों में हैं और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद भी—समय की कमी के कारण मैं इनका विस्तार से उल्लेख नहीं करना

चाहता—करों की बकाया राशि बढ़ती आ रही है और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस राशि को वसूल करने के लिए विभिन्न कर विभागों की क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि कराधान के बजाए करों की बकाया राशि को वसूल करने की दर में वृद्धि करने के प्रयास किए जायें। हमारा यह दुर्भाग्य है कि 1990-91 का वर्ष इतिहास में कराधान के तरीकों में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण याद किया जाएगा, कराधान के खतरनाक तरीकों के द्वारा अत्यधिक धन जुटाने का प्रयास किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि कराधान में राहत प्रदान की जाए और करों की बकाया धनराशि को वसूल करने की क्षमता में वृद्धि की जाए।

[हिन्दी]

श्री चांद राम (हरदोई) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, कीमतों की बढ़ोतरी का मामला गम्भीर तो है और सारे मैम्बराने पार्लियामैंट ही नहीं बल्कि सारे देश को इस बात की चिन्ता है। चिन्ता तो है, पर इलाज इसका नहीं हो रहा है, यह सबसे बड़ा मसला है।

हमारे आदरणीय राव बीरेन्द्र सिंह जी यहां बैठे हैं। बहुत बार जब मिनिस्टर बाहर रहते हैं, पावर से बाहर रहते हैं, जब पावर में जाते हैं तो एक तरह का तजुर्बा भी उन्हें हो जाता है। कल हम टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे थे कि मुल्क में अनाज के मामले में कितनी पैदावार बढ़ी है। इसमें कोई शक नहीं है कि कई गुना पैदावार बढ़ी है। मैं लाहौर में जब अर्थशास्त्र पढ़ता था, तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई की बात आती थी और उसमें यह होता था, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं। मगर इस मुल्क में तो सप्लाई कई चीजों के मामले में कोई कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद भी कीमतें बढ़ रही हैं। यह एक गम्भीर समस्या है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह जी को इसकी गम्भीरता के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप सब्जी मार्केट में जाएं, तो जो सब्जी किसान मार्केट में लेकर जाता है और वहीं सब्जी दुकान पर बेची जाती है, इनमें आपको बहुत फर्क मिलेगा।

इसी प्रकार फसल के ऊपर जो अनाज का भाव है, वह करीब पौने तीन सौ के करीब था, जो 200-250 के करीब फसल उठी है। इस प्रकार किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन होर्डर्स इसका फायदा उठाते हैं। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी प्रकार की स्थिति कपड़े और दूसरी चीजों में भी है। कच्ची चीजों के रेट बहुत लो हैं, लेकिन जब वही चीज फिनिश्ड गुड्स के रूप में आती है, तो उसकी कीमत आसमान को छूती है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई तो प्राफिट कमाने की सीमा होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइस एक सरकारी महकमा है। मैं जब ट्रांसपोर्ट वजीर था तो उस वक्त टायरों की कीमतें बढ़ गई, जबकि इन्टरनेशनल मार्केट में रबड़ की कीमतें घट रही थी। मैंने इस बारे में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को लिखा कि टायरों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, जबकि इन्टरनेशनल मार्केट में रबड़ की कीमतें घट रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप निर्माताओं को कीमतें बढ़ाने से रोकेंगे नहीं और सामान की कीमतें मुकर्रिर नहीं करेंगे, तो कीमतें बढ़ती जाएंगी।

इस प्रकार काला धन भी अधिक बढ़ेगा और उसको कोई फायदा नहीं होगा। हम पण्डित नेहरू जी के जमाने से देखते आ रहे हैं और कहा जाता है कि हम मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस

[श्री चांद राम]

एक्ट को लागू करेंगे, इसके बावजूद भी मोनोपोली बढ़ती हो रही हैं और होर्डर्स बढ़ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि डिहोर्डिंग क्यों नहीं किया जाता है। ... (व्यवधान) ... मैं तो यह कहता हूं कि अगर किसी को यह मालूम हो जाए कि सरकार कमजोर हैं, उसके दांत नहीं हैं, तो होर्डर्स होर्डिंग करते जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो इस दिशा में भी कदम उठा सकती है। यह ठीक है कि हमारी सरकार अल्पमत में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को दांत दिखाने चाहिए और डिहोर्डिंग करनी चाहिए। कोई भी चीज चाहे कहीं भी छिपा रखी हो, राव बीरेन्द्र सिंह जी को उसको बाहर निकलवाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चीजों की कीमतें मुकर्रिर होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट निकालनी चाहिए।

चौधरी देवी लाल जी ने भी कृषि की कीमतों के बारे में कहा था और यह भी कहा था कि उनकी फसल मंडियों में ऑक्शन होती है। बावजूद इस बात के कि कीमत मुकर्रिर की जाती, मंडियों में आज भी अनाज की बोली होती है। मैं ज्यादा न कहते हुए, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मसले को सरकार हल कर सकती है, कीमतें कम कर सकती हैं और कीमतें कम कराई जा सकती हैं, अगर सरकार विल-पावर से इस काम को करे। जो चीजें मुल्क में जमा करके रखी हुई है, उनकी डिहोर्डिंग कराए और उनको बाहर लाए। एक समस्या यह भी हमारे सामने आती है, किसान की सब्जी टमाटर आदि सड़ते रहते हैं और दलाल उसकी बोली नहीं लगाते हैं। वे लोग फैसला कर लेते हैं कि हम खरीदेंगे ही नहीं और इस प्रकार भी काफी नुकसान होता है। ये सीधी-सादी बात है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को आप देखेंगे। अब जैसे कि हमारे सुपर बाजार हैं, इनमें चीजें कई बार नहीं मिलती हैं।

इसके लिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता। गांव में राशन की दुकानें दी जाएंगी, लेकिन उन्हीं लोगों को ये दुकानें दी जाएंगी जो होर्डिंग में एक्सपर्ट हैं और ब्लैक करने में भी। क्यों नहीं, ये दुकानें वीकर सैक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दी जाती हैं। इसमें फेयर प्राइस शाप्स उन लोगों को दी जाएं, जो वीकर सैक्शन हैं, भूमिहीन लोग हैं और किसी प्रकार से उनको फाइनेंस किया जाए।

मैं समझता हूं कि ऐसे कदम उठाए जायें कि हरेक चीज पर आप कीमत लगा दें। दूसरे मुल्कों में तो ऐसा होता है कि पैसे रख कर लोग चीज उठा कर ले जाते हैं। हम इतने सालों के बाद ये भी नहीं कर पाये इन चीजों पर ठप्पा लगा दें कि इस चीज की कीमत इतनी है। मैं समझता हूं कि ये 3-4 बातें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हां, एक बात अल्टीमेटली लोंगटर्म में है कि चीजों की पैदावार हमें बढ़ानी होगी। जैसे-कोयला, लोहा और ट्रैक्टर आदि इन चीजों की कीमत हम बढ़ायेंगे तो अल्टीमेटली प्राइस पर रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं, राव साहब को यह बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको करने की जरूरत है, उसको करना चाहिए। इस बात को जानते तो वे भी हैं और अगर जानते हैं तो उनको इसे करने में देर नहीं लगानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 का साल, इसको महंगाई का वर्ष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी पिछले कई वर्षों में, यदि हम इसके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखेंगे तो यह पता लगेगा कि सन् 1992 को

आधार वर्ष सौ रुपए मानकर और पिछले सात वर्षों में 82 से नवम्बर 1989 तक जो मूल्य सूचकांक था, वह था 176। किन्तु अक्तूबर 1990 में ये बढ़कर 195 हो गया, यानी पिछले सात सालों में यह बढ़ा 76 अर्थात औसत 11। किन्तु एक ही वर्ष यह बढ़ा 19 यानी कि महंगाई की औसत जो बढ़ा है वह काफी तेजी से बढ़ा और इस महंगाई के कारण सबसे ज्यादा यदि किसी का हाल खराब है या परेशानी बढ़ी है तो वह गांव में रहने वाली ग्रामीण जनता की बढ़ी है। उसकी आय का 70% भाग तो भोजन और खाद्यान्नों पर खर्च हो जाता है। इसलिए जो खाद्यान्न के भाव बढ़ जाते हैं जो निश्चित रूप से गांवों में रहने वाले व्यक्ति का हाल बदहाल हो जाता है। अब यह जो पिछले तीन सालों से इस देश में हो रहा है देश में कृषि उत्पादन तो बढ़ा है किन्तु कृषि उत्पादन के बढ़ते हुए भी वे सारे भाव बढ़ते रहे यह स्थिति हो गई कि उत्पादन बढ़ा, किन्तु महंगाई भी बढ़ी। इसलिए आज यह स्थिति बन गई है।

उत्पादन पर हमने और ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उत्पादन भी हमको और बढ़ाना चाहिए। बल्कि खाद्यान्न निर्यात हम करते रहे। पिछले वर्षों में आयात को हमने बहुत प्रोत्साहन दिया। हमने सोचा कि उत्पादन करना तो बहुत कठिन काम है। किन्तु आयात करना उससे ज्यादा कठिन काम है। यदि हम उत्पादन के लिए स्रोत बढ़ाते, उत्पाद के साधन जुटाते तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों का संकट भी समाप्त हो जाता।

इसलिए मेरा कहना यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाए और जो खाद्यान्नों का निर्यात होता है उस पर प्रतिबन्ध करने लिए सरकार कोशिश करे।

मुद्रास्फीति की स्थिति भी ठीक नहीं रही और मुद्रास्फीति बढ़ती गई। अर्थव्यवस्था की स्थिति में सन् 1985 में केवल 40 हजार करोड़ रुपए थे और अब 1990 में इन पांच वर्षों में बढ़कर 75 करोड़ हो गये, 81 करोड़ हो गए, यानी कि दुगने से ज्यादा हो गए। इन पांच वर्षों में मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ी, तो मुद्रास्फीति से क्या महंगाई घट जाएगी। इस सरकार की जो धारणा है, यह भी गलत साबित हुई। बाकी काम भी आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के कारण, उनके भाव तेजी से बढ़ जाने के कारण भी महंगाई पर प्रभाव पड़ा है। रेल भाड़े में वृद्धि होने के कारण और अन्य आवागमन के साधनों में और यातायात के साधनों के कारण भी महंगाई पर काफी असर पड़ा है।

इसलिए जो स्थिति बन गई है, उसको तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, उत्पादन वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आम जनता को किस प्रकार सुविधाएं मिल सकें, किस प्रकार लाभ मिल सके, इस ओर ध्यान देना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आज डुबल सिस्टम है। इस व्यवस्था को चलाते समय सरकार ने सोचा होगा कि इससे राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी, लेकिन आज इसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है जिन सुविधाओं को, जिस व्यवस्था को गांवों तक पहुंचना चाहिए था, उसके गांवों तक न पहुंचने के कारण गांव का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बारे में पर्याप्त कदम उठाएगी, जिससे आम आदमी को, देश की 60 करोड़ गरीब जनता को जोकि गांवों में निवास करती है, जो महंगाई से परेशान है, उसको राहत मिलेगी, सरकार इस ओर उचित कदम उठाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने सत्ता पलट कर अच्छा काम किया था, जनता ने सत्ता को बदल कर कमाल कर दिया, परन्तु महंगाई ने जनता को बेहाल कर दिया, आज यह स्थिति हो गई है।

[श्री सत्यनारायण जटिया]

इस स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, मनुष्य के लिए जो आवश्यक वस्तुयें हैं, उनकी पूर्ति के लिए सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। मैं इतना ही इस अवसर पर कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि ने पूरे देश का ध्यान खींचा है और इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं श्री आचार्य को धन्यवाद देता हूं। मुझे जितना समय दिया गया है, उससे अधिक नहीं लूंगा। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, मेरे मित्र श्री बनातवाला ने बताया है कि सूचकांक की दर एक अंक से बढ़कर दो अंकों तक पहुंच गई है। अब एकमात्र प्रश्न यह है कि मूल्यों को किस तरह कम किया जा सकता है। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले वित्तीय घाटे को कड़ाई से कम करना होगा और यह भी ध्यान देना होगा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर ढंग से की जाए। कृषि का भी विकास होना चाहिए। यहां तक कि संकल्प को प्रस्तावकों ने भी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि एक वर्ष पहले राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सत्ता में आने से पूर्व खजाना खाली था और वित्तीय घाटा इतना अधिक कि उसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं, उनकी सरकार ने मूल्यों वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए। वित्त मन्त्री ने कई बार यह घोषण की थी कि केन्द्रीय बजट के सभी खर्चों में दस प्रतिशत की कटौती की जाएगी, जिससे 4000 से 5000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश यात्रा में 20 प्रतिशत कटौती की भी घोषणा की थी, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो। अब मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री ने इन घोषणाओं से कितनी बचत की है तथा वित्तीय घाटे को कितना कम किया है तथा यह सुनिश्चित किया है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इसके विपरीत जबकि यह कहा गया था कि तिजोरी खाली है में वायदे किए गये थे कि ढांचे के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया जाएगा और जीवन की गुणवत्ता पर बल दिया जाएगा, परन्तु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के वित्त मन्त्री द्वारा घोषणा करने के बाद भी इस तरह की कोई कार्रवाई सामने नजर नहीं आई। यह भी कहा गया था कि कृषि के मामले में बड़ा परिवर्तन करने के लिये नई पहल की जाएगी। इसके लिये कौन सा कदम उठाया गया, जब किसानों के ऋण को माफ करने सम्बन्धी घोषणा की गई। वित्त मन्त्री ने कहा था कि सरकार को 14000 करोड़ रुपये माफ करने होंगे, लेकिन बजट में इसके लिये केवल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। साथ ही जिस तरह ऋण माफी का कार्य किया गया है, उससे केवल धनी किसानों को ही लाभ मिला है। पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि ऋण माफी लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहेगी और वह भी केवल उनके लिए जिन्होंने 10000 रुपये तक के ऋण लिये थे। इसके बाद, दबाव में आकर उन्होंने यह कहा कि वे किसान जिन्होंने दस हजार रुपए से अधिक के भी ऋण लिये हों, यदि उसने एक लाख रुपये भी लिए हों, तो भी उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा और उनका दस हजार रुपये तक का ऋण माफ कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय मोर्चा के सदस्यों ने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि यह गरीबों के हित में नहीं है और न इससे अर्थव्यवस्था के सुधार में कोई सहायता मिलेगी। वे चुप रहे। इसके विपरीत इस बजट प्रस्ताव में वित्त मन्त्री ने नियमित क्षेत्र के लिये 900 करोड़ रुपये दिये है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री पांडे ने, जो हाल ही में सेवा-निवृत्त हुए हैं, कहा था कि प्रत्यक्ष कर के मामले में और तथाकथित पीड़ित व्यक्तियों को जो

कि 21 हजार रुपये से अधिक आय पर आय कर दे रहे थे, उन्हें 250 करोड़ का उपहार देकर सरकार ने गलती की है और अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचायी है।

आज यदि आप कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो मात्र यह घोषणा करना कि कृषि-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दी जाएगी, इतना पर्याप्त नहीं है, इसके लिये आधारभूत संरचनात्मक व्यवस्था करनी होगी, ताकि समर्थन की नीति को प्रभावी ढंग से केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जा सके। और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि समर्थन मूल्यों के तौर पर घोषित मूल्य उत्पादकों तक पहुंच जाए। तभी उत्पादन में वृद्धि होगी और इससे राष्ट्र को लाभ मिल सकेगा।

जहां तक धान का सम्बन्ध है, यद्यपि इसका मूल्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस मूल्य का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है। किसानों को वह मूल्य नहीं दिया जाता है। जब तक सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन मूल्य किसानों को उचित ढंग से नहीं मिलता तब तक सरकार अधिक उत्पादन की आशा नहीं कर सकती और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनुचित व्यवस्था करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि आयातित तेल में स्थानीय उत्पादित तेलों को मिला कर बेचा गया। उनका कहना है कि तेल के आयात में कटौती करने के कारण भी तेल का मूल्य प्रभावित हुआ है। इसलिए वैसी सभी वस्तुएं जो आम लोगों के अत्यधिक आवश्यक हैं, उनकी उचित ढंग देखरेख की जानी चाहिये।

धान की खरीद-व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मात्र कांग्रेस पर आरोप लगाया, जोकि एक वर्ष पहले सत्ता में थी उससे मूल्य में कमी नहीं आ सकती। सरकार को कुछ करके दिखाना होगा कि उनका कार्य अपेक्षाकृत कैसे ठीक है और वे क्या उपाय कर रहे हैं, यह बताना होगा।

श्री ए० के० राय (धनबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रथा रही है कि मूल्य वृद्धि पर इसके प्रत्येक सत्र में चर्चा की जाती है और मूल्य वृद्धि भी इतनी ढीट रही है कि यह पूर्ववत् बढ़ती चली जा रही है।

कई माननीय सदस्यों ने भ्रामक आंकड़े दिये हैं और मैं इस भ्रम को और बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात स्पष्ट है। धन आपूर्ति बढ़कर दोहरे अंकों में पहुंच गई है, जबकि उत्पादन एक अंक में ही है, तथा सी० पी० आई० अथवा डब्ल्यू० पी० आई० में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि यह अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इस विशेष परिस्थिति में, मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि वे जो बाजार पर नियन्त्रण रखते हैं उनके पास ऐसी कौन सा करिश्मा है जो उन्होंने एडम स्मिथ के मांग और आपूर्ति के अनुपात के सम्बन्ध को बिगाड़ दिया है। इसे सबसे पहले स्पष्ट किया जाना चाहिये।

सभी दलों ने एक दूसरे से बढ़कर जमाखोरी की निंदा की है। हम सभी ने कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी ही मूल बुराई है। जबकि सभी दल इस बुराई विशेष पर एक मत हैं, तो सरकार को जमाखोरी खत्म करने में क्या कठिनाई हो रही है। इसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऐसी बात तो नहीं है कि एक दल जमाखोरी को समर्थन दे रहा है और दूसरी कालाबाजारी को, और

[श्री ए० के० राय]

इसलिए सरकार को जमाखोरी तथा काला-बाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है। जबकि सभी दल इस मुद्दे पर एकमत हैं, तो जमाखोरी को खत्म करने और उन लोगों के विरुद्ध जो हमारे आवश्यक वस्तुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने में क्या कठिनाई हो रही है।

यदि आप जरा सोचें, तो पाएंगे कि मूल्य वृद्धि दो अंकों में पहुंच चुकी है। मूलतः आवश्यक वस्तुओं के मूल्य मे वृद्धि हुई है जिससे आम जनता को परेशानी हुई है। इसमें 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में 36 पवाइन्ट की वृद्धि हुई है। तेल और अन्य ईंधन में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरे विचार में, खाड़ी समस्या के कारण दूसरे वर्ग की सबसे महत्व-पूर्ण वस्तुएं जैसे ईंधन, कोयला और तेल इत्यादि में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वास्तव में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्य वृद्धि कम हुई है। मार्च, 1989 में हमारे पास एक सौ लाख टन खाद्यान्न था, जोकि बढ़कर 200 लाख टन हो गया है और अब यह 170 लाख टन है। हमें आशा है कि इस वर्ष हमारे पास 250 लाख टन का रिकार्ड खाद्यान्न भंडार होगा। इसलिये हमारी समझ में नहीं आता है मूल्य वृद्धि नियन्त्रित करने में सरकार को क्या अड़चन है।

एकमात्र प्रश्न खाद्य तेल का है जो हमारे मूल्य सूचकांक को 2.2 प्रतिशत प्रभावित करता है। यह सच है कि खाद्य तेल का उत्पादन इस वर्ष 15 से 16 प्रतिशत कम हुआ है लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह यह आवश्यक वस्तुओं के वर्ग में शामिल नहीं है। यह सारी बातें मांग के प्रबंधन, आपूर्ति के प्रबंधन और उत्पादन के प्रबंधन पर निर्भर करती हैं और इन्हें समायोजित किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में तिलहन के उत्पादन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। वास्तव में तिलहन का उत्पादन स्थिर है और कुछ हद तक यह कम भी हुआ है। वर्तमान में तिलहन का उत्पादन वर्ष 1988-89 की तुलना में कम हो गया है। औपचारिक मसले पर मैं यह सुझाव देता हूं कि दूसरे क्षेत्रों को भी तिलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि केवल गुजरात ही मूंगफली पैदा कर सकता है मैंने सरकार को यह सुझाव दिया था कि छोटा नागपुर क्षेत्र का एक बड़ा भाग, जो क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात से भी बड़ा है और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिला भी तिलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इन क्षेत्रों के मिट्टी की जांच की गई है और इसे तिलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है। आपने भी अपने उत्तर में यह बात मानी है। मैं फिर यही सुझाव देता हूं। आप छोटा नागपुर क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन क्यों नहीं शुरू करते। आप राज्य सरकार को प्रोत्साहन दें, कृषकों को प्रोत्साहन दें, ताकि इस विशाल क्षेत्र का उपयोग हो सके। यदि किसी क्षेत्र विशेष में मौसम अनुकूल न रहने के कारण उत्पादन प्रभावित होता है, तो इसकी भरपाई किसी दूसरे क्षेत्र से हो जाएगी।

दूसरे मैं चावल की भूसी से प्राप्त होने वाले तेल का उल्लेख करना चाहता हूं। हम करीब 75 लाख टन चावल का उत्पादन करते हैं। लेकिन हम केवल तीन टन चावल की भूसी का ही उत्पादन कर पाते हैं। हम इसका और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। हम यह कानून बना सकते है कि ऐसी सभी मिलें जो चावल से भूसी अलग करती हैं उनके पास चावल की भूसी से तेल निकालने का उपकरण होना चाहिए। इस प्रकार हम अपने घरेलू आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं। मैं तेल के आयात और इस पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के खर्च का समर्थक नहीं हूं। पिछली बार हमने लगभग एक हजार करोड़ रु० व्यय करके 1.6 करोड़ टन तेल का आयात किया था। हम वह नहीं चाहते। इस प्रकार से हम योजनाबद्ध तरीके

द्वारा तथा तेल की बचत करने के लिए उक्त उपायों को अपनाकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना तिलहन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

परन्तु, आपको बीच के रास्ते को ध्यान में रखना चाहिए। वह कौन सा बीच का रास्ता है जिससे सारी मुश्किलों पर काबू पाया जा सकता है? आपका अनाज का उत्पादन हो रहा है, आपके खाद्यान्न भंडार भरे पड़े हैं, आपके पास दालें हैं तथा आपके गोदाम भी हैं। परन्तु कीमतों में वृद्धि हो रही है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। जब आप इस बारे में विचार करेंगे, तब आपको आश्चर्य होगा। हमारी सम्पूर्ण आर्थिक पद्धति में कुछ विकृति है। इससे पूर्व हमारी सत्तर प्रतिशत जनसंख्या इस प्रारम्भिक क्षेत्र अर्थात कृषि पर निर्भर करती थी तथा हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 46 से 50 प्रतिशत तक होता था। पांच से दस प्रतिशत हमारी जनसंख्या दूसरे क्षेत्र अर्थात खनिज पदार्थ, अयस्क तथा अन्य मूलभूत वस्तुओं पर निर्भर करती थी जिनका हमारी आर्थिक-व्यवस्था में दस प्रतिशत तक योगदान होता था। मुश्किल से पांच से दस प्रतिशत तक जनसंख्या तीसरे क्षेत्र पर निर्भर करती थी जिसका राष्ट्रीय आय में लगभग पच्चीस प्रतिशत तक योगदान होता था। अब चालीस वर्षों के पश्चात भी इस विकृत पूंजीवादी विकास के पश्चात् क्या हो गया है? कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत वही रहा है परन्तु, राष्ट्रीय आय में उनका योगदान तीस प्रतिशत से भी कम हो गया है। दूसरे क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में स्थिरता रही है। तीसरा क्षेत्र जिस पर मुश्किल से पांच प्रतिशत जनता निर्भर करती थी, तथा जो एक परा-श्रमिक गैर-उत्पादक क्षेत्र एवं तथाकथित 'सर्विसिंग' क्षेत्र है, राष्ट्रीय आय में उसके योगदान में चालीस प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। मुश्किल से पांच प्रतिशत जनता राष्ट्रीय आय में चालीस प्रतिशत का योगदान कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्री ए० के० राय : मैं जानना चाहता हूं कि प्रारम्भिक क्षेत्र में लगी सत्तर प्रतिशत हमारी जनता केवल उन्तीस प्रतिशत का ही योगदान क्यों कर रही है? आपको यह भी पता करना चाहिए कि तीसरे क्षेत्र में कार्यरत पांच प्रतिशत जनता हमारी राष्ट्रीय आय में चालीस प्रतिशत का योगदान कैसे कर रही है? यदि आप इस रहस्य का पता लगा सकेंगे, तब संभवत: हम इस स्थिति का और अधिक सक्षमतापूर्वक सामना कर सकते हैं।

6.00 म० प०

श्री हेत राम (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपको जानकारी है कि कीमतें बढ़ रही हैं। मूल्य-वृद्धि होने के अनेक तत्व उत्तरदायी हैं। मूल्यों में वृद्धि होने के लिए अनेक छोटे तथा बड़े कारण हैं।

पहला कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में पहुंच गई है। दूसरे, कुछ व्यक्तियों ने कहा है मांग की तुलना में उत्पादन काफी कम है। तीसरे, कुछ व्यक्तियों ने कहा है वितरण-प्रणाली उचित नहीं है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि माल ढुलाई के शुल्क में वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सब्जियों, अनाज तथा अन्य वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो गई है। उन्हें दिल्ली जैसे शहरों में भंडारण के लिए भेजा जाता है। अत:, गांवों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को उन्हें वितरित करने से पूर्व गोदामों तथा शीतागारों में एकत्र किया जाता है। पुन: उन्हीं गांवों में इन वस्तुओं के वितरण हेतु उनके माल-ढुलाई शुल्क में वृद्धि हो रही है। एक और अन्य

[श्री हेत राम]

समस्या यह है कि एक दिन की प्रति व्यक्ति आय 1.25 रु० है। इस मूल्य-वृद्धि के कारण एक निर्धन व्यक्ति का जीवित रहना अत्यन्त कठिन हो गया है। अमीर व्यक्ति अपनी ताकत, धनशक्ति, कालाधन, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के बल पर काफी आराम से रह रहे हैं। परन्तु, आप उनकी तुलना किसी पूंजीवादी देश अथवा अमरीका की जनता के साथ नहीं कर सकते। भारत के अमीर व्यक्ति काफी आराम से जीवन-यापन कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली के त्यौहार के अवसर पर वे केवल पांच किलोग्राम गुड़/शक्कर खरीदा करते थे तथा यदि संभव हुआ तो वे उसे अगली दीपावली तक के लिए बचा कर रख लेते थे अर्थात खपत पर नियन्त्रण करते थे। अर्थात वे लोग पूरे बारह महीनों के लिए केवल पांच किलो गुड़ का ही प्रयोग करें। परन्तु पांच सितारा होटलों में आपको 3,000 रु० तक की कीमती वाली व्हिस्की की बोतलें देखने को मिल जाएंगी। पांच सितारा होटलों में आप अनेक कक्ष देखेंगे जिसमें कुछ कक्ष अमीर, समृद्ध व्यक्तियों को 700/-रु० प्रतिदिन अथवा हजार रु० प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर दिए जाते हैं। इसका कारण यह है कि तीन अंकों में जो मूल्य वृद्धि हुई है उसका इन पर असर पड़ने वाला नहीं है। इसका असर केवल सबसे निर्धन व्यक्ति पर ही पड़ेगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वस्तुओं का वितरण निर्धन व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए ताकि वे अपनी अर्थ-व्यवस्था को स्वयं संभालने में समर्थ हो सकें तथा गोदाम भी गांव में ही होने चाहिएं। यदि आप ऐसा करते हैं, तब अमीर व्यक्तियों की गिरफ्त से उनको स्वत: ही छुटकारा मिल सकता है जो इन निर्धन व्यक्तियों का खून चूसकर ही लाभ अर्जित कर रहे हैं।

अन्य समस्या यह है कि अनेक छोटे तथा बड़े कारणों वंश मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में ह बात लाना चाहता हूं कि मैं राय साहब का काफी सम्मान करता हूं तथा बेरोजगारी तथा संसाधनों की कमी से उत्पन्न मूल्यवृद्धि के कारण हमारे देश में अनेक व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है। यह पैसा होने की बात नहीं है। हो सकता हैं उनके पास कुछ भी नहीं हो। उन्हें कृषि मजदूर के रूप में काम दिया जा सकता है। वह पांच रु० से लेकर 25 रु० तक अर्जित कर सकते हैं। परन्तु यहां पर पुन: मूल्य-वृद्धि का प्रश्न उत्पन्न होता है। अत: आपको एक बात ध्यान में रखनी है तथा वह यह है कि सबसे निर्धन व्यक्तियों की सुरक्षा कैसे की जाए। यदि मुद्रास्फीति की दर में तीन अंकों अथवा चार अंकों की वृद्धि होती है, तब भी अमीर व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर पर असर पड़ने वाला नहीं है। समृद्ध व्यक्ति अपने को इस स्थिति में संभाल लेंगे। इसका असर केवल इन गरीब व्यक्तियों पर पड़ेगा, जिनके पास न कोई जमीन है, न संसाधन है अथवा न कोई काम है तथा जिनके परिवार में दस सदस्य हैं तथा अपने परिवार में केवल वही कमाने वाला सदस्य है। अत: आपको अपने ध्यान में यह बात रखते हुए ही इस दिशा में पुन: कुछ करने की ओर सोचना है। आपको मूल्य-निर्धारण पद्धति फिर से तैयार करनी चाहिए तथा तथा मूल्य-ढांचे को व्यवस्थित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, इससे उन निर्धन व्यक्तियों को काफी सहायता मिल सकती है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, इसका कोई भाषान्तरण उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुप्पुस्वामी जी, क्या आपने पहले सूचना दी थी कि आप तमिल में बोलेंगे?

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : जी हां, मैंने सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कुप्पुस्वामी जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करिए । अब कोई और बोलेगा । हम कुछ व्यवस्था करेंगे । अब श्री अग्निहोत्री बोलेंगे ।

हमने काफी समय तक इस मामले पर चर्चा की है । इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था । हमने इस पर साढ़े तीन घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा की है । मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात अत्यन्त संक्षेप में कहें तथा पहले कही गई बातों को पुन: न कहें ।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, महंगाई और मूल्य वृद्धि, जिस प्रकार से आज मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है, आज देश में महंगाई, जिस प्रकार जंगल में आग फैलती है उसी प्रकार से आज देश में महंगाई बढ़ रही है और यह जो देश में महंगाई की बढ़ोतरी का क्रम शुरू हुआ है, यह पिछले कांग्रेस शासन की गलत आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप हुआ है और जो घाटे का बजट विधान सभाओं से लेकर केन्द्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, इससे कहना चाहिए कि महंगाई बढ़ने में ये घाटे का बजट जो है, बहुत ज्यादा उत्तरदायी है । पिछली सरकार ने, यानि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दावा किया था कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन 11 महीने के अन्दर महंगाई में जिस क्रम से बढ़ोतरी हुई है, उसकी तुलना शायद पिछली किसी सरकार में नहीं हुई है और उस समय पर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तथा इस सदन ने यह चिंता व्यक्त की थी कि जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है इससे देश के अन्दर महंगाई और भी तेजी के साथ बढ़ेगी यह आज जो महंगाई है, किस पर प्रभाव डालती है ? यह महंगाई आज उन लोगों पर प्रभाव डालती है जो इस देश के अन्दर 85% किसान हैं, जो देश के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, जो गांवों में रहते हैं और यह कहना चाहिए कि जो भी किसी क्षेत्र में उत्पादन हुआ है या कहना चाहिए कि कीमतों में किसानों को जो लाभ हुआ है, बड़े-बड़े किसानों को हुआ है । जो किसान छोटे हैं, जिनके पास चार एकड़ पांच एकड़ जमीन है, वह आज इस महगाई से इतने परेशान हैं कि उनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया है । क्योंकि कृषि उत्पादन में जो लागत है, आज महंगाई के कारण उसमें काफी वृद्धि हो गई है । जैसे कि खाद, बीज, बिजली, पानी, ये किसान को इतना महंगा प्राप्त होता है कि आज पांच एकड़ से लेकर दो एकड़, पांच एकड़, दस एकड़ तक का किसान जो है, आज इस महगाई से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और आज देश के अन्दर भुखमरी का शिकार है, महगाई के कारण ही तो । और अगर महंगाई ये सरकार रोकना चाहे तो महंगाई रोक नहीं पाएगी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है और स्वयं प्रधान मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी है कि अगर विदेशी कर्जा नहीं लिया गया तो इस समय केन्द्रीय सरकार के पास जो खजाना है वह केन्द्रीय कर्मचारियों को दो महीने का वेतन देने से ज्यादा नहीं है । इसलिए निश्चित है कि महंगाई और बढ़ेगी । महंगाई से आम आदमी की जिन्दगी के अन्दर कोई गिरावट न आए, मानसिक तनाव न बढ़े और इससे अशांति न बने और आवश्यक वस्तुयें उसको कम कीमतों पर और समय पर उपलब्ध रहें, इसके लिए सरकार को ऐसे उपाय सोचने की आवश्यकता है ।

मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश का एक पठारी क्षेत्र है – बुन्देलखंड, जिसकी आबादी का 60% मजदूर और गरीब किसान हैं । मैं आज निश्चित तौर से कह रहा हूं कि इस समय पर हमारे बुन्देलखंड के अन्दर किसान जो सूखा पेड़ होता है, एक पहर उसका सूखा पेड़ भोजन है और उसके भोजन में न अनाज है और न रोशनी के लिए उसके पास मिट्टी का तेल है क्योंकि उत्पादन में कमी है । उसकी जेब में पैसे नहीं हैं । बाजार में आए तो उसके पास पैसे नहीं कि अपनी दैनिक

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री)

आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए वह सामान को खरीद सके। और रात के समय अपने घर में रोशनी करने के लिए वह मिट्टी का तेल नहीं खरीद सकता, ऐसी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। इसलिए बढ़ती हुई महंगाई के सम्बन्ध में, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब तक इस पर प्रभावी तरीके से अंकुश नहीं लगाया जायेगा, कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध नहीं होंगी, सरकार को उनकी आमदनी को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था करनी होगी, तब तक स्थिति में सुधार आने वाला नहीं है। सरकारी दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। एक तरफ कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिलती नहीं हैं। आज स्थिति यह है कि इस देश में गरीब को, किसान को, मजदूर को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल आदि कोई सामान प्राप्त नहीं होता। जब उसे दुकान से निराश लौटना पड़ता है तब महंगाई उसकी समझ में आती है।

आज हर आदमी महंगाई की वजह से बेहद परेशान है, वरना उसकी परेशानी का कोई दूसरा कारण नहीं है। सरकारी दुकानों पर पहले तो कोई सामान आता नहीं, जो आता है उसके वितरण में इतना भ्रष्टाचार है, जिसकी कोई सीमा नहीं। किसी को सरकारी दुकानों से आवश्यक वस्तुएं सस्ते कीमत पर प्राप्त नहीं हो पातीं। महंगाई से निपटने के लिए, इसलिए मेरा केवल एक ही आग्रह है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मध्यम वर्ग को, किसान को, मजदूर को, वेतनभोगी कर्मचारियों को सभी आवश्यक चीजें उचित मूल्य पर मिल सकें, तभी हम महंगाई पर अंकुश लगाने में सफल हो पायेंगे। इतना ही नहीं, देश में महंगाई के कारण नाना प्रकार की दूसरी बुराइयां पैदा हो गई हैं, मानसिक तनाव पैदा हो रहा है, अशांति पैदा हो रही है। महंगाई कम होगी तभी इन सब बुराइयों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह मूल्य नियंत्रण से बाहर क्यों होती जा रही है तथा इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये, इस बारे में अनेक सुझाव दिए जा सकते हैं। मैं अनेक सुझावों से सहमत भी हूं। परंतु कुछेक बातें हैं जिनकी तरफ सभा का ध्यान नहीं दिलाया गया है। मैं केवल इन्हीं बातों का उल्लेख करने के लिए खड़ा हुआ हूं तथा सभा का और अधिक समय लेना नहीं चाहता।

इस खुदरा व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसका अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पैसे को व्यापारी ऐंठ रहे हैं। यही उचित समय है जबकि हमारी अर्थव्यवस्था में खुदरा व्यापार में ही सार्वजनिक क्षेत्र की काफी व्यापक भागीदारी रही है। मुझे विश्वास है कि उसके बिना किसी प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात करना ही अर्थहीन है। अतएव मैं सुझाव करता हूं कि इन दो मुद्दों के बारे में मंत्री जी को अपने विचार व्यक्त करने चाहियें।

पिछली सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समय से ही हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं। हमने इस बात पर बल दिया था कि यदि पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की जा सकती, तब डीजल के मूल्यों को कम करने का प्रयत्न कीजिए। यदि डीजल के मूल्यों में कमी की जा सकती है, तब मूल्य-वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

डीजल ही ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यों में तथा कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है; डीजल ही सारी यातायात प्रणाली तथा यातायात पर खर्चे को प्रभावित करता है। इसलिए अगर आप वित्त मंत्री तथा मंत्रिमंडल को डीजल की कीमतें कम करने के लिए राजी कर लें; तभी आप बढ़ती हुई कीमतों पर कुछ काबू पा सकेंगे।

यह एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है। मैं जानता हूं कि इस तरह वक्तव्य देना लगभग विश्वासघात करना है। लोग इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मैं रक्षा खर्चे की ओर संकेत कर रहा हूं। यह विदित है कि 14000 करोड़ रुपए के रक्षा व्यय में से 5000 करोड़ रुपए आयात पर खर्च किए गए हैं। कोई भी यह नहीं कहता कि हमारी रक्षा शक्ति कमजोर हो जाये। ऐसा नहीं है। मैं जब राज्य सभा का सदस्य था, तब से लेकर आज तक जबकि मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं लोक लेखा समिति का सदस्य हूं। मैं जानता हूं कि आयात के नाम पर कितना अपव्यय होता है—बोफोर्स इसका एक उदाहरण है—हम अपना धन रक्षा उपकरणों तथा रक्षा सामग्री पर व्यर्थ ही खर्च कर रहे हैं। अगर आप नजदीक से अध्ययन करें तथा 5000 करोड़ रुपए की राशि की कल्पना करें जोकि हमारे व्यापार सन्तुलन में घाटे तथा हमारे घरेलू घाटे के बराबर है, उसे आयात पर खर्च कर दिया जाता है। मगर हम गहराई से अध्ययन करें तथा इस राशि पर गौर करें तो आप समझेंगे। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैं सलाहकार समिति का सदस्य हूं कि राजस्व खर्चे को कम करना बड़ा कठिन है तथा मुद्रास्फीति हमारे नियंत्रित खर्चे के लिए दिए गए ऋण के कारण नहीं बल्कि राजस्व खर्चे को पूरा करने लिए उपलब्ध कराए गए ऋण के कारण पैदा होती है।

यदि हम सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं तो इससे निश्चित रूप से कीमतों में वृद्धि होती है। राजस्व खर्च से ही हमें उद्देश्य का पता चलता है। आप अपनी ब्याज अदा करने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और न ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी पर होने वाले खर्च से बच सकते हैं तथा न ही खाद्यान्नों पर राजसहायता में कमी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप खाद्यान्नों में राजसहायता कम करेंगे तो उससे कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, दूसरा क्षेत्र रक्षा खर्च है जिसके सम्बन्ध में मैं यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि इसमें रक्षा शक्ति को कम किए बिना आयात के क्षेत्र में खर्च कम करके रक्षा व्यय में कमी की जा सकती है। यह एक दूसरा क्षेत्र है जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

और अन्त में हम यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि और कौन-कौन से क्षेत्र हैं। इसके लिए कारणों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। पिछले एक दशक से संचयी द्रव्यता के कारण हो रहा है। यह द्रव्यता सरकार के हाथ में नहीं है। यह द्रव्यता काला धन कमाने वाले व्यापारियों के हाथ में है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यद्यपि यह सुझाव मात्र है, जो कि आपसे सम्बद्ध नहीं है बल्कि वित्त मंत्री से सम्बद्ध है, कि अगर आप राजस्व कमाने वाले कर्मचारियों को सशक्त बनायें तो यह अधिक अच्छा होगा। अगर आप राजस्व के क्षेत्र में और व्यक्तियों को लगाने के लिए एक रुपया खर्च करते हैं तो आपको कर के रूप में उससे कहीं अधिक आय प्राप्त होती है। यह भी काले धन पर नियंत्रण करने का एक तरीका है जोकि थोक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी कमाया जा रहा है।

ये वे सुझाव हैं जिनको मेरे विचार में सदन के समक्ष नहीं रखा गया और जिनको आपकी अनुमति से मैंने आपके समक्ष रखा।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री कुप्पुस्वामी, क्या आपने सूचित कर दिया है कि आप तमिल में बोलेंगे।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : मैंने दुभाषिए को सूचित कर दिया है। वह यहां उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कब सूचित किया था ? क्या आपने लिखित रूप में सूचना दी है ?

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : मैंने उसे सूचित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उसे सूचित नहीं करना है। आपको हमें सूचित करना है ताकि हम उसे तैयार रखें। श्री शर्मा।

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, ये जो आम जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ी हैं जिनकी वजह से आज आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है।

जब मधु दण्डवते जी ने बजट पेश किया था, तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि 720 करोड़ रुपये का घाटा होगा, लेकिन उसका नतीजा आज यह हो रहा है कि वह 1400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा नैशनल फ्रण्ट गवर्नमेंट जब बनी थी, तो एक ही चुनावी वादा था और वह था कीमतों में कमी का। ये कीमतें इसलिए बढ़ गई कि 1790 करोड़ रुपये के उन्होंने ज्यादा टैक्स लगाए।

इसी तरह 947 करोड़ रुपये रेलवे का टैक्स लोगों पर चढ़ा और फिर 25% सरचार्ज गल्फ की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बढ़ाया। इन सबसे कीमतें आसमान को छूने लगीं। सूरत अब यह है कि डालडा 40 रुपये किलो, सरसों का तेल 37 रुपये किलो, आटा साढ़े चार रुपये किलो, दालें 17-18 रुपये किलो है। आम आदमी की जिन्दगी कितनी मुश्किल में पड़ गई है। कुछ साथी कहते हैं कि कांग्रेस के दौर में कीमतें बढ़ी हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 1988-89 में जब सौ साल में इतना भयंकर सूखा नहीं पड़ा था, वह भी पड़ा और यहां तक कि 800 करोड़ रुपये सिर्फ राजस्थान पर खर्च किए, 12-1400 करोड़ रुपये गुजरात गवर्नमेंट को दिए जहां पर भयंकर सूखा पड़ा था, एक आदमी भी भूखा नहीं मरा इतना स्टाक था। इकोनोमी की बात यह है कि उस वक्त भी 4.9 प्रतिशत डोमैस्टिक ग्रोथ थी, मैं 1988-89 की बात कर रहा हूं जबकि भयंकर सूखा था और इनफ्लेशन 9.1 प्रतिशत थी।

लेकिन इनके समय में इनफ्लेशन काफी बढ़ गई। सूरत यह है कि फारेन रिजर्व 2500 करोड़ रुपये तक रह गया। विदेशी मुद्रा के बारे में स्टाकिस्टस की एक धारणा हो गई है यह स्पैकूलेशन को गवर्नमेंट इम्पोर्ट नहीं करेगी। खुशी यह है कि कुछ दिन पहले कामर्स मिनिस्टर ने कहा कि ऐडीबल मंगाएंगे। यह मंगाना चाहिए, इसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐडीबल आयल के मुताल्लिक मैं सजेशन दूंगा कि स्टाकिस्टस और रिटेलर्स के स्टाक की हद मुकरर कर दीजिए। बी० जे० पी० ने एक ही फायदा सपोर्ट का उठाया है वह यह है कि किसी स्टाकिस्ट पर छापा नहीं पड़ा। सबसे बड़ा कारण एक तो मिसमैनेजमेंट आफ दी इकोनोमी, हैवी टैक्सेशन, गल्फ की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्टस पर सरचार्ज और मिलीभगत है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अभी छापे करवाने शुरू कर दें। (व्यवधान)

श्री धर्म पाल शर्मा : मैं यह कहना चाहूंगा कि कीमतें कम करने के लिए मैसिव प्रोक्योरमेंट फूडग्रेन्स की होनी चाहिए। खुशी यह है कि पिछली बार 117.50 लाख टन की थी, ज्यादा करनी चाहिए। यह ठीक है कि टायर की कीमतें बढ़ गई। किसानों को राहत दी श्री देवी लाल ने, मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रोक्योरमैंट प्राइस बढ़ाई, वह होनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए बाकी मैजर्स से। 17 दिसम्बर 1990 को 1340 करोड़ के लगभग टैक्सेस, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी बढ़ी, मैं उसका विरोध करता हूं। इससे कीमतें और बढ़ेंगी। जब तक सख्त कदम नहीं उठाएंगे, मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप रिपीट मत कीजिए।

श्री धर्म पाल शर्मा : ऐसे मैजर्स ऐडाप्ट करने चाहिए, स्टाक पर कंट्रोल करना चाहिए, छापा भी लगना चाहिए यह सारे हाउस की तज्वीज है। बढ़ती हुई कीमतें जो आसमान को छू रही है इससे गरीब आदमी, मजदूर, सैलरीड इनकम वाला आदमी परेशान है। इसको कम करने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है यह दरअसल हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और देश के वाशिंदों से यह सम्बन्ध रखती है। हमारे देश में 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे लोग इस महंगाई को कैसे सहन कर रहे है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती है।

आज गांव में नमक जो पहले 80 पैसे किलो मिलता था आज उसके दाम एक रुपए 40 पैसे हो गए हैं और वह नमक गांव में दो रुपए किलो में मिल रहा है, मिट्टी का तेल जो 4 रुपए लीटर था आज वह 5 रुपये लीटर में गांव में मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : महंगाई बढ़ी हुई है इसमें किसी का दो मत नहीं है।

श्री मित्रसेन यादव : इसी तरह से चावल 12 रुपए से 18 रुपए हो गया है, दाल 13 रुपये से 17 रुपये हो गई है, कड़वा तेल 26 रुपये से 36 रुपए हो गया है। हर चीज के दाम 3-4 महीनों में इतने बढ़ गये हैं जिसकी वजह से आम आदमी की जिन्दगी दूभर हो गई है। आखिर वह कौन सी छड़ी है कि हमारे घर की दाल में नमक नहीं रहता लेकिन उस नमक को बेचने वाले लखपति हो जाते हैं, हमारे घर के मिट्टी का चिराग बुझ जाता है लेकिन उसमें प्रयोग होने वाले तेल को बेचने वाले करोड़पति हो जाते हैं, मार्च महीने में कोयला, लोहा और सीमेंट बेचने वाले अरबपति हो जाते हैं। वह कौन सी छड़ी है जिससे इनका कारोबार करने वाले लखपति और करोड़पति हो जाते हैं और उनको पैदा करने वाले लोग कौड़ी मात्र के हो जाते हैं। क्या यह चीज मंत्री महोदय के समक्ष में नहीं आती है? ज्यों ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया। एक तरफ अफसरों और मंत्रियों की सुख-सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ गरीब वर्ग पर बोझ पड़ता जा रहा है। बैंकों में जो हमारा पैसा है, उनको कुछ लोग लेकर उससे खाद्यान्न खरीद कर अपने गोदामों में जमा कर रहे हैं और जिस दाम पर चाहते हैं उन्हें बेचते हैं। सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि उनका कुछ बिगाड़ सके क्योंकि उसे मालूम है कि वह इनके खिलाफ कार्यवाही करने पर खुद ही गिर जाएगी। यह सरकार के बस की बात नहीं है।

अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा—एक तो वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया

[श्री मित्रसेन यादव]

जाये, किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य देने की गारंटी दी जाए, बैंकों के कर्जे पूंजीपतियों को इस हद तक न दिए जायें कि वह उनसे आवश्यक वस्तुयें खरीद कर अपने गोदामों में जमा कर लें, तीसरी बात जो हमारे अनावश्यक खर्चे हैं जो अधिकारियों और मंत्रियों की सुख-सुविधाओं पर लगे हुए हैं उनकी रोकथाम की जायें, संसाधनों पर हो रहे खर्चे पर रोक लगायी जाए, बड़े-बड़े निगम जो लाखों और करोड़ों के घाटे पर चल रहे हैं, उनको रोका जाए। देखने में आया है कि बड़े-बड़े आई० ए० एस० अफसर मौज-मस्ती करके चले जाते हैं जब हम उनके आंकड़े देखते हैं तो पता लगता है कि वह रिटायर हो गये हैं ऐसे में उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। 50 प्रतिशत लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जिस तरह की महंगाई की मार से दब रहे हैं और पिस रहे हैं उसको रोकने के लिए इस सरकार के पास दम नहीं है। सत्तारूढ़ दल की तरफ बैठने वाले लोग इनकी तारीफ करके इनकी पीठ थपथपाते हैं जिससे वे खुश हो जाते हैं, हम महंगाई के खिलाफ कह कर इनका विरोध करते है और उसको दूर करने के लिए जो सुझाव देते हैं उन पर ये कोई विचार नहीं करते हैं। मर्ज ज्यों का त्यों है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। इसलिए इस इलाज के लिए कोई कारगर कदम सरकार के पास हों तो वह उन्हें अवश्य उठायें।

डा० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी बात को रिपिट नहीं करना चाहता हूं किन्तु मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना अत्यधिक जरूरी समझता हूं कि रिजर्व बैंक का कर्जा सरकार के ऊपर 14 परसेंट से अधिक बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ बजट घाटा दुगने से भी ज्यादा होता जा रहा है। इन सबके साथ-साथ सरकार ने जो बजट घाटे को घटाने के लिए कार्य किए हैं उनमें गरीब के मुंह से रोटी छीनने की कोशिश की है। सरकार ने गल्फ क्राइसिस की आड़ में मिट्टी के तेल की कीमत तो बढ़ा दी पर रसोई गैस की कीमत को छुआ तक नहीं, इससे अधिक गरीब विरोधी कार्य तो और हो ही नहीं सकता।

इसके साथ ही मेरा सुझाव है, क्योंकि हर माननीय सदस्य ने रिपीट किया है इसलिए मैं उन बातों की ओर नहीं जाना चाहता लेकिन अगर सरकार महंगाई घटाने के लिये चिन्तित है तो उसे वेतन को उत्पादकता के साथ जोड़ना चाहिए।

जो सब्सिडी दी जाती है वह गरीब के मुंह से चोर दरवाजे से फिर छीन ली जाती है। इस सब्सिडी की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए, जो मूल्य वृद्धि है वह सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हम सब्सिडी देते हैं तो हम कम कीमत पर उपज पैदा कर रहे हैं बल्कि सब्सिडी अभी महंगाई बढ़ाने की तरफ जा रही है। इसके साथ ही 1960 से रुपये की जो क्रय शक्ति थी, जो माल उस वक्त 1 रुपये मिलता था, आज 1990 में वही चीज सौ रुपए मिलने जा रही है, रुपए की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। गरीब के मुंह से रोटी छीनी जा रही है। अगर यही कल्याणकारी राज्य की व्याख्या है तो भारत में लोकतंत्र अधिक खतरे में पड़ जायेगा, इस ओर पूरी सरकार को, इस हाउस को तथा हर एक चिन्तित व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और सामूहिक रूप से इस यत्न पर जाना चाहिए कि किस तरह से महंगाई को सबके यत्नों से कम किया जा सकता है, चाहे उसकी वजह से किसी न किसी की जेब से कुछ जाता हो तो वह जाना चाहिए पर महंगाई अवश्य कम होनी चाहिए। सरकार को एक ऐसी नीति बना लेनी चाहिए कि आगामी 10 वर्षों में कम से कम वेतन तथा मूल्य एक ही स्थान पर स्थिर कर दिए जाने चाहिए।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मुझे याद आ रहा है कि मेरे कालेज के दिनों में हमारे अर्थशास्त्र के लैक्चरर यह कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब बाल्टी भर कर पैसों के साथ बाजार जाना पड़ेगा तथा एक मुट्ठी भर चीजें लेकर वापस आना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि ऐसी स्थिति कुछ समय के बाद आएगी; परन्तु हमारे समय में ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई है।

कीमतों में वृद्धि सामान्य व्यक्ति विशेषकर मजदूर वर्ग को प्रभावित करती है। जो भी वेतन या मजदूरी उन्हें मिलती है, वह बहुत कम है। इसके साथ-साथ जब कीमतों में वृद्धि हो रही हो तो उनकी क्रय शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसा हमारी आर्थिक नीति के कारण हो रहा है। मुझे याद है जब प्रो० मधु दण्डवते ने सदन को आश्वासन दिया था कि कुछ समय पश्चात् उनका बजट घाटा इतना अधिक नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसी घोषणा की थी। परन्तु, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की गलत नीतियों के कारण, कीमतों में इतनी चिन्ताजनक दर से वृद्धि हो रही है। अगर हम इस मुद्रा-स्फीति के रुझान को नियन्त्रित नहीं कर पाये, तो सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से दुख झेलेगा। इसके लिए सरकार को बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे; विशेषकर वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में। उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ता के पास ऐसे पहुंचनी चाहिए कि वह उन्हें उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकें। उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए हमने राशन की दुकानें बनाई हुई हैं परन्तु राशन की दुकानों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में उप-ग्रामों के लिए केवल एक ही राशन की दुकान होती है। कई बार इसके लिए लोगों को 5 या 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ता है क्योंकि हमारा यह कहना है कि एक राशन की दुकान से कम से कम एक हजार कार्ड धारकों को राशन अवश्य लेना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए राशन की दुकानों पर जाना आसान है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस पर विचार करें। बेशक ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें हैं परन्तु प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में भी राशन की दुकान खुलनी चाहिए। अगर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल नहीं होते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण लोगों को काफी दुःख उठाना पड़ेगा। अगर आप पैट्रोलियम उत्पादों को ही लें तो आपको पता चलेगा कि उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। अगर आप किसी नगर अथवा देश के किसी भी भाग में जायें तो आपको पता चलेगा कि डीजल उपलब्ध नहीं है। डीजल लेने के लिए गाड़ियों की मीलों तक लम्बी कतारें लगी रहती हैं। अगर आप वाहनों के लिए पर्याप्त डीजल तथा पैट्रोल उपलब्ध कराने में सफल नहीं होते हैं; तो उनके लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन हो जायेगा। इसके कारण भी कीमतें बढ़ रही हैं। अब हम केवल खाड़ी संकट का सामना कर रहे हैं। परन्तु खाड़ी संकट आरम्भ होने से पहले ही कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थीं। चाहे कैसी भी मितव्ययता हम करना चाहें, हम इन आवश्यक वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते। यद्यपि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है, फिर भी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह पैट्रोलियम पदार्थों के आयात को सुनिश्चित करें उन्हें इन पदार्थों का आयात करके उन्हें उचित ढंग से वितरित करने का प्रबन्ध करना चाहिए। इससे कम से कम देश में वाहनों को पर्याप्त डीजल मिलता रहेगा। यह भी एक कारण है जिससे कि कीमतों में वृद्धि होती है तथा हमें दुख उठाना पड़ता है। समय के अभाव के कारण मैं विस्तार से अपनी बात नहीं कहूंगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में राशन की दुकानों पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वह इस बारे में तत्काल कार्यवाही करें

क्योंकि तमिलनाडु में जाली राशन-कार्ड वितरित किये जा रहे हैं और केन्द्र सरकार जो पाम आयल और चावल देती है वह कहीं और जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : क्या ऐसा इसलिए कि आप ए० आई० ए० डी० के दल के सदस्य हैं? (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : जब मार्क्सवादी दल के सदस्य ऐसा कह रहे हैं, तब मैं क्या कह सकता हूं? आप जानते ही हैं और आपने समाचार-पत्रों में भी पढ़ा है कि ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के उग्रवादी डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तस्करी कर रहे हैं और यहां गरीब व्यक्ति और मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। इसलिये, केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए कि जो भी अच्छी वस्तुएं राज्य को दी जा रही हैं, वह हमारे राज्य के आम आदमी तक पहुंचें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव। कृपया संक्षेप में बोलिये।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस के माननीय सदस्यों को सुना। उनका कहना है कि जब से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई, तब से महंगाई आसमान को चली गई। सदन में महंगाई की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, और ईमानदारी की बात अभी भी नहीं करते हैं, तो महंगाई घट नहीं सकती है। कांग्रेस ने 40-45 वर्षों तक इस देश में राज किया और इस देश की जनता ने उनको भेजा। उन्होंने अर्थव्यवस्था को इतना दूषित किया कि आज महंगाई आसमान को चली गई। जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई, तो उस वक्त हमारे प्रधान मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ने आप से कहा था कि तिजोरी में पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस देश को व्यवस्थित करने का काम करूंगा। नतीजा क्या हुआ? जब सारे इशूज आने लगे तो कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने मिलकर, इस सरकार को गिराने का काम किया और चालीस वर्षों के कांग्रेस के कुशासन ने और कुनीतियों ने महंगाई को चरमसीमा तक पहुंचा दिया। आज जो अनाज किसान खेतों में पैदा करते हैं, उनको उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त होता है। दूसरी तरफ बिचौलिये उसी सामान को किसानों से खरीद लेते हैं और ऊंचे रेट पर बेचने का काम करते हैं। इसको कराने का काम यही कांग्रेस के लोग किया करते हैं। इसका कितना प्रमाण है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं उस प्रमाण में जाना नहीं चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस महंगाई पर बहुत चर्चा हुई लेकिन यह महंगाई घटी नहीं, ऐसा क्यों है? इसकी वजह यही है कि महंगाई पर चर्चा करने के बावजूद भी हम सच्ची बात नहीं बोलते और जब तक हम लोग सच्ची बात नहीं बोलेंगे तब तक महंगाई घटने का कोई उपाय नहीं हो सकता। पिछले सत्र में आप ही महंगाई की चर्चा के लिए इस आसन पर बैठे हुए थे, उस समय यही कहा गया कि पैट्रोल और डीजल में महंगाई के कारण वृद्धि हुई है। हमारे राव साहब जी यहां बैठे हुए हैं और यह एक अनुभवी मंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल और महंगा है और कुवैत में बहुत ज्यादा झंझट है, वह आपको प्राप्त नहीं होता है तो क्या उपभोक्ता के सामान को ट्रेन से आप नहीं भेज सकते, क्या इस देश में ट्रेन की व्यवस्था नहीं है?

मैं मांग करना चाहता हूं और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस देश में हर जगह ट्रेन के जाने की व्यवस्था है, आप इन फैक्ट्री मालिकों को ट्रेन की सुविधा दें और ट्रेन के माध्यम से आप इनका

सामान भेजने का काम करें। यह व्यवस्था करना सरकार का काम है। यह कहना कि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। डीजल नहीं मिलता है, इसलिए महंगाई आसमान को छू रही है। इस बात को मानने के लिए इस देश की जनता तैयार नहीं है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है, जो साबुन आज से 5-6 वर्ष पहले हम लोग एक रुपए में खरीदते थे, उस साबुन की कीमत, जब वी०पी० सिंह की सरकार नहीं आई थी तब उसकी कीमत 6 रुपये थी, लेकिन अब उसकी कीमत साढ़े छः रुपए है।

मैं मानता हूं कि हमारी सरकार में भी महंगाई बढ़ी, लेकिन मेरी अर्थ नीति और गलत नीति के कारण से बढ़ी। हमारे कारण से नहीं बढ़ी। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी वस्तुयें फैक्ट्री में पैदा होती हैं, माननीय मंत्री जी जब पहले कृषि मंत्री थे तब इन्होंने घोषणा की थी कि फैक्ट्री में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा उसके पैकेट पर, उसका निर्धारित मूल्य टैक्स के साथ लिख कर भेजेंगे, यह व्यवस्था हम करेंगे। राव साहब, क्या आपने उसको लागू करवाया? अगर आपने इसको लागू नहीं करवाया तो यह आपका दोष है, हमारी सरकार का कोई दोष नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घण्टी बजती जा रही है और समय कम है। इसलिए मैं इतना बोलकर, इस सरकार को एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। जो हवाई जहाज की व्यवस्था है कि अगर कहीं पर कोई विपत्ति आ जाती है तो आप हवाई जहाज से सामान भेजने का काम करते हैं। जहां रेल की सुविधा नहीं है वहां हवाई जहाज के माध्यम से आप सामान भेजें ताकि साधारण प्राइस पर ग्रामीण इलाकों में लोगों को चीजें उपलब्ध हो सकें और वे मूल्य वृद्धि से वंचित रहें। उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला मुख्यालय में आप गल्ला खरीदने की व्यवस्था करें और फैक्ट्री के उत्पादन में भी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगायें। पेट्रोल के लिए भी बातचीत चल रही थी, उस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे। आप जानते हैं कि गैस का उत्पादन, पुरैनी का पत्ता एवं चौबहोर से होता है। और यह विश्व में सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में पाया जाता है। आप क्यों नहीं उस फैक्ट्री को लगाते हैं? अगर हम गांव में गैस मुहैया करेंगे, गांव की गोबर का बचत करेंगे, गांव में लकड़ी और वृक्ष का बचत करेंगे तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हम अपने देश की सुरक्षा और महंगाई को रोकने में कामयाब होंगे, यही मेरा कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० के० कुप्पुस्वामी।

श्री के० सी० कुप्पुस्वामी : महोदय, पहली बार दुभाषिया उपलब्ध नहीं है। यह एक गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पहले से सूचना देनी चाहिए थी।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी० के० कुप्पुस्वामी]

महोदय, मैं इन तथ्यों को साबित कर सकता हूं कि पिछले 11 महीनों के दौरान काला-बाजारी, जमाखोरी, मिलावट और बाजार से सम्बन्धित अन्य गम्भीर अपराध आम बात हो गई है। मूल्यों में इस तीव्र वृद्धि के लिये यही मुख्य तथ्य उत्तरदायी है। पेट्रोल और डीजल जो 7.25 रु० तथा 3.25 रु० पर उपलब्ध था अब क्रमश: 11.25 रु० तथा 5.50 रु० पर उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान तमिलनाडु में डीजल की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं मंत्री मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण में काफी धांधलियां होती हैं। केन्द्रीय पूल से राज्य को जो चावल आबंटित किए जाते हैं, वह राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों तक नहीं पहुंचते हैं और डी० एम० के० के स्वयंसेवकों द्वारा बेच दिए जाते हैं और डी० एम० के० सरकार इस काम को बढ़ावा दे रही है। आप केन्द्रीय पूल से 40,000 अथवा 50,000 टन चावल दे रहे हैं। आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या तमिलनाडु में चावल गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीब व्यक्तियों और हरिजनों को मिल रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इन धांधलियों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करें और इस बात की सतत निगरानी रखें कि राज्य को केन्द्र द्वारा आबंटित चावल वहां के गरीब व्यक्तियों को मिलें न कि डी० एम० के० स्वयं-सेवकों को। उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैंने स्वयं कई बार रंगे हाथों उन व्यक्तियों को पकड़ा है, जो राशन की दुकानों पर गरीब व्यक्तियों के लिए दिए गए चावलों के बोरों की तस्करी कर रहे थे और फिर मैंने इन बोरों को जिलाधीश को दे दिया। एक बार धोडपुर में ही मैंने और कुछ लोगों ने राशन की दुकान से चावल के बोरों की तस्करी को रोका और अपराधियों को सौंप दिया। इस समय मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि वह तमिलनाडु में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दें अथवा तब तक चावल दे, जब तक उन्हें रोजगार न दे दिया जाए।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तमिलनाडु में दोपहर का भोजन दिए जाने सम्बन्धी योजना जिसे हमारे स्वर्गवासी नेता कामराज ने शुरू किया था और डा० एम० जी० आर० ने बढ़ावा दिया था तथा पौष्टिक भोजन का नाम दिया था, उससे तमिलनाडु में लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता था, आज डी० एम० के० सरकार के अधीन मंझधार में है। इस योजना को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और डी० एम० के० सरकार के अधीन कुछ व्यक्तियों के हितों की, बच्चों के स्वास्थ्य की कीमत पर पूर्ति करने के लिए, कुछ धांधलियां की जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे और इस योजना को पुन: क्रियान्वित करने के लिए तत्काल कार्य-वाही करे।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर सही इंगित किया है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे इडली और डोसे की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मैं यह मांग करता हूं कि देश में विशेषरूप से तमिलनाडु में गरीबों के लिए वाजिब कीमतों पर जनता भोजन योजना शुरू की जाए।

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जहां तक आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों की बात है, उसके लिए क्या किया जाए। इसका कोई उत्तर नहीं

दिया गया है। केवल सरकार की आलोचना की गई है। मैं नहीं जानता कि क्या ये स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, जो बढ़ते हुए मूल्यों की इस प्रवृत्ति को रोक सके। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि विश्व एक बड़ा बाजार है और जहां भी कीमतें कम हैं, वहां वस्तुओं की तस्करी होना आवश्यक है और यदि देश में कोई विनिमय नहीं होता अथवा खपत नहीं होती, तो वे इन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। किसी भी प्रकार से मूल्य स्तर कम नहीं किया जा सकता जैसाकि 1929 में मुद्रा अवस्फीति के समय किया गया था और विश्व में सभी को इसका नुकसान भुगतान पड़ा था। मुद्रास्फीति अवश्य होगी। इसका केवल एक ही तरीका है। जिन वस्तुओं को हम राशनिंग द्वारा वितरित करते हैं, उन्हें राज-सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए। इस सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। इनका खजाना खाली है। इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रु० का ऋण लिया है। इस सरकार ने हमारा सोना बेच दिया है। यह सरकार वित्तीय दृष्टि से काफी गरीब है। इस सरकार का रुपया जाली रुपया बन गया है। यदि हम चाहते हैं, तो इसका स्तर बढ़ा सकते हैं।

इस सरकार ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है अतः वह मुद्रा द्वारा वस्तुओं को राज-सहायता नहीं दे सकते हैं। यदि ऐसा करना है, तब उस परिवार का पता लगाना चाहिए जिसमें रोजी-रोटी कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उन्हें निःशुल्क राशन दें। यदि किसी परिवार में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो हमें वैसे ही करना चाहिए जैसा महाराष्ट्र में किया गया। रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जो व्यक्ति काम करना चाहता है, उसे काम दिया जाएगा। उसे 20 रु० मिलेंगे और साथ ही निःशुल्क दो किलो चावल मिलेंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तब सरकार मांग और पूर्ति नियम का सामना नहीं कर सकती। मांग को पूरा करने के लिए सरकार को जन-संख्या पर नियन्त्रण करना चाहिए। सरकार ने कहा "हम दो हमारे दो" लेकिन, उन्हें उन व्यक्तियों की चुनौती को भी स्वीकार करना है, जो कहते हैं "हम पांच हमारे पचास" यदि सरकार बढ़ती जन-संख्या और मांग की चुनौती स्वीकार करने में समर्थ नहीं है, तब आपूर्ति का क्या होगा? पूरी जमीन पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। सरकार की पूर्ण कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं हैं। हमें यह बताएं कि खाद्य उत्पादन कुल कितनी भूमि पर किया जा रहा है। अमीर कृषक और अधिक उत्पादन कर सकते हैं लेकिन, गरीब व्यक्ति उत्पादन नहीं बढ़ा सकता। इसी-लिए, सरकार मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगा पा रही है। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है कि मूल्यों के लिए राजसहायता देने के साथ-साथ सरकार को जमाखोरों और भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

इस सरकार को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए का काला धन मौजूद है। आप ऐसे धन को सरकारी निवेश में लगा सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को आप कुछ ब्याज दे सकते हैं।

मुद्रा और अन्य बातों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण विदेशी मुद्रा क्षेत्र में हमारी साख समाप्त हो गई है। ऐसा क्यों है? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं हैं। क्या इन योजनावधियों के दौरान मूल्य नहीं बढ़े हैं? इन योजनाओं में बड़े उद्योगों और परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाई गईं लेकिन, इससे गरीब व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए, हम मूल्यों को नियन्त्रित नहीं कर पाए हैं।

तीन या चार दिन पहले ही महाराष्ट्र में व्याज वाहकों द्वारा हड़ताल की गई थी। जब यह

[श्री वामनराव महाडीक]

सरकार सत्ता में आई थी, तब प्याज की कीमत 8 रु० किलो थी जो बढ़कर 12 रु० किलो हो गई और अब 16 रु० किलो है। इसने सब्जियों और खाद्य सामग्री की कीमत को प्रभावित किया है। प्याज की कीमतों में वृद्धि की इस घटना से हमारे देश की एकता नष्ट हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल मूल्यों के कारण भी ऐसा हो रहा है। जहां भी हम देखें, मूल्य बढ़ रहे हैं। केवल बोफोर्स में ही नहीं बल्कि सब जगह भ्रष्टाचार है।

[हिन्दी]

शासन की हकूमत चलनी चाहिए, लेकिन, शासन की हिकमत चलती है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो मण्डल आयोग निकालते हैं, राम-जन्म भूमि का इश्यू निकालते हैं।

[अनुवाद]

हम केवल राजनीति पर बहस करते हैं। जैसे अपने पूर्वजों का 'पिंड-दान' करते समय हम कौवे का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार विधान बनाकर हम गरीबों की भलाई के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह गरीबों तक नहीं पहुंचता, बल्कि अमीरों को ही मिलता है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था है। सरकार के बढ़ते हुए मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए प्रस्तावों को सहायता देने के लिए आगे आना चाहिए।

*श्री कासी पन्नीर सेलवम (चेंगलपट्टु) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर, जिस पर सदन में चर्चा हो रही है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (ए०आई०ए० डी०एम०के०) की ओर से कुछ कहना चाहता हूं।

मूल्यों में तेजी से वृद्धि के कारण वह वर्ग प्रभावित हुआ है जिनके पास कुछ भी नहीं है और धनी वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं है। गरीबों को केवल मूल्य वृद्धि से उत्पन्न कठिनाईयों का ही सामना नहीं करना पड़ रहा है बल्कि उन्हें आवश्यक वस्तुओं की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। गांवों के किसान इस मूल्य वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। गरीबों को प्रभावित करने के अलावे मूल्य वृद्धि के कारण कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट को बढ़ावा मिला है।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है वहां सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। दाल जहां छ: रुपये प्रति किलोग्राम बिकता अब वह 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इमली के मूल्य में दुगनी वृद्धि हुई है और अब बढ़कर 20 रुपये प्रति किलो हो गयी है। खाद्य तेलों का भी मूल्य बढ़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

जब पुरात्चि थालिवर डा० एम०जी० रामचन्द्र तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे उन्होंने रु० 1.25 पैसे की दर पर चावल का वितरण करवाया था। लेकिन वर्तमान मुख्यमन्त्री ने इसे बढ़ाकर 3 रुपए 60 पैसे प्रतिकिलो कर दिया है। केवल चावल ही नहीं बल्कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधि ने लोगों पीड़ित करने के लिए वृद्धि कर दी है।

आज तमिलनाडु में धान की खड़ी फसल जल आपूर्ति के अभाव में अत्यधिक प्रभावित हुई है।

* मूलत: तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री कांसी पन्नीर सेलवम]

यह सरकार उन खड़ी फसलों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। तमिलनाडु में मूल्य-वृद्धि का एक यह भी कारण है।

आम लोगों को आवश्यक वस्तुएं तथा डीजल और पेट्रोल उपलब्ध नहीं होती हैं बल्कि आतंकवादियों द्वारा उनकी देश से तस्करी की जाती है। तमिलनाडु की यह स्थिति है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ताकि निर्धन लोग मूल्य वृद्धि के दबाव से मुक्त हो सकें।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

— — — —

6.56 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त अन्तरिम आदेश के बारे में टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : मुझे घोषणा करनी है।

"मैंने 27 दिसम्बर, 1990 को सूचित किया था कि मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 3871 के संबंध में कारण बताने के लिए कहा गया है।

मैंने सभा को यह सूचित किया था कि सभा की सुस्थापित प्रथा परिपाटी के अनुसार मैंने इस नोटिस का उत्तर न देने का निर्णय किया है। मैंने उच्च न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति और सभा की सुस्थापित परिपाटियों से अवगत कराने के लिए संगत पत्र विधि और न्याय मन्त्री को ऐसी कार्यवाही करने हेतु भेज दिए थे जैसीकि वे उचित समझें।

मुझे आज दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 8 जनवरी, 1991 को पारित एक आदेश की एक प्रति अग्रेषित की गई है। खंडपीठ ने 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 3871 के अन्तर्गत किए गए रोक आवेदन पर हुई बहस पर निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं—

"रोक आवेदन पर बहस जारी है। यह उपयुक्त होगा कि यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाये क्योंकि रोक आवेदन पर तर्कों की सुनवाई में और समय लगने की संभावना है।

इसलिए हम यह आदेश देते हैं कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत सभी याचिकाओं पर आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी या अर्जीदारों द्वारा उन्हें आगे कार्यवाही के लिए अध्यक्ष के समक्ष नहीं लाया जायेगा और हम यह आदेश भी देते हैं कि पक्षकारों द्वारा वही यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जायेगी जैसीकि आज है।

9 जनवरी, 1991 तक के लिए स्थगित

इस आदेश की एक प्रति अध्यक्ष को तुरन्त भेजी जाये।" '

डा० बिप्लब दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, क्या आप इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं ? न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अध्यक्षमहोदय सर्वोच्च अधिकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। आचार्य जी, मैं विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक कल ठीक दस बजे बुला रहा हूं।

प्रो० राम गणेश कापसे : हमारा यह विचार है कि न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय सर्वोच्च अधिकारी हैं।

7.00 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि — जारी

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : मुझे बोलने का समय दें, मेरी पार्टी ने मुझे समय नहीं दिया है, आप मुझे समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : आप मुझे समय नहीं देते हैं तो मैं वाकआउट करता हूं।

7.01 म० प०

[तत्पश्चात् श्री के० डी० सुल्तानपुरी सभा पटल से बाहर चले गए]

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, मूल्य वृद्धि के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चार घंटे बहस हुई है। आपकी बड़ी कृपा रही कि आपने इस विषय के महत्व को देखते हुये सभी दलों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए अधिकतम संभव समय दिया। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। इस मुद्दे को श्री बसुदेव आचार्य ने बड़े ही जोरदार ढंग से शुरू किया और उनके साथ इस सदन के अन्य सदस्यों ने भी उतने ही जोरदार तरीके से इस मुद्दे पर कुशलता से चर्चा की। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम यहां तब तक रुकेंगे जब तक उत्तर समाप्त नहीं हो जाता। हमने 7.00 बजे तक रुकने का निश्चय किया था और इसीलिये मैंने ऐसा कहा है।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक संभव होगा मैं थोड़े में ही अपनी बात कहूंगा। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : क्या यह प्रभावी जवाब है ?

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : पहले आप इसे सुनें।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप महंगाई रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसको स्पष्ट करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत सी चीजों का जवाब आपने खुद ही दे दिया, महंगाई के कारण भी आइडेंटीफाई कर लिये और यह किस तरीके से रुक सकती है यह भी आपने बता दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तसल्ली हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि वर्तमान स्थिति किसकी देन है। यह सत्य है कि वर्तमान सरकार बहुत ही कठिन परिस्थिति में सत्ता में आई।

श्री अनिल बसु : हेराफेरी से सरकार बनाई गई थी।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस विरासत का सहभागी होना समझ बूझकर लिया गया निर्णय है चाहे यह किसी की भी देन हो। वास्तव में यह कठिन कार्य है। देश की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ियां तथा मूल्य वृद्धि वास्तव में परेशानी पैदा करने वाली परिस्थितियां हैं। मैं केवल यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर उतनी ही गंभीर है जितना कि माननीय सदस्यगण और कोई भी सरकार इस बढ़ती हुई मूल्य के साथ नहीं टिकी रह सकती। इसे कारगर कदमों के बारे में सोचना होगा। और मैं संक्षेप में यह कहता हूं कि कुछ कदम उठाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : चावल के मूल्यों में वृद्धि एक प्रभावी कदम है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस वृद्धि को वापस ले लिया गया है।

श्री अनिल बसु : अनेक हस्तक्षेपों के बाद इसे वापस लिया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : किसी भी पार्टी पर जिसने विगत में देश का शासन चलाया है आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। जैसाकि प्रधानमन्त्री महोदय ने बार-बार कहा है कि किसी आरोप लगाए बिना जनता और लोकतन्त्र के हित में उस नाजुक स्थिति में इस सरकार ने कार्यभार संभाला था।

हमारा यह दृढ़संकल्प है कि हम सभी राज्यों, इस सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली सभी पार्टियों और बाहरी सहयोग से इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। इस प्रकार की स्थिति को अकेले सरकार के प्रयासों द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है। मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि, जैसी कि हाल ही में हुई है, को नियन्त्रित करने के लिये मूल कारणों का पता लगाने और प्रत्येक व्यक्ति के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

आंकड़ों द्वारा किसी भी बात को प्रमाणित अथवा अप्रमाणित किया जा सकता है। परन्तु तथ्यों को छिपाने के लिये मैं किसी भ्रष्ट तरीके का सहारा नहीं लेना चाहता। लेकिन, इतना कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, वह सच नहीं है। तथ्य यह है कि कुछ समय से मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मैं ऐसे अनेक कारक बताता हूं जिनके कारण यह मूल्य वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यों ने

अपने आप इस बात का उल्लेख किया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 दिसम्बर, 1990 तक थोक मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, जो 6.1 प्रतिशत था, 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में चावल का मूल्य क्या था।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पिछले पांच वर्षों के आंकड़े उनके पास भेज सकता हूं।

थोक मूल्य सूचकांक के हिसाब से मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जैसा कि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने, जो इसके बारे में बोले हैं, बताया है कि थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, जो 7.4 प्रतिशत थी, 11.4 प्रतिशत हो गयी है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी भी बहुत अधिक है। वित्तीय वर्ष के दौरान अक्टूबर, 1990 तक इसमें 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6 प्रतिशत था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अक्टूबर, 1990 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.8 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 5.4 प्रतिशत थी, लगभग दो गुनी है।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों से उन लोगों की वास्तविक कठिनाई स्पष्ट नहीं होती है, जो विभिन्न वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि के कारण पैदा हो गयी हैं। यदि हम मूल्यों में वृद्धि के करने वाली बातों पर ध्यान दें, तो कुछ वित्तीय उपायों के कारण कतिपय वस्तुओं के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि हो रही है इससे कुछ वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में अन्तर होना स्वभाविक है, जैसा कि मैंने कहा है कि मुद्राआपूर्ति में वृद्धि हुई है। परन्तु माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर हमने और वित्त मन्त्रालय ने भी ध्यान दिया है। इस मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए इन सुझावों के आधार पर जो कार्यवाही की जा सकती है सरकार की उस कार्यवाही को करने की मंशा है।

जैसाकि आप जानते हैं कि खाद्यान्नों के संबंध में हमारी स्थिति बहुत सन्तोषजनक है और चीनी के बारे में भी यही स्थिति है। हमारे पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भण्डार है और हमें आशा है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चावल की खरीद अच्छी रहेगी। परन्तु खाद्यानों के मूल्य भी बढ़ गये हैं। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ऐसा सरकार द्वारा घोषित अधिक समर्थन मूल्य के कारण हुआ है। इसी वजह से निर्गम मूल्य भी बढ़ाए गये थे। (व्यवधान) मैं कम से कम उन माननीय सदस्यों जैसे श्री आचार्य, श्री झा, श्री चांद राम, डा० तम्बि दुरै और अनेक अन्य सहयोगियों के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा जो सभा की इस अन्तिम बैठक में भी उपस्थित रहे हैं। (व्यवधान) श्री निर्मल कान्ति चटर्जी भी इस बैठक में उपस्थित रहे हैं और उन्होंने नेक सुझाव भी दिए हैं। हम उनकी बात हमेशा सुनते हैं वह सभा में हर बार कुछ बातों को एक नया मोड़ देकर प्रस्तुत करते हैं।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष धान के मूल्य 185 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 205 रुपये प्रति क्विंटल किये गये थे। बाद में चावल का निर्गम मूल्य 244 रुपये से बढ़ाकर 289 रुपये किया गया था। इसी प्रकार 1989-90 में गेहूं का मूल्य 183 रुपए प्रति क्विंटल था जो अब 215 रुपये रुपये प्रति क्विंटल है। इसी वजह से निर्गम मूल्य 204 रुपए से बढ़ाकर 234 रुपये किया गया था। चावल के निर्गम में यह दूसरी बार वृद्धि की गयी थी, जिसका निर्णय पिछली सरकार ने किया था। परन्तु सभा के दलों और माननीय सदस्यों की मांग के कारण प्रधानमन्त्री ने इस

वृद्धि को वापस लेने की घोषणा की थी। किसानों को प्रोत्साहन मूल्य देने के लिए अभी खाद्यानों के मूल्यों में वृद्धि की गयी है तथा मूंगफली के मूल्यों में भी बहुत अधिक बढ़ोत्तरी की गयी है अर्थात् 1988-89 के 430 रुपये को बढ़ाकर 1989-90 में 500 रुपये कर दिया गया और 16-6-1990 तक बढ़ाकर 580 रुपये कर दिए गये।

इसी प्रकार विभिन्न तिलहनों के मूल्यों में भी पर्याप्त वृद्धि की गयी थी और इसी वजह से आप हमारी इस बात से सहमत होंगे कि जब तक हम कुछ वस्तुओं में आत्म-निर्भर नहीं हो जायेंगे तब तक कमी वाली वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में आयात जारी रहने से देश का भला नहीं होगा। एक नयी स्थिति पैदा हो गयी है जिसके कारण खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हो गयी है। इसकी वजह यह है कि कुछ वर्षों से सरकार सोच-विचार कर तेल का आयात कम कर रही है। वर्ष 1987-88 में हमने 18 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था। अगले वर्ष 7 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया गया और पिछले वर्ष केवल 6½ लाख टन तेल का आयात किया गया था। आयात कम करने का कारण यह था कि हम चाहते थे कि तिलहनों के मूल्य इतने लाभकारी और आकर्षक हों कि किसान इनका और अधिक उत्पादन करें। दुर्भाग्य से दालों और तिलहनों के उत्पादन में सुधार नहीं हुआ है जबकि कृषि क्षेत्र में कुछ फसलों के उत्पादन में सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। इन वस्तुओं की कमी का यह भी एक कारण है। दालों और खाद्य तेलों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण आलोचना की गयी थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : दालों का उत्पादन क्षेत्र भी कम हो गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक चावल का प्रश्न है। विगत 40 वर्षों में अर्थात् 1950-51 से इसके उत्पादन में 120 प्रतिशत की वृद्धि यह वृद्धि औसतन 698 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लेकर 1541 किलोग्राम तक है। जहां तक गेहूं का प्रश्न है, इसके उत्पादन में 212 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में भी 76 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई है। परन्तु दालों के उत्पादन में केवल 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। तिलहनों में 40 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है। मुझे इसका विश्वास नहीं है कि यह तिलहनों के उत्पादन की औसत वृद्धि है यद्यपि मूंगफली और सरसों के तेल का पर्याप्त उत्पादन हुआ है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि तिलहनों और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने वाले खाद्य तेलों के कोटा में कमी नहीं की जानी चाहिये। यह निश्चित है कि पश्चिम बंगाल के मामले में ऐसा किया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य तेल की आपूर्ति का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गरीबों के लिए, जो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हैं, यह बहुत आवश्यक वस्तु है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : खाद्य तेलों का कोटा आप कब से बढ़ा रहे हैं?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने और अधिक मात्रा में खाद्य तेल का आयात करने का निर्णय लिया है इसकी कुछ मात्रा इस महीने में आ जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे पश्चिम बंगाल को भी दिया जाएगा? **(व्यवधान)**

राव बीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को अपने हिस्से का तेल मिलेगा। (व्यवधान) हमारे पास जो स्टाक था, उसमें से हमने कुछ राज्यों को क्रिस्मस और नव वर्ष के लिए खाद्य तेल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का प्रयास किया था। पोंगल के लिए भी हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण राज्यों को कितनी मात्रा में खाद्य तेल दिया जाए।

हम महीनेवार चीनी जारी कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा सरकार चीनी की खुली बिक्री पर नियन्त्रण कर रही है। ऐसा मूल्यों को संतुलित ढंग से एक स्तर तक बनाए रखने की दृष्टि से किया जाता है। यदि हम देखते हैं कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य बहुत अधिक बढ़ रहे है, तो हम इसे और अधिक मात्रा में जारी करते हैं। यदि हम देखते हैं कि चीनी मिलों को घाटा होने की सम्भावना है, तो हम इसको कम मात्रा में जारी करते हैं ताकि वे आंशिक रूप से अपना घाटा पूरा कर सकें। चीनी का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। परन्तु बाजार मूल्यों को इस तथ्य के सन्दर्भ में देखा जाए कि किसानों को गन्ने का मूल्य 45 रुपए अथवा 46 रुपये प्रति क्विटल मिल रहा है जबकि तीन वर्ष पहले यह 22 रुपये या 23 रुपए प्रति क्विटल मिलता था। यदि किसानों को गन्ने के ऊंचे दाम दिए जाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि इससे उत्पादन-लागत बढ़ेगी क्योंकि सरकार असीमित आर्थिक-सहायता का बोझ वहन नहीं कर सकती।

डा० बिप्लब दासगुप्त : उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच दलालों के बारे में आप क्या कहते है। ऐसे भी दलाल हैं जो काफी लाभ अर्जित करते हैं। यदि आप जमाखोरी को रोक सकते हैं तथा यदि आप दलालों द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ पर रोक लगा सकते हैं तब आप उपभोक्ताओं को कम कीमत पर शक्कर दे सकेंगे तथा इसी के साथ-साथ आप उत्पादक को भी अच्छे दाम दे सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह तो समझ में आता है, लेकिन सीमेंट और लोहे के विषय में भी स्पष्ट करिए, सीमेंट के दाम क्यों बढ़ गये। सरकारी दुकानों पर गेहूं के तो दर्शन ही नहीं होते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : आपको इस तरीके से मामले को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जैसे कि उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच परस्पर कुछ विवाद हो। (व्यवधान)

डा० बिप्लब दासगुप्त : जिस किसान के पास दो सौ करोड़ एकड़ जमीन है वह भी एक किसान है तथा जिसके पास एक एकड़ जमीन है वह भी एक किसान है। कोई व्यक्ति किसी किसान की जमीन के अनुसार उसका स्तर कैसे निर्धारित कर सकता है ? (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्यों ने अनेक बार जमाखोरी रोकने के उन उपायों के बारे में बात की है जो सरकार को करने चाहिए। अनेक अधिनियम हैं जिनको हम कार्यान्वित कर रहे है परन्तु इन सभी का वास्तविक कार्यान्वयन राज्यों के ही माध्यम से किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सीमेंट, लोहा और इस्पात के बारे में भी स्पष्ट कीजिए, इनके भाव आसमान छू रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : आवश्यक वस्तु अधिनियम, चोरबाजारी और आवश्यक वस्तु-प्रदाय अधिनियम तथा अन्य विभिन्न अधिनियम भी हैं। चोरबाजारी निवारण अधिनियम को लागू किया जा रहा है तथा लोगों को इसके अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाए हुए ही जेल में डाला जा सकता है। आवश्यक वस्तु विशेष उपबन्ध अधिनियम भी है जिसे राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है तथा माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इन सभी अधिनियमों के अन्तर्गत राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर हम नियमित रूप से निगरानी रखे हुए हैं। राज्यों से मासिक तथा त्रैमासिक विवरणियां प्राप्त हो रही हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : कुछ परिणाम तो इसका होना चाहिए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : परिणाम आपको बता रहा हूं, अगर आप सुन लें, तो…

[अनुवाद]

दिनांक 1-1-90 से 30-11-90 ग्यारह महीनों के दौरान मारे गए छापों की संख्या 1,04,388 थी, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 4650 थी, 3402 व्यक्तियों पर मुकदमा चला तथा अभी तक सुनाए गए निर्णय के अनुसार 424 व्यक्तियों को दंडित किया गया है तथा मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि चौधरी चांद राम भी सुन सकते हैं कि 15.63 करोड़ रु० के मूल्य का सामान इन छापों में जब्त किया गया है। तथा यह प्रक्रिया अभी चल रही है। यह आंकड़े अखिल भारतीय हैं। परन्तु मेरा अपना विचार यह है कि केवल जमाखोरी को रोकने से ही मूल्य-वृद्धि को उस हद तक नहीं रोका जा सकता जैसाकि माननीय सदस्य सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। जब हमारे पास कुछेक वस्तुओं की सप्लाई कम है तब उनकी अधिक मात्रा में जमाखोरी नहीं की जा सकती।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : क्या माननीय मन्त्री जी एक मिनट के लिए सुनेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार थोक विक्रेताओं को जमाखोरी के लिए बैंक द्वारा अग्रिम-राशि देना बन्द कर दे। मैं फुटकर-विक्रेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। आप भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उसी राशि का उपयोग कर सकते हैं क्या सरकार ऐसा करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को आपका यह सुझाव दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि सप्लाई कम है तब उस स्थिति में थोड़ी सी भी जमाखोरी करने से कीमतें काफी बढ़ सकती हैं। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा होता है। परन्तु यदि कमी होने की जरा भी आशंका हो तथा उससे भी कीमतों पर काफी असर पड़ता है क्योंकि प्रत्येक परिवार दो से तीन महीनों तक के पहले से ही वस्तुएं जमा करना चाहता है। संभवत: उससे जमाखोरी करने वाले व्यापारियों की अपेक्षा बाजार पर थोड़ा अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को श्री झा का सुझाव बता दूंगा परन्तु मेरे अपने विचार से तथा जैसाकि आप भी जानते होंगे थोक बिक्री में अधिकतर कालाबाजारी का व्यवसाय

काले धन की सहायता से ही चलाया जाता है। यह बैंक द्वारा दी गई अग्रिम राशि तथा बैंक-द्वारा दिए गए ऋण से नहीं चलता है।...(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : एक भी थोक विक्रेता अपने पैसे से व्यवसाय नहीं कर रहा है...(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपकी अनुमति से केवल एक अपना आवश्यक मदों का जिक्र करूंगा।

विपक्ष के मेरे मित्र सीमेंट की ऊंची कीमतों के ऊपर अत्यधिक क्रुद्ध हैं। हम स्वयं भी सीमेंट के दामों में अनुचित वृद्धि जो कुछ समय पूर्व हुई थी, उसके बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं। सीमेंट के मूल्यों में अचानक बड़ी तेजी से वृद्धि हुई थी। भूतपूर्व सरकार को भी इसकी जानकारी थी तथा उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उद्योग कीमतों में मनमाने ढंग से वृद्धि न कर दे। यह सरकार भी इस बारे में बहुत अधिक चिन्तित है। उद्योग ने अनेक कारण भी दिए हैं। परन्तु मुख्य कारण खपत का अधिक होना तथा सप्लाई कम होना है। सरकार अपने निर्माण-कार्य के लिए भी काफी अधिक खरीददारी कर रही है।

श्री भोगेन्द्र झा : पिछले वर्ष सीमेंट का लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ था।

डा० लक्ष्मि दुबे : परन्तु उत्पादन-लागत नहीं बढ़ी होती।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं सहमत हूं। इसीलिए मैंने कहा है कि यह अनुचित था।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : दो साल पहले तक सीमेंट के रेट में स्लम आया हुआ था और सीमेंट कम्पनी के पास बफर स्टाक था। यह तो मिलीभगत के आधार पर सीमेंट के व्यापारियों से साठ-गांठ करके सीमेंट के रेट बढ़ाए गए......(व्यवधान)

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : पहले सीमेंट से नियन्त्रण हटाने सीमेंट के बारे में एक निर्णय लिया गया था। सीमेंट एक नियन्त्रित वस्तु थी। इससे पूर्व भूतपूर्व सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि इस पर से नियन्त्रण हटाया जाना चाहिए तथा यह निर्णय उद्योग द्वारा दिए गए उस आश्वासन के आधार पर लिया गया था कि वे मांग के अनुसार ही सप्लाई करेंगे तथा वे इसके मूल्य को एक उचित स्तर पर बनाए रखेंगे। वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है तथा सरकार इस मामले को देख रही है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सीमेंट उद्योग ने जो आश्वासन दिया था, उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे क्या ?

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार ने सीमेंट तथा अन्य वस्तुओं की स्थिति के बारे में सर्वोच्च स्तर पर विचार किया है। मुझे सभा को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि 11 तारीख को मंत्रिमण्डल द्वारा नियुक्त किया गया मन्त्रियों का एक समूह इन सभी मामलों को देख रहा है तथा सीमेंट उद्योग के साथ इस सम्बन्ध में बात कर रहा है। 11 तारीख को हमने सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों को सीमेंट की ऊंची कीमतों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। उसके पश्चात् ही सरकार कुछ घोषणा कर सकने में समर्थ होगी। परन्तु इस सम्बन्ध में जो कुछ भी किया जा सकता है हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यदि

आवश्यकता हुई, तथा यदि उद्योग उचित व्यवहार नहीं करता है तब संभवत: सरकार और कुछ कदम उठाने की दिशा में सोचेगी परन्तु इस समय हम उद्योग पर इस बात के लिए जोर डाल रहे हैं कि वह सरकार के साथ सहयोग करे तथा जनता समस्याओं को भी देखे। हमें आशा है वे बात मान जाएंगे। इससे पूर्व भी खाद्य तेलों के मूल्यों के बारे में एक स्वैच्छिक नियंत्रण किया गया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे इतनी नर्मी से बात क्यों करते हैं। बिचौलियों को बैंकों से पैसा न दिया जाए। सरकार को बिचौलियों को पैसा नहीं देना चाहिए सीमेंट की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर डण्डा क्यों न चलाया जाए।

दण्ड शासित प्रजा सर्वा,
दण्ड एवाभि रक्षति।
दण्ड सुप्तेषु जागर्ति,
दण्ड धर्मं विदुर्बुधा ।।

जब सब प्राणी सो जाते हैं तब दण्डा (शासक) जागता है। डण्डा ही सबकी रक्षा करता है, डण्डा ही प्रजा की रक्षा करता है। विद्वानों ने दण्ड को ही धर्म कहा है। सीमेंट का जो भाव बढ़ रहा है उस पर आप डंडा क्यों नहीं चलाते हैं। इसके लिए सारा सदन आपका साथ देगा।

[अनुवाद]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेडा (भीलवाड़ा) : आप उनसे बात ही क्यों कर हैं, आप

[हिन्दी]

उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं करते।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप डंडा लेकर आगे चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं इसके लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : आप भी कुछ कीजिये।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित विभिन्न मसलों जैसे रेल भाड़ा, रेल यात्रा किरायों में वृद्धि आदि पर संक्षेप में बोलना चाहूंगा।

श्री छोटे राम (हरदोई) : आपको कीमतों में वृद्धि को रोकना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि दिये गये सुझाव व्यावहारिक हों तो सरकार इन्हें क्रियान्वित कर सकती है, और इस वृद्धि को रोका जा सकता है। महोदय, सीमेन्ट के मामले में जैसाकि मैं कह चुका हूं, मैं इस मामले को देखूंगा। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई थी। बाजार व्यवस्था में संतुलन बनाये रखने के लिए यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन, समुदाय की सभी आवश्यकताएं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकतीं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से हम आंशिक तौर पर आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका लक्ष्य विशेषकर समाज के गरीब तबके को राहत पहुंचाना है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की सलाहकार समिति की 5 तारीख को हुई बैठक में मैंने राज्यों के खाद्य और पूर्ति मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी। हमने विभिन्न उपायों पर विचार किया। जहां आवश्यक हो, वहां अधिनियमों में किस प्रकार संशोधन किया जाए, उस पर भी विचार किया और जैसा सदस्यों ने सुझाव दिया, सभी नियमों, विनियमों और अधिनियमों को असरदार बनाया जाना चाहिए। संसद ने बड़े कठोर कानून बनाये हैं। यदि राज्यों द्वारा उन्हें उचित तरीके से लागू किया जाए। तो कोई कारण नहीं है कि जानबूझकर पैदा की गई कमी से उपभोक्ता का बाजार में शोषण, जमाखोरी, वस्तुओं की कीमतों में असंतुलित वृद्धि, कालाबाजारी आदि को रोका न जा सके। इन सबको रोका जा सकता है। मैंने राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार के साथ इस मसले पर पूर्ण सहयोग करने के लिए कहा है।

डा० तम्बि दुरै : क्या तमिलनाडु से आपको कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? कई लोगों ने इस मामले को उठाया है। राज्य सरकार वस्तुओं का उचित वितरण नहीं कर रही है। आप केवल यह बात बता रहे हैं। आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह शिकायत केवल तमिलनाडु के बारे में ही नहीं है। यह एक सामान्य शिकायत है और हर कोई यह जानता है कि आवश्यक वस्तुओं का कुछ प्रतिशत···(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : जो कुछ राशन की दुकानों पर हो रहा है, हुआ है उसका उल्लेख श्री कुप्पूस्वामी ने भी किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे इसकी जानकारी है। मुझे इन अनियमितताओं की जानकारी है। (व्यवधान) यह बैठक भारतीय खाद्य-निगम के कार्यालयों, राज्य नागरिक पूर्ति निगमों जैसे वितरकों और आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं आदि द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में की गई अनियमितताओं, खामियों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का पता लगाने के लिए बुलाई गई थी। इसके लिए किसी को भी दोष दिया जा सकता है। सभी अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : बाजार संतुलन को बनाये रखने के लिए हस्तक्षेप···

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या आप इन प्रश्नों की अनुमति अभी देंगे या आप इसके पश्चात प्रश्न करने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं, अभी नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए उसके बाद हम स्पष्टीकरण पूछेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : बाजार व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए हमारे पास कई एजेंसियां हैं। हमारे पास राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड है। यह समुचित वितरण के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई एक एजेंसी है। जब बाजार में तिलहनों का मूल्य कम होता है, उस समय वह इन्हें खरीद लेते हैं। वह खाद्य तेल भी खरीद सकते हैं और यह खरीद ऊंची कीमतों के समय उचित मूल्य बनाये रखने के उद्देश्य से की जाती है। यह एजेंसी इस क्षेत्र में भी कार्य कर रही है।

इसी प्रकार कृषि मंत्रालय के ही अधीन 'नाफेड' कार्य कर रही है। जब देश में प्याज और

आलू की कीमतों में वृद्धि हुई, तो यह वृद्धि कम उत्पादन या कम सप्लाई के कारण नहीं अपितु परिवहन और अन्य मुश्किलों के कारण थी। पहले भी यह देखने में आया जैसाकि माननीय सदस्यों ने भी उल्लेख किया है, कि डीजल की कमी के कारण सम्पूर्ण परिवहन व्यवस्था ठप्प पड़ गयी थी। लेकिन, डीजल सप्लाई की स्थिति में अब सुधार आया है। इस समय कोई समस्या नहीं है। सभी राज्यों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : आज सुबह ही मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। एक लाख लीटर डीजल पिछले महीने कोटा, बूंदी, झालावाड़ में नहीं पहुंचा। देवली के एरिया में हमको सप्लाई करनी पड़ती है, वहां लम्बी-लम्बी कतारें लगी पड़ी हैं, लोगों को डीजल लेने के लिए 7-7 घण्टे लाइन में लगना पड़ता है आप कल ही मेरे साथ कोटा में चलिए।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, यह ठीक नहीं है, आप बार-बार ऐसा करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपके साथ चलूंगा, आज तो आप यह बात पूरी होने दीजिए, फिर चले चलूंगा।

[अनुवाद]

जैसाकि मैंने कहा है कि हम खामियों को और अनियमितताओं/धांधलियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। डिपो के मालिक भी ऐसी धांधलियां करते हैं। सरकारी एजेंसियों पर भी कड़े नियन्त्रण की आवश्यकता है। यह सब किया जा रहा है। कई बार डिपो के मालिक घटिया वस्तुएं सप्लाई करते हैं और इसका दोष भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसियों पर लगाते हैं। वह घटिया वस्तुओं के सेम्पल रखते हैं जिसे वह बाजार से खरीदते हैं और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को अपने निजी व्यवसाय के माध्यम से बेच देते हैं। हमने इस सम्बन्ध में नियम बनाये हैं। इन वस्तुओं के वितरण में इस प्रकार की जा रही हेराफेरी रोकने के सम्बन्ध में भी विचार किया गया। क्योंकि वह बीच में ही बदल दिए जाते हैं, इस कारण वह जिन लोगों के लिए होते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते। अतः राज्यों को मैंने यह सुझाव दिया है कि जो व्यापारी अपना निजी व्यवसाय चलाते हैं, उन्हें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत उचित दर की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए।

इसी प्रकार जिन लोगों का पेट्रोल पम्पों के साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध है, उन्हें मिट्टी के तेल का 'स्टॉकिस्ट' नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि नागरिक पूर्ति विभाग के निरीक्षकों और आयल कारपोरेशन के अधिकारियों की मिलिभगत से टैंकर रात को पहुंचते हैं और जो मिट्टी का तेल गरीबों के लिए था, वह उन तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार की शिकायत कुछ माननीय सदस्यों ने भी की थी।

एक माननीय सदस्य : इसे डीजल के साथ मिलाया जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसे डीजल के साथ मिलाया जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने मुझे यह बताया है कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मिट्टी के तेल को अब रंगीन करके बेचा जायेगा। यदि इसके पश्चात् भी इसे किसी और पेट्रोलियम पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, तो इसका पता आसानी से चल जाएगा।

अत: यह विभिन्न उपाय सरकार के विचारार्थ हैं, जिन्हें शीघ्र ही लागू किया जाएगा और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की नीति पर कार्य किया जा रहा है जिससे जो कुछ भी वितरित किया जाये, उसका समान वितरण हो सके। जिससे जो कुछ बचाया जाये, उसे समाज के गरीब वर्ग को दिया जाए और इससे केन्द्र सरकार पर राजसहायता के रूप में पड़ने वाले भार में भी कमी आएगी। लेकिन, इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले हमें इसके प्रभावों पर भी गौर करना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है और क्या इससे मिलने लाभ राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप होंगे।

माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया है, मैंने संक्षेप में उन सभी पर चर्चा की है। आपके द्वारा सदन को आश्वस्त करने के लिए, अन्ततः मैं यही कह सकता हूं कि सरकार भली-भांति जानती है कि देश में अशांति, अलगाववादी गतिविधियां, आतंकवाद और साम्प्रदायिक दंगों के अतिरिक्त महंगाई एक ऐसी चीज है जो सरकार की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर डालती है। और यह सभी को ज्ञात है कि स्वतन्त्रता के पश्चात्, चाहे 1977 में हो या पुनः 1980 में या पुनः 1984 में, शायद भविष्य में भी, महंगाई से ही लोग सर्वाधिक त्रस्त होते हैं, विशेषकर गरीब लोग; तथा यह तथ्य सरकार और दलों के भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए हम अत्यन्त उत्सुक हैं कि हम कुछ परिणाम दिखाएं और मूल्यों को नियन्त्रित करने का प्रयास करें।

जैसा कि प्रधानमंत्री इस सदन में पहले ही कह चुके हैं कि उनका दल और उनकी सरकार, हालांकि यह एक अन्य बड़े दल द्वारा समर्थित अल्पमत सरकार है···

डा० लक्ष्मि दुबे : सबसे बड़ा दल।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें कोई शक नहीं है। हमारे काम का निर्णय, हमारे द्वारा दिखाए गए परिणामों से ही होगा। और हम मूल्य नियन्त्रण करने हेतु हरसम्भव प्रयास करने को दृढ़ संकल्प हैं तथा सरकार देश की अन्य ज्वलंत समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहती है।

श्री राम गणेश कापसे (ठाणे) : क्या आप भारतीय खाद्य निगम से विचार विमर्श करके, प्रत्येक जिले में, जिला स्तर पर गोदाम के निर्माण पर विचार करेंगे क्योंकि मैंने पाया है कि हर जिले में भंडारण की सुविधाएं नहीं हैं; और इसके परिणामस्वरूप सभी खाद्य जिन्सें और खाद्यान्न समय पर नहीं पहुंच पाते। उन्हें मुख्य निर्गम स्थलों पर ले जाने का कोई उपाय नहीं है। कई बार इसमें बहुत समय लग जाता है। जब लोगों को इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें ये नहीं मिलतीं। क्या आप गोदाम बनाने या उनके भण्डारण के लिए किसी अन्य अस्थायी व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आठवीं योजना में भी निर्माण कार्य सम्बन्धी एक विशाल कार्यक्रम है। गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम मुख्य संस्था है और आठवीं योजना के दौरान 15 लाख टन भण्डारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान है, राज्य भंडारण निगमों में शीत भंडारण सुविधाएं मौजूद हैं। वहां भी केन्द्रीय सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा है।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र नहीं किया, वह है 14 आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सस्ते दामों पर वितरित करना। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था शुरू करेगी जिससे कि आम जनता को, गरीब जनता को ये 14 वस्तुएं मिल सकें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और अधिक वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए। किन्तु यह राज्य सरकार के प्रयासों पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन राज्य सरकार स्वयं करती है; हम सिर्फ कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं; जिनका हम भण्डारण करते हैं। हमारे भंडार में खाद्यान्न, चीनी, आदि होते हैं। हम अपनी केन्द्रीय संस्थाओं जैसे हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम द्वारा कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम तेल के कुछ ऐसे पैकेटों का उत्पादन करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किया जा सके।

मैंने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को निर्देश दिया था कि वे मसाले, अदरक, मिर्च और कई अन्य ऐसी चीजें, जैसे —ईलायची, हरी इलायची, बड़ी इलायची इत्यादि सिक्किम और देश के अन्य भागों से खरीदने का प्रयास करें। इन सभी चीजों की खरीद की जा सकती है। दालों के लिए हमारे पास दाल मिलें हैं। किन्तु पूरे देश में उन 14 वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त भंडार हमारे पास नहीं है। किन्तु हम इन वस्तुओं को प्राप्त करने में राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों की सहायता करने का प्रयास करते हैं और हम पूंजी की भी व्यवस्था करते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मंत्री मिर्धा साहब ने इस सदन में घोषणा की थी कि जितना फैक्ट्री का सामान होगा, उस पर रिटेल प्राइस और पैकेट पर टैक्स के साथ कीमत लिखी रहेगी। क्या मंत्री जी इसको शुरू करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र सिंह : हां। मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने जो निर्णय लिया था, उसके अनुसार सूचना जारी की गई थी और वह आदेश अब लागू हो गया है। अब, डिब्बा बन्द वस्तुएं सिर्फ अधिकतम खुदरा मूल्य प्रदर्शित करेंगी और पहले जो मूल्य दर्शाने का तरीका था — "स्थानीय कर इत्यादि अतिरिक्त" वह अब नहीं है। अब ऐसा नहीं किया जाता उस आदेश को अधिसूचित किया गया था।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कि उत्पादकों को दिए जाने वाले दाम के मूल्य में और वास्तविक उपभोक्ता से जो मूल्य वसूल किया जाता है उसके अन्तर की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के मूल्यों में भी समानता होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक अलग विषय उठा रहे हैं। इस प्रश्न में बहुत समय लगेगा।

श्री ए० के० राय : यह एक नीतिगत प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : नीति से संबंधित प्रश्नों का चन्द मिनटों में ही उत्तर नहीं दिया जा सकता। मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देने के लिए इच्छुक हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर आपका आदेश है तो अवश्य दूंगा। जैसाकि आपने उचित ही कहा है, यह एक नीति का प्रश्न है और सरकार इस पर विचार करेगी और हम पर गहराई से विचार करना होगा। यह पूरी तरह सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वह खुदरा मूल्य और किसान को मिलने वाले मूल्य और किसान को मिलने वाले मूल्य का अन्तर और खुदरा बाजार के मूल्य निर्धारित करे। किन्तु, फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक वस्तुओं और कृषि के वस्तुओं के मूल्यों के

संबंध में समानता की बात है तो, इन दोनों वर्गों की वस्तुओं के मूल्यों में समानता शायद न हो। कृषि लागत और मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में यह सम्मिलित किया गया है। इस पर विचार किया गया है और हम मूल्यों में समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए काफी समय चाहिए। यह एक अच्छा प्रश्न है, पर बड़ा व्यापक है।

[हिन्दी]

श्री ए० के० राय : उपाध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान मैंने सुझाव दिया था कि छोटा नागपुर का मैदानी इलाका मूंगफली उत्पादन के लिए काफी अच्छा है, तो क्या सरकार इसके लिए कोई ध्यान दे रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का काम है।

[हिन्दी]

श्री ए० के० राय : दूसरी बात यह है कि इतनी कीमती बहस के बाद, क्या चीजों की कीमत में कुछ कमी आएगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : दोनों माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का मैं पूर्णत: समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य उपयुक्त एजेंसियों के गोदामों की व्यवस्था के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं उड़ीसा राज्य के मेरे निर्वाचन क्षेत्र परलाकिमिडी में अब यह हो रहा है कि गरीब किसान पूरी तरह से मिल मालिकों और दूसरों की दया पर निर्भर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही कह चुके हैं कि वे गोदाम बनवाएंगे।

श्री गोपी नाथ गजपति : सीमेंट, चीनी, पामोलीन तेल, की उपलब्धता की जहां तक बात है, तो इन आवश्यक वस्तुओं की हमेशा कमी रहती है और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति के लिए उचित वितरण प्रणाली सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय राव साहब, स्वयं एक खेतीहर हैं, खुद खेती करते हैं। मेरा उनसे इतना ही निवेदन है, कभी आपने इस बात का निर्णय लिया है कि तिल्ली और तिल्ली का तेल, सरसों और सरसों का तेल, मूंगफली और मूंगफली का तेल, इसमें उत्पादन लागत कितनी आती है। इसके अलावा जो टैक्स आपने लगा रखे हैं, इन तिलहनों पर, इस संकट की घड़ी में यह तेल आज 35-40 रुपये किलो हो गया है। आम आदमी उसको खा नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी, प्रश्न करिए, भाषण न दीजिए।

श्री बाऊ दयाल जोशी : पूर्व खाद्य मंत्री ने कहा था कि गरीब आदमी को पौवड़ी भर भी तेल नहीं मिलता, आजकल के भावों को देखते हुए। तो क्या आपने दोबारा लागत और तिल तेल की मिल लागत, दोनों में कितना अंतर है, इस बारे में कोई निष्कर्ष निकाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री जी इसको देख लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.51 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 जनवरी, 1991/19 पौष 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सन लाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग।